भारतीय मजदूर संघ

शून्य से सृष्टि तक

(खण्ड-एक)

श्रम शोध '96

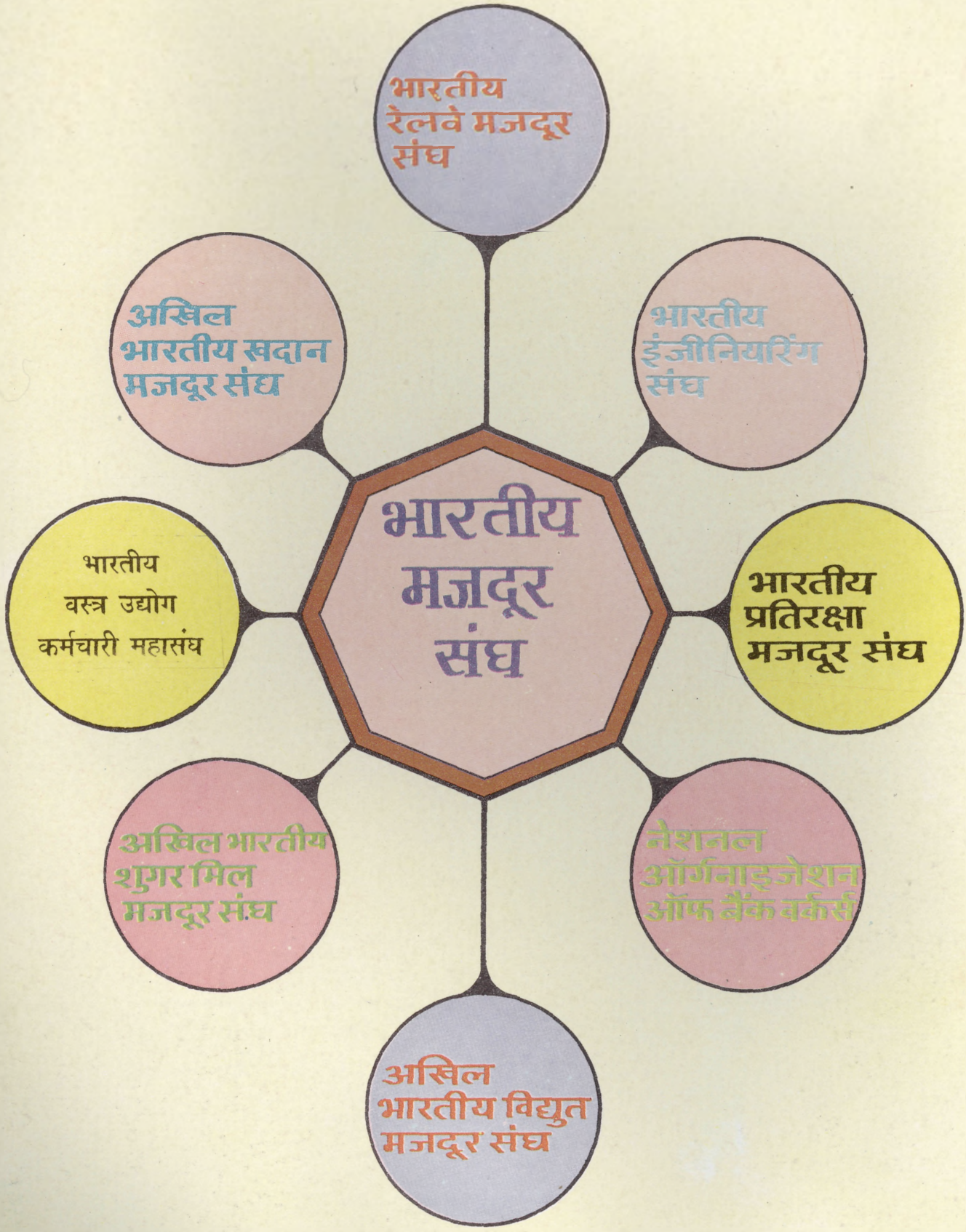

प्रथम अधिवेशन अगस्त 1967

भारतीय मजदूर संघ

शून्य से सृष्टि तक

श्रमशोध '96

स्वत्वाधिकार : भारतीय श्रमशोध मंडल

प्रकाशन वर्ष : 1996

प्रकाशक : अ. सी. करंवेळकर
कार्यवाह
भारतीय श्रमशोध मंडल
1360, शुक्रवार पेठ, पुणे-411002

आवरण : चंदर

ग्राफिक्स : पवनेश

मूल्य : दो सौ रुपए

मुद्रक : ऋत्विज प्रकाशन
34, संस्कृत नगर,
सेक्टर-14, रोहिणी
दिल्ली-110085

मजदूर आंदोलन
के जनक
स्व. नारायण मेघाजी लोखंडे
की
जन्मशताब्दी पर
सादर समर्पित

परामर्शदाता
सरदार सुखनंदन सिंह
केशवभाई ठक्कर
अख्तर हुसैन
दामोदर शर्मा

प्रधान संपादक
अ.सी. करंबेळकर

प्रबंध संपादक
मुकुंद गोरे

कार्यकारी संपादक
धनंजय श्रोत्रिय

सलाहकार संपादक
डॉ. सरोज कुमार त्रिपाठी

अनुक्रम

संपादकीय		7
विहंगावलोकन		13
अध्याय एक	**स्मरणीय नेतागण** नारायण मेघाजी लोखंडे/38, दादा साहेब कांबले/39, विनय कुमार मुखर्जी/40, नरेश चंद्र गांगुली/41, मनहरभाई मेहता/42, बड़े भाई/44, बाला साहेब साठये/45, वासुदेव सुदाम मिटकरी/46, एम.आर. बोरकर/46, शरद धुंडिराज देवधर/46	38
अध्याय दो	**प्रारंभ** स्थापना बैठक/47, प्रथम अधिवेशन/53, द्वितीय अधिवेशन/62	47 47
अध्याय तीन	**प्रगति-पथ पर** वर्तमान संचालन समिति/91, प्रदेशशः वृत्त—*दिल्ली*/97, *उत्तरप्रदेश*/101, *राजस्थान*/109, *विदर्भ प्रदेश*/113	67
अध्याय चार	**महासंघ** अखिल भारतीय शुगर मिल मजूदर संघ/116, अखिल भारतीय जूट उद्योग मजदूर संघ/120, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ/126, भारतीय इस्पात मजदूर संघ/131, भारतीय परिवहन मजदूर संघ/134, अखिल भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ/139, नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंशुरेंस वर्कर्स/142	116
अध्याय पाँच	**अन्य आयाम** भारतीय श्रम शोध मंडल/147, विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था/150, सर्वपंथ समादर मंच/153, महिला विभाग/156, बाल मजदूर/158, क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी/162	147
अध्याय छह	**प्रकीर्ण** मुंबई बंद/164, मजदूर संगठनों के संगठन/167, करुणा की प्रतिमूर्ति/170, भारतीय मजदूर संघ के सक्रिय कार्यकर्ताओं की विदेश यात्रा/172, विदेश से भारतीय मजदूर संघ के केंद्र कार्यालय में पधारे विशिष्ट व्यक्ति/177	164

संपादकीय

प्रिय पाठक,

सप्रेम नमस्कार!

मजदूर क्षेत्र में काम करते हुए भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने अनुभव किया कि इससे संबद्ध यूनियनों के मजदूरों, कामगारों, कर्मचारियों तथा कार्यकर्ताओं में भारतीय मजदूर संघ का इतिवृत्त जानने की उत्कट अभिलाषा है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एवं विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के विद्यार्थियों तथा अनुसंधित्सुओं में भी यह जिज्ञासा देखी गई। इसकी पूर्ति हेतु यह *श्रमशोध '96* अर्थात् 'भारतीय मजदूर संघ : शून्य से सृष्टि तक (खंड-1)' आपके सामने रख रहे हैं।

भा.म. संघ के बारे में इस खंड में हम थोड़ी ही जानकारी दे पा रहे हैं। हमें विश्वास है कि चार खंडों में हम भा.म. संघ का इतिवृत्त आप तक पहुंचा सकेंगे, जिसके उपरांत भा.म. संघ के इतिहास को हम एक ही पुस्तक में समाहित कर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। 'शून्य से सृष्टि तक' की दूसरी कड़ी अर्थात् *श्रमशोध '97 (प्रथम)* वर्ष प्रतिपदा युगाब्द 5099 वि. संवत-2054 तथा *श्रमशोध '97 (द्वितीय)* विजयादशमी के शुभ अवसर पर आपके हाथों में रहेगी, ऐसी आशा है।

समय एवं सामग्री के अभाव के कारण हमारे आलेखों की प्रामाणिकता में कुछ कमियां रह सकती हैं। भा.म. संघ के इतिहास को सर्वांगीण बनाने की दृष्टि से संबद्ध यूनियनों एवं महासंघों के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हमें इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा सुझाव एवं जानकारियां उपलब्ध कराकर अनुगृहीत करें।

उनके हम क्षमाप्रार्थी हैं, जिनकी रचनाओं को प्राप्त करने के बाद भी इस खंड में स्थान नहीं दे पाए। हम विश्वास दिलाते हैं कि 'शून्य से सृष्टि तक' के अगले खंडों में हम उनकी रचनाओं को उचित स्थान देंगे।

इस खंड के प्रकाशन में जिनका हमें थोड़ा भी सहयोग मिला उनके हम हृदय से आभारी हैं।

–अ.सी. करंबेलकर

नारायण मेघाजी लोखंडे

हमारे प्रेरणास्रोत

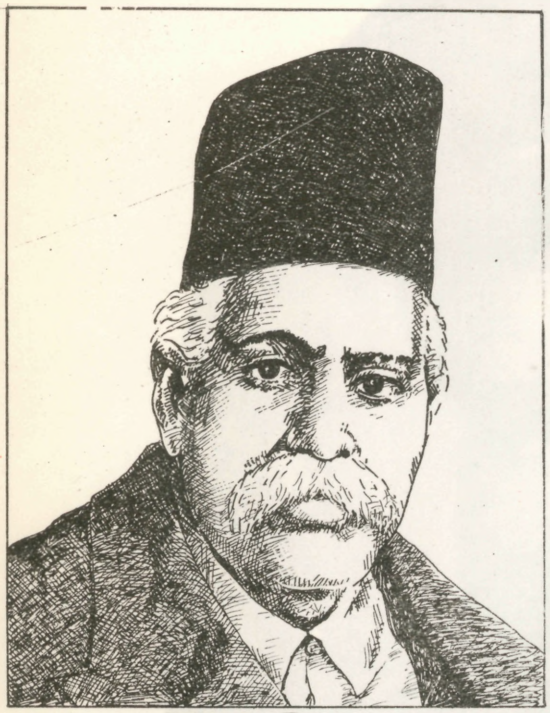

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक
प. पू. डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार

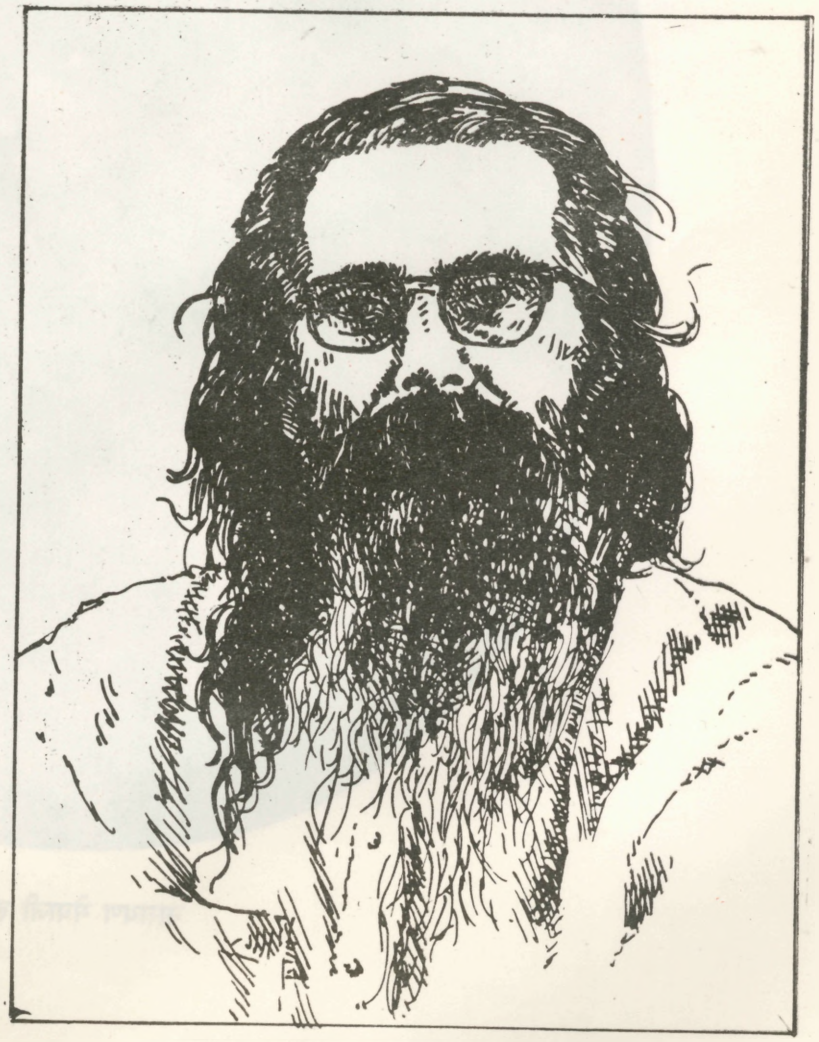

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक
प. पू. माधव सदाशिव गोलवलकर (श्री गुरुजी)

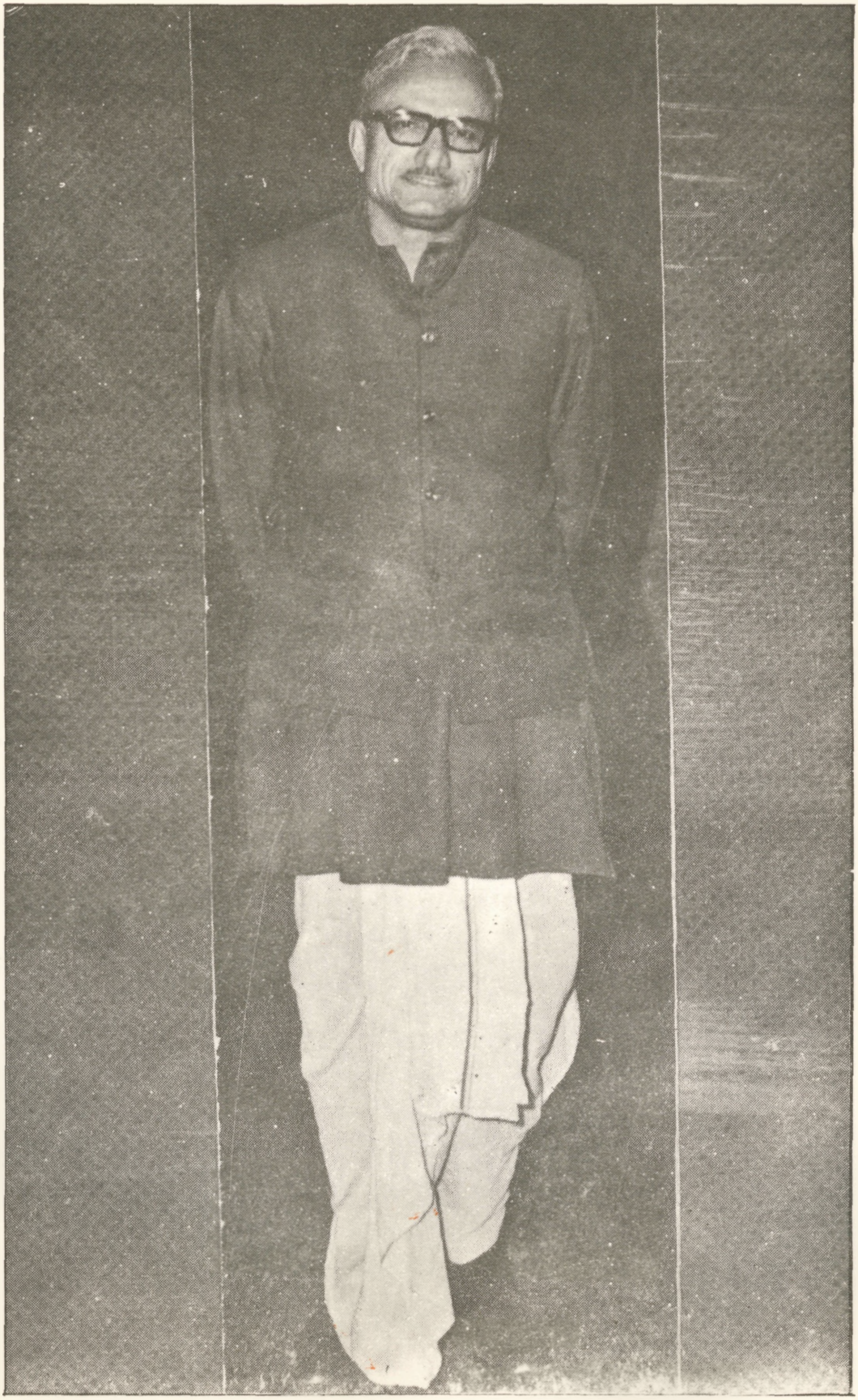

भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक महामंत्री श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

विहंगावलोकन

भारतीय मजदूर संघ : शून्य से सृष्टि तक

उन्नीसवीं सदी के प्रथम और द्वितीय दशक तक अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर पूरा कब्जा कर लिया था। **अपने जीते हुए प्रदेशों में विजेता अपनी संस्कृति भी लाने की कोशिश करता है। अतः अंग्रेजों ने भी भारत पर अपनी संस्कृति थोपने की पूर्ण कोशिश की।** इसी परिप्रेक्ष्य में **लॉर्ड मैकाले** ने स्पष्ट किया है कि यहां का उच्च वर्ग, जो समाज का नेतृत्व करता आया है, वह केवल शरीर से भारतीय रहेगा—मन से, हृदय से और कर्म से वह अंग्रेज हो जाएगा। वे चाहते थे कि यहां की **शिक्षा प्रणाली** का उद्देश्य भी ऐसा ही हो। सर विन्सेंट चिरोल की रिपोर्ट के अनुसार उन्नीसवीं सदी के अंत में इस उद्देश्य में उन्हें भारी सफलता मिली। भारत पर अंग्रेज और उनकी संस्कृति छा गई। भारत की श्रेष्ठ जीवन-धारा और जीवन-पद्धति अवरुद्ध-सी हो गई थी। यद्यपि भारतीय जीवन की जड़ें उखाड़ना किसी के लिए संभव नहीं है तो भी अंग्रेजों का प्रभाव बहुत गहरा था।

अँधेरा

यहां के नेता भी अपने मूल स्वरूप को विस्मृत कर चुके थे। देशभक्त होते हुए भी वे अपनी प्रतिभा और श्रेष्ठता भूल गए थे। **सभी जगह पराधीनता का असर था।** अँधेरा ही अँधेरा छाया हुआ था। **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने ऐसा अनुभव बार-बार किया।** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पूर्व वे राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर ही देखते थे। डॉक्टर जी के मन में भारत की श्रेष्ठता का जो भाव था उस श्रेष्ठता की पुनर्स्थापना करने का साधन कांग्रेस बनेगी, ऐसा उन्हें लगता था। इस दृष्टि से उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा ही मिली।

1920 के कांग्रेस के नागपुर के अधिवेशन में उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस पक्ष अपने सामने दो उद्देश्य स्पष्ट रखे—1. भारत को डोमिनिअन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता और संप्रभुता तथा गणतांत्रिक शासन पद्धति और 2. पूंजीवादी देशों के शोषण से विश्व के गरीब राष्ट्रों को मुक्त कराना। 1920 में जो नेता थे—देशभक्त नेता थे, देशभक्ति की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी थी। लेकिन उस समय का वातावरण इतने श्रेष्ठ विचारों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं था। ऐसी अवस्था में, ऐसे छोटे-छोटे बच्चों को, जिन पर अंग्रेजों की संस्कृति और विचारों का प्रभाव नहीं था, एकत्र करके उनके अंदर **सुप्त भारतीयता की भावना को जगाने के उद्देश्य से डॉ. हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।**

प्रेरणा

भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक महामंत्री श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी अपने शैशव काल से ही संघ शाखा में जाया करते थे। हालाँकि वे अनियमित स्वयंसेवक थे तथापि अपने सहपाठी और मुख्य शिक्षक श्री मोरोपंत जी पिंगळे के सानिध्य में श्री ठेंगड़ी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्ग (ओ. टी. सी.) का तृतीय वर्ष तक शिक्षा क्रम पूरा किया। श्री मोरोपंत पिगंळे जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कर्तृत्वसंपन्न संगठक और सभी स्वयंसेवकों के आदरास्पद एवं सर्वमान्य प्रचारक थे। लौकिक शिक्षण में स्नातक और विधि स्नातक की औपचारिक शिक्षा पूरी करके श्री ठेंगड़ी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में घर से बाहर निकल पड़े।

यों तो श्री ठेंगड़ी जी ने डॉक्टर हेडगेवार

महाराष्ट्र राज्य बीड़ी कामगार संघ

भा.म. संघ, 185-शनिवार पेठ, पुणे - 411030. दूरभाष : 452020

जी को देखा था परंतु उनसे श्री ठेंगड़ी जी का नजदीक का संबंध नहीं हो पाया था। लेकिन **श्री गोलवलकर गुरुजी के निकटतम प्रेरणादायी सानिध्य का लाभ श्री ठेंगड़ी जी को प्राप्त हुआ।** डॉक्टर हेडगेवार और श्री गुरुजी के जीवन से तथा रा. स्व. संघ के सिद्धांत और कार्यपद्धति से श्री ठेंगड़ी जी प्रेरित थे।

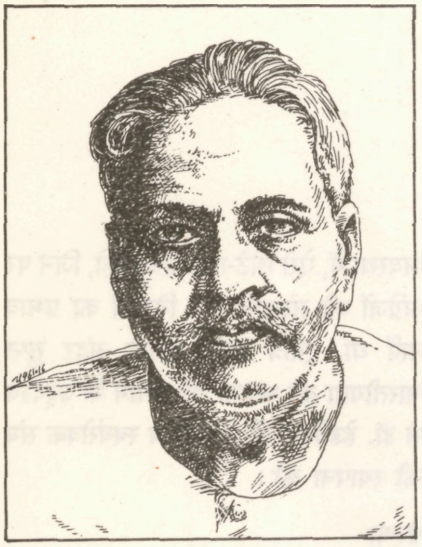

मा. मोरोपंत पिंगळे

प्राथमिक विचार और तैयारी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्पष्ट उद्देश्य था—राष्ट्रीयता की भावना जगाना, पश्चिमी विचार और आचार पर आधारित समाज-व्यवस्था का त्याग करके पूर्णतया भारतीयता पर आधारित समाज-व्यवस्था की पुनर्रचना करना। ऐसी पद्धति निर्मित करने की दृष्टि से आवश्यक था—भारतीय तत्वज्ञान का गहरा अध्ययन, चिंतन और उसके अनुरूप सामाजिक संगठनों की स्थापना। इस दृष्टि से श्री गुरुजी ने इसके बारे में सभी पहलुओं पर विचार करके मजदूर क्षेत्र में भारतीयता पर आधारित सामाजिक संगठन के अभ्यास और तैयारी करने की जिम्मेवारी श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को सौंप दी।

इसके पूर्व श्री ठेंगड़ी जी के ऊपर 1942 ई. से 1945 ई. तक केरल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतप्रचारक का दायित्व रहा और 1945 से 1948 ई. तक बंगाल प्रांत के प्रांत प्रचारक के रूप में इन्होंने कार्य किया।

अनुभव संग्रह

श्री गुरुजी ने 1949 में श्री ठेंगड़ी जी को मजदूर क्षेत्र का अध्ययन करने को कहा। इसके कारण **सन् 1949 से श्री ठेंगड़ी जी के जीवन में नई करवटें आईं। मजदूर आंदोलन श्री ठेंगड़ी जी के लिए ईश्वर दत्त कार्य था, इस कार्य का श्रीगणेश यहीं से हुआ।** तुरंत उन्होंने कांग्रेस के अधीनस्थ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) में प्रवेश किया। अत्यल्प काल में **वे इंटक से संलग्न दस संगठनों के पदाधिकारी बने और जल्दी ही उन संगठनों के आधार स्तंभ बन गए।**

अक्टूबर 1950 में श्री ठेंगड़ी जी इंटक के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बने और पूर्वकालीन मध्य प्रदेश के इंटक शाखा के प्रदेश संगठन मंत्री चुने गए।

1952 से 1955 के काल खंड में श्री ठेंगड़ी जी कम्युनिस्ट प्रभावित ऑल इंडिया बैंक एंप्लॉईज असोसिएशन -(ए. आई. बी. ई. ए.) नामक मजदूर संगठन के प्रांतीय संगठन मंत्री रहे। 1954-55 में आर. एम. एस. एंपलॉईज यूनियन नामक पोस्टल (डाक) मजदूर संगठन के वे सेंट्रल सर्कल (यानी आजकल का मध्य प्रदेश, विदर्भ और राजस्थान) के अध्यक्ष रहे। इसी कालखंड में यानी 1949 से 1955 तक इंटक के राष्ट्रीय परिषद के सभासद होने के कारण आवश्यकतानुसार जीवन-बीमा, रेलवे, कपड़ा उद्योग, कोयला उद्योग आदि से श्री ठेंगड़ी जी का अध्यक्ष के रूप में संबंध स्थापित हुआ।

श्री गुरुजी का दृष्टिकोण

जब रा.स्व.संघ के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि मजदूर क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ स्वतंत्र रूप से काम करे और इसका संगठन दत्तोपंत ठेंगड़ी खड़ा करें तो यह काम उन पर सौंप दिया गया। उन्होने बड़े परिश्रम किए, अपने कार्यकर्ताओं की सहानुभूति और सहायता थोड़ी बहुत होगी ही, परंतु उन्होंने अकेले यह कार्य किया, जिसको अंग्रेजी में 'सिंगल हैंडिड' कहते हैं। अब भा.म. संघ का बोलबाला भी काफी हो गया है और श्रमिक क्षेत्र में यह एक शक्ति के रूप में खड़ा हो गया है। इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। अभी ऐसी स्थिति है कि मजदूर क्षेत्र में काम करने वाले जो अन्यान्य संगठन हैं, उनके पास, ठोस विचार देने वाले व्यक्ति कम हैं, वे केवल आंदोलन के भरोसे, 'हो हल्ला' मचाकर अपनी लोक-प्रियता बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। मजदूर क्षेत्र के लिए ठोस-योग्य विचार देने की क्षमता अभी इस भारतीय मजदूर संघ में ही हमें अधिक मात्रा में दीखती है।

(ठाणे बैठक, 1 नवंबर 1972)

सर्वसाधारण स्तर पर प्रदेश संगठन मंत्री होने के नाते भिन्न-भिन्न उद्योग तथा व्यवसायों के कामगार संगठनों से, उनकी समस्याओं से, उन्हें सुलझाने की पद्धति, श्रम कानून, कान्सिलीएशन (समझौता वार्ता) ट्रॅब्युनल की कार्य पद्धति, हड़ताल आदि का प्रत्यक्ष अनुभव श्री ठेंगड़ी जी ने संगृहीत किया।

अन्य संस्थाओं से संबंध

इसी कालखंड में श्री ठेंगड़ी जी का रा. स्व. संघ से प्रेरित अनेक संस्थाओं से भी संबंध बना। श्री ठेंगड़ी जी पर इनका प्रत्यक्ष दायित्व

दि जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण

प्रधान कार्यालय–निहारिका, बर्फ कारखाने के पास, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम)-421 301. दूरभाष : 25995

भी था। संघ का अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उसी समय प्रवेश हो रहा था। संपूर्ण समाज मानव के शरीर जैसा है, ऐसी भारतीय धारणा है। इस दृष्टि से समाज के सभी घटक पक्षों में जैसे किसान, मजदूर, विद्यार्थी, ग्राहक, उत्पादक आदि में अंगांगी भाव होना चाहिए। इसलिए कोई भी सामाजिक संगठन एक दूसरे से पूरी तरह से अलग नहीं रह सकता। यह अनुभूति ऐसी संस्थाओं की निर्मिति करने वाले कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए, यह सोचकर एक ही कार्यकर्ता के जिम्मे कई काम दिए जाते थे। श्री ठेंगड़ी जी श्री गुरुजी के निकटतम थे, इसलिए श्री गुरुजी श्री ठेंगड़ी जी के कंधे पर दायित्व सौंपते रहे। जिसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है–

- हिंदुस्तान समाचार के वे संगठन मंत्री थे।
- जनसंघ के मध्य प्रदेश का प्राथमिक कार्य करने का दायित्व उनके ऊपर था।
- 1955 में वे जनसंघ अध्यक्ष पंडित प्रेमनाथ डोगरा के निजी सचिव के नाते काम करते थे।
- 1955 से 1957 तक दक्षिणी प्रांतों में जनसंघ की स्थापना और जगह-जगह पर जनसंघ का बीजारोपण करने की जिम्मेवारी उन पर थी।
- वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं।

उपर्युक्त सभी काम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। लेकिन कई अन्य सार्वजनिक तथा सामाजिक संगठनों से भी श्री ठेंगड़ी जी जुड़े हुए थे। विशेष रूप से दलित समाज के साथ उनके संबंध शुरू से ही आत्मीय थे।

भारतीय बुद्ध महासभा के वे प्रारंभ से सभासद थे।

डॉ. अंबेडकर जंयती उत्सव समिति और मध्य प्रदेश शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के भी वे सक्रिय कार्यकर्ता रहे।

इसके अलावा वे 'भाड़ेकरू संघ' (किराएदारों का संगठन), 'नागरिक स्वातंत्र्य आघाड़ी' (मोर्चा), 'वीणकर (बुनकर) कामगार संस्था' आदि संस्थाओं के सक्रिय साथी रहे।

साँच को आँच नहीं

अपने कार्यकर्ता भिन्न-भिन्न क्षेत्र में काम करते समय अपना जो कुछ है उस अपनत्व को, अपनी कार्य पद्धति को और अपने कार्य को लेकर यदि रहें तो कोई समस्या कभी नहीं आएगी। जैसा मजदूर संघ है, उसका बिलकुल स्वतंत्र अस्तित्व रहा है और उस ढंग से वह चल रहा है। उस ढंग से चलते हुए उसने यश पाया है। यह जरूर है कि उनके क्षेत्र में काम करने वाले कम्युनिस्ट इत्यादि कहते हैं कि मजदूर संघ में तुम संघ वाले हो, हमें मालूम है, और दत्तोपंत ठेंगड़ी भी कहते हैं कि मैं भी संघ वाला हूँ। परंतु उनका कार्य सुचारु और स्वतंत्र ढंग से चल रहा है। उन्होंने सिद्धांत भी अपना हिंदू रखा है। भारत की अपनी प्राचीन परंपरा है, उसको उन्होंने रखा है। यह सब लोग जानते हैं। इसके कारण उनको प्रगति करने में रुकावट नहीं आएगी। अपनी परंपरा, अपने हिंदुत्व का स्वाभिमान और उसके साथ स्वतंत्र अस्तित्व, इसी प्रकार से वे चलने वाले हों तो उनकी प्रगति और होगी, बहुत अच्छी होगी।

–श्रीगुरुजी, ठाणे बैठक, 1 नवंबर 1972

इसी कालखंड में यानी 1949 से 1955 ई. तक श्री ठेंगड़ी जी ने कम्युनिज्म का गहराई से अध्ययन किया। कम्युनिज्म तत्वज्ञान और कम्युनिस्टों की कार्यपद्धति आदि विषयों पर श्री गुरुजी से वे रात के कई घंटों तक विस्तृत चर्चा किया करते थे।

श्री दत्तोपंत जी ने इस प्रकार मजदूर आंदोलन में **इंटक, एटक आदि के साथ प्रत्यक्ष काम करके अनुभव संग्रह किया और मजदूर क्षेत्र में जिनका बहुत प्रभाव और बोलबाला था, ऐसे कम्युनिस्टों का तत्वज्ञान और व्यवहार जान लिया। मजदूर जिस समाज से आते हैं ऐसे शोषित, पीड़ित, दलित समाज की सेवा की।** तारुण्य में संसार सुख से दूर हटकर, विवाह आदि व्यक्तिगत जीवन से विमुख होकर अथक परिश्रम किए।

भारतीय मजदूर संघ की स्थापना

श्री ठेंगड़ी जी ने उपर्युक्त पाथेय संजोकर भोपाल में 23 जुलाई 1955 को अखिल भारतीय बैठक बुलाई। इस बैठक में भाग लेने के लिए केवल 35 कार्यकर्ता अन्यान्य प्रांतों से आए थे। बैठक के बारे में कुछ जानकारी द्वितीय अध्याय में दी गई है। यह जानकारी लिखित प्रमाण से प्राप्त न होने के कारण सभा में प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों से बातचीत करके हासिल की गई है।

इस बैठक के बाद भारतीय मजदूर संघ की एक अखिल भारतीय केंद्रीय कामगार संगठन के रूप में घोषणा की गई। उसके पहले यानी 1955 ई. के पूर्व ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), हिंद मजदूर सभा (एच. एम. एस.) और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यू. टी. यू. सी.) ये चार केंद्रीय कामगार संगठन विद्यमान थे। केंद्र सरकार द्वारा इन चारों संगठनों को मान्यता प्राप्त थी।

मजदूर संघ की विशिष्टता

स्थापना के समय से ही भारतीय मजदूर संघ और अन्य केंद्रीय मजदूर संगठनों में अंतर झलकता है। उपर्युक्त चारों संगठन–यानी एटक, इंटक, एच. एम. एस. और यू. टी.यू.

एस.बी. सहल एंड कंपनी
पुणे (महाराष्ट्र)

सी और भा. म. संघ की स्थापना के बाद निर्मित हुए ऐसे अन्य केंद्रीय श्रमिक संगठन- जैसे नेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (एन. एल. ओ.), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सिटू), युनाइटेड ट्रेड यूनियन काँग्रेस 'लेनिन सारणी' (यू.टी. यू. सी. एल.एस.) सभी केंद्रीय मजदूर संगठन यानी जो पहले से अस्तित्व में थे, ऐसे यूनियनों का एकत्रीकरण था। अन्य केंद्रीय कामगार संगठनों की निर्मिति संगठन, विघटन, पुनर्गठन, विघटन पुनर्एकत्रीकरण इस प्रकार से हुई। **भारतीय मजदूर संघ को शुरू से शुरुआत करनी थी।**

अन्य केंद्रीय संगठनों के विचार

1919 ई. में आई. एल. ओ.—अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन) की स्थापना हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय श्रमिक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। 1919 ई. के पूर्व कई जगहों पर जिन्होंने संघर्ष किया था, यूनियनें चलाई थीं, ऐसे लोग 1920 में एक हो गए और भारत का पहला केंद्रीय श्रम संगठन खड़ा हुआ, जिसका नाम था—ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)। यह भिन्न-भिन्न विचारों के नेताओं और संगठनों का एकत्रीकरण था।

1947 ई. में इसी एटक से कई संगठन और उनके नेता जिनको एटक के उद्देश्य और कार्यपद्धति मान्य नहीं थी, संगठन से बाहर हो गए और फिर ऐसे विघटित संगठनों का एकत्रीकरण करके इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) की स्थापना की।

1948 ई. में कांग्रेस से सोशलिस्ट ग्रुप बाहर आया। उसने सोशलिस्ट पार्टी खड़ी की, सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता इंटक में थे, वे अपने संगठनों को लेकर बाहर आए। उन्होंने 'हिंद मजदूर पंचायत' की स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध के समय इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर के नाम से एक केंद्रीय श्रम संगठन खड़ा हुआ था। 1948 ई. में ही इस इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर और हिंद मजदूर पंचायत, इन दोनों केंद्रीय श्रम संगठनों का एकत्रीकरण करके हिंद मजदूर सभा (एच. एम. एस.) की स्थापना हुई।

हिंद मजदूर सभा तथा एटक से कई छोटे-मोटे गुट अपने संगठनों से विघटित होकर फिर एकत्र हुए और उन्होंने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यू.टी.यू.सी.) नामक केंद्रीय श्रम संगठन बनाया। इसी प्रकार संगठन-विघटन-पुनर्संगठन से अन्य चारों संगठन बने हैं।

यानी उपर्युक्त चारों संगठन जो वास्तव में कार्यरत थे, वे गुट या प्रतिगुट थे। इनमें से किसी को भी शून्य से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं थी।

शून्य से प्रारंभ

इस पृष्ठभूमि पर भारतीय मजदूर संघ की स्थापना का अर्थ 'शून्य से निर्माण' जैसा था। 23 जुलाई 1955 को भोपाल में जो कार्यकर्ता एकत्र हुए थे, वे ट्रेड यूनियन नेता नहीं थे। इसके लिए ऐसे 35 कार्यकर्ता एकत्र हुए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और सामाजिक कार्य करने की जिनमें इच्छा थी। इसकी एक भी रजिस्टर्ड यूनियन नहीं थी और कोई भी सभासद नहीं था यानी शून्य से प्रारंभ, यह भारतीय मजदूर संघ का प्रमुख वैशिष्ट्य है। इस प्रकार इस नए केंद्रीय कामगार संगठन की स्थापना के पीछे केवल दृढ़ संकल्प ही था।

भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की घोषणा अन्य कामगार संगठन के नेताओं की दृष्टि से एक उपहास का विषय बना। वास्तव में यह उनकी दूरदृष्टि के अभाव का निदर्शक था, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा और शक्तिशाली कामगार संगठन बनने वाला था। इस वास्तविकता से भी वे अनभिज्ञ थे कि कुछ समय से कई जगहों पर संघ के स्वयंसेवकों ने कम्युनिस्ट और कांग्रेस प्रणीत ट्रेड यूनियनों को छोड़कर राष्ट्रवादी ट्रेड

तुलना करें

एटक की स्थापना देश के प्रसिद्ध नेता **लाला लाजपत राय की अध्यक्षता** में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। प्रारंभिक काल में ही इसे **64** विस्तृत **ट्रेड यूनियनों** की संबद्धता प्राप्त हुई, जिसके **1, 40, 584** सदस्य थे। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) लौह पुरुष सरदार **बल्लभ भाई पटेल** की अध्यक्षता में 3 मई 1947 को गठित की गई, जिसे महात्मा गांधी का भी आशीर्वाद प्राप्त था। प्रारंभिक काल में इसे **200 यूनियनों** की संबद्धता प्राप्त हुई, जिसके **5,75,000 सदस्य** थे। हिंद मजदूर सभा (**एच. एम. एस.**) का गठन अक्टूबर 1948 में श्री अशोक मेहता के महामंत्रित्व में हुआ, जिससे स्थापना दिवस के ही दिन **119** यूनियनें संबद्ध थीं तथा जिसके **1,03, 790** सदस्य थे। ठीक इसी तरह यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यूटीयूसी) का गठन अप्रैल 1949 में हुआ, जिसके साथ प्रारंभ में ही **254 यूनियनें** संबद्ध थीं जिसके **3, 31, 991** सदस्य थे। यही स्थिति उन सभी राष्ट्रीय स्तर की यूनियनों की थी, जो आपस में मिलजुल कर गठित या पुनर्गठित हो रही थी, जो पहले से अस्तित्व में थी और मजदूर यूनियन के रूप में काम कर रही थी। इनमें से कोई भी ऐसा संगठन नहीं था, जो शून्य से शुरू हुआ हो, जबकि भारतीय मजदूर संघ को शून्य से शुरुआत करनी थी।

महेश इंटरनेशनल
पुणे (महाराष्ट्र)

यूनियनें खड़ी की थीं। फिर भी 1955 ई. तक और स्थापना बैठक के समय भी ऐसी यूनियनें भा.म.संघ से संबद्ध नहीं थीं लेकिन बाद में यही यूनियनें भा. म. संघ से जुड़ीं।

भारतीय संस्कृति से संबद्ध प्रतीक

भारतीय मजदूर संघ का उदय होने के पश्चात मजदूर क्षेत्र के क्षितिज पर भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रतीक पहली बार दिखाई देने लगे।

भगवा ध्वज : इस काल में वर्ग संघर्ष (क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स) और शोषितों की

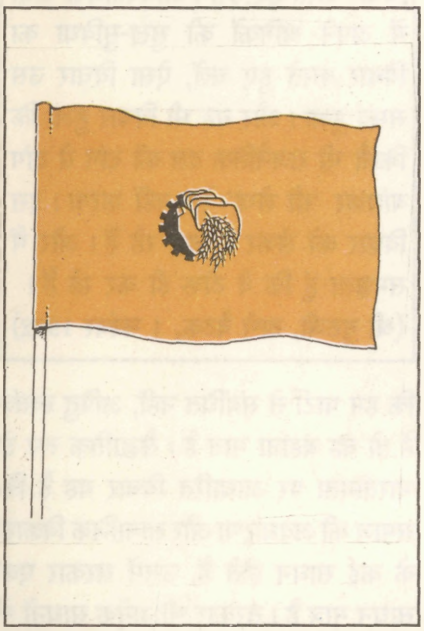

तानाशाही (डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरीएट) की मानसिकता से ग्रस्त 'लाल बावटा' मजदूरों और शोषितों की आशाओं का एकमात्र प्रतीक बन गया था। दूसरा जो तिरंगा रंग इंटक ने लिया था उससे मजदूरों में–शासन और सरकार की प्रति आश्रितता का भाव पैदा होता था। **भारतीय मजदूर संघ ने विश्वप्रेम, तपस्या और त्याग का, भारत की श्रेष्ठतम परंपरा से चला आया भगवा ध्वज कामगार क्षेत्र में फहराया।** पवित्र भारतभूमि से जिसका नाता है ऐसा भगवा रंग भारतीय जीवन प्रणाली की सर्वोत्तम और सर्वोदात्त मूल्यों का प्रतीक है।

नया प्रतीक चिह्न : भारतीय मजदूर संघ का प्रतीक चिह्न भी पूर्णतया भारतीय है। इसके ऊपर जो **चक्र** दिखाया गया है, वह उद्योगीकरण दिखाता है और **गेहूँ की बाली** खेती और समृद्धि को दर्शाती है। बंधी हुई मुट्ठी, संगठित शक्ति का परिचय देती है और **सबसे महत्वपूर्ण है अंगूठा–इसके कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से ज्यादा प्रगति कर सका।** इस दृष्टि से यह प्रतीक भी अनोखा है।

राष्ट्रीय श्रमिक दिन : भा. म. संघ की स्थापना से पाँच दशक पहले मजदूर आंदोलन देश में खड़ा हुआ था। फिर भी इसे आश्चर्य और दुख की बात ही कह सकते हैं कि तब तक कोई भी 'राष्ट्रीय श्रमिक दिवस' तय नहीं हुआ था। राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कौन सा हो, इसके बारे में शोध या चर्चा भी नहीं हुई थी। **भारतीय मजदूर संघ ने विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रमिक दिवस तय किया।** इसका कारण यह है कि इस दिन को श्रमिक दिवस के रूप में भारत वर्ष के सभी कारीगर प्राचीन काल से ही मनाते आ रहे हैं। आधुनिक काल में भी भारत वर्ष में जगह-जगह पर कारखानों में विश्वकर्मा उत्सव होता है; जैसे कि जमशेदपुर के टाटा उद्योग में मालिक, अधिकारी तथा सभी संप्रदायों के कामगार इस दिन बड़े धूम-धाम से यंत्रों की पूजा करते हैं।

यद्यपि शुरू में वामपंथी तथा अन्य संगठनों ने इसका उपहास किया, लेकिन केंद्र सरकार ने मजदूर क्षेत्र के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार तय किया, उसको नाम दिया गया–'विश्वकर्मा पुरस्कार'। विश्वकर्मा जंयती को 'राष्ट्रीय श्रम दिवस' के रूप में सरकार द्वारा निकट भविष्य में मान्यता दी जाएगी, ऐसा भारतीय मजदूर संघ को विश्वास है।

नए नारे : मजदूर क्षेत्र में 'भारत माता की जय' यह नारा भा. म. संघ की स्थापना के पूर्व मालूम ही नहीं था। कामगारों में राष्ट्रीय भाव जाग्रत करने के बारे में पूर्व के नेता कितने उदासीन थे, यह इसका परिचायक है। जब भारतीय मजदूर संघ ने यह नारा दिया तो उसका उद्देश्य था–वर्गीय दृष्टिकोण और राष्ट्रीय दृष्टिकोण में जो दीवार खड़ी हुई थी, उसको तोड़ना। जिनका दृष्टिकोण वर्गीय था, उनको यह नारा मान्य नहीं था। इसलिए उन्होंने, विशेषतः कम्युनिस्टों ने, इसका विरोध

किया। लेकिन राष्ट्रभक्त होने के कारण सामान्य कामगारों और मजदूर कर्मचारियों ने यह नारा उत्साह के साथ स्वीकार किया और लगन से वे इसे दुहराने लगे। बाकी यूनियनों का नारा था–'हमारी माँगें पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हो।' दूसरी ओर भारतीय मजदूर संघ का नारा है–'राष्ट्रहित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम।'

सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड

'शिवस्मारक', गोल्ड फिंच पेठ, सोलापुर-413 007. दूरभाष : 26676

मार्क्सवादी कहते हैं—'विश्व के मजदूरो, एक हो।'

भा. म. संघ. का नारा है—मजदूर भाइयो दुनिया को एक करो।

इसी प्रकार—

राष्ट्र का औद्योगीकरण
उद्योगों का श्रमीकीकरण
श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण

भारतीय मजदूर संघ की यह 'त्रिसूत्री' विचारधारा कामगारों को पसंद आई। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित ये परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे पर अवलंबित हैं। राष्ट्र डूबेगा, उद्योग डूबेगा तो मजदूर हित संभव नहीं, ऐसा स्पष्ट रूप से भा. म. संघ ने शुरू से कहा।

झंडा अपने देश का

झंडा अपने देश का, श्रमिकों का मजदूरों का।
भगवा ध्वज अपनाया है तो मोह कहां इन प्राणों का ॥ ध्रु ॥
नील गगन में भगवा ध्वज यह सदियों से लहराता है।
अँधियारे को दूर भगाता, जीवन ज्योति जगाता है।
जन मानस में त्याग तपस्या भाव जगे बलिदानों का ॥ १ ॥
औद्योगिक क्रान्ति प्रतीक यह चक्र सुदर्शन समान है।
गेहूं की बाली हर किसान का समृद्धि वरदान है।
मुट्ठी में सामर्थ्य अंगूठा प्रतीक यह अरमानों का ॥ २ ॥
औद्योगीकरण भारत का हो, उद्योगों का श्रमिकीकरण।
श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण हो राष्ट्र का औद्योगीकरण।
बढ़ते जायें सदा चरण, कारवां चले दीवानों का ॥ ३ ॥

पक्षीय राजनीति से दूर

भारतीय मजदूर संघ का शुरू से ही यह स्पष्ट सिद्धांत रहा कि वह राजनीति से जुड़ा संगठन नहीं रहेगा। यद्यपि बाकी केंद्रीय संगठन भी ऐसा ही कहते हैं, पर ये सब सिर्फ कहने की बात है। भारतीय मजदूर संघ सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टि से दलगत राजनीति से पूर्णतया अलग है।

अन्य सभी संगठन समाजवाद को अपना आदर्श मानते हैं। भा. म. संघ विशुद्ध भारतीयता के आधार पर चलने वाला संगठन होने के कारण समाजवाद जैसे भौतिकवादी विचारों पर विश्वास नहीं करता, इतना ही नहीं, समाजवाद व मार्क्सवाद को अस्वीकार भी करता है।

मार्क्सवाद के अनुसार समाज की धारणा का मूल आधार सरकार है, शासन है। इस व्यवस्था में सरकार सब कुछ करेगी, सरकार सर्वे-सर्वा होगी। इसलिए सरकार के लिए सब कुछ, सरकार के अंतर्गत सबकुछ। और सरकार पार्टी से बनती है, इसलिए पार्टी के अंतर्गत सबकुछ, पार्टी के लिए सबकुछ। इस प्रकार सभी सामाजिक संगठन पार्टी के अंतर्गत और पार्टी के लिए होंगे। उस व्यवस्था में विद्यार्थियों का, किसानों का या मजदूरों का कोई भी संगठन पार्टी की सफलता के लिए या पार्टी के उद्देश्य-पूर्ति के लिए होता है। इसलिए बाहरी तौर पर यदि कोई कहता है कि हम पार्टी से संबंधित नहीं, अपितु स्वतंत्र हैं तो वह बहाना मात्र है। सैद्धांतिक रूप से भारतीयता पर आधारित विचार यह है कि समाज की अवधारणा और सामाजिक विकास के कई साधन होते हैं, उसमें सरकार एक साधन मात्र है। सरकार भी अनेक साधनों में से एक है। इसलिए सरकार के अंतर्गत सबकुछ नहीं, सरकार के लिए सब कुछ नहीं। और, सरकार पार्टी बनाती है, तो पार्टी के अंतर्गत, पार्टी के लिए सब कुछ ऐसा भी नहीं।

सरकार के हाथों में अमर्यादित शक्ति होती है। सत्ता भ्रष्ट करती है, अधिकतम सत्ता अधिकतम भ्रष्ट करती है। अतः सरकार पर अंकुश रहे, फिर सरकार किसी भी पार्टी की क्यों न हो—इस प्रकार का समर्थ, स्वायत्त, स्वावलंबी, केंद्रीय समाज संगठन होना चाहिए।

राजनैतिक दल से दूर

भारतीय मजदूर संघ जिस समय बन रहा था, यह बात तो स्पष्ट हो गई थी कि यह मजदूरों का क्षेत्र है। मजदूर हित की दृष्टि से प्रयत्न करने वाले और मजदूर हित के साथ, जिस राष्ट्र का मजदूर घटक है, उस राष्ट्र का समग्र विचार करने वाला यह काम है। अन्यान्य क्षेत्रों में जैसे केवल अपना ही स्वार्थ विचार में लिया जाता है, वैसा न लेते हुए, राष्ट्र की संपदा बढ़ाने की दृष्टि से विचार करते हुए उसमें अधिकाधिक मात्रा में अपने श्रमिकों की सुख-सुविधा का विचार करते हुए चलें, ऐसा विचार उस समय हुआ। और यह भी विचार हुआ कि किसी भी राजनैतिक दल की टांग से टांग बांधकर 'थ्री लेग्ड' रेस नहीं करना। इस विचार को लेकर वे चल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वे ठीक ही कर रहे हैं।
(श्री गुरुजी, ठाणे बैठक, 1 नवंबर 1972)

महाबीर अलॉइस, नॉन फेरस अलॉइस

फैक्ट्री : डब्ल्यू 274, एस. ब्लाक, एम.आई.डी.सी. भोसरी, पुणे-411 026. दूरभाष : 792174, 790470

ऑफिस : 24/8, ईस्ट स्ट्रीट, ठक्कर हाउस, ई/205, प्रथम खंड, द्वितीय मंजिल, पुणे-411001. दूरभाष : 477055, 654567

ऐसी सुस्पष्ट सैद्धांतिक भूमिका होने के कारण भारतीय मजदूर संघ किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं है।

केवल संगठन ही नहीं

भारतीय मजदूर संघ विशुद्ध रूप से कामगारों का संगठन है। यानी यह किसी राजकीय पक्ष से जुड़ा नहीं, राजकीय पक्ष के लिए नहीं। इसी तरह यह मालिकों से और सरकार से भी पूर्णतः अलग है। इसके अंदर व्यक्ति-प्रधानता भी नहीं है। जब यह किसी एक व्यक्ति के लिए या एक व्यक्ति का संगठन नहीं है तो अवश्य ही एक विशुद्ध कामगार संगठन है। यानी कामगारों का, कामगारों द्वारा चलाया हुआ तथा कामगारों के लिए चलता हुआ संगठन।

ऐसा होते हुए भी भा. म. संघ केवल ट्रेड यूनियन नहीं है। यह भारतीय विचारों पर आधारित राष्ट्र के पुनरुत्थान का साधन है। तो निश्चित रूप से भा.म. संघ से संबद्ध नई संस्थाएं और नए संगठन गठित हो जाएंगे तथा आंदोलन भी खड़े हो जाएंगे। राष्ट्र पर संकट छाएगा तो एक राष्ट्रीय संगठन के नाते इसे कर्तव्य पूर्ति भी करनी होगी।

अंतरराष्ट्रीय संलग्नता नहीं

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली—इंटरनेशनल कॉन्फिड्रेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन्स (आई.सी.एफ.टी.यू.), वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (डब्ल्यू.एफ.टी.यू.) और वर्ल्ड कॉन्फिड्रेशन ऑफ लेबर (डब्ल्यू.सी.एल.) इन तीनों संगठनों में से किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन से भारतीय मजदूर संघ संबंधित नहीं है।

मजदूर संघ का अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संलग्न न रहते हुए काम करने का शुरू से ही निर्णय है।

इस प्रकार से भगवा ध्वज, नया चिह्न, नए नारे, नए विचार लेकर भारत तथा विश्व के क्षितिज पर भारतीय मजदूर संघ उदित हुआ और शनैः-शनैः बढ़ने लगा।

नींव से शिखर की ओर

अन्य केंद्रीय श्रम संगठनों की प्रथमतः राष्ट्रीय कार्यसमिति का गठन और सभी पदाधिकारियों का चयन हुआ, बाद में प्रदेश शाखाओं की निर्मिति की प्रक्रिया पूरी हुई। भा. म. संघ की शुरुआत प्राथमिक स्तर पर यूनियनें खड़ी करने, जिला समितियाँ बनाने, प्रदेश इकाइयाँ खड़ी करने जैसे कार्यक्रमों से हुई। इन सब तैयारियों के बाद अगस्त 1967 में प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ। इस प्रथम अधिवेशन में राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्यसमिति का चयन हुआ। यानी स्थापना होने के 12 वर्ष बाद राष्ट्रीय कार्यसमिति का गठन। यह एक अनोखी पद्धति थी। स्पष्ट है कि तब तक पूरे 12 वर्ष श्री ठेंगड़ी जी अकेले राष्ट्रीय महामंत्री रहे। महामंत्री के नाते देश भर के संगठनों का मार्गदर्शन करते रहे और नई यूनियनें खड़ी करते रहे। यद्यपि विचार-विमर्श के लिए पाँच कार्यकर्ताओं की एक समिति बनी थी, तो भी प्रत्यक्ष रूप से सभी जिम्मेवारियां श्री ठेंगड़ी जी के ऊपर ही थी।

पहला दशक : कसौटी दशक

शुरू-शुरू में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मालिकों से, सरकार की ओर से दुश्मनी का बर्ताव, कामगारों का निराश करने वाला रुख, अन्य प्रस्थापित कामगार यूनियनों द्वारा उपहास और कड़ा विरोध तो अपेक्षित था, पर उससे मुकाबला करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था—धन नहीं था, जन शक्ति नहीं थी, कानूनी जानकारियां नहीं थीं; यहां तक कि आवश्यक विषयों का कुछ भी ज्ञान नहीं था।

भास्कर ठक्कर लिखते हैं

गुजरात प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की स्थापना अहमदाबाद में 1964 में हो गई। परंतु सुचारु रूप से भा. म. संघ का काम 1967 के बाद श्री केशवभाई ठक्कर द्वारा शुरू हुआ। श्री ठक्कर सौराष्ट्र का नियमित रूप से दौरा करने लगे। उन्हें साथ मिला श्री हसुभाई दवे का। भा. म. संघ में उन्हीं दिनों की त्रुटियां थी। **किसी भी कार्यकर्ता को ट्रेड यूनियन का कोई अनुभव नहीं था व कोई कानूनी जानकारी भी नहीं थी। और न ही कोई संरक्षक। पैसे की कमी इतनी थी कि कार्यकर्ता नाश्ता भोजन किए बिना प्रवास करते थे। कार्यालय नहीं थे, टेबल-कुर्सी नहीं थी।** कभी किसी के घर में रहना, कभी किसी के घर भोजन करना। कार्यकर्ताओं की पद्धति थी। देवालयों में या सार्वजनिक बगीचे में बैठकर बैठकें होती थीं। दिनभर की विचार बैठक हो तो उन्हें अपना खान-पान का डिब्बा साथ में लाना पड़ता था। यहाँ तक कि स्टेशनरी, टाइपिंग की व्यवस्था भी नहीं थी। जिस पते पर पत्र व्यवहार कर सकें ऐसा पंजीकृत कार्यालय भी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध नहीं था।

एक ही पूंजी थी कार्यकर्ताओं की काम करने की लगन और उसको बल देने वाला उनका पारदर्शी चरित्र। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भा. म. संघ के कार्यकर्ताओं से सहानुभूति रखने वाले तथा आवश्यकता पड़ने पर साथ देने वाले कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी।

ऐसी विपरीत अवस्था में भी कार्यकर्ताओं ने अपना मन स्थिर रखा, अपना संतुलन बिगड़ने नहीं दिया। एक दृढ़ निश्चय के साथ "हम विजयी होकर ही रहेंगे" इस विश्वास से वे कार्य करते रहे।

निवो मार्केटिंग एजेंसीज
10, गुरुवार पेठ, राम मंदिर के सामने, सरिता देवी चौक, पुणे-411042. दूरभाष : 477494, 477233, आवास-460939

प्रखर राष्ट्रभाव

प्रखर राष्ट्रीयता भारतीय मजदूर संघ की विशेषता होने के कारण 1962 ई. में चीन के आक्रमण के समय तथा 1965 ई. में पाकिस्तान के आक्रमण के समय भारतीय मजदूर संघ की इकाइयों ने और महासंघों ने 'राष्ट्रीय मजदूर मोर्चा' बनाने में या तो पहल की या उसमें पूरी शक्ति लगाकर सरकार को और जवानों को सभी प्रकार से सहयोग देने की कोशिश की। जितनी ताकत संगठन में थी, वह पूर्ण रूप से राष्ट्र को समर्पित की।

ग्राहक मूल्य निर्देशांक की लड़ाई

भारतीय मजदूर संघ ने ही मजदूर क्षेत्र के कई विषयों का पहली बार स्पर्श किया। अन्य केंद्रीय कामगार संगठन जिन विषयों पर ध्यान देने को तैयार नहीं थे, ऐसे बुनियादी विषयों का अध्ययन करके भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने उन पर आंदोलन खड़े किए।

जिस ग्राहक मूल्य निर्देशांक के ऊपर मजदूरों को महंगाई भत्ता मिलता है—वह **निर्देशांक निकालने की पद्धति ही गलत है, इस अतार्किक पद्धति को बदलो, ऐसी आवाज भारतीय मजदूर संघ ने ही मजदूर आंदोलन में पहली बार उठाई।** सरकार ने तो इससे इनकार किया ही, लेकिन एटक जैसे अन्य संगठनों ने भी शुरू में इसका विरोध किया। लेकिन एच. एम. एस., एच. एम. पी. ने साथ दिया और जल्दी ही सभी संगठन एकत्र हो गए। 20 अगस्त 1963 को मुंबई बंद आंदोलन हुआ। यह सफल रहा जिसका विस्तृत ब्यौरा इस खंड में स्वतंत्र रूप से दिया गया है।

अगला कदम

पहले दशक में भा. म. संघ से संबद्ध सात महासंघ स्थापित हुए थे, वे थे—

1. भारतीय वस्त्र उद्योग कर्मचारी महासंघ
2. अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ
3. भारतीय इंजीनियरिंग संघ
4. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ
5. भारतीय रेलवे मजदूर संघ
6. अखिल भारतीय शुगर मिल मजदूर संघ
7. अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ

इन 7 महासंघों की स्थापना प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन के पूर्व हो गई थी।

1964 ई. में बैंकिंग उद्योग में नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स की स्थापना हो गई। लेकिन 1967 ई. के अधिवेशन के समय तक यह ऑर्गनाइजेशन भा. म. संघ से संबद्ध नहीं हुआ था।

पहला अधिवेशन

12 और 13 अगस्त 1967 को दिल्ली में पहला अधिवेशन हुआ। उस समय संबद्ध महासंघ सात थे, संबद्ध यूनियनें 541 थीं और सदस्य संख्या थी—2,45,902। शून्य से शुरू

प्रथम अधिवेशन अगस्त 1967

रैनबो एजेंसीज़
ग्रीक्स लिमिटेड के ऑथराइज्ड डीलर
381, भवानी पेठ (पुराने मोटर स्टैंड के पास), कागलवाला सोसाइटी, पुणे-411 042. दूरभाष : 659466

होकर भारतीय मजदूर संघ यहां तक पहुँचा था। उद्घाटक थे पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर जी के दाहिने हाथ के रूप में मान्यता प्राप्त दलित नेता श्री दादा साहेब गायकवाड़। 1967 की सामाजिक स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। भारतीय मजदूर संघ ने अपना प्रमुख गीत रखा है—**शोषित, पीड़ित, दलित जनों के भाग्य बनाने वाले हम**"। श्री दादा साहेब गायकवाड़ को प्रमुख अतिथि के रूप में बुलाकर कार्यकर्ताओं में **सामाजिक समरसता का बीजारोपण प्रथम अधिवेशन से किया गया।**

एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के प्रथम अधिवेशन में सर्वश्री चमनलाल भारद्वाज, गजानन गोखले, बी.जी. गौड़, सी.जे.ए. सल्दाणा

प्रथम अधिवेशन के बाद कार्य में बहुत ही प्रगति हुई। कार्य द्रुतगति से आगे बढ़ने लगा। भारतीय मजदूर संघ की प्रगति दोनों दिशाओं में होती रही। उद्योगशः संगठन बनते गए जैसे—रेलवे, पोस्ट एवं टेलीकाम, बैंक, जीवनबीमा आदि की यूनियनें बनीं, साथ ही साथ जिला स्तर की इकाइयाँ यानी निजी उद्योगों में इंजीनियरिंग, टैक्सटाइल आदि की यूनियनों का भी गठन हुआ। इस प्रकार जिला के बाद प्रदेशों में जैसे—परिवहन, बिजली आदि की भी इकाइयाँ गठित हुईं।

प्रदेश इकाइयां गठित होने के बाद प्रदेशों में अधिवेशन भी होना शुरू हुआ। पहला अधिवेशन होने के पूर्व पाँच प्रांतों में भा.म. संघ की इकाइयां खड़ी हुई थीं।

उ.प्र. व दिल्ली (केंद्रशासित प्रदेश) में प्रदेश स्तर पर सरकार से भा.म. संघ को मान्यता भी मिली हुई थी। इसके अतिरिक्त पंजाब में भा.म. संघ को स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड का प्रतिनिधित्व मिल चुका था।

किसी जिले में जिला समिति गठित नहीं हुई हो और जिला संयोजक न हो तो फेडरेशन की शाखा संपर्क के लिए होती है। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा के सभी कर्मचारी भा. म. संघ से संबद्ध यूनियन के सदस्य हैं। ऐसी जगहों पर भा. म. संघ का कार्यक्रम ऐसे संबद्ध यूनियन द्वारा किया जाएगा। 1996 के अगस्त में अंदमान निकोबार में स्वतंत्र पंजीकृत यूनियन बनी जिसने भा. म. संघ से संबद्धता के लिए आवेदन किया है।

इस प्रकार पूरे भारतवर्ष के कोने-कोने तक भा.म. संघ का कार्य पहुँच गया।

पहला अधिवेशन 1967 में हुआ, तब से लेकर 1994 तक 10 अखिल भारतीय अधिवेशन हुए और अक्टूबर 1996 में 11वाँ अखिल भारतीय अधिवेशन भोपाल में हो रहा है।

बढ़ते चरण

अधिवेशन	कहां	दिनांक	यूनियन संख्या	सदस्य संख्या
प्रथम	दिल्ली	13-14 अगस्त 1967	541	2,46,902
द्वितीय	कानपुर	11-12 अप्रैल 1970	899	4,56,100
तृतीय	मुंबई	22-23 मई 1972	1,043	5,67,465
चतुर्थ	अमृतसर	18-20 अप्रैल 1975	1,313	8,39,423
पंचम	जयपुर	21-23 अप्रैल 1978	1,555	10,83,488
षष्ठ	कलकत्ता	7-8 मार्च 1981	1,776	18,05,910
सप्तम्	हैदराबाद	9-11 जनवरी, 1984	2,007	20,53,721
अष्टम्	बेंगलूर	26-28 दिसंबर 1987	2,353	32,86,559
नवम्	बड़ोदरा	21-22 फरवरी 1991	2,677	38,89,376
दशम्	धनबाद	18-20 मार्च 1994	3,507	45,12,600
एकादश	भोपाल	28-30 अक्टूबर 1996	3,739	47,18,831

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कर्मचारी संघ

रानीपुर, हरिद्वार (उ.प्र.)

हरेक अधिवेशन में सदस्यता और संबंधित यूनियनों की संख्या बढ़ती गई।

तीन बरस में गगन-उड़ान

1967 ई. में पहला अधिवेशन हुआ। इसके बाद दूसरा अधिवेशन 1970 ई. में हुआ। इसके कार्य-विस्तार के साथ-साथ ऐसी उल्लेखनीय महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरण करना आवश्यक है।

देशव्यापी हड़ताल

19 सितंबर 1968 को केंद्रीय कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल में भा.म. संघ से संबद्ध भारतीय रेलवे मजदूर संघ और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके कारण कई कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा। कई कार्यकर्ता निलंबित हुए। कई अपनी नौकरी खो बैठे। भा.म.संघ ने हड़ताल में तो योगदान दिया ही, बाद में हुई कार्यवाही में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस विषय के बारे में 1969 की जनवरी में दिल्ली में सभी संगठनों का सम्मेलन हुआ। इसमें भा.म.संघ ने प्रस्ताव रखा कि इस हड़ताल में सरकार ने जैसी उग्र तानाशाही दिखाई, उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) से शिकायत की जाए—इस प्रस्ताव को अन्य संगठनों ने स्वीकृति दी।

राष्ट्रीय श्रम आयोग

भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री गजेंद्र गडकर जी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग को भारतीय मजदूर संघ द्वारा लिखित रूप में आवेदन दिया गया। बाद में **पुस्तक रूप में 'श्रमनीति' (लेबर पालिसी) नाम से यह प्रकाशित भी हुई। भा.म. संघ के तब तक की श्रमनीति का समग्र संकलन उसमें किया गया** है। मजदूर क्षेत्र का एक मान्यता प्राप्त संदर्भ ग्रंथ के नाते आज भी उसका महत्व है।

राष्ट्रीय मांगपत्र

22 सितंबर 1969 को भारतीय मजदूर संघ की ओर से तत्कालीन **राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि जी को राष्ट्रीय मांगपत्र (नेशनल चार्टर ऑफ डिमांड्स) दिया गया।**

मजदूर क्षेत्र के इतिहास में यह राष्ट्रीय मांगपत्र एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान रखता है। इस मांगपत्र में केवल श्रमिकों का विचार नहीं, अपितु पूरी मानव शक्ति का विचार है। कर्तव्य और आचरण का अनुपालन कैसे हो, इस विषय में मार्गदर्शक के रूप में यह राष्ट्रीय मांगपत्र अपना महत्व रखता है।

यह मांगपत्र माननीय राष्ट्रपति को देने के लिए पूरे भारत के पचास हजार मजदूर आए थे। केंद्रीय कामगार संगठन द्वारा किया हुआ यह अभूतपूर्व प्रदर्शन था।

राज्यस्तरीय मान्यता

प्रथम अधिवेशन के समय केवल दिल्ली केंद्र शासित और उत्तर प्रदेश तक भा.म. संघ की मान्यता सीमित थी। लेकिन बाद में इसी कालखंड में यानी कानपुर के अधिवेशन के पूर्व अन्य छह प्रदेशों से भा.म.संघ को राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त हुई। ये राज्य थे—पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक।

नया दौर

कानपुर अधिवेशन से मुंबई अधिवेशन के बीच एक नया संगठन खड़ा किया गया। यह एक नए प्रकार का संगठन था। मजदूर क्षेत्र में प्रायः अनेक कामगार एक तरफ होते हैं और उनका मालिक दूसरी तरफ। परंतु कामगार एक और उसी एक कामगार के मालिक अनेक

देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद

अर्थ कांप्लेक्स, केशर सिंह पुरा, औरंगाबाद-431001. दूरभाष : 334121

यह असंभव-सा लगता है। परंतु मुंबई और सभी बड़े शहरों में घर में बर्तन मांजने, कपड़े धोने जैसे कामों के लिए एकाध घंटा काम करने वाला नौकर या नौकरानी आती हैं। वे **8-10 घरों में काम करते हैं। यानी नौकर एक–मालिक अनेक।** ऐसे घरेलू कामगार संघ की स्थापना एक नया प्रयोग था, जिनके लिए कोई कानून नहीं। बिना कानून के सहारे के खड़ा हुआ यह एक संगठन यानी एक नया दौर।

मालिकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्माण संगठन ही करेंगे और इसका कार्यान्वयन सरकार या न्यायालय द्वारा नहीं, अपितु संगठन द्वारा ही होगा। आंदोलन नहीं, हड़ताल नहीं, केवल सत्याग्रह द्वारा अपना हक प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की यशस्वी शुरूआत भा.म.संघ ने प्रत्यक्ष रूप में की।

1973 ई. में असंगठित, असुरक्षित मजदूरों को संगठित करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

रेलवे हड़ताल

1974 में रेलवे उद्योग के संगठनों को साथी जार्ज फर्नांडीस ने एकत्र किया। इस क्रम में स्थापित कार्यसमिति में भारतीय रेलवे मजदूर संघ भी था। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। **उन्होंने आवाज बुलंद की कि राष्ट्रीय संपत्ति का विनाश नहीं होने देंगे। संघर्ष होगा परंतु विनाश नहीं। और इसका पूरी तरह से कार्यान्वयन भी किया गया।**

जीवनबीमा कर्मचारियों के संयुक्त संघर्ष का कालखंड भी यही है। इसमें भी भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंशुरेंस वर्कर्स की भूमिका अहम रही।

चुनौती का अनुमान

19 और 20 अप्रैल को अमृसर अधिवेशन में ही श्री ठेंगड़ी जी ने राष्ट्र पर आने वाले तानाशाही संकट के बारे में कार्यकर्ताओं को सजग किया था। जून 1976 में ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया। भा. म. संघ के कार्यकर्ता सावधान थे। दमन नीति का उन्होंने जमकर विरोध किया, जिसके कारण आपातूकाल में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं की वीरता का सबको अहसास हुआ।

तानाशाह श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को आपातकाल लगाकर भारतीय जनतंत्र के सूर्य में ग्रहण लगा दिया। देश में उनकी तानाशाही चलने लगी। विरोधी दलों के हजारों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी पाबंदी लगा दी गई। भाषण की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता एवं संगठन की स्वतंत्रता छीन ली गई। मजदूरों के लिए तो यह संक्रमण काल ही था। उल्लेखनीय बात यह है कि आपातकाल के पूर्व जो संगठन स्वयं को लड़ाकू समझते थे, ऐसे वामपंथी और समाजवादी सभी संगठनों के नेता बलहीन हो गए। इन संगठनों ने सत्याग्रह और अन्याय के प्रति आंदोलन का ऐलान तो किया, लेकिन उनके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और मजदूरों ने उनका साथ नहीं दिया। वे चुप-से हो गए। ऐसी स्थिति में मजदूरों का बोनस छीन लिया गया।

ऐसे समय में देश के मजदूरों को भा.म. संघ ने ललकारा। यद्यपि भारतीय मजदूर संघ के सैकड़ों नेता रासुका के अंतर्गत जेल में डाल दिए गए, तो भी **कई कार्यकर्ता भूमिगत हो गए और उन्होंने जिस-तिस तरह से मजदूरों को जाग्रत रखा और अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद किया। 70 हजार से भी अधिक मजदूरों ने सत्याग्रह किया। जिनमें से 5 हजार मजदूरों को सजा हो गई। यह आपातकाल मार्च 1977 तक चला।**

इस कालखंड में सोने की अग्नि परीक्षा हो गई–"भारतीय मजदूर संघ अन्य सभी केंद्रीय संगठनों से अलग एक जुझारू संगठन है"–यह सिद्ध हुआ।

1977 के बाद अभूतपूर्व प्रगति

भा. म. संघ की प्रगति 1977 के बाद बहुत ही तेज गति से हुई। 1975 के पूर्व भा. म. संघ को अन्य केंद्रीय कामगार संगठनों की तरह ही समझा जाता था। लेकिन आपातकाल में मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं और सदस्यों ने जो वीरता दिखलाई और जिस धीरोदात्तता का परिचय दिया, उसके बाद लोगों की धारणा इसके प्रति बदल गई। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि भा. म. संघ वास्तव में अन्य संगठनों से भिन्न एक अनूठा संगठन है। कामगारों को इसकी क्षमता का प्रत्यक्ष परिचय हुआ, इसी कारण मजदूर एवं कामगार भारतीय मजदूर संघ के प्रति आकृष्ट हुए और भा. म. संघ से संबद्ध यूनियनों की संख्या और सदस्यता बढ़ती गई।

आपातकाल के पूर्व प्रायः अप्रैल 1975 के आसपास भा. म. संघ से संबद्ध यूनियनों की संख्या 1313 थी जो अप्रैल 1978 में 1515 हो गई। सदस्य संख्या 8 लाख 40 हजार थी जो बढ़कर 10 लाख 83 हजार हो गई। मार्च 1991 में यूनियनें 1776 हो गईं जिनकी सदस्यता 18 लाख 5 हजार से भी ऊपर पहुँच गई।

थर्मेक्स लिमिटेड
पुणे (महाराष्ट्र)

1975 से 1980 का राजनीतिक परिदृश्य

यहां 1975 से 1980 ई. के राजनीतिक परिदृश्य का संक्षेप में वर्णन करना आवश्यक है। जून 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया और दमन नीति अपनाई। फरवरी 1977 में दमन नीति में शिथिलता लाकर चुनाव घोषित किया। 22 मार्च 1977 को कांग्रेस पक्ष को छोड़कर अन्य अनेक पक्षों ने एकत्र होकर जो जनता पार्टी बनाई थी, उसको चुनाव में बहुमत मिला और जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जनता पार्टी में अल्प काल में ही फूट हो गई। परिणामस्वरूप 1979 के अंत में यह पार्टी टूट-फूट कर समाप्तप्राय हो गई। 10 जून 1980 को फिर श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी दो तिहाई बहुमत से चुनकर आ गई।

ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर अन्य केंद्रीय संगठनों की नीति में जो परिवर्तन हुए, उसे मजदूरों ने तथा समाज ने देखा। उदाहरणार्थ श्रीमती गांधी ने आपातकाल में बोनस के हक पर आक्रमण किया और मजदूरों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। इतना कुछ होने के बाद भी इंटक और एटक ने इसके खिलाफ आंदोलन नहीं किए। सिटू, एच. एम. एस., एच.एम. पी. ने भी नाम मात्र का ही विरोध किया। जबकि 1974 के पहले इनके तेवर बड़े तीखे थे। आपात काल में वे अपनी बहादुरी खो बैठे थे। जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो एटक और इंटक सरकार पर गुर्राने लगे। एच. एम. पी., एच. एम. एस. की आवाज धीमी हो गई। दूसरी बार फिर श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आईं तो एटक, इंटक की आवाज सरकार के प्रति सामंजस्य रखने वाली हो गई और एच. एम. एस. आदि ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया।

यानी अन्य सभी संगठनों की नीति शासन पर बैठे राजनेता को देखकर तय होती है, जबकि भारतीय मजदूर संघ की नीति तो प्रतियोगी सहकारिता (रिस्पान्सिव कोऑपरेशन) की है। प्रतियोगी सहकारिता का मतलब है—सरकार, मालिक या प्रबंधन के द्वारा मजदूरों के संदर्भ में जिस अनुपात में विरोधी नीति अपनाई जाएगी, उसी अनुपात में भा. म. संघ द्वारा उनका विरोध किया जाएगा। दूसरे शब्दों में समन्वयवादी न होते हुए भी समन्वयक्षम रहना और संघर्षक्षम रहना। कामगार और जनता ने विवेच्य पाँच बरसों में यह स्पष्ट देख लिया। **इसलिए भारतीय मजदूर संघ अन्य संगठनों से भिन्न है, सिद्धांतों पर आधारित है और उसका व्यवहार सिद्धांतो के अनुरूप है, ऐसा सभी ने महसूस किया। इस सन्दर्भ में निम्न बिंदु ध्यातव्य हैं–**

1. आपातकाल में भा. म. संघ के कार्यकर्ताओं की अग्निपरीक्षा,
2. जनता पार्टी के शासनकाल में बोनस के प्रश्न पर और रेलवे कर्मचारियों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ किया गया आंदोलन,
3. औद्योगिक संबंध विधेयक (इंडस्ट्रीयल रिलेशन्स बिल) के खिलाफ किया गया संघर्ष,
4. और बाद में राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा किया गया संघर्ष।

रजत जयंती वर्ष

1980 ई. में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे थे। अतः कई कार्यक्रम किए गए। **1980 का "राष्ट्रीय श्रम दिवस" यानी विश्वकर्मा जयंती बहुत बड़े पैमाने पर पूरे भारत में मनाई गई।** देश में 500 से ऊपर स्थानों पर बड़ी संख्या में सभाएं हुई और कार्यक्रम संपन्न हुए। 1975-80 के

भा.म. संघ के रजत जयंती के अवसर पर सर्व श्री राज कुमार गुप्ता, सांसद सरसोनिया एवं बड़े भाई

मैसर्स प्रतीक साइकिल
139, कस्बा पेठ, पुणे-411011

दिल्ली के राष्ट्रीय श्रम दिवस समारोह में ठेंगड़ी जी

कालखंड में अन्य केंद्रीय तथा स्थानीय कामगार संगठनों के जो नेता संपर्क में आए थे उनको राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। और स्थान-स्थान पर उन्होंने भा. म. संघ की सराहना की। उदाहरण के तौर पर बेंगलूर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वी. के. आर. वी. रांव उपस्थित थे। कानपुर में एच. एम. एस. के श्री मकबूल अहमद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पुणे में पूरे सप्ताह तक चले कार्यक्रमों में समाज के सभी वर्ग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 1980 में ही विश्वकर्मा जयंती उत्सव को जोड़कर 15 दिन तक राष्ट्रीय स्तर पर महँगाई विरोधी पखवाड़ा मनाया गया। 500 जगहों पर ऐसे कार्यक्रम हुए।

रजत जयंती वर्ष में सभी प्रदेशों की राजधानी में प्रदेश स्तरीय विशाल प्रदर्शन और जुलूस के कार्यक्रम हुए। 17 प्रदेशों की राजधानियों में प्रदर्शन किए गए और जुलूस निकाले गए। ऐसे कार्यक्रम जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, शिमला, भोपाल, अहमदाबाद, बेंगलूर, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम्, भुवनेश्वर, कलकत्ता, लखनऊ, पटना, नागपुर और मुंबई में हुए।

विशेष रूप से पटना, भोपाल, जयपुर, बेंगलूर और मुंबई के मार्च में महिलाओं की संख्या अधिक थी।

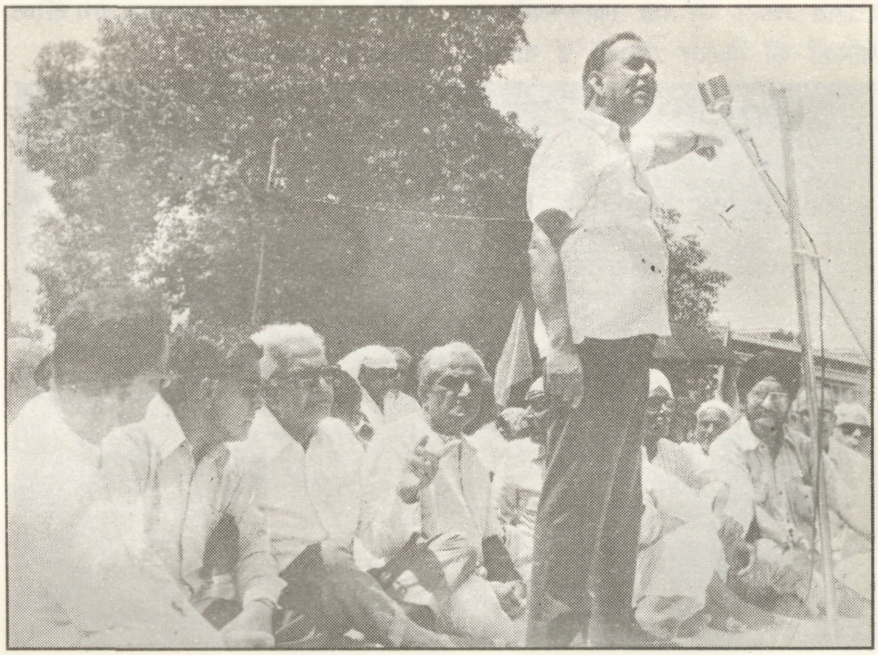

श्री इन्द्रजीत गुप्त भाषण करते हुए

राष्ट्रीय अभियान समिति

1980 के बाद केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति तेज हो गई। ऐसी मजदूर विरोधी नीतियों और महँगाई के खिलाफ 4 जून 1981 को मुंबई में एक राष्ट्रीय अभियान समिति के तत्वावधान में एक सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें आठ केंद्रीय श्रम संगठनों एवं राष्ट्रीय औद्योगिक महासंघों ने भाग लिया। इस राष्ट्रीय अभियान समिति में रहकर भारतीय मजदूर संघ ने आगे चलकर जनजागरण के कई कार्यक्रम किए। (बाक्स देखें पृ. 14)

नागरिक अभिनंदन

भारतीय मजदूर संघ का कार्य बढ़ रहा था। बढ़ते हुए कार्य के लिए धनराशि की जरूरत

भगिनी निवेदिता सहकारी बैंक लिमिटेड

387/388, नारायण पेठ, राष्ट्र भाषा भवन, पुणे-411030. दूरभाष : 456635

राष्ट्रीय अभियान समिति के कार्यक्रम

ट्रेड यूनियन की राष्ट्रीय अभियान समिति अर्थात नेशनल कंपेन कमेटी (एन.सी.सी.) ने कई आंदोलनात्मक एवं अभियानात्मक कार्यक्रम आयोजित किए। राष्ट्रीय अभियान समिति के सदस्य के नाते भा. म. संघ ने उन सभी कार्यक्रमों में उत्साह और मनोयोग से भाग लिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियनों की समिति की 14 से 16 मार्च 1988 के त्रिदिवसीय हड़ताल का एन. सी. सी. ने समर्थन किया। इसी समय कोयला खदानों की यूनियनों के छह दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था. एन. सी. सी. ने बड़ी मात्रा में समर्थन दिया। पुलिस और प्रबंधक द्वारा कुछ हिंसात्मक घटनाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो पूरी हड़ताल शांतिपूर्ण थी।

सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों में जो वेतन समझौता लंबित था उस पर एन.सी. सी. ने सरकार पर दबाव डाला। जो सरकार इस मामले को टाल रही थी उसे अंत में ब्यूरो आफ पब्लिक एंटर प्राइजेज के दिशा निर्देशक सूत्र को दरकिनार रखकर समझौता करना पड़ा।

केंद्र सरकार ने औद्योगिक संबंध विषयक बिल संसद में लाया। इसका विरोध करने का एन. सी. सी. ने निर्णय किया। 18 मई 1988 को संपूर्ण देश में इसके विरोध में प्रदर्शन आयोजित किए गए एवं श्रमिकों ने गिरफ्तारियां दी। दिल्ली में इस दिन भा. म. संघ के तत्कालीन **अखिल भारतीय अध्यक्ष मनहर भाई मेहता ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया एवं गिरफ्तारी दी।**

थी। इसीलिए 1981 के अंतिम दो महीनों में समूचे देश में भा.म. संघ के कार्यकर्ताओं ने धनसंग्रह किया। भा. म.संघ संस्थापक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का स्थान-स्थान पर श्रमिकों की विशाल सभाओं में नागरिक अभिनंदन किया गया। दो ही महीने में सभी कार्यक्रम करने थे। इसके कारण श्री ठेंगड़ी जी सभी जगह पहुँच नहीं सके। अतः जहां श्री ठेंगड़ी जी नहीं पहुंच पाए वहां अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हुए।

सर्वश्री आर.के. भगत, ज्ञानसिंह वशिष्ठ, डी.बी. ठेंगड़ी और एच.आर. खन्ना

देश में कुल 103 स्थानों पर नागरिक अभिनंदन के कार्यक्रम निश्चित किए गए थे। जिनमें 72 स्थानों पर श्री ठेंगड़ी जी स्वयं उपस्थित थे।

भा. म. संघ के कार्य को व्यापक बनाने के लिए कुल लगभग 34 लाख रुपए की थैली भेंट की गई थी। जगह-जगह पर अन्य केंद्रीय कामगार संगठनों के नेताओं और समाज की सम्मानित हस्तियों ने अध्यक्ष के नाते या प्रमुख अतिथि के नाते मंच पर आकर उनका अभिनंदन किया।

केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 1980 की सदस्यता का सत्यापन किया। इस सदस्यता सत्यापन का वामपंथियों ने बहिष्कार किया। लेकिन सरकार ने उन्हें नकारते हुए अपने तंत्रों के माध्यम से सदस्यता का सत्यापन किया और इसका परिणाम 1984 में घोषित किया। सदस्यता सत्यापन के घोषित परिणाम के बाद वामपंथी तथा समाजवादी सभी संगठनों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय मजदूर संघ द्वितीय क्रमांक पर आया। इस सत्यापन की प्रक्रिया के समय बंगाल आदि छोड़कर सभी राज्यों में तथा केंद्र में कांग्रेस शासन था। इसके कारण 1948 से जो इंटक प्रथम क्रमांक पर थी, वह अपना प्रथम क्रमांक रखने में कामयाब हो गई। परंतु भा. म. संघ की प्रगति सतत जारी रही। इसकी सदस्य संख्या सन् 84 में 20 लाख 53 हजार से भी अधिक हो गई।

कंप्यूटरीकरण विरोधी वर्ष 1984

9-10 जनवरी 1984 को हैदराबाद में 7वाँ अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें निर्णय लिया गया कि 1984 वर्ष कंप्यूटरीकरण विरोधी वर्ष के रूप में मनाया जाए। इसका कारण कंप्यूटर के कारण उत्पन्न होने वाला घोर संकट था। उस समय देश के औद्योगिक क्षेत्र का

सुप्रीम एंटरप्राइजेस
753, सदाशिव पेठ, कुमठेकर रोड, पुणे-411030. दूरभाष : 473777

कंप्यूटरीकरण होना शुरू हुआ था और रोबोटीकरण के आने की संभावना थी। बैंकिग उद्योग में कंप्यूटरीकरण के बारे में प्रबंधकों के साथ तथाकथित दो लड़ाकू यूनियनों ने समझौता कर लिया था। यह तो प्रारंभ था, अन्य उद्योगों में भी तेजी से कंप्यूटर लगने की संभावना थी। यह सोचकर अधिवेशन ने विरोधी वर्ष मनाने का निर्णय लिया।

कंप्यूटरीकरण के बारे में भारतीय मजदूर संघ की धारणा स्पष्ट है। भारत की विशाल जनसंख्या को काम मिलना चाहिए। आदमी को काम से हटाने हेतु कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। **मनुष्य के हाथों से आसानी से संपन्न होने वाले कामों में कंप्यूटरों का दखल नहीं होना चाहिए। शोध, सुरक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान तथा समुद्री विज्ञान आदि ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, जहां कंप्यूटर एवं अन्य उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाए।** इन बातों पर विचार न करते हुए सभी जगह कंप्यूटर लगाए जाने का भारतीय मजदूर संघ अपनी पूरी शक्ति से विरोध करेगा।

इस पृष्ठभूमि पर कंप्यूटर विरोधी वर्ष के रूप में सेमीनार, संभाएँ, पुस्तिकाएं, समाचार पत्रों में लेख द्वारा धुँआधार प्रचार करके भा. म. संघ ने मजदूरों को और जनता को सजग किया।

कोने-कोने तक प्रसार

तीव्र गति से भारतीय मजदूर संघ भारत के सभी उद्योगों, प्रदेशों और सुदूर देहातों के कोने-कोने तक पहुँच गया।

भा.म. संघ की सदस्य संख्या जो सन् 1987 में 32 लाख 86 हजार, 1991 में 38 लाख 89 हजार, 1994 में 45, 12,000 और 1995 के अंत में बढ़कर 47 लाख को भी पार गई।

1989 की सदस्यता को आधार मानकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर सदस्यता की जाँच की। इस जाँच के बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित सदस्यता के आधार पर भा. म. संघ सभी वामपंथी, समाजवादी तथा कांग्रेस प्रणीत इंटक आदि संगठनों से स्पर्धा करता हुआ क्रमांक एक पर पहुँच गया है।

सी. पी. आई. से संबंधित एटक और सी. पी. एम. से संबंधित सिटू, जिनका कभी बहुत ही ज्यादा बोलबाला रहता था, आज भारतीय मजदूर संघ की अकेली सदस्य संख्या इन दोनों से कई लाख ऊपर है।

प्रखर राष्ट्रवादी होने के कारण युद्ध काल (जैसे 1962 का चीन आक्रमण, 1965 का पाकिस्तान आक्रमण और 1971 का बांग्ला मुक्ति युद्ध) में राष्ट्रीय मजदूर मोर्चा बनाकर भा. म. संघ के कार्यकर्ता जिस प्रकार राष्ट्रहित में अग्रसर थे, उसी प्रकार आपातकाल में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने वीरता दिखाई और **1990 के बाद पूँजीवादी अमीर राष्ट्रों के आर्थिक साम्राज्यवाद के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा शुरू की गई लड़ाई में मजदूर संघ के कार्यकर्ता अग्रदूत होकर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समर में कूद पड़े हैं।**

अन्य आयाम

साथ ही साथ केवल दाल-रोटी तक सीमित न होने के कारण भा. म. संघ के अनेक आयाम सामने आए। जिनमें से कई काफी समृद्ध हो चुके हैं और अधिकाधिक व्यापक बन रहे हैं। इन आयामों का अवलोकन भी अतीव आवश्यक है :

सहकारी आंदोलन

प्रायः मजदूरों का वेतन इतना सीमित होता है कि कई कठिनाइयों में उनको वेतन से अधिक पैसे की जरूरत होती है। ऐसे समय में वे साहूकारों से ऋण लेते हैं और कड़ा ब्याज देते हैं। इन परिस्थितियों उनका शोषण होता है।

मजदूर एकता के लिए

भारतीय मजदूर संघ के इतिहास में जिन प्रसंगो का महत्व बहुत अधिक है, उनमें से एक प्रसंग 1982 के सितंबर के इंडियन लेबर कान्फ्रेंस के समय का है, जब केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति और महँगाई के खिलाफ संघर्ष करने के लिए 4 केंद्रीय संगठनों ने एकत्र होकर राष्ट्रीय अभियान समिति गठित की थी। भा. म. संघ की इच्छा थी कि यह एकता बनी रहे।

इसी पृष्ठभूमि पर 17 और 18 सितंबर 1982 को त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन आयोजित हुआ। इंटक के पश्चात् क्रमांक दो पर भा. म. संघ को उसकी शक्ति के अनुसार प्रतिनिधित्व मिला था, तो कुछ संगठनों के केवल एक-एक प्रतिनिधि ही लिए गए थे। प्रतिनिधित्व के बारे में भारतीय मजदूर संघ को कोई भी शिकायत नहीं हुई, बल्कि भा. म. संघ के लिए यह गर्व की बात थी कि उसको उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। लेकिन अन्य संगठनों को लगता था कि उन पर अन्याय हुआ है, उन्हें उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। ऐसे समय सरकार का विरोध करना आवश्यक था। प्रश्न इतना ही था कि त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में भाग लेकर विरोध किया जाए अथवा पूर्णतया बहिष्कार करके। किंतु राष्ट्रीय अभियान समिति के अन्य घटकों की राय के अनुसार भारतीय मजदूर संघ ने उसके बहिष्कार का निर्णय लिया। यह निर्णय भा. म. संघ ने इसलिए लिया, ताकि मजदूरों की एकता बनी रहे और राष्ट्रीय अभियान समिति का निर्णय एक रहे।

दि चिखली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
प्रधान कार्यालय : चिखली, जिला-बुलढाना - 433201. दूरभाष : (07264) 42039

क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी संचालक मंडल के साथ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी।

ऐसे समय में सहायता की दृष्टि से अगर कामगारों की, कामगारों द्वारा चलाई हुई क्रेडिट सोसायटी होगी तो उसका लाभ मजदूरों को मिलेगा। इसको ध्यान में रखकर ही जहां भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें होती हैं वहाँ इसके लिए कारखानों के स्तर पर या इकाइयों के स्तर पर क्रेडिट 'कोऑपरेटिव सोसायटी गठित की जाती है। इससे मजदूरों को संकट के समय या अन्य आवश्यकता पर अच्छी रकम प्राप्त हो सकती है और ब्याज भी कम देना पड़ता। प्राथमिक अनुमान के अनुसार 600 से ऊपर ऐसी सोसायटी भा. म. संघ के कार्यकर्ता चला रहे हैं। नमूने के तौर पर इस खंड में केवल एक सहकारी सोसायटी का वृत्त दिया गया है।

मजदूर ग्राहक भी हैं, इसलिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी की तरह ही सहकारी भंडार चलाकर संघ सस्ते दामों में अच्छा माल ग्राहकों को उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं भी हजारों की संख्या में चला रही हैं।

सोसायटी द्वारा सदस्यों की संतानों को प्रोत्साहन

संशोधन

मजदूर आंदोलन के एक बहुआयामी आंदोलन होने के कारण कई विषयों पर संशोधन और साथ ही कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मजदूर आंदोलन का यह एक स्वतंत्र परंतु अतिआवश्यक विषय है। ऐसे संशोधन का महत्व समझकर भारतीय मजदूर संघ ने शुरू से प्रयत्न किए।

श्रम कानून में क्या कमियाँ हैं, उनमें कौन-से सुधार होने चाहिए, ग्राहक मूल्य निर्देशांक तार्किक पद्धति से निकल रहा है या नहीं, उद्योगों के स्वामित्व के ढाँचे कौन-से होने चाहिए आदि विषयों पर रचनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करने हेतु 1967 के **प्रथम अधिवेशन के पूर्व ही भारतीय श्रम अन्वेषण केंद्र मुंबई और भारतीय चीनी उद्योग अन्वेषण केंद्र लखनऊ की स्थापना की गई थी।**

लखनऊ अन्वेषण केंद्र ने भारत के चीनी उद्योग की आय वृद्धि के लिए सरकार के सामने एक समग्र योजना 1967 में पेश की। मुंबई अन्वेषण केंद्र द्वारा वेतन तथा मूल्यों के विषय में किया हुआ शोध सभी औद्योगिक श्रमिकों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। इस अन्वेषण केंद्र के सहयोग से इंजीनियरिंग उद्योग के विषय में सभी तरह के मौलिक सुझाव वेतन आयोग के सामने पेश किए गए।

इस खंड में भारतीय श्रमशोध मंडल की अधिक जानकारी अन्यत्र दी गई है।

प्रशिक्षण

संशोधन के साथ-साथ कामगार तथा

जी.एस. एंटरप्राइजेज

फिनोलेक्स केबल और वायर्स के ऑथराइज्ड डीलर

रूनवाल रायसोनी प्लाजा, आफिस नं.-4, 41/12, एरंडवणे, कर्वे रोड, पुणे - 411 004. दूरभाष : 341248

अभ्यास वर्ग के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हुए श्री मुकुंद गोरे

कामगार कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी मजदूर आंदोलन में बहुत महत्व रखता है। **प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही मजदूरों को अच्छी तरह से न्याय दिलवा सकता है।**

कार्यकर्ताओं को श्रमिक कानूनों की अच्छी जानकारी होना आवश्यक है। इसी प्रकार भारत का संविधान, राष्ट्रीय वेतन नीति, आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति तथा श्रमिकों से संबंधित कई तकनीकी विषयों, जैसे—उद्योगों की देय क्षमता, कार्य मूल्यांकन, उत्पादकता, सुरक्षा आदि का कार्यकर्ताओं के स्तर के अनुसार उन्हें ज्ञान देकर प्रशिक्षित करना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से प्रति वर्ष हजारों कार्यकर्ता भा. म. संघ द्वारा प्रशिक्षित किए जाते हैं। **प्रशिक्षण को सूत्रबद्धता तथा उसको सुचारु रूप देने के लिए विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था का निर्माण किया गया है।** इसका संक्षिप्त ब्यौरा इस खंड में अन्यत्र मिलेगा।

समाज प्रबोधन

भारतीय मजदूर संघ एक विशुद्ध मजदूर आंदोलन होते हुए भी केवल मजदूर आंदोलन नहीं अपितु समाज प्रबोधन और समाज परिवर्तन का एक प्रभावी साधन भी है। इस सामाजिक दायित्व को निभाने हेतु **सर्व पंथ समादर मंच की स्थापना की गई है।**

अपने-अपने उद्योग, कारखाने या कार्यालय में जब मजदूर, कामगार या कर्मचारी एकत्र होते हैं तो वे ऐसी जगहों पर अपने पंथ, जाति आदि बातें भूल जाते हैं और अपनी मांगों पर सामूहिक आंदोलन करते हैं। उस समय वे अपना मजहब कौन-सा है, नेतृत्व कौन करता है यह भूल जाते हैं। सभी मजदूर मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सनातनी, आर्य समाजी, सिख आदि अनेक पंथ के होते हुए भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। कामगारों-कर्मचारियों को अपनी-अपनी बस्ती में भी इसी एकात्मकता की भावना से रहना चाहिए, यह सोचकर सर्वपंथ समादर मंच काम कर रहा है। अध्याय पाँच में इसकी जानकारी दी गई है।

पर्यावरण रक्षण

भा.म. संघ भारतीयता पर आधारित समाज व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने हेतु खड़ा हुआ है। **पुरातन काल से भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति आत्मीयता और उसके संरक्षण की व्यवस्था राष्ट्रीय धर्म में ही गुंफित की गई है।**

नदियों को माता मानकर उनकी पवित्रता

भारतीय करेंसी एंड क्वायंस कर्मचारी महासंघ के अभ्यास वर्ग में भाषण करते हुए श्री रमण शहा, साथ में बालकृष्ण जग्गी और एडवोकेट अशोक शर्मा

मैसर्स डी.एस. कुलकर्णी एंड कंपनी

डी.एस. के हाउस - 1187/60, जंगली महाराज रोड, मार्डन हाई स्कूल के पास, शिवाजी नगर, पुणे - 411 005 (भारत)

दूरभाष : 324595, 324596, 324597, 98, 99

सर्वपंथ समादर मंच के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर उद्‌बोधन देते हुए मंच के अध्यक्ष श्री जाल पी. जिमी; साथ में बैठे हुए मौलाना वहीउद्दीन खां, संस्थापक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी तथा वर्तमान अध्यक्ष श्री राजकृष्ण भक्त

का रक्षण करना, वृक्षों की पूजा करना, साँप को नागदेव मानकर उनकी रक्षा आदि कई बातों में प्रकृति और पर्यावरण रक्षण का परिचय मिलता है।

धरती माता का दोहन किया जाना चाहिए, शोषण नहीं—इस विचार को त्याग देने के कारण ही अत्याधुनिक काल में प्रदूषण बढ़ रहा है और पर्यावरण तथा भूमंडल के विषय में चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे समय में यह विचार और महत्वपूर्ण हो गया है। **इसी दृष्टि से 1995 में पर्यावरण मंच स्थापित किया गया। मंच द्वारा वृक्षारोपण, वृक्ष संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से प्रबोधन के कार्यक्रम होते हैं।**

भोपाल गैस त्रासदी फिर न हो, इसलिए यूनियन के कार्यकर्ता फैक्ट्री व्यवस्थापन के

सुपर कृति मंच द्वारा वृक्षारोपण अभियान के अवसर पर भा.म. संघ के कार्यकर्ता

मैसर्स जे.डी. ब्रदर्स (पोरस डिवीजन)

पुणे (महाराष्ट्र)

औद्योगिक क्षेत्र में मशीनों के कारण कई दूर्घटानएं होती हैं। जिनमें मजदूरों की जान को खतरा होता है। यदि विशेष सावधानी बरतने की आदत होगी तो होने वाले दुर्घटना से मजदूर बच सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 4 मार्च 'राष्ट्रीय सुरक्षा दिन' के रूप में मजदूरों को जाग्रत करने हेतु कार्यक्रम होते हैं। भा.म.संघ की यूनियनें हृदय से प्रायः 4 मार्च से 11 मार्च सुरक्षा सप्ताह के रूप में जागरण के कार्यक्रम आयोजित करती हैं।

अपने-अपने घरों में और मंदिरों में लोग भगवान को पुष्प और पुष्पमाला चढ़ाते हैं। दूसरे दिन देवताओं को अर्पित पुष्पमालाएं आदि लोग नदियों में फेंकते हैं। उनकी भावना रहती है कि ऐसे पुष्पादि कूड़ा-कचरों में न फेंके जाएं। लकिन इसमें नदियों का प्रदूषण होता है। इसलिए इससे खाद बनाकर फिर इससे अधिक फूल बनाने का एक प्रकल्प चल रहा है।

दि न्यू पूना इंडस्ट्रीज
प्रो. एच फिलुंगर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
ओम चैंबर्स, जंगली महाराज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411 005 (भारत). दूरभाष : 324082, 324825

नई तकनीकी के साथ नैसर्गिक संसाधनों का शोषण गति से हो रहा है। औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ बीमारियां और दुर्घटना बढ़ रही हैं। यूनियन कार्बाइड लि. के भोपाल गैस त्रासदी की दुर्घटना दिनांक 3 दिसंबर को हुई। तो यही 3 दिसंबर 'नो मोर भोपाल डे' इस नाम से साल मनाया जाता है। सुरक्षा, पर्यावरण रक्षक कृति मंच 'सुपर' कृति मंच द्वारा अनेक जनजागरण के कार्यक्रम होते हैं। ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने वाले—मंच पर बिराजे श्री नाईक, श्री सूर्यकांत परांजपे (गवर्नर नॅशनक सेफ्टि कौसिंल), श्री जी. प्रभाकर (भा.म.संघ :विश्व विभाग) श्री देव (प्रेसिडेंट सैंचूरी एंक़ालि.)

1981 के जनगणना के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या एक करोड़ चौंतीस लाख थी। जो 1987-88 तक बढ़कर एक करोड़ सत्तर लाख तक पहुंच गई है। यह जनसंख्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर आधारित है। 1991 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बीड़ी उद्योग के 'गुप्त रूप' में हजारों बाल मजदूर पुणे में अपना बाल्यकाल खो बैठे हैं। ऐसे बाल मजदूरों से 500 से ऊपर बाल मजदूरों के माता-पिता को जाग्रत करके ठेकेदार कामगार संघ ने बालकों को नया जीवन देने में सफलता पाई है।

प्रमुख संबंधित शासकीय अधिकारी, नागरिक आदि को सजग करने की जिम्मेवारी सुरक्षा पर्यावरण रक्षक कृति मंच जैसे संलग्न मंचो द्वारा निभाई जाती है।

बाल मजदूर

स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं फिर भी भारत में बाल मजदूरी की प्रथा समाप्त नहीं हो पाई है। आज भी देश में करोड़ों की संख्या में बाल मजदूर के रूप में देश के नौनिहालों का भविष्य अंधकारपूर्ण है। यह अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक कलंक है। रचनात्मक दृष्टि से कार्य करके अत्यल्प मात्रा में ही क्यों न हो, ऐसे बाल मजदूरों को मजदूरी से मुक्त करके उनको देश के समर्थ नागरिक बनाने की कोशिश भा.म.संघ कर रहा है।

मजदूर सहायता निधि

कई समय ऐसे होते हैं जब मजदूरों को अनपेक्षित संकटों का सामना करना पड़ता है जैसे—बीमारी, आघात, दुर्घटना, जवानी में

बीज कामगार कल्याण निधि
रास्ता पेठ पुणे, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030

फोटो : शशांक साठ्ये

दुर्घटना के समय केवल सरकार या प्रबंधन पर ही क्यों अवलंबित रहे? अपने बलबूते मजदूर कुछ कर सकते हैं, दुर्घटना ग्रस्तों को राहत दे सकते हैं। यह बिजली मजदूरों ने सिद्ध किया है।

मृत्यु आदि। ऐसे समय मजदूर या उसके परिवार के लोग बहुत कठिन परिस्थिति में आ जाते हैं। कई सरकारी योजनाओं से ऐसे समय सहायता मिल सकती है, लेकिन सभी समय यह संभव नहीं हो पाता। ऐसे समय में ट्रेड यूनियन की यह जिम्मेवारी बनती है कि अपने सदस्यों को या उनके परिवारों को तुरंत राहत दिलवाए। ऐसे कई उपक्रम और संस्थाएं भारतीय मजदूर संघ ने खड़ी की है। इस खंड में केवल एक संस्था की जानकारी हम दे रहे हैं। अन्य संस्थाओं की जानकारी बाद के खंडों में प्रकाशित की जाएगी।

महिला विभाग

भारतीय मजदूर संघ में महिलाओं की संख्या भी पर्याप्त है। महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, निर्णय प्रक्रिया में उनका सहभाग और सृजनात्मक कार्यक्रमों में उनका नेतृत्वपूर्ण सहभाग रहे, इसलिए स्वतंत्र विभाग के रूप में इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है।

भा.म.संघ महिला विभाग इकाई की स्थापना कलकत्ता में 1981 में संपन्न एक छोटे अधिवेशन में हुई। इस अधिवेशन की कल्पना 1987 के पूर्व अनेक प्रदेशों में तथा जिला इकाइयों में, जो स्वयं प्रतिभा से कार्यक्रम हो रहे थे, उसको सुचारु रूप देना और महिलाओं में कार्य बढ़ाने की आवश्यकता के कारण सामने आई। धीरे-धीरे कार्य बढ़ने लगा। 1987 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ संयुक्त त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन मुंबई में हुआ। 1990 में हैदराबाद में महिलाओं की द्वि-दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें 7 राज्यों से 88 महिलाओं ने भाग लिया था।

केंद्रीय कार्य-समितियों में महिला सदस्य और कार्यवाह जैसे पदाधिकारी के रूप में, प्रदेश कार्य समितियों में तथा जिला समितियों तक महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है और इसके कार्यान्वयन में अच्छा योगदान प्राप्त हो रहा है।

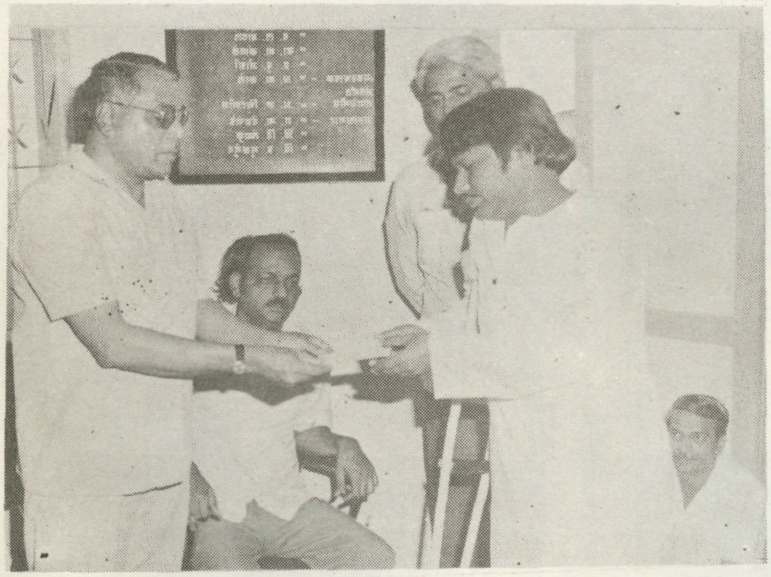

मीटर रीडर कांबळे को चिकित्सा के लिए सहयोग राशि प्रदान करते हुए श्री एच.डी. पाटिल; पीछे हैं श्री सुभाष सा?जी, विजय मूळगुंद और एस.एम. देशपांडे।

केशव लक्ष्मी प्रसाधन (पिकल डिवीजन)
221/1ए, कोंढवा, पुणे-411 048

महिला विभाग का प्रारंभिक काल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

सदस्यता सत्यापन में भारतीय मजदूर संघ के दूसरे क्रमांक का संगठन बनने के पश्चात अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों के भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के रूप में मजदूरों के प्रतिनिधियों को चुनने की पद्धति में भारत सरकार को बदलाव करना पड़ा। 1984 के बाद भारतीय प्रतिनिधि मंडल में भा.म. संघ को हर साल शामिल किया जा रहा है।

1984 से 1987 के बीच अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों-संगोष्ठियों में, समितियों में भा.म. संघ के कार्यकर्ता नियमित रूप से जाने लगे। भा.म. संघ के किसी अंतरराष्ट्रीय श्रमिक महासंघ से संबद्ध न होते हुए भी, इसके अंतरराष्ट्रीय संबंध बढ़ने लगे।

1978 से 1984 तक भा.म. संघ कार्यकर्ता अकेले संगठन का विदेशों में प्रतिनिधित्व करते थे। एक गुअ के साथ विदेशों में जाकर भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व 1984 तक नहीं हुआ था।

अखिल चायना ट्रेड यूनियन फेडरेशन के निमंत्रण पर भा.म. संघ के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अप्रैल 1985 में चीन की सौहार्द यात्रा की। इसमें सर्वश्री दत्तोपंत ठेंगड़ी, मनहर मेहता, ओमप्रकाश अग्घी, आर. वेणुगोपाल और रासबिहारी मैत्र सम्मिलित थे। चीन की राजधानी बिजिंग के अलावा उन्होंने कई उद्योगों का संदर्शन किया, सामान्य चर्चा और श्रम संबंधी विचार-विनिमय किया, भा. म. संघ के आर्थिक और श्रमिकों से संबंधित विचारों से चीनी ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि काफी प्रभावित हुए होंगे बाद में जो संबंध बढ़े, उससे ऐसा प्रतीत होता है।

चीन से वापसी के पहले श्री दत्तोपंत जी ने चीनी राष्ट्र को और मजदूरों को एक संदेश दिया जो बिजिंग रेडियो से प्रसारित किया गया।

अमरीका सरकार ने अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत भा.म.संघ के प्रतिनिधि को बुलाना शुरू किया और इस प्रकार सर्वश्री राम प्रकाश मिश्र, शरद देवधर, मदन लाल सैनी, राम भाऊ जोशी, मधुसूदन पटवर्धन अमरीका के कार्यक्रमों में भाग लेने अलग-अलग समय गए।

एशियन प्राडक्टिविटी कौन्सिल ने मलेशिया

भा.म. संघ के प्रतिनिधि मंडल की पहली चीन सौहार्द यात्रा (1985)

एक शुभाकांक्षी, पुणे

के क्वालालंपुर में आयोजित संगोष्ठी में श्री केशू भाई ठक्कर उपस्थित थे।

1985 में ओमप्रकाश अग्घी ने स्टॉकहोम (स्वीडन) में सुरक्षा और स्वास्थ्य परिषद में भाग लिया।

कनाडा के मांट्रयिल में सी.एस.एन. द्वारा आयोजित स्वास्थ्य और देखभाल परिषद में डॉ. हर्षवर्धन गौतम ने भा.म.संघ का प्रतिनिधित्व किया। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभाग की एक लंबी सूची अन्यत्र दी गई है।

विश्व सद्भाव

1986 में राष्ट्रीय एकता व निःशस्त्रीकरण और रंगभेद विरोध जैसे मामलों पर श्रम संगठनों द्वारा मिली-जुली कार्यवाही के लिए दस केंद्रीय श्रम संगठनों का एक संयुक्त मंच बना था। भा.म. संघ ने ऐसे मंचों का स्वागत करके उसमें सक्रिय सहभाग दिया है। दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों ने अपने ही देश में स्वायत्त अधिकार पाने के लिए जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन को इस संयुक्त मंच द्वारा समर्थन दिया गया और आर्थिक सहायता भी। इसमें भा.म.संघ का पूरा सहयोग रहा। दक्षिण अफ्रीका से श्रमिक नेताओं का तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जब भारत आया था, उसने भा.म.संघ के केंद्रीय कार्यालय में आकर भा.म. संघ के नेताओं से वार्तालाप किया। विश्व शांति के लिए संयुक्त सम्मेलनों में भारतीय मजदूर संघ का सहभाग सकारात्मक हो रहा है।

इस प्रकार के सभा-सम्मेलनों के कारण भा.म.संघ का विदेशी लोगों में आकर्षण बढ़ गया है और वे समय-समय पर भा.म.संघ के केंद्रीय कार्यालय में आकर नेताओं से वार्तालाप करते हैं। इसकी भी सूची अन्यत्र देखने को मिलेगी।

सिद्धांतों को विश्व-मान्यता

जिन मूल्यों पर भारतीय मजदूर संघ ने अपना संगठन खड़ा किया, उनको विश्व में मान्यता मिली। **केंद्रीय श्रम संगठन किसी भी राजनीतिक दल के अंतर्गत नहीं होने चाहिए। सभी सामाजिक संगठनों को स्वतंत्रता, स्वायत्तता तथा स्वावलंबन की जरूरत है। भारतीय मजदूर संघ ने स्थापना के समय से ही इस पर बल दिया।**

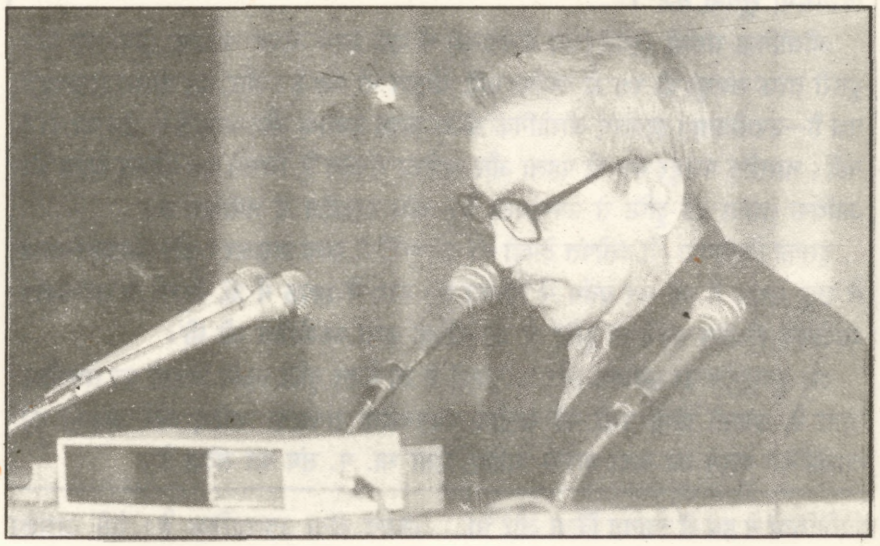

मास्को में डब्ल्यू.एफ.टी.यू के सम्मेलन को संबोधित करते हुए भा.म. संघ के तत्कालीन महामंत्री श्री जी. प्रभाकर

इस सिद्धांत को विश्व भर में मान्यता मिली। नवंबर 1990 में जब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स जैसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का विश्व सम्मेलन मास्को में हुआ। यद्यपि भारतीय मजदूर संघ इस डब्ल्यू.एफ. टी.यू. से संलग्न नहीं है, फिर भी भा.म.संघ को 'विशेष आमंत्रित' के नाते बुलाया गया था। इस विश्व सम्मेलन में विश्व के सभी देशों से केंद्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधि भी आए थे।

ऐसे विश्व सम्मेलन में जो चर्चा हुई और निर्णय हुए, वह भा.म.संघ के सिद्धांत को विश्व में मिली मान्यता का परिचायक है।

श्रम संगठन राजनीतिक पार्टी से दूर हो, संगठन पर किसी का भी—सरकार का, व्यवस्था का, पार्टी का—प्रभाव न हो। इनके प्रभाव से दूर रहते हुए श्रम संगठन स्वायत्त, स्वावलंबी और समर्थ बने—इस प्रकार का प्रस्ताव पारित हुआ।

विश्व व्यापार और सामाजिक तत्व

1994 के जून में हुई **अंतरराष्ट्रीय श्रम** संगठन के वार्षिक **सम्मेलन के समय** विश्व व्यापार और अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों की संबद्धता के बारे में **भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री वेणु गोपाल ने** जिस प्रकार से **अपना विरोध प्रकट किया,** उसका विश्व के प्रगतिशील राष्ट्रों के

मैसर्स टेंपटेशन फूड्स लिमिटेड

1182/1/3, शिवाजी नगर, एफ.सी. रोड, पुणे-411 005. दूरभाष : 325368

शुरू से समग्र विचार

भारतीय मजदूर संघ ने स्थापना से ही मांग की कि शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक किसी भी प्रकार के परिश्रम करने वाले को कामगार समझना चाहिए। आज के श्रम कानून में 'कामगार' की जो परिभाषा दी गई है, वह ब्रिटिश श्रम कानून की भ्रष्ट नकल है और इसीलिए अपने देश की दृष्टि से अपूर्ण है। **कारीगर, दस्तकार, हस्तशिल्पी आदि सभी 'कामगार' हैं।** मजदूरों के इस क्षेत्र को जो स्वयं रोजगार करते हैं, उनको भा. म. संघ ने विश्वकर्मा क्षेत्र कहा है। मजदूर आंदोलन में श्रम कानून के 'कामगार' शब्द का महत्व जितना है, उतना ही महत्व इस विश्वकर्मा क्षेत्र को देना चाहिए।

भा. म. संघ के सभी प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि वे अपने-अपने प्रदेशों में विश्वकर्मा समाज के साथ संबंध प्रस्थापित करें, समाज के विश्वकर्मा जयंती में सहयोग दें, विश्वकर्मा क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों का कानूनी सलाह आदि विषयों में मदद करें। इसकी प्रायोगिक परियोजना है **श्री राजाभाऊ पोफळी के नेतृत्व में निर्मित 'विदर्भ विश्वकर्मा सूचना केंद्र'।**

औद्योगिक संबंधों (इंडस्ट्रियल रिलेशन्स) में एक तरफ केवल मालिक (प्रबंधक) तथा दूसरी तरफ मजदूर दो पक्ष ही पर्याप्त नहीं, तीसरा भी पक्ष है। और, वह तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है—**उपभोक्ता।** इसलिए औद्योगिक संबंध केवल प्रबंधक और मजदूरों के क्षेत्र का प्रश्न नहीं। भारतीय मजदूर संघ ही पहला और अकेला संगठन है, जिसने यह घोषित किया कि आर्थिक तुलना की दृष्टि से **उपभोक्ता हित और राष्ट्रहित में समीपता है।**

इसका विश्लेषण श्री दत्तोपंत ठेंगडी जी की मुबंई में **नाना पालकर स्मृति व्याख्यान-माला में सन् 1971 में पढ़े गए प्रबंध में मिलता है। बाद में 1975 में डॉ. किनरे ने उपभोक्ता आंदोलन संगठित करने के दृष्टि से सार्वजनिक सभा आयोजित की थी।**

इस पृष्ठभूमि पर प्रबंधक और कामगारों में जो वेतन वृद्धि आदि विषयों पर समझौता होता है, उसको दोनों पक्षों को **राष्ट्रीय वचनबद्धता** समझना चाहिए और ग्राहकों को लाभान्वित करने का वादा करना चाहिए, ऐसा भा. म. संघ का संदेश है।

प्रतिनिधियों ने हर्ष से स्वागत किया और भा. म.संघ को सभी प्रकार के सहयोग करने की बात तीसरी दुनिया के मजदूर प्रतिनिधियों ने की। **प.पू. डॉ. हेडगेवार जी ने जो ध्येय सामने रखा था कि विश्व के सभी गरीब देशों को पूंजीवादी राष्ट्रों के चंगुल से मुक्त करना उस ध्येय की दिशा में प्रथम पदन्यास 1994 में हुआ।**

भारतीय मजदूर संघ की इस दीर्घ यात्रा में अनेक राष्ट्रीय शिखरस्थ तथा स्थानीय नींव के कार्यकर्ताओं ने बलिदान किया। उनका स्मरण होना स्वाभाविक है। ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं के कारण यह संगठन सुदृढ़ हुआ और ऐसा सशक्त संगठन ही आर्थिक युद्ध शुरू कर सकता है।

प्रगति संतोषजनक लेकिन परिस्थिति चिंताजनक

यद्यपि भा.म.संघ की प्रगति दिन दूनी, रात चौगुनी हो रही है, फिर भी भारत की आर्थिक और सामाजिक राजकीय परिस्थिति उसी कालावधि में तीव्र गति से चिंताजनक होती रही है।

भा.म. संघ के 1984 में हैदराबाद अधिवेशन में विदेशी कंपनियां, देश के सरमायदार और केंद्र सरकार के अभद्र गठबंधन के कारण मजदूर और गरीब जनता की विरोधी आर्थिक नीतियों के विरोध में संघर्ष का निश्चय हुआ। जनजागरण अभियान गतिशील हुआ, लेकिन सरमायदारों का आक्रमण अधिक तीव्र गति से हो रहा था। आक्रमणकारी पूंजीपतियों के गरीबों के हित-विरोधी उपर्युक्त षडयंत्र का विरोध करने के लिए अन्य केंद्रीय श्रम संगठनों के साथ संघर्षरत होने का ऐलान भा.म. संघ ने किया और कई संयुक्त आंदोलन चलाएं।

आर्थिक साम्राज्यवाद के विरोध में

1989 में सोवियत रूस के पतन होने के बाद, मार्क्सवाद का भी ध्वंस हो गया। पूंजीवादी देशों ने 'जितं मया' की भावना से **1990 के बाद उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, मुक्त बाजार नीति आदि द्वारा गरीब देशों का शोषण और भी तेज गति से बढ़ाया।**

इसके विरोध में अगर लड़ना हो तो केवल मजदूर संगठनों द्वारा यह युद्ध संभव नहीं, ऐसा समझकर समाज के सभी क्षेत्रों में कार्यरत सामाजिक संगठनों को एकत्र होकर काम करने की आवश्यकता महसूस हुई। **इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अग्रसर होकर स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की।**

कई उद्योगों की रचना बड़े शहरों से लेकर गाँवों तक होती है। इसके कारण भारतीय मजदूर संघ का कार्य आज उन उद्योगों के शिखर से सतह तक पहुंच गया है, जिसमें बैंकिंग, बीमा, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, टेलीकाम, बिजली, प्रतिरक्षा, केंद्र, तथा राज्य के शासकीय कर्मचारियों आदि के संगठनों और

•मैसर्स धनराज छगनलाल एंड कंपनी •मैसर्स प्युअर फूड्स कंपनी
538/539 मार्किट यार्ड, गुलटेकड़ी, पुणे-411037. दूरभाष : 469494

महासंघों के द्वारा यह संभव हुआ है। इसी प्रकार जूट, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, स्टील, कोयला खदान, खनिज धातु, चीनी, कागज उद्योग, सीमेंट, बीड़ी, आंगनवाड़ी, स्वायत्तशासी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान आदि महासंघों के कारण सभी प्रांतों में सभी जिलों तथा देहातों तक भा.म. संघ खड़ा है।

इसके आधार पर विदेशी पूंजीपति और विदेशी पूंजीवादी सरकारों द्वारा हो रहे आर्थिक आक्रमण के खिलाफ भा.म. संघ ने आर्थिक स्वतंत्रता का युद्ध करने का प्रण किया है।

भारतीय मजदूर संघ ने शून्य से कार्य शुरू किया। धीरे-धीरे कार्य बढ़ता गया और 1995 में 40 वें वर्ष में वह सर्वोच्च संगठन बना। उसके सिद्धांतों को विश्व मान्यता मिली। बहुआयामी विकास के कारण भारतीय मजदूर संघ में तृतीय विश्व के मजदूर संगठनों का नेतृत्व करने की प्रबल संभावना है। पर्यावरण रक्षण का विचार-प्रचार तथा प्रत्यक्ष आचार करके 'सृष्टि बचाओ' आंदोलन में भारतीय मजदूर संघ सक्रिय है।

भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र पुनरुत्थान का एक साधन है। उसने शुरू से अपने सामने 'मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम' यह भव्य-दिव्य आदर्श रखा है। उसके कार्यकर्ताओं को प्राणों से भी अधिक 'भारत माता का सुख और गौरव' प्रिय है। यह लक्ष्य जितना श्रेष्ठ है, उतना ही कठिन। इसकी पूर्ति करने के लिए समर्थ संगठन की आवश्यकता है। इसकी ओर दृष्टि रखते हुए शून्य से सृष्टि तक यात्रा करने भा.म. संघ के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं—उनको हमारी शुभकामना।

प. बंगाल में भा.म. संघ को अन्य संगठन 1977 के पूर्व अछूत समझते थे। लेकिन भा.म. संघ की बढ़ती हुई ताकत से संघ की संयुक्त मोर्चा में लेना अनिवार्य हुआ। श्री बैजनाथ राय ऐसे संयुक्त कार्यक्रम में भाषण करते हुए।

दिशानील पैकिंग मैन्युफैक्चर्स प्रा.लि. (इंजीनियरिंग डिवीजन)

द्वारा-हेरंब इंडस्ट्रीज, एम.आई.डी.सी.एस. ब्लॉक, प्लाट नं. जे 48, भोसरी पुणे-411026. दूरभाष : 790117

अध्याय एक

स्मरणीय नेतागण

नारायण मेघाजी लोखंडे

भारतीय मजदूर आंदोलन के जनक श्री राव बहादुर नारायण मेघाजी लोखंडे जी का जन्म सन् 1848 में विदर्भ के पुणे जिले के कन्हेरसर में हुआ। बाद में इनका परिवार आजीविका के लिए ठाणे आ गया। यहीं से श्री लोखंडे ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। गरीबी के कारण इन्हें उच्च शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ा। इन्होंने उदरनिर्वाह के लिए रेलवे के पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी करनी शुरू की। बाद में वे एक कपड़ा मिल में भंडार पाल (स्टोर कीपर) के रूप में काम करने लगे।

'सत्यशोधक समाज' आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। सामाजिक न्याय, स्त्री-पुरुष समानता, जाति निर्मूलन, दलाली तथा शोषण-उन्मूलन जैसे उद्देश्यों के लिए किए जा रहे आंदोलन और समाज के उत्थान के कार्यक्रमों में उन्होंने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। श्री मालेलकर जी ने उन दिनों उपेक्षितों की आवाज बुलंद करने हेतु 'दीनबंधु' पत्रिका शुरू की थी। बाद में इस पत्रिका की जिम्मेवारी श्री लोखंडे जी ने ली और अपने लेखन कौशल के बल पर उन्होंने उपेक्षितों की आवाज बुलंद की। समाज के उपेक्षितों, असुरक्षितों एवं असंगठितों को संगठित करने का उनका यह अभियान यहीं से प्रारंभ हुआ जो उनके जीवन पर्यंत सतत चलता रहा।

1881 के कारखाना अधिनियम से मजदूर संतुष्ट नहीं थे। इसलिए अंग्रेजी सरकार को 1884 में इस अधिनियम में सुधार के लिए इसकी जांच हेतु फैक्ट्री कमीशन नियुक्त करना पड़ा। इस कमीशन को श्री लोखंडे ने एक मांगपत्र दिया, जिसमें मजदूरों के लिए कई बुनियादी मांगें रखीं—

1. रविवार को साप्ताहिक छुट्टी हो 2. भोजन करने के लिए छुट्टी दी जाए, 3. काम के घंटे निश्चित हों 4. काम के समय किसी तरह की दुर्घटना हो जाती हो तो कामगार को सवेतन छुट्टी दी जाए और 5. दुर्घटना के कारण अगर किसी श्रमिक की मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को पेन्शन मिलनी चाहिए।

हम मांगों के लिए मजदूरों की आवाज बुलंद होने लगी, परंतु मालिक उनका विरोध करते रहे और अंग्रेजी सरकार भी उनको अनदेखा करती रही। अंततः इस बात के लिए मजदूर नेता श्री नारायण लोखंडे जी को हड़ताल करना पड़ा। मजदूर हड़ताल के आगे मालिकों को घुटने टेकने पड़े और 1890 में सभी कामगार क्षेत्रों में साप्ताहिक अवकाश की घोषणा हुई। इसके बाद सरकार ने एक 'श्रम आयोग' नियुक्त किया, जिसमें श्रमिकों का प्रतिनिधित्व श्री लोखंडे जी ने किया। इस आयोग की अनुशंसा पर श्रमिकों के काम के घंटे तय हुए। आयोग ने कामगारों को भोजन की छुट्टी देने का भी निर्णय लिया, लेकिन मालिकों ने आयोग की इस अनुशंसा को अस्वीकार कर दिया। जब श्रम आयोग की अनुशंसा की स्वीकृति में विलंब होने लगा तो 1894 में श्री लोखंडे ने एक बार फिर इसके लिए संघर्ष शुरू किया। इस संघर्ष में महिला कर्मचारियों ने भी भाग लिया।

मालिक एवं उनके अधिकारियों ने उनके ऊपर कार्यवाही की। महिलाएं संतप्त हो गईं और उन्होंने अधिकारियों की जमकर पिटाई की। अंततः लोखंडे की कमायाब हुए।

इसके बाद श्री लोखंडे ने मजदूरों के दुर्व्यसनों एवं दुराचार को सुधारने के लिए सत्प्रयास शुरू किया। मजदूर ऋणग्रस्त, फिजूलखर्ची, मद्यासक्ति एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की गंदी आदतों से दूर हों, इसके लिए भी वे प्रचार और आंदोलन करते रहे। वे हमेशा मजदूरों के लिए चिंतित रहा करते थे, जैसे कोई पिता अपने पुत्र के लिए रह है।

उनके जीवन का श्रेष्ठ पहलू एक और है। 1893 में हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए। ऐसे समय में श्री लोखंडे ने मुंबई के प्रसिद्ध एलिजाबेथ गार्डन (वर्तमान में जीजा माता बगीचा) में मजदूरों का एकात्म परिषद् आयोजित किया, जिसमें सभी पंथोपपंथ के मजदूरों ने भाग लिया। राष्ट्रीय एकात्मता का भाव जगाने के लिए लोखंडे जी का यह प्रथम प्रयोग था।

5 फरवरी 1897 को प्लेग के प्रकोप से श्री लोखंडे जी का देहांत हो गया। मजदूरों के हित रक्षक और श्रमिक आंदोलन के जनक श्री लाखंडे जी असमय ही काल कवलित हो गए।

श्री लोखंडे जी का असीम त्याग अविस्मरणीय है। तभी तो यह वर्ष यानी 9 फरवरी 1996 से 9 फरवरी 1997 तक पूरा वर्ष श्री लोखंडे जी का स्मृति शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

हेरंब इंडस्ट्रीज
एम.आई.डी.सी. एस ब्लाक, प्लाट नं.- जे/48, भोसरी पुणे-411026. दूरभाष : 790017

दादा साहेब कांबले

भा. म. संघ के प्रथम अध्यक्ष दादा साहेब कांबले न सिर्फ ट्रेड यूनियन नेता, बल्कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता और चिंतक भी थे। अपने कर्मठ स्वभाव एवं समर्पण के बल पर भा. म. संघ को आपने अच्छा विस्तार दिया।

श्री कांबले का जन्म सन् 1904 ई. में महाराष्ट्र के शीरपुर ग्राम में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने धुलिया से 1927 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात डाक व तार विभाग में नौकरी प्रारंभ की। इसी कालखंड में आप डाक व तार कर्मचारियों के संगठन की कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए गए।

मजदूर आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण आप 1944 में ऑल इंडिया पोस्ट एंड आर.एम.एस. कर्मचारी एसोसिएशन के अखिल भारतीय महामंत्री निर्वाचित हुए।

आपके नेतृत्व में डाक व तार कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल का सार्वदेशिक अभियान प्रारंभ हुआ जो आगे चलकर काम रोको आंदोलन के रूप में बदल गया। इस हड़ताल को लेकर सेंट्रल असेंबली में एक काम रोको प्रस्ताव स्वीकृत करके मुंबई उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में डाक व तार कर्मचारियों का प्रथम वेतन बोर्ड बिठाया गया जिसमें कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व श्री दादा साहेब कांबले ने ही किया।

1947 से 1957 की अवधि में आप विदर्भ पोस्ट एंड टेलीग्राम एंपलाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे।

13 अगस्त 1957 को आप के अथक परिश्रम से डाक व तार विभाग के सभी उप विभागों के कर्मचारियों का एक महासंघ का निर्माण हुआ, जिसके आप प्रथम अध्यक्ष बने।

अपनी अस्वस्थता के कारण आपने सक्रिय कार्य क्षेत्र से कुछ वर्षों तक अपने आप को दूर रखा।

1965 में आप पुनः कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हुए एवं विदर्भ प्रांत के अध्यक्ष का दायित्व संभाला। 1967 के दिल्ली अधिवेशन में आपको अखिल भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जिस पद पर आप तीन वर्षों तक रहे।

भारतीय मजदूर संघ के ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को शत-शत प्रणाम।

मैसर्स प्रिमीयर सप्लाय कंपनी

भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. के अभिकर्ता

कुलकर्णी पेट्रोल पंप, 544/1, सदाशिव पेठ, लक्ष्मी रोड, पुणे - 411 030

विनय कुमार मुखर्जी

स्वभाव से विनोदी एवं सिद्धांतनिष्ठा तथा कार्य-प्रवणता की दृष्टि से अत्यंत कट्टर विनय कुमार मुखर्जी (दादा मुखर्जी) का जन्म 16 अक्टूबर 1900 ई. को वर्तमान बंगला देश के कुमिल्ला नगर में हुआ था। 1920 तक दादा मुखर्जी का विद्यार्थी जीवन रहा। **विद्यार्थी काल में ही इनका संबंध श्री चित्तरंजन दास की अनुशीलन पार्टी से रहा।** किसी पर होने वाले अन्याय को ये बचपन से ही बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अन्याय के लिए विद्रोह करना इनका स्वभाव बन गया था।

28 वर्ष की आयु में इनकी नियुक्ति बिहार के वाल्टरगज रेलवे निर्माण विभाग में हुई। **1930 में अंग्रेज विरोधी होने के कारण दादा मुखर्जी को डेढ़ वर्ष की सजा काटनी पड़ी।** जेल से निकलने के बाद वे 1932 से मजदूर आंदोलनों में भाग लेने लगे। सन् 1935-36 तथा 1941-43 के कालखंड में श्री दादा मुखर्जी उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महामंत्री रहे। सन् 1935 से 1947 तक ये ईस्ट इंडिया रेलवे मेन्स यूनियन के भी महामंत्री रहे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के विधायक के रूप में 1952 में इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। जल्दी ही विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दिलवाकर इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया।

श्री दादा मुखर्जी 1962 में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े। 2 अक्टूबर 1963 को इन्हें भा. म. संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस दायित्व का इन्होंने कुशलता पूर्वक निर्वाह किया। इनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश भा.म. संघ ने कई महत्वपूर्ण कदम तय किए। **कानपुर में हुए भा.म. संघ के द्वितीय अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर 11 अप्रैल 1970 को श्री दादा मुखर्जी अखिल भारतीय अध्यक्ष चुने गए।**

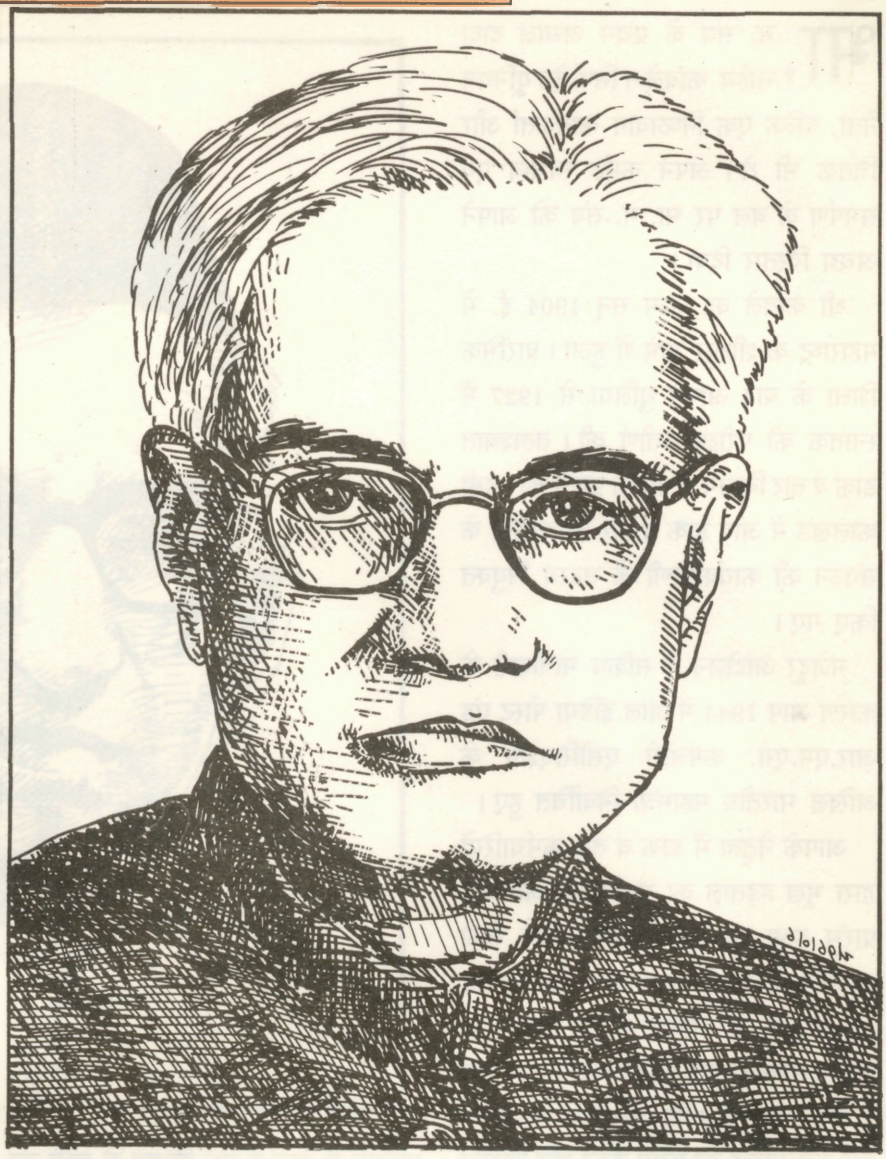

परंतु इस दायित्व को वे शारीरिक अस्वस्थता के कारण ज्यादा दिन नहीं निभा सके। संपूर्ण जीवन मजदूर हित में और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले श्री दादा मुखर्जी 10 जुलाई 1972 को पक्षाघात के शिकार हुए। तबसे जीवन-मरण के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। आत्मबली दादा मुखर्जी इस कड़े संघर्ष का सामना 5 वर्ष तक करते रहे। ऐसी स्थिति में भी वे कार्यकर्ताओं के प्रेरणा-स्रोत बने रहे, किंतु क्रूर काल ने 10 अप्रैल 1977 को भा.म. संघ के इस प्रेरणा-स्रोत को उनसे छीन लिया। परन्तु सेवा भावना एवं कर्तव्य परायणता के लिए उनका नाम भा.म. संघ के कार्यकर्ता कभी विस्मृत नहीं कर सकते।

एम.एस. ई.बी. स्टॉफ क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी
न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, रास्ता पेठ, पुणे-411 011

नरेश चंद्र गांगुली

कम्युनिज्म से प्रेरित ट्रेड यूनियनों का गढ़ माने जाने वाले पश्चिम बंगाल राज्य में भारतीय मजदूर संघ का जो भगवा ध्वज गौरव से लहरा रहा है, उसका श्रेय मुख्य रूप से स्वर्गीय श्री नरेश चंद्र गांगुली को ही जाता है।

1975 में भा.म. संघ के अमृसर में संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्री गांगुली प्रारंभकाल से ही भा.म. संघ से जुड़े रहे, इतना ही नहीं वे कामगार क्षेत्र में काम करने लगे थे। अखिल भारतीय पोस्टल कर्मचारी महासंघ की प.बंगाल शाखा के वे अध्यक्ष बने। 1962 में श्री गांगुली जी प. बंगाल भा.म. संघ के अध्यक्ष चुने गए।

9 जनवरी 1922 में बिहार के भागलपुर शहर में जनमे श्री गांगुली 1940 में अपने महाविद्यालयीन जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। एम.ए. की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने दक्षिण-पूर्वी रेलवे में नौकरी शुरू की। नौकरी के साथ-साथ एल.एल.बी. परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर 1952 में नौकरी त्यागकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की।

1952 में श्री गांगुली श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संपर्क में आए। प्रारंभ में वे पश्चिम बंगाल जनसंघ के महामंत्री नियुक्त किए गये। 1953 में कश्मीर के भारत में विषय के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। उन्हें तुरंत पकड़ा गया और बंदी बनाया गया। 1955 में श्री गांगुली भा. म. संघ से जुड़ गए और अपने मिलनसार स्वभाव के कारण सभी कार्यकर्ताओं के आदर्श बने।

1976 में आपातकाल के दौरान वे भा.म. संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तानाशाही शासन द्वारा उनको बंदी बना लेना तथा 18 महीनों तक जेल में रखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

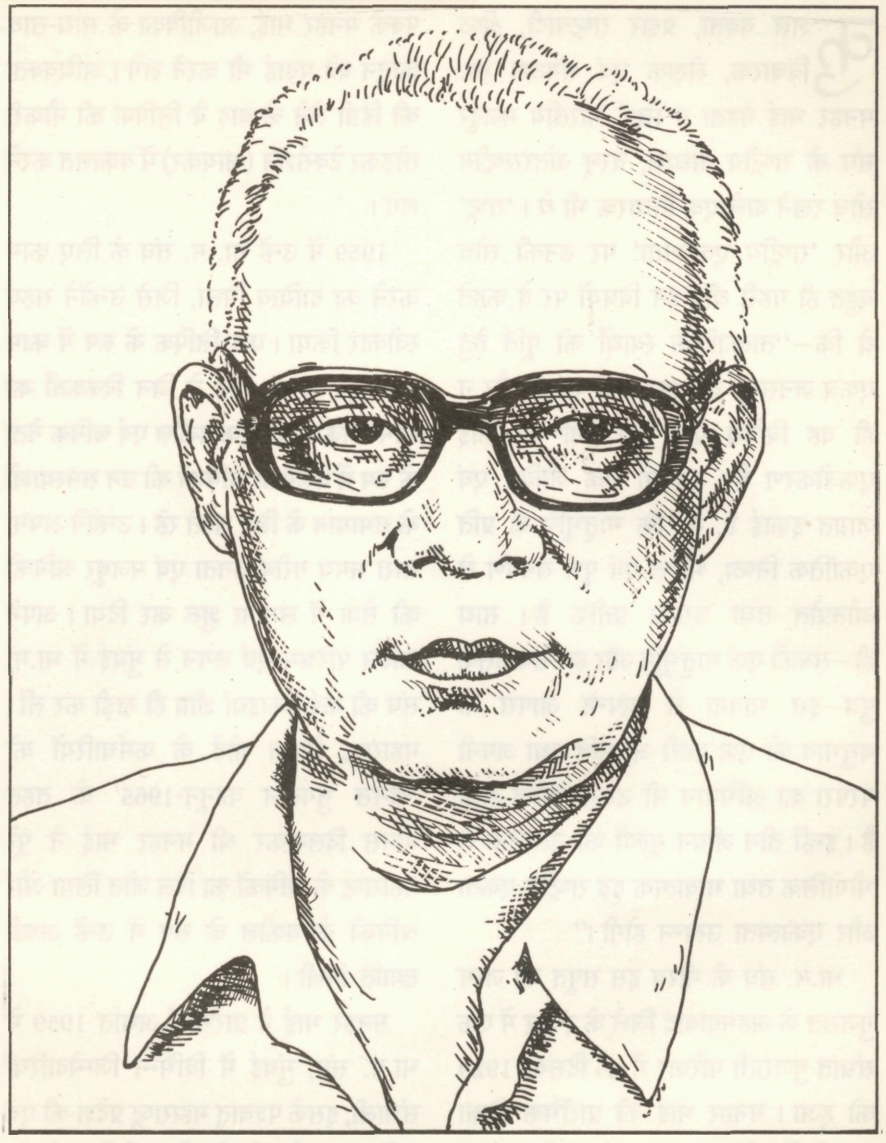

श्री गांगुली हमेशा मानवीय स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक रहे। यही कारण था कि 1948 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे रोक के विरोध में सत्याग्रह में भाग लिया। 1968 में इन्होंने पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज की ओर से रवींद्र सरोवर स्टेडियम और अशोक कुमार नाइट की घृणित घटनाओं के संबंध में घोष कमीशन के अमानवीय व्यवहार के खिलाफ वकालत की। 1975 से 1984 तक भा.म. संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते काम करने के बाद भी गांगुली जी को अस्वस्थता के कारण पद त्याग दिया। लेकिन आखिरी सांस तक वे संघ कार्य की चिंता करते रहे। 1984 में उनका देहांत हो गया।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टाफ क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी

भारत भवन, 1360 शुक्रवार पेठ, पुणे-411 002

मनहर भाई मेहता

कुशल वक्ता, प्रखर राष्ट्रवादी, श्रेष्ठ विचारक, लेखक एवं संगठक स्व. मनहर भाई मेहता न सिर्फ भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरन् अंतरराष्ट्रीय सोच रखने वाले एक विचारक भी थे। 'राष्ट्र' और 'राष्ट्रीय एकात्मता' पर उनकी सोच बहुत ही गहरी थी। इन विषयों पर वे कहते थे कि–"तात्कालिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु एकत्र जनसमूह को राष्ट्र नहीं कहते, और न ही वह विविध पंथों एवं वर्गों का कोई एकत्रीकरण है। वह तो एक जीवित एवं जाग्रत इकाई है, जो कि मातृभूमि के प्रति एकांतिक निष्ठा, भक्ति एवं पूर्ण समर्पण से ओतप्रोत तथा उसका प्रतीक है। साथ ही–सबकी एक मातृभूमि और हम सब उसके पुत्र–इस भावना से उत्पन्न आपस के बधुभाव की एक गहरी अनुभूति तथा अपनी परपरा का अभिमान भी उसमें निहित होता है। इन्हीं तीन जीवन मूल्यों की उत्कटता से भौगोलिक तथा भावात्मक दृढ़ राष्ट्रीय एकता और एकात्मता उत्पन्न होगी।"

भा.म. संघ के गौरव इस सपूत का जन्म गुजरात के अहमदाबाद जिले के रंगपुर में एक संभ्रांत गुजराती परिवार में 25 दिसंबर 1929 को हुआ। मनहर भाई की प्रारंभिक शिक्षा कराची में हुई। सन् 1945-46 में वे रा. स्व. संघ के संपर्क में आए। बाद में वे संघ के प्रचारक बने। देश विभाजन के पश्चात् उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां मनहर भाई ने एक लिपिक के रूप में 'बेस्ट' (बांबे इलेक्ट्रिक सप्लाय एवं ट्रांसपोर्ट) में अपनी जिंदगी की शुरुआत की। प्रतिभा के धनी एवं धुन के पक्के मनहर भाई, आजीविका के साथ-साथ कानून की पढ़ाई भी करने लगे। अधिवक्ता की डिग्री लेने के बाद वे लिपिक की नौकरी छोड़कर टेक्सेशन (आयकर) में वकालत करने लगे।

1959 में उन्हें भा. म. संघ के लिए काम करने का दायित्व मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। **एक लिपिक के रूप में काम करते हुए मनहर भाई ने जिन दिक्कतों का सामना किया था, एक वकील एवं श्रमिक नेता के रूप में वे हमेशा श्रमिकों की उन समस्याओं के समाधान के लिए लड़ते रहे।** उन्होंने अपना सारा समय गरीब जनता एवं मजबूर श्रमिकों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। अपने कठिन परिश्रम एवं लगन से मुंबई में भा.म. संघ की कई इकाइयां शीघ्र ही खड़ी कर लीं। महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को 'बोनस भुगतान कानून-1965' के तहत बोनस दिलवाकर श्री मनहर भाई ने पूरे महाराष्ट्र के श्रमिकों का दिल जीत लिया और श्रमिकों के वकील के रूप में उन्हें अच्छी ख्याति मिली।

मनहर भाई ने प्रारंभ में अर्थात 1959 में भा.म. संघ, मुंबई में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली, इसके पश्चात् महाराष्ट्र प्रदेश की एवं अखिल भारतीय जिम्मेदारियां भी निभाईं और अंत में **1984 में भा.म. संघ के हैदराबाद में हुए सातवें अधिवेशन में उन पर अखिल भारतीय अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंप दी गई।** यह सब उनके सदाचार, समर्पण एवं सेवा भावना से ही संभव हो सका।

कार्यकर्ता से लेकर अ.भा. अध्यक्ष पद की अपनी यात्रा में उन्होंने भा.म. संघ को कई महत्वपूर्ण पड़ाव दिए एवं वैचारिक आधार को मजबूती दी। श्री दत्तोपंत जी के साथ 'लेबर पॉलिसी' और 'नेशनल चार्टर ऑफ डिमांड्स ऑफ इंडियन लेबर' नामक अमूल्य पुस्तक के लेखन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। ये दोनों पुस्तकें श्रमिकों की अमूल्य धरोहर हैं। इनके अलावा उन्होंने श्रम से संबंधित विविध विषयों पर सैकड़ों लेख-अभिलेख और पत्रक लिखे।

'सोशल रिस्पांसिब्लिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन्स', 'दि ब्लैक बिल एक्सरेड', (1988), 'चायना इन ट्रांजिशन' (1985) तथा 'वार अगेन्स्ट फॉरेन इकॉनामिक इंपीरियलिज्म' इनकी अन्य पुस्तकें हैं, जिनमें इनकी समझ और दूरदर्शिता की झलक मिलती है। **खासकर 'वार अगेन्स्ट फॉरेन इकॉनामिक इंपीरियलिज्म' में देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, आज वह अक्षरशः सत्य निकल रही है।** इस सिलसिले में उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षडयंत्रों को नकारने हेतु भी कदम उठाने का आह्वान किया है। देश की गलत राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं का पर्दाफाश तो उसमें है ही।

परंतु ऐसी प्रतिभाओं को ईश्वर कब रहने देता है–चिरकाल तक! 17 अप्रैल 1990 को मुंबई उप स्टेशन ग्रांट रोड पर मनहर भाई मेहता का एक रेल दुर्घटना में दुःखद अंत हो गया। विधाता ने असमय ही श्रमिकों की पितृछाया छीन ली। परंतु उनकी स्मृति आज भी ताजा है।

भारतीय मजदूर संघ, पंजाब

मनहर भाई मेहता

बड़े भाई

निश्छल स्वभाव के कर्मयोगी योद्धा श्री राम नरेश सिंह (बड़े भाई) अनुशासन-प्रिय तथा संगठन कौशल के धनी एवं राष्ट्रीय आंदोलन के पक्षधर थे। उनका हर एक काम व्यवस्थित और नियत समय पर होता था। देरी से स्टेशन पहुंचने के कारण ट्रेन निकल गई हो—ऐसा प्रसंग उनके जीवन में कभी नहीं आया। ट्रेन के नियत समय के बहुत पूर्व स्टेशन पर आकर प्रतीक्षा करते हुए भी उन्हें किसी ने नहीं देखा।

भारतीय मजदूर संघ के इस शलाका पुरुष का जन्म दीपावली के दिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के बगही मांच में सन् 1925 में हुआ था। इनके पिता श्री दलथम्मन सिंह मध्यवर्गीय किसान थे। चुनार से उच्च विद्यालय तक की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत श्री राम नरेश सिंह ने आजीविका के लिए वहीं प्रतिलिपिक के रूप में अपनी जिंदगी की शुरुआत की।

बड़े भाई 1944 में रा. स्व. संघ. के संपर्क में आए तथा 1946 में संघ के प्रचारक बने। 1948 में रा. स्व. संघ के प्रतिबंध काल में विंध्याचल क्षेत्र के 50 कार्यकर्ताओं के साथ सत्याग्रह के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद 1949 में वे मिर्जापुर के जिला प्रचारक बने। रचनात्मक कार्यों से बड़े भाई का बहुत ही लगाव था। उन्होंने 1950 में चुनार में पुरुषोतम चिकित्सालय तथा 1952 में माधव विद्या मंदिर (उच्च विद्यालय) की स्थापना की। अनेक सामाजिक कामों में तत्पर होने के कारण उनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट आ गई। अस्वस्थता के समय में 1956 से कानपुर में रा. स्व. संघ के वस्तु भंडार एवं कार्यालय के प्रमुख नियुक्त हुए। अप्रैल 1960 में बड़े भाई ने भा. म. संघ में प्रवेश किया। उसी वर्ष उन्हें 16 दिसंबर को भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का महामंत्री नियुक्त किया गया। इनके पदभार ग्रहण करने के सिर्फ तीन दिनों के बाद ही भा. म. संघ को उत्तर प्रदेश की सरकार ने मान्यता दी। उस समय वहां भा. म. संघ की 24 यूनियनें थीं एवं इसकी सदस्य संख्या 4730 थी। प्रदेश महामंत्री के रूप में बड़े भाई ने महत्वपूर्ण कार्य कर दिखलाया, जिसमें 1962 का दुकान वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन तथा 1963 में भारतीय मजदूर संघ को राष्ट्रवादी श्रम संगठन घोषित करवाना शामिल है। 1967 में बड़े भाई अखिल भारतीय मंत्री बने। उस समय इनके पास उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार, बंगाल एवं असम प्रांत का दायित्व था।

1968 में उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य चुना गया, जिस पद पर वे 1974 तक बने रहे। वहां रहकर भी वे श्रमिकों के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। 1974 में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल सफल कराने में उनका बहुत सहयोग रहा। आपातकाल में 9 जुलाई 1975 को उन्हें रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने के बाद फरवरी 1976 में बड़े भाई भा. म. संघ के राष्ट्रीय महामंत्री निर्वाचित हुए। भा. म. संघ के महामंत्री पद का कुशलतापूर्वक निर्वाह करते हुए वे भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की अनेक श्रम सलाहकार समितियों के सदस्य रहे।

मजदूरों के पथ प्रदर्शन के लिए इन्होंने कई पुस्तिकाएं लिखीं, जिनमें 'यूनियन पथ प्रदर्शक' और 'भारत में श्रम संघ आंदोलन' (1984) महत्वपूर्ण है। 'सरकार हारी, मजदूर जीता' (1984) उनका बहुचर्चित प्रभावपूर्ण लेख है।

मजदूरों के बड़े भाई का 2 मई 1985 को स्वर्गवास हुआ।

उनकी स्मृति में शतशत प्रणाम।

युनाइटेड मेटल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
इ-18-11 भोसरी इंडस्ट्रियल इस्टेट, पुणे-411 026

बालासाहेब साठये

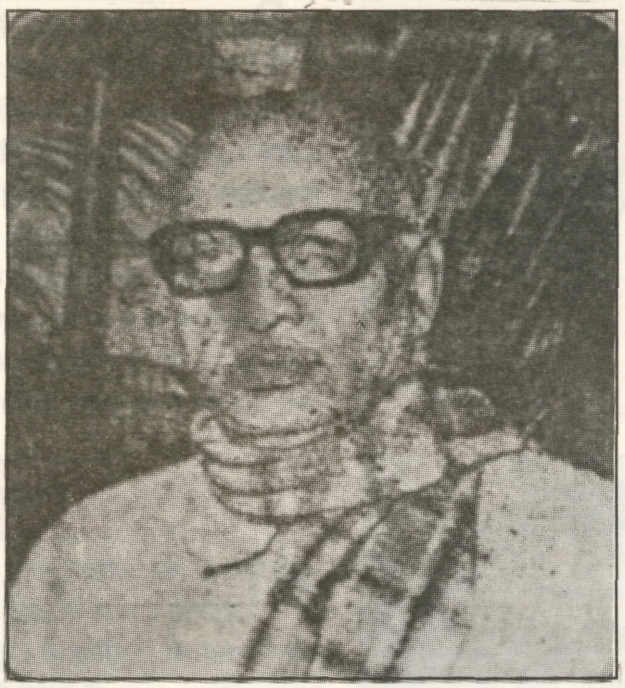

भारतीय मजदूर संघ के कार्य विस्तार के लिए, जिन्होंने जीवन का क्षण-क्षण और शरीर का कण-कण समर्पित कर दिया और कार्य-मग्नता में ही मृत्यु का आलिंगन किया, ऐसे ही कार्यकर्ताओं में एक थे—बालासाहेब साठये।

बाल्यावस्था में ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। बाद में रा. स्व. संघ के प्रचारक श्री मोरोपंत पिंगळे के सान्निध्य में आए। उनके कारण रा.स्व. संघ के सिद्धांत और कार्य-पद्धति से प्रभावित हुए। श्री गुरुजी ने 1942 में नवयुवकों को राष्ट्रीय कार्य के लिए सर्वस्व समर्पण करने का आह्वान किया। विज्ञान स्नातक श्री बालकृष्ण नरहर साठये भी संघ-कार्य में कूद पड़े। 1942 से लेकर जीवन के अंत तक 46 वर्ष तक वे संघ-कार्य में निरंतर जुटे रहे। इन 46 वर्षों के प्रदीर्घ कालखंड में रा.स्व. संघ तथा भा.म. संघ में कई प्रकार की जिम्मेवारियाँ उन्होंने कुशलतापूर्वक निभाईं।

शुरू के दिनों में उन्होंने रा.स्व. संघ जिला तथा विभाग प्रचारक के नाते महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेशों में कई स्थानों पर काम किया। 1962 में उनके कंधों पर भारतीय मजदूर संघ की जिम्मेवारी आई।

पहले महाराष्ट्र प्रदेश संगठन मंत्री का दायित्व उन्होंने निभाया। बाद में वे भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय कार्यालय मंत्री, अ.भा. वित्त सचिव और अ.भा. संगठन मंत्री भी बने। उन्होंने अनेक शासकीय समितियों में भा.म. संघ का बहुत प्रभावी प्रतिनिधित्व किया। भविष्य निधि (प्राविडेंट फंड) के न्यासी, केंद्रीय बिजली निर्माण और वितरण-व्यवस्था समिति के नियामक सदस्य, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सुधार सुझाव समिति के सदस्य, न्यूनतम वेतन परीक्षण समिति के सदस्य आदि के नाते भिन्न-भिन्न समितियों में प्रगाढ़ अभ्यास और प्रदीर्घ अनुभव के कारण उनका योगदान स्मरणीय है।

महाराष्ट्र में उन्होंने इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड में 1963 में भा. म. संघ की यूनियन खड़ी की। बाद में विद्युत क्षेत्र में उन्होंने अन्य प्रदेशों में भी यूनियनें खड़ी कीं और जब 1971 में ऐसे अनेक प्रदेशों के विद्युत मजदूरों का अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ संगठित हुआ तो श्री साठये इस महासंघ के महामंत्री बने। 1980 के केंद्र सरकार के सदस्यता-सत्यापन के बाद 1984 में, केंद्र सरकार द्वारा यह घोषित किया गया कि यह संगठन अन्य केंद्रीय संगठनों की तुलना में प्रथम क्रमांक पर है। इसके पीछे श्री साठये का असीम त्याग भी था।

इस प्रकार बिजली उद्योग में कार्य की शून्य से शुरुआत करके अन्य केंद्रीय कामगार संगठनों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय मजदूर संघ के महासंघ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम क्रमांक पर ले जाने में वे कामयाब हुए।

1988 में अहमदनगर में 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती-उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहां कार्यकर्ताओं को प्रभावी मार्ग-दर्शन करके वापसी प्रवास में आते समय रास्ते में उन्हें हार्ट-अटैक (हृदय-आघात) हुआ और 20 सितंबर 1988 को उन्होंने श्री विश्वकर्मा को प्रणाम करके आखिरी श्वास लिया।

उनका आदर्श जीवन हजारों-हजार कार्यकर्ताओं के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है।

भारतीय रेलवे मजदूर संघ

33, मोती भुवन डि-सिल्वा रोड, दादर, मुंबई-400 028. दूरभाष : 4224084

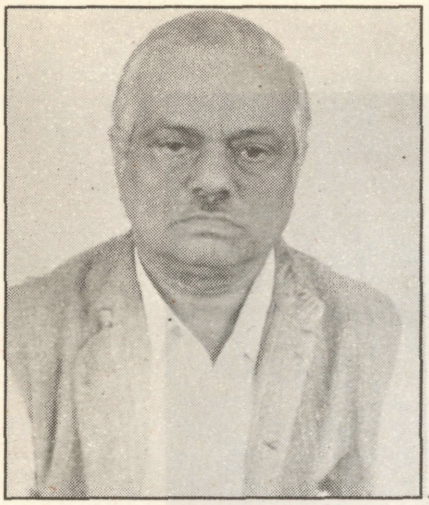

वासुदेव सुदाम मिटकरी

श्री वासुदेव सुदाम मिटकरी केंद्रीय शासकीय कर्मचारी महासंघ से शुरू से जुड़े हुए कर्मठ नेता थे और डी.ए.जी.पी.टी. में सेवारत मिटकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। 1948 में रा. स्व. संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद सत्याग्रह करने पर **उन्हें छह महीने का कारावास हुआ।** आपात्काल में भी मिसा के अतंर्गत पूरे **उन्नीस महीने कारावास में बंद रहे।** डिपार्टमेंटल जे.सी.एम. के सदस्य थे। कुशल वक्ता, समर्थ लेखक श्री मिटकरी ने केंद्रीय कर्मचारियों के 1968 तथा 1974 के हड़ताल का नेतृत्व किया। शासकीय कर्मचारी राष्ट्रीय मंच के महासचिव का पदभार के साथ भा. म. संघ के अ. भा. उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय मंत्री का उत्तरदायित्व आप पर था। आप सेवाकाल समाप्ति के पूर्व पाँच वर्ष पहले स्वेच्छा निवृत्ति लेकर भा. म. संघ के पूर्णकालिक के नाते पूरे भारत में संगठन खड़ा करने में रत थे। आपकी स्मृति को सादर पुष्पांजलि अर्पित।

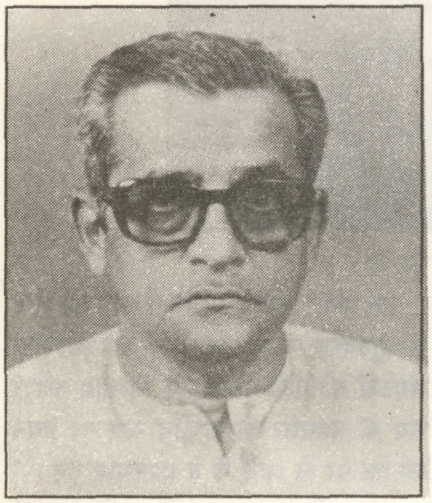

एम.आर. बोरकर

श्री एम. आर. बोरकर भा.म. संघ संलग्न भारतीय पी. एंड टी. एंपलाइज फैडेरेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। डाक तार विभाग शासकीय कर्मचारी परिसंघ के कर्मठ नेता के रूप में भारत भर में प्रसिद्ध थे। शुरू के कालखंड से मजदूर आंदोलन के लिए उन्होंने जीवन समर्पित किया। 1960 के जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों की **हड़ताल का नेतृत्व करने के कारण 'एस्मा' के अंतर्गत बंदी बना लिए गए।** 1968 की केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल का नेतृत्व करने के कारण वेतन में अधिकतम कटौती हुई, जिसका भविष्यकाल में दीर्घ असहनीय परिणाम उन्हें झेलना पड़ा। उन्होंने एल.एल.बी. की डिग्री हासिल की और सेवाकाल समाप्ति के दो वर्ष पूर्व स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेकर भा.म. संघ का पूर्णकालिक दायित्व निभाया। 17 अक्टूबर 1991 को श्री बोरकर जी का देहांत हो गया। श्री बोरकर की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित।

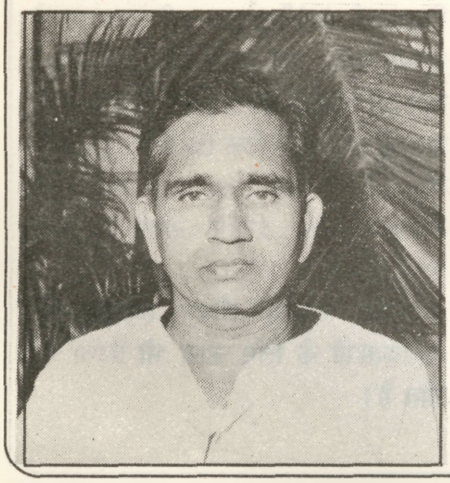

शरद धुंडिराज देवधर

श्री शरद धुंडिराज देवधर बचपन से रा. स्व. संघ के स्वयंसेवक के रूप में संघ से प्रेरणा लेकर 1965 से मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के माध्यम से भा. म. संघ से जुड़ गए। छोटी-मोटी जिम्मेवारियां निभाने के उपरांत वे भारतीय रेलवे मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री चुने गए। 1974 की रेलवे हड़ताल के समय उनके नेतृत्व गुण सामने आए। 1979 में मजदूर आंदोलन के लिए स्वेच्छया निवृत्ति लेकर भा.म. संघ के पूर्णकालिक बने। तब से 1993 तक अविरत भारत भ्रमण करते हुए रेल में संगठन का कार्य करते रहे। भा. म. संघ में वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय मंत्री का पदभार संभालते थे। सतत दीर्घ प्रवास के कारण आपका स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ गया। अस्वस्थता के कारण प्रवास बंद हुआ। 14 जुलाई 1995 को श्री देवधर जी का अकाल मृत्यु हो गई। एक समर्पित कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि।

शुभाकांक्षी, पुणे

अध्याय दो

प्रारंभ

स्थापना बैठक

आजादी के पूर्व अंग्रेज हमारे संसाधनों का जमकर शोषण करते रहे। भारत में तो सिर्फ इंग्लैंड में चलने वाले उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार होता था। 1947 में भारत छोड़ने के पहले तक वे भारत को आर्थिक दृष्टि से जितना लूट सकते थे, लूटा। उन्होंने देश के भी टुकड़े करवा दिए। फूट डालकर राष्ट्रीय मानसिकता को दुर्बल कर दिया। इस प्रकार जो स्वतंत्र भारत उन्होंने सौंपा, वह नग्न और आर्थिक दृष्टि से बिलकुल खोखला था। एक तरफ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति शोचनीय थी, दूसरी तरफ कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बंधुआ मजदूरों में गुलामी तोड़कर औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने की छटपटाहट थी।

देश में तब कोई ऐसा संगठन नहीं था, जिसकी सोच राष्ट्रीय हो और जो औद्योगिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों की समस्या समझ सके। निर्विवाद रूप से नव स्वतंत्र भारत के पुनरुत्थान और मजदूरों के विकसित भविष्य की सोच रखने वाले ऐसे संगठन की आवश्यकता थी, जिसका निश्चित ध्येय हो और निश्चित मार्ग भी।

देश में कुछ यूनियनें स्थापित जरूर थीं, पर उनसे राष्ट्र का कोई भला होने वाला नहीं था, क्योंकि उनकी सोच अराष्ट्रीय थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) तो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए निर्मित की थी जिस पर आजादी के पूर्व मार्क्सवादियों ने कब्जा किया था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) तो थी ही सरकारी यूनियन, इसलिए सरकार का विरोध उसके लिए संभव ही नहीं था। अन्य यूनियनें हिंद मजदूर सभा तथा युनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तो कोई स्थिर सोच ही नहीं थी। वास्तविकता यह थी कि ये चारों यूनियनें पश्चिमी सोच रखने वाली थीं।

भारत के मजदूरों की मांग भारतीयता पर आधारित सशक्त और समर्थ संगठन की थी। इसी मांग की पूर्ति के लिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की गई, जो आज सभी मजदूर संगठनों के पीछे छोड़ते हुए प्रथम क्रमांक पर है। इसकी सदस्य संख्या इस बात का प्रमाण है कि यह मजदूरों की ऐतिहासिक आवश्यकता थी।

भारतीय और पश्चिमी विचारों में अंतर

व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के परस्पर संबंध के विषय में पश्चिमी देशों के तथा भारतीय विचारों में मूलभूत अंतर है। पश्चिम देशों में प्रतिक्रियात्मक रूप से सामंतशाही ⇒ जनतंत्र ⇒ पूंजीवाद ⇒ मार्क्सवाद ⇒ राष्ट्रवाद ⇒ अंतरराष्ट्रवाद आदि का जन्म हुआ। यही कारण है कि वहां व्यक्ति ⇒ परिवार ⇒ समाज ⇒ राष्ट्र तथा विश्व के लिए परस्पर संघर्ष तथा अलगाववाद की मान्यता है। भारतीय मान्यता इसके ठीक विपरीत है। इस मान्यता के अनुसार समाज–राष्ट्र–विश्व का एक दूसरे के बीच अन्योनाश्रय संबंध है ही, साथ ही साथ यहां व्यक्ति परिवार में, परिवार समाज में, समाज राष्ट्र में तथा राष्ट्र विश्व में पूर्ण विलीन हो सकता है। इसे इस आकृति से समझा जा सकता है।

भारतीय विचारधारा　　पाश्चात्य विचारधारा

उपर्युक्त आकृति के द्वारा स्पष्ट है कि भारतीय चिंतन परिधि में व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व है। पाश्चात्य चिंतन के अनुसार व्यक्ति और परिवार, परिवार और समाज, समाज

पुणे जिला कामगार संघ
185, शनिवार पेठ, पुणे-411 030. दूरभाष : 452020

और राष्ट्र में संघर्ष का चित्र सामने आता है, जबकि भारतीय विचार कहता है कि बीज में वृक्ष, वृक्ष के फल में और फल में बीज है।

एकात्म समाज

समाज के सभी घटकों के एक दूसरे पर अवलंबित होने के कारण उनमें परस्पर पूरकता होनी चाहिए। एक दूसरे के हित संबंधों में परस्पर विरोध दिखाई देता हो, तब भी उनके बीच आंतरिक एकता अपेक्षित है। समाज का कोई भी घटक श्रेष्ठ नहीं, किसी का कम महत्व नहीं। मजदूर, किसान, विद्यार्थी, ग्राहक, उत्पादक, प्राध्यापक जैसे सभी घटक अपने-अपने हितों की रक्षा करते हुए एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं। इनमें परस्पर अंगांगी भाव होना चाहिए। आँखों का काम है—देखना, लेकिन पांव में काँटा चुभ जाता है तो आँखों में पानी आ जाता है। ठीक इसी प्रकार का अंगांगी भाव समाज के घटकों के बीच होना चाहिए। इसीलिए भारत में समाज पुरुष की कल्पना की गई है। इस दृष्टि से सामाजिक संगठन स्वयंशासित, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने चाहिए। राजनीति और राज्य भी इसी तरह के सामाजिक घटकों में से एक हैं। राज्य का महत्व है, किंतु वह सर्वेसर्वा नहीं। इसलिए सामाजिक संगठनों को राजनीतिक दलों के अधीन नहीं होना चाहिए। यह भारतीय विचार है।

इन्हीं विचारों को लेकर एकात्म समाज की अवधारणा रखने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने समाज के भिन्न-भिन्न घटकों में काम करना शुरू कर दिया। इसी के परिप्रेक्ष्य में 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नींव रखी गई और 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई।

स्थापना का प्रथम विचार

भारतीय विचारों पर आधारित उपर्युक्त संगठनों की सफलता देखते हुए राष्ट्रवादी नेताओं ने एक राष्ट्रवादी मजदूर संगठन की आवश्यकता महसूस की। इसके लिए 1 जनवरी 1955 को भारतीय जनसंघ की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मार्क्सवाद और पूंजीवाद को नकारते हुए एक मजदूर संगठन खड़ा करने का निश्चय हुआ।

श्री ठेंगड़ी जी से संपर्क

सन् 1949 में ही श्री ठेंगड़ी जी ने ट्रेड यूनियन के लिए काम करना शुरू किया था। वे भारतीय जनसंघ का भी दायित्व संभालते थे। (कृपया 'विहंगावलोकन' पृष्ठ देखें) जहां-जहां श्री ठेंगड़ी जी जनसंघ के काम से प्रवास करते, व्यक्तिगत रूप से रा.स्व.संघ व उससे जुड़े सहयोगी संगठनों के स्वयं-सेवकों से राष्ट्रीय स्तर पर श्रम-संगठन खड़ा करने की बात भी चलाते थे। कार्यकर्ताओं में श्रम संगठनों के प्रति उत्साह को देखते हुए श्री ठेंगड़ी जी ने भोपाल बैठक का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए अनेक कार्यकर्ता तैयार हो गए। अंततः कई कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श के बाद भोपाल की स्थापना बैठक तय हुई, जिसकी तिथि लोकमान्य तिलक जयंती के दिन 23 जुलाई 1955 को रखी गई।

स्थापना बैठक

भोपाल बैठक में सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं में काम करने वाले एवं भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आदि संगठनों के रा.स्व.संघ से प्रेरित संस्थाओं के चुने हुए 35 कार्यकर्ता एकत्र हुए।

23 जुलाई 1955 की बैठक में एकत्र होने वाले जनसंघ (वर्तमान भारतीय जनता पार्टी) के कार्यकर्ताओं में सर्वश्री अटल- बिहारी वाजपेयी, जगदीश प्रसाद माथुर, वामन राव परब तथा कुशाभाउ ठाकरे (म.प्र.) थे; राजनीतिक दल में होने के कारण जिन्हें नेता के रूप में अत्यधिक ख्याति मिली। इनके अलावा उपस्थित होने वाले कार्यकर्ता

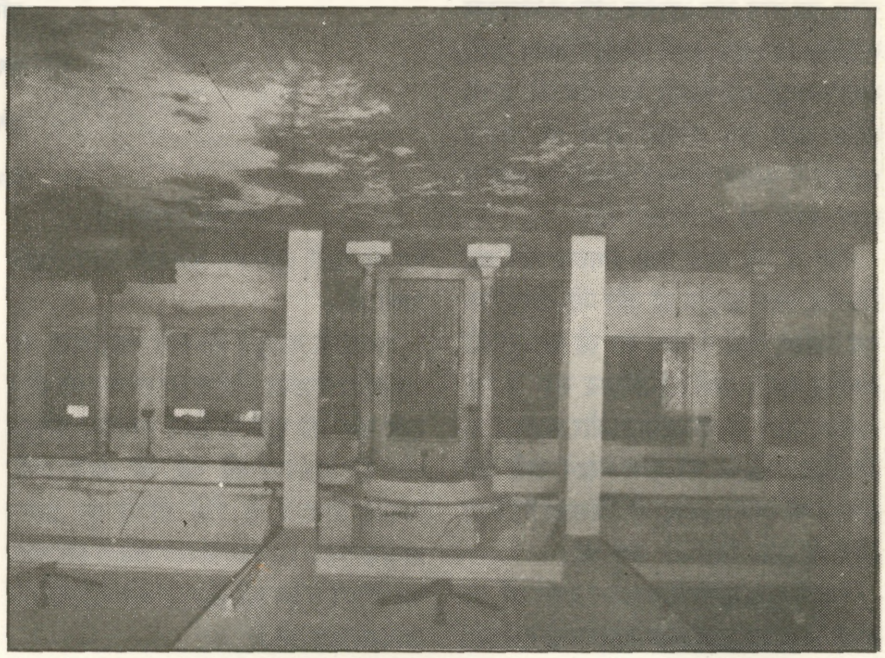

श्री सिरौजिया अग्रवाल, पंचायत धर्मशाला के उस कमरे के बाहर का दृश्य जहां भा.म. संघ स्थापना की पहली बैठक हुई

पुणे जिला मजदूर संघ

185, शनिवार पेठ, पुणे-411 030. दूरभाष : 452020

निम्नलिखित थे, जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ में विभिन्न दायित्वों का निर्वाह कर इसे प्रथम क्रमांक पर पहुंचाया—

मुंबई से सर्वश्री रमण भाई शहा, बाला साहेब कुलकर्णी, माधव राव पालांडे, भाऊराव बेलवलकर, कान्हेरे और सबनीस, पुणे से सर्वश्री माधवराव वापट, वसंतराव परचुरे, नरसैय्या चिप्पा, दत्तात्रेय वैद्य, औंध से श्री पिंगळे, उज्जैन से श्री गोवर्धन लाल मेहता, बाबू लाला मेहरे और कैलास प्रसाद भार्गव, कलकत्ता से श्री कन्हैया लाल बनर्जी, कानपुर से श्री रामकृष्ण त्रिपाठी, यज्ञदत्त शर्मा, मेरठ से श्री शिवकुमार त्यागी, लखनऊ से रामप्रकाश, बरहानपुर से श्री वसंत राव शेवाले, इलाहाबाद से श्री शारदा प्रसाद त्रिपाठी, भोपाल से नारायण प्रसाद गुप्ता और रामनाथ शर्मा सिहोर (म.प्र.) से मानक चंद्र चौबे और नरेंद्र चौरसिया, दिल्ली से सरदार भगत सिंह, आगरा से राजमोहन अरोड़ा, हरियाणा से श्री राजनारायण। अन्य कार्यकर्ताओं के नाम उपलब्ध नहीं हो सके।

प्रथम सत्र

बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले अनेक प्रदेशों से आए हुए प्रतिनिधियों का परिचय तथा किन्हीं कारणों से उपस्थित न हो सकने वाले कार्यकर्ताओं के संदेश का वाचन हुआ। ऐसे संदेश बिहार के भागलपुर, राजस्थान के ब्यावर तथा बीकानेर आदि स्थानों से आए हुए थे।

इसके उपरांत श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने प्रस्ताविक भूमिका सम्मेलन के सम्मुख प्रस्तुत की। बाद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ में पारित किए गए प्रस्ताव की, प्रतिनिधियों को जानकारी दी और स्पष्ट किया कि देश में एक राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की आवश्यकता है। संगठन राजनीतिक पक्ष से अलग होना चाहिए।

प्रास्ताविक भाषण के बाद विभिन्न प्रदेशों में ट्रेड यूनियन में काम करने वाले वैसे छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं के संपर्क और संबंध के विषय में चर्चा हुई, जो किसी न किसी रूप से रा.स्व.संघ से जुड़े थे।

सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों से इस विषय पर काफी जानकारियां मिलीं। इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि भोपाल की इस स्थापना बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों में से अधिकांश ट्रेड यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। इन कार्यकर्ताओं का वस्त्र उद्योग, सिल्क मिल्स, जूट मिल्स, इंजीनियरिंग वर्क्स, कोयला खदान, आयल्स मिल्स, पंजाब नेशनल बैंक, आर.एम.एस., रेहड़ी यूनियन, गुमास्ता मंडल, आर्ड बोर्ड फैक्ट्री से अच्छा संपर्क था, जहां राष्ट्रीय विचार के कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

द्वितीय सत्र

विश्रांति के बाद दोपहर 3 बजे द्वितीय सत्र शुरू हुआ। इस सत्र में सबसे पहले संगठन के नामकरण पर चर्चा प्रारंभ हुई। किसी कार्यकर्ता ने संगठन का नाम 'भारतीय श्रमिक संघ' रखने का सुझाव दिया, लेकिन इस नाम

संगठन का नामकरण

'भारतीय मजदूर संघ' की स्थापना बैठक में भाग लेने के लिए जाने के पहले श्री ठेंगड़ी जी के मन में संगठन का जो नाम आया था, वह था—'भारतीय श्रमिक संघ'। श्री ठेंगड़ी जी ने भोपाल बैठक के लिए जो कागजात टंकित करवाए थे, उनमें भी संगठन का नाम 'भारतीय श्रमिक संघ' ही था। नागपुर से भोपाल जाते समय ठेंगड़ी जी के साथ यात्रा कर रहे कार्यकर्ताओं ने उनके वे कागजात देखे। जब सम्मेलन में श्रमिकों के नए संगठन के नाम पर परिचर्चा आरंभ हुई तो कई कार्यकर्ताओं ने संगठन का नाम 'भारतीय श्रमिक संघ' ही सुझाए। लेकिन उत्तर भारत के कार्यकर्ताओं ने इसका काफी विरोध किया। उनका कहना था कि इन क्षेत्रों में 'श्रमिक' शब्द का उच्चारण ठीक तरह से नहीं हो पाएगा और लोग इसे 'शरमिक' कहेंगे। यह ठीक नहीं।

श्री दत्तोपंत जी को 'भारतीय श्रमिक संघ' नाम जँच गया था, अतएव वे चाहते थे कि इसी नाम पर सहमति हो। वे यह भी जानते थे कि सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता बैठे हैं और बंगाल में 'श्रमिक' शब्द काफी लोकप्रिय है। सम्मेलन में सबसे वयोवृद्ध कार्यकर्ता थे— श्री कन्हैयालाल बनर्जी। ठेंगड़ी जी ने सोचा कि श्री बनर्जी जरूर इस नाम को पसंद करेंगे इसलिए उन्होंने कहा कि—"हम सबमें सबसे बड़े बनर्जी जी हैं—नामकरण के संबंध में हमें उनकी ही बात मान्य होगी।" श्री बनर्जी जब बोलने के लिए खड़े हुए तब तक श्री दत्तोपंत जी आश्वस्त थे कि वे उनका ही समर्थन करेंगे परंतु आशा के विपरीत श्री बनर्जी ने कहा—"हमें एक महान कार्य करना है—राष्ट्रीय कार्य करना है, इसलिए किसी को भी संगठन के नाम के बारे में दुराग्रह नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि बंगाल में 'श्रमिक' शब्द सभी को अच्छा लगता है, तो भी पंजाब और उत्तर भारत के बंधुओं को ध्यान में रखते हुए 'भारतीय मजदूर संघ' नाम अच्छा रहेगा। इसलिए संगठन का नाम हमें यही रखना चाहिए।

श्री ठेंगड़ी जी वचनबद्ध थे—इसलिए संगठन का नाम 'भारतीय मजदूर संघ' ही रखा गया।

इंजीनियरिंग कामगार संघ

185, शनिवार पेठ, पुणे-411030. दूरभाष : 45 2020

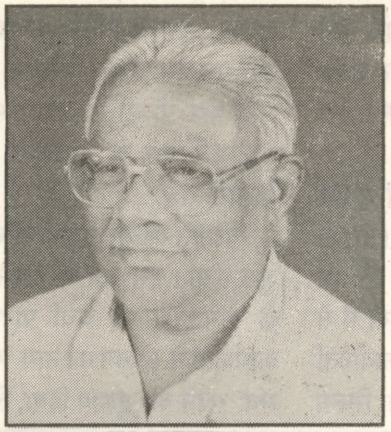

वामनराव परव

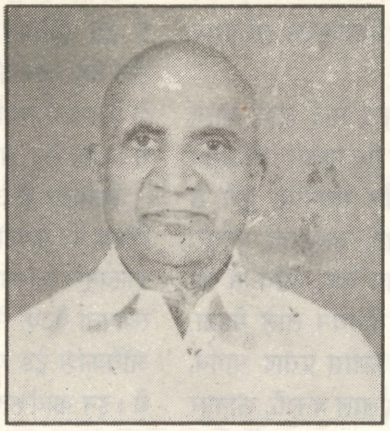

नसंतराव परचूरे

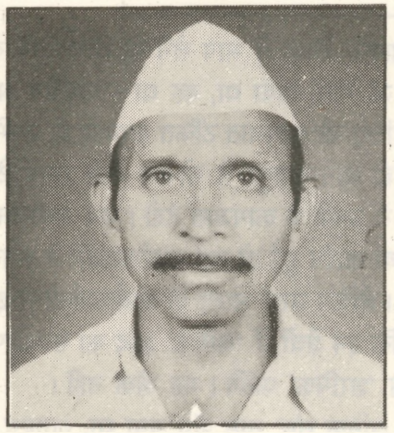

दत्ता वैद्य

चिंतामण सदाशिव कान्हेरे

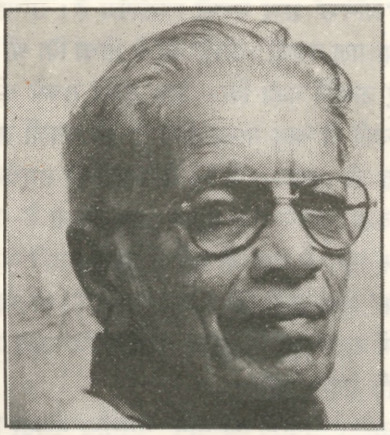

माधवराव बापट

नरसय्या मल्लया चिप्पा

महाराष्ट्र राज्य बीड़ी कामगार संघ

भा.म.संघ, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030. दूरभाष : 452020

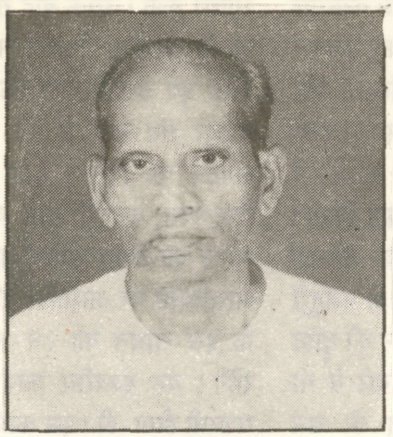

बाळासाहेब कुलकर्णी

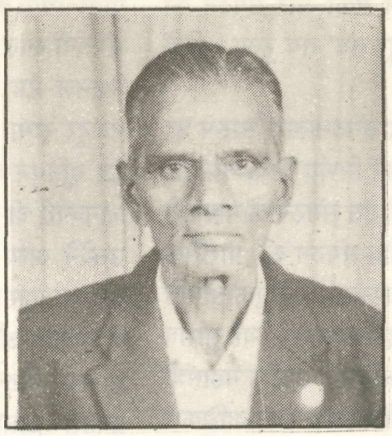

भाऊराव बिवलकर

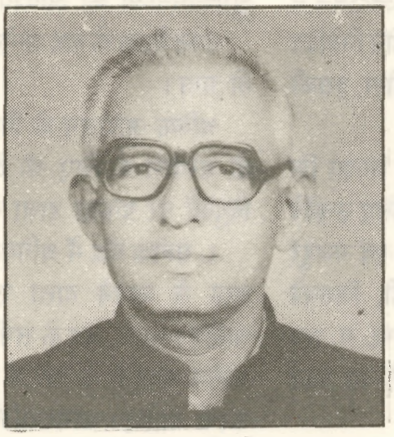

सुमनभाई पारे

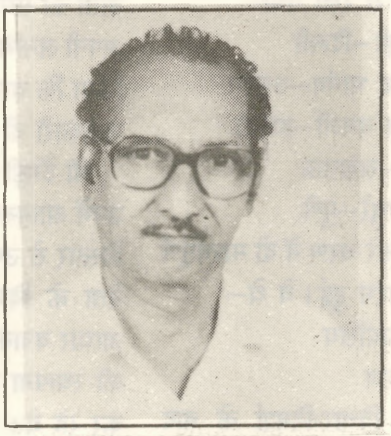

मोरेश्वर कृष्णाजी काळे

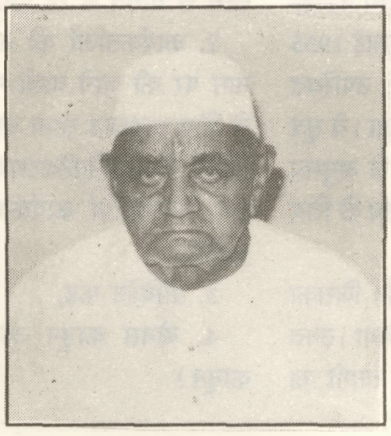

गोवर्धन लाल

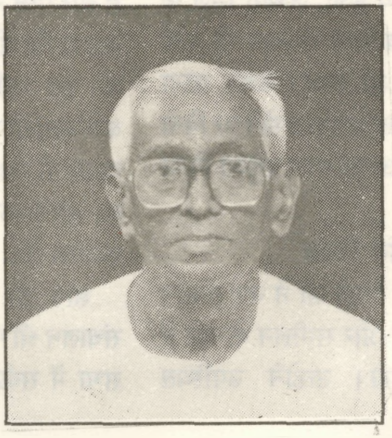

रमण भाई शहा

दि जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण

प्रधान कार्यालय-निहारिका, बर्फ कारखाने के पास, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम)-421 301. दूरभाष : 25995

पर सहमति नहीं बन सकी और संगठन का नाम 'भारतीय मजदूर संघ' तय हुआ। (देखें बॉक्स)

नामकरण के बाद संगठनात्मक स्वरूप पर चर्चा प्रारंभ हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी इस संगठन के महामंत्री रहेंगे। अखिल भारतीय संगठन की प्रारंभिक व्यवस्था के लिए पाँच सदस्यों की एक समिति का प्रावधान हुआ। इस अवसर पर यह सुझाव आया कि आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय महामंत्री को समिति के सदस्यों को बढ़ाने का अधिकार होगा। पाँच सदस्यीय समिति का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से रखा गया–

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी–दिल्ली
श्री कैलास प्रसाद भार्गव–उज्जैन
श्री कन्हैया लाल बनर्जी–हावड़ा
श्री राम प्रकाश–लखनऊ
श्री वसंतराव परचुरे–पुणे

द्वितीय सत्र के दूसरे चरण में दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा प्रारंभ हुई। वे थे–

1. संस्था का कार्यालय
2. संस्था का ध्वज

प्रतिनिधियों के विचार-विमर्श के बाद संगठन का कार्यालय अजमेरी गेट, दिल्ली-110 006 तय हुआ, जबकि ध्वज के संबंध में कई सुझाव आने के बाद भी कोई निर्णय सामने नहीं आ सका। केवल इतना ही तय हो सका कि आवश्यकता होने पर बिना किसी चिह्न के 2" × 3" का ध्वज प्रयुक्त किया जाए।

सम्मेलन का द्वितीय दिवस

पहले सत्र में श्री ठेंगड़ी जी ने नए संगठन की आवश्यकता पर और सम्मेलन के बारे में विस्तृत विचार रखे। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों को तत्कालीन अन्य चार कामगार संगठनों ऑल इंडिया कांग्रेस (एटक), इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), हिंद मजदूर सभा (एच.एम.एस.) और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यू.टी.यू.सी) के बारे में जानकारी दी तथा विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने अन्य संगठनों के वैचारिक धरातल और व्यवहार को देखते हुए भारत के मजदूरों के विकास और राष्ट्र के पुनरुत्थान की दृष्टि से नए संगठन की अर्हताओं के बारे में भी प्रकाश डाला। दृढ़ इच्छाशक्ति के उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने श्री ठेंगड़ी जी की बातों को समझते हुए भी मजदूर आंदोलन में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। उन्होंने निवेदित किया कि यह कार्य कैसे करना होगा, इसकी जानकारी दी जाए।

श्री ठेंगड़ी जी ने इस बात को समझा कि उनमें आत्मबल की कमी है। इसलिए उन्होंने विस्तार से उन्हें मजदूर आंदोलन एवं मजदूर नेता के विषय में जानकारी दी, जिसको आधार बनाकर स्वयं इस क्षेत्र में भा. म. संघ की स्थापना के छह वर्ष पहले से यह कार्य कर रहे थे।

स्थापना बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं में से चार-पांच ने श्रमशोध के प्रतिनिधि को यह बताया कि श्री ठेंगड़ी जी के 24 जुलाई 1955 के उस अभिभाषण का वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं पर बहुत ही असर हुआ। वे सूत्र वाक्य के रूप में इस अभिभाषण के अनुभव का अपना कर जीवन भर भा.म.संघ के लिए कार्यरत हैं।

शाम को एक आम सभा हुई। जिसका संचालन श्री गोपालराव ठाकुर ने किया। उक्त सभा में सर्वप्रथम श्री शिवकुमार त्यागी का भाषण हुआ। उसके बाद सभा को श्री ठेंगड़ी जी ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि "आज भारतीय मजदूर संघ नाम से एक अखिल भारतीय संगठन का निर्माण हुआ है। यह संगठन राष्ट्रभक्त मजदूरों द्वारा बलशाली बनेगा। भारत को वैभव संपन्न बनाने की राह पर भारतीयता पर आधारित राष्ट्र के पुनरुत्थान के इस साधन को हम शक्तिशाली करके रहेंगे। यह इश्वरीय कार्य होने के कारण यशस्वी होगा ही। इस कार्य के लिए हम देश की जनता एवं सहानुभूत समाज की शुभकामनाओं की आवश्यकता है।

उक्त बैठक के बाद सम्मेलन का सत्रावसान हो गया।

श्रमिक आंदोलन के विस्तार एवं श्रमिकों के कल्याण के लिए श्री ठेंगड़ी जी ने जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला वे निम्न हैं–

1. प्रत्येक केंद्र में श्रमिक कानून को अच्छी तरह से जानने वाला एक वकील होना चाहिए। भा.म. संघ के सभी कार्यकर्ताओं को श्रमिक कानूनों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। कार्यकर्ताओं में पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मजदूर किसी भी कानून के लाभ से वंचित न रह पाए।

2. कार्यकर्ताओं को आधुनिकीकरण के नाम पर की जाने वाली मजदूरों की छंटनी के लिए सावधान रहना चाहिए। इसके लिए विदेशों में आधुनिकीकरण के समय बरती जा रही सावधानियां कार्यकर्ताओं को बरतनी चाहिए।

3. प्रॉविडेंट फंड,

4. बोनस कानून और न्यूनतम वेतन कानून।

एस.बी. सहल एंड कंपनी, पुणे

प्रथम अधिवेशन

"मैं मजदूर हूं, और हमारे बाप दादा भी मजदूर थे। जहां भी मजदूरों की समस्या रहती है, उसे मैं खुद की समस्या मानता हूं। मेरा जीवन मजदूरों में तथा मजदूरों के कार्य करने के लिए बीता है। दुखियों और मजदूरों के कष्ट को दूर करना मेरा फर्ज है। शायद यही कारण होगा कि मुझे यहाँ निमंत्रित किया गया।" श्री दादा साहेब गायकवाड़ भारतीय मजदूर संघ के प्रथम अधिवेशन के उद्घाटक के नाते बोल रहे थे। यह प्रथम अधिवेशन 13 व 14 अगस्त 1967 को नई दिल्ली स्थित पँचकुइयां रोड के कम्युनिटी हाल में संपन्न हुआ।

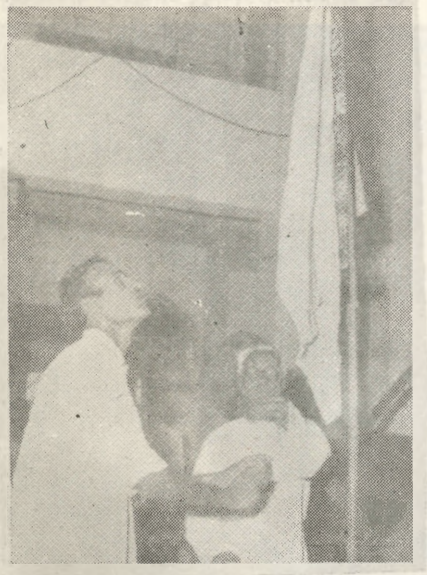

श्री विनय कुमार मुखर्जी ध्वजारोहण करते हुए, साथ में श्री रामकृष्ण भारद्वाज

इस प्रथम अधिवेशन के उद्घाटक थे श्री दादा साहेब गायकवाड़। उनका परिचय देते हुए श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा—"भा. म. संघ के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन वयोवृद्ध सेनानी श्री दादा साहेब गायकवाड़ द्वारा होने जा रहा है। आप रिपब्लिकन पार्टी के प्रधान हैं। आप संविधान रचयिता डॉ बाबासाहेब अंबेडकर के दाहिने हाथ रहे हैं। आप के ही कंधों पर कार्य का पूरा बोझ सौंपकर बाबासाहेब इस दुनिया से चले गए। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे हमें मार्गदर्शन करें।"

श्री गायकवाड़ जी ने अपने उद्घाटन भाषण को जारी रखते हुए आगे कहा—"आज भारत के करोड़ों मजदूर गरीबी तथा भुखमरी के शिकार हैं। करोड़ों लोग पूर्ण बेकार हैं, देहातों में रहने वाले करोड़ों खेतिहर मजदूर को कुछ महीने का ही काम मिलता है, वर्ष के छह-सात महीने बेकार रहते हैं।"

बेकारी और अर्धबेकारी का जिक्र करने के बाद श्री गायकवाड़ जी ने चतुर्थ पंचवषीय योजना के स्वरूप में वास्तविकता की मांग की। "वास्तविक स्वरूप का अभिप्राय श्रम प्रधान योजना से है, जिसमें पैसे की खपत कम और पसीने की ज्यादा रहे।" इस अवसर पर उन्होंने यह भी मांग की कि भारत में पैदा हुए हर एक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। सरकार तथा समाज की जिम्मेवारी का अहसास कराते हुए श्री गायकवाड़ ने कहा कि काम करने के अधिकार को भारत के संविधान के अंतर्गत आने वाली मौलिक (बुनियादी) अधिकारों की सूची में समाविष्ट करना चाहिए।

श्री दादा साहेब गायकवाड़ का भाषण लिखित था। इसलिए वह आज भी उपलब्ध है। तकनीकी (टेक्नालॉजी), सामाजिक विषमता न्यूनतम वेतन, अनियमित मजदूर, ठेका मजदूर आदि कई विषयों की चर्चा करने के बाद श्री गायकवाड़ जी ने कहा "बुद्धवासी डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का यह आदेश था कि ट्रेड यूनियन, सही ट्रेड यूनियनिज्म के आधार पर चलाई जाए। अवसरवादी, व्यक्तिवादी, राजनैतिक तत्वों के प्रभाव से मजदूर आंदोलन को मुक्त रखा जाए। उसे लोकतंत्र के ढाँचे के अंतर्गत तथा लोकतंत्रात्मक प्रणाली से चलाया जाए। इस आंदोलन को देशभक्ति के आधार पर समाज के अन्य विभागों के साथ राष्ट्रोद्धार के कार्य में पूरा सहयोग देने के लिए आगे बढ़ाया जाए।"

उन्होंने अंत में कहा कि "डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के सिद्धांतों के आधार पर कार्य

महेश इंटरनेशनल, पुणे

करने का निश्चय करते हुए आज एक नई संस्था निर्मित हो रही है। मैं भारतीय मजदूर संघ के सुयश की कामना करता हूँ।"

अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए श्री दादा साहेब गायकवाड़

भारतीय मजदूर संघ के इस ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में वयोवृद्ध मजदूर सेनानी श्री विनय कुमार मुखर्जी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात श्री मुखर्जी ने कहा—अभी ध्वजारोहण हुआ। यही गणेश पूजन है। यही विघ्नहरण करता है। भगवा ध्वज ही हमारी आशा, आकांक्षा व मान्यताओं का प्रतीक है। यह ध्वज हमें जान से प्यारा है। इसके लिए हमें सर्वस्व की बाजी लगाने में हिचक नहीं है। आप सबको यही भावना लेकर चलने के लिए, मैं आग्रह करता हूं और मुझे आशा है कि आपके माध्यम से भारतीय मजदूर संघ, मजदूरों व देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा।"

उद्घाटन समारोह और अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश भा.म. संघ के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री वी.पी. जोशी थे। उन्होंने आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया, दिल्ली में स्थित भिन्न-भिन्न स्थानों का वर्णन करते हुए उन्होंने प्रतिनिधियों से शांतिवन में लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि के दर्शन करके, "जय जवान जय किसान" का नारा देकर दोनों मोर्चों पर जुटने का आह्वान किया। इस अवसर पर श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का भी भाषण हुआ।

इस अधिवेशन के लिए भारत के 18 प्रदेशों से कुल 1352 प्रतिनिधि आए थे। सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र की थी। पश्चिम महाराष्ट्र से 229 और विदर्भ से 175 यानी महाराष्ट्र प्रांत से ही 404 प्रतिनिधि थे। उसके बाद, क्रमशः बिहार—253, उत्तर प्रदेश—203, दिल्ली—150, हरियाणा—95, पंजाब—57, राजस्थान—46, मध्य प्रदेश—40, गुजरात—35, कर्नाटक—30, बंगाल—25, आंध्र और चंडीगढ से 5-5, मद्रास से दो और केरल और उड़ीसा से एक-एक प्रतिनिधि आए थे।

1955 की 23 जुलाई को शून्य से शुरू किए गए इस केन्द्रीय श्रम संगठन ने सचमुच भारत-व्यापी आकार लिया। इसका सबूत उपर्युक्त प्रतिनिधियों की संख्या है।

इस अधिवेशन को तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री. वी. वी. गिरि का शुभ संदेश आया था। उन्होंने अपने शुभ संदेश में कहा था—"लगभग अर्ध शताब्दी के मजदूर आंदोलन के बावजूद

वृत्त निवेदन करते हुए श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड

'शिवस्मारक' गोल्ड फिंच पेठ, सोलापुर-413 007. दूरभाष : 26676

भारतवर्ष में श्रमिक वर्ग अच्छी तरह से संगठित नहीं हैं। इसके कारण खोजने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है—उदाहरणार्थ, कामगारों में निरक्षरता, संगठन का अभाव, राजनैतिक प्रतिद्वंदिता तथा औद्योगिक मतभेदों के सुलझाने के लिए बाहरी शक्तियों पर विश्वास—ये मजदूर आंदोलन की दैन्यपूर्ण स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं।

"मुझे विश्वास है कि भारतीय मजदूर संघ का सम्मेलन, जो कि इस समय प्रथम बार अपने वार्षिक अधिवेशन के लिए हो रहा है, देश के लिए वैभव के एक नए युग को प्राप्त कराने में सहायक होगा।"

इसी प्रकार तत्कालीन केंद्रीय श्रम एवं नियोजक मंत्री श्री जयसुख लाल हाथी ने अपना शुभ संदेश में कहा था कि—

"आर्थिक उत्पादन राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है और श्रमिकों को उत्पादन चक्र को सतत चलाते रहने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। मैं आशा करता हूं कि भा. म. संघ इस रचनात्मक कार्य को करेगा।"

इनके अलावा अनेक नेताओं एवं गण्यमान्य व्यक्तियों के शुभ संदेश का वाचन भी उद्घाटन के समय हुआ।

शानदार उद्घाटन समारोह के बाद पहले सत्र में ही प्रदेशशः और औद्योगिक महासंघशः प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

भारतीय मजदूर संघ के सभी प्रदेशों एवं अखिल भारतीय औद्योगिक महासंघों के महामंत्रियों ने अपने-अपने प्रदेश व महासंघ का वृत्त प्रस्तुत किया। प्रदेश के जो वृत्त दिए गए, उनमें श्री ओमप्रकाश अग्घी ने पंजाब, चंडीगढ व हिमाचल प्रदेश, डॉ. कृष्ण गोपाल ने हरियाणा प्रदेश, श्री चांदरतन आचार्य ने राजस्थान, श्री रामकृष्ण भास्कर ने दिल्ली प्रदेश, श्री राम नरेश सिंह ने उत्तर प्रदेश, श्री राम देव प्रसाद ने बिहार, श्री महात्मा मिश्र ने बंगाल, श्री सत्येंद्र नारायण सिंह ने उत्कल प्रदेश, श्री रामभाऊ जोशी ने मध्य प्रदेश, श्री केशव भाई ठक्कर ने गुजरात, श्री गोंविदराव अठावले ने विदर्भ प्रदेश, श्री रमन भाई शाह ने महाराष्ट्र प्रदेश, श्री प्रभाकर घाटे ने मैसूर प्रदेश, श्री हरिराव ने आंध्र, श्री अरूमुगम् ने चेन्नई तथा श्री आर. वेणुगोपाल ने केरल के प्रभारी के नाते वृत्त प्रस्तुत किया। साथ ही भारतीय वस्त्र-उद्योग कर्मचारी संघ का श्री किशोर देशपांडे, भारतीय इंजीनियररिंग मजदूर संघ का श्री रामकृष्ण त्रिपाठी, भारतीय रेलवे मजदूर संघ का श्री अमलदार सिंह, अखिल भारतीय सुगर मिल मजदूर संघ का श्री सुधीर सिंह, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का श्री राम प्रकाश मिश्र, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ का श्री बद्रिकानाथ तथा अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ का श्री वी. एन. साठ्ये ने वृत्त प्रस्तुत किया।

हमारी प्रेरणा

यह कठिन कार्य अवश्य है, पर हमें सोचना होगा कि हमारी प्रेरणा क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलिप्सा, मान-सम्मान की भूख लेकर चलने वाले कार्यकर्ता, किसी महान लक्ष्य को लेकर नहीं चल सकते। हमने महान लक्ष्य रखा है, अतः पहले अपनी जीवन प्रेरणाओं को जानें।

—भाऊराव देवरस

इसके अतिरिक्त असम प्रदेश एवं अन्यान्य उद्योग-विशेष, जिनका वृत्त प्रस्तुत नहीं हो सका था, का वृत्त भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी ने दिया। सहयोगी संस्थाओं जैसे नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स एवं नेशनल फोरम ऑफ सेंट्रल इंपलाइज का वृत्त श्री गजाननराव गोखले ने प्रस्तुत किया।

उसके उपरांत श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने महामंत्री का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

ठेंगड़ी जी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय और प्रिय प्रतिनिधि बंधुगण,

भारतीय मजदूर संघ का यह प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन भारत के श्रम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इस इतिहास के नए गौरवशाली पर्व के उद्घाटन की अधिकृत घोषणा यह सम्मेलन कर रहा है।

घोषणा आज हो रही है, परंतु इसकी पृष्ठभूमि बनाने में ठीक 12 साल की अवधि बीत गई। हमारी परंपरा में एक तपस की अवधि 12 साल मानी गई है। अतः आज उद्घोषित नूतन श्रम संगठन विधिवत् तपः-पूत बन चुका है।

23 जुलाई 1955 को हम प्रथम बार भोपाल में एकत्र हुए थे। वह सम्मेलन मजदूर

श्री भाऊराव देवरस द्वारा प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन

कार्यकर्ताओं का आग्रह है कि संगठन के संबंध में कुछ अन्य प्रासंगिक कुछ बातें मैं रखू। अतः अधिक समय न लेकर मैं सामान्य बातें ही रखूगां। ऐसे अधिवेशनों में चुनौती भरे बड़े-बड़े प्रस्ताव पारित करके हम समझते हैं कि काम पूरा हो गया। विघटन का वायुमंडल चल रहा है; पांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, अलगाव की वृत्ति जागृत की जा रही हैं। यद्यपि यह प्रवृति राजनैतिक क्षेत्र में अधिक है तो ऐसे वातावरण के बीच हमें अपना कार्य खड़ा करना है।

महाबीर अलॉइस, नॉन फेरस अलॉइस

फैक्ट्री : डब्ल्यू 274, एस. ब्लाक, एम.आई.डी.सी. भोसरी, पुणे-411026. दूरभाष : 792174, 790470

ऑफिस : 24/8, ईस्ट स्ट्रीट, ठक्कर हाउस, ई/205, प्रथम खंड, द्वितीय मंजिल, पुणे - 411 001. दूरभाष :477055, 654567

तथा देश का कल्याण चाहने वाले कार्यकर्ताओं का था। श्रम क्षेत्र की स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर उस समय विचार-विमर्श हुआ। सर्व प्रथम यही विचार सामने आया कि नए संगठन का निर्माण नहीं किया जाए, क्योंकि उसके कारण मजदूर एकता में बाधा आएगी। साथ ही साथ यह भी सोचा गया कि यदि नया संगठन खड़ा नहीं किया तो, आदर्श श्रम संगठन संस्था के अभाव में देश और मजदूर जाति को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रेड यूनियनें सही ट्रेड यूनियन के आधार पर चलें। उसका उद्देश्य मजदूर तथा देश का कल्याण रहे। मजदूर, उद्योग तथा राष्ट्र तीनों के हित एक ही दिशा में जाने वाले हैं। नए संगठन की मान्यता, 'अधिकार और कर्त्तव्य' दोनों पर ट्रेड यूनियनें समान आग्रह रखे। व्यक्तिगत नेतागिरी, राजनीतिक दलगत स्वार्थ मालिक, सरकार और विदेशी विचारधारा का प्रभाव—इन जैसी बातों से संगठन सर्वथा मुक्त रहे। संगठन राजनैतिक दल निरपेक्ष सभी राष्ट्रवादी तत्वों के लिए एक सामान्य मंच के नाते कार्य करे। राष्ट्रीय संस्कृति तथा परंपरा के आलोक में मजदूरों को, मजदूरों के लिए और मजदूरों द्वारा चलाई गई संस्था की भूमिका का वह निर्वाह करे और मजदूरों का संपूर्ण राष्ट्र के साथ मनोवैज्ञानिक एकात्म्य स्थापित करते हुए अधिकतम उत्पादन के द्वारा राष्ट्रोत्थान के कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग देने में सहायक सिद्ध हो। इस कसौटी पर वर्तमान श्रम संस्थाएं असंतोषजनक प्रतीत हुईं। इस कारण उपनिर्दिष्ट तत्वों की पूर्ति करने वाले श्रम संगठन का निर्माण भारत की ऐतिहासिक आवश्यकता मानी गई।

यह स्वाभाविक ही था कि प्रारंभ में यत्र-तत्र खुदरा दुकानदारी ही हमें शुरू करनी पड़ी। उन दिनों हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत धीरे-धीरे बढ़ रही थी और जो मैदान में आए, उनकी स्थिति चक्रव्यूह में घिरे अभिमन्यु के समान थी। एक तो लगभग सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा रखने वाली अन्य यूनियनें पहले से ही व्याप्त थीं, दूसरी बात यह कि हमारे कार्यकर्ता इस क्षेत्र के अनभ्यस्त तथा मजदूरों के लिए अपरिचित थे और मुकाबला था प्रख्यात पुराने नेताओं से। साथ ही किसी भी नई संस्था को आरंभ से ही कुचल देने की

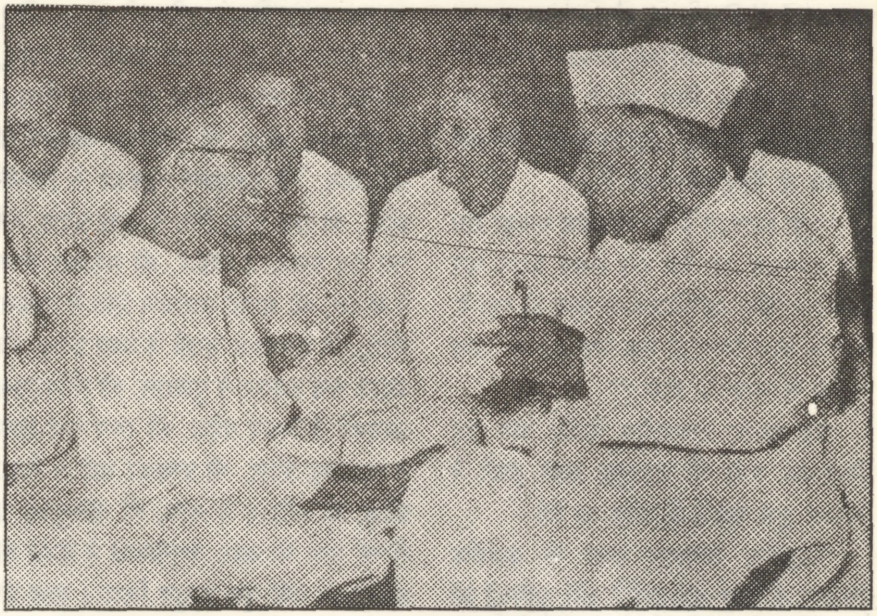

श्री दादा साहेब गायकवाड़ के साथ परामर्श करते हुए महामंत्री श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

आत्म-निर्भरता आवश्यक

किसी भी संगठन को साधनों की आवश्यकता रहंती है, पर संगठन में अर्थ की प्रधानता उसके निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। संगठन के कार्यकर्ता के लिए अर्थ का योग कहीं और से प्राप्त होना कार्य को चौपट कर देने वाली बात है। साधन प्रधानता आते ही संगठन चला पाना संभव नहीं होता। जो संगठन स्वयं अपने प्रयास से साधन जुटाते हैं वही सफलता पूर्वक चल पाते हैं। संगठन को सदैव ही अपने पैरों पर खड़े होने की सामर्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तभी उसकी नीति स्वतंत्र रह सकती है।

राजनीति से दूर

आजकल अनेक सगंठन चलते हैं। नाम चाहे किसान का हो अथवा मजदूर का, पर वे किसी न किसी राजनैतिक दल के पिछग्गू होते हैं। उनके उद्देश्य भिन्न और कार्य भिन्न होते हैं-ऐसे कार्य या संगठन खड़े नहीं हो पाते। आप सब कार्यकर्ताओं के सामने एक लक्ष्य होना चाहिए। राजनैतिक दलों से पूथक रहकर काम करना चाहिए। राजसत्ता पाने के लिए जो भी मंच सुगमता से मिल सके वह मंच पकड़ना अपने कार्यकर्ताओं की दृष्टि नहीं है। यद्यपि राजनीतिक के माध्यम से अन्य बहुत-सी चीजें प्राप्त हो सकती हैं, किंतु उस दुर्बलता को त्यागकर किसी अन्य उद्देश्य के अपनाए बिना अगर हम कार्य करेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी।

निवो मार्केटिंग एजेंसीज

10, गुरुवार पेठ, राम मंदिर के सामने, सरिता देवी चौक, पुणे-411042. दूरभाष : 477 494, 477233, आवास - 460939

मालिक तथा सरकार की प्रवृति का भी मुकाबला करना पड़ा। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में, जबकि आशा की किरण कहीं भी दिखाई नहीं देती थी, धीरज के साथ निष्काम बुद्धि से प्रयास जारी रखने की क्षमता आदर्श निष्ठा के ही कारण हमारे कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुई—इसमें संदेह नहीं।

हमारे प्रादेशिक महामंत्रियों, संगठन मंत्रियों तथा अखिल भारतीय महासंघों के मंत्रियों के प्रतिवेदनों से हमारी स्थिति-गति-प्रगति का संपूर्ण चित्र हमारे सामने उपस्थित हुआ है। (1) आज हमारे पास पूर्ण समय देकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या 75 है। (2) सदस्य संख्या आज कुल मिलाकर 2,50,000 है। (3) संलग्न यूनियनों की संख्या 500 से ऊपर है (4) जगह-जगह कार्य को आर्थिक स्वयंपूर्णता प्राप्त होती रही है। (5) श्रम कानून में विशेषज्ञ कार्यकर्ता एवं वकीलों की संख्या भी पर्याप्त हो रही है। (6) अखिल भारतीय तथा प्रादेशिक कार्यालयों की सक्रियता एवं सूक्ष्मता उचित सीमा तक पहुंच रही है (7) भा. म. संघ के मुखपत्र के नाते बंबई से 'मजदूर वार्ता' का प्रकाशन आरंभ हुआ है और उसका प्रसारक्षेत्र विभिन्न प्रदेशों में बढ़ता जा रहा है। (8) श्रमिक वर्ग में मान्यता भी बढ़ रही है। बहुसंख्य प्रदेशों में एक प्रभावी श्रम संगठन के नाते भारतीय मजदूर संघ जनमानस में स्थान प्राप्त कर रहा है। (9) दिल्ली और उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त होने की निश्चित संभावना दिख रही है और (10) भारत सरकार ने भी इस वर्ष के (ऐन्नयुअल रिटर्न्स) के आधार पर हमारी मान्यता के प्रश्न का निर्णय करने का निश्चय किया है। रेलवे मंत्रालय के सम्मुख भारतीय रेलवे मजदूर संघ को मान्यता देने का प्रश्न विचाराधीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संगठन के बढ़ते हुए प्रभाव और यशस्विता के विषय में देश के राष्ट्रवादी तत्वों के मन में अब दृढ़ विश्वास तथा आशा पैदा हो रही है। कार्य की प्रारंभिक अवस्था के नाते यह स्थिति संतोषजनक है। यद्यपि हम यह कदापि न भूलें कि यह संतोषजनक स्थिति प्रारंभिक अवस्था के नाते ही है।

हमारे कार्यकर्ता इसी लगन से कार्य में जुट गए तो अखिल भारतीय मान्यता हमें शीघ्र ही प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय मान्यता को हम उतना और उस ढंग का महत्व नहीं देते, जितना और जिस ढंग का महत्व इसको अन्य श्रम संस्थाएं देती हैं। उनका अंतिम गंतव्य स्थान नजदीक का ही है। इसलिए अखिल भारतीय मान्यता और उसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ उनके लिए परमोच्च लक्ष्य है। हमारे लिए यह लक्ष्य परमोच्च नहीं। हमारा गंतव्य स्थान अतिदूर है, किंतु हाँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए मान्यता के द्वार से भी गुजरने की आवश्यकता है।

यह बात स्पष्ट है कि भारत के अन्यान्य श्रम संस्थाओं की तरह केवल यही भूमिका भारतीय मजदूर संघ की नहीं है। अपने सिद्धांतों तथा पद्धतियों के कारण संघ अपने ढंग की अकेली संस्था है। हमारे लिये यह गौरव का विषय है कि हम सबको इसके निर्माण का श्रेय है। क्योंकि यह संस्था सही अर्थ में अपौरुषेय है। यह भारत की राष्ट्रशक्ति के संकल्प का आविष्कार मात्र है।

भारत का नव जागृत मजदूर आशाभरी दृष्टि से इस अधिवेशन की ओर देख रहा है। आज वह जीवन-मरण के प्रश्न का मुकाबला कर रहा है। आसमान को छूने वाली महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और क्षतिपूर्ति शत-प्रतिशत न करने का निश्चय सरकार तथा मालिकों का है। बेकारी, अर्धबेकारी, छँटनी और मजदूर विरोधी नीतियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। मजदूरों की सेवा की सुरक्षा तथा असली वेतन निरंतर घटता जा रहा है। इन परिस्थितियों में मजदूरों को एक ओर साहसवाद का और दूसरी ओर समर्पण का शिकार न बनाते हुए वास्तविकतावाद के आधार पर उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना आपका दायित्व है। यह विश्वास है कि इस दायित्व का निर्वाह यह अधिवेशन करेगा और अपने नए रचनात्मक नेतृत्व का परिचय देगा।"

प्रथम अधिवेशन के प्रस्ताव

शाम के सत्र में कई प्रस्ताव पारित हुए। वे सूत्र-रूप से इस प्रकार हैं—

चीनी उद्योगों के बारे में पारित प्रस्ताव में चीनी उद्योग में तीव्र ह्रास पर घोर चिंता व्यक्त की गई और सरकार से इसके कारणों की जाँच करने के लिए उच्चस्तरीय विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करने की मांग की गई थी। प्रस्तावक थे श्री सुधीर सिंह तथा समर्थक थे श्री दिलीप नारायण सिंह।

दूसरा प्रस्ताव इंजीनियरिंग उद्योग संबंधी

योग्य व्यवहार

संगठन के लिए योग्य व्यवहार भी बड़ा जरूरी है। बातचीत में शब्द प्रयोग का बड़ा भारी महत्व है। मन में कुछ न रहते हुए भी वाणी पर संतुलन रखना होगा। जहां कार्यकर्ता में यह भाव आ जाता है। कि हम नेता हैं और अन्य अनुयायी-वहीं प्रारंभ हो जाती है। दूसरों के विचार सुनने की तैयारी रहनी चाहिए। मैं जो कहता हूं, वही ठीक-अन्य जो कह रहे है-वह ठीक नहीं है, यह बात संगठन को खड़ा करने में बाधक होती है। हमारे अंदर सहनशीलता और दूसरों की भावनाओं का आदर करने की तत्परता चाहिए।

रैनबो एजेंसीज़
ग्रीव्स लिमिटेड के ऑथराइज्ड डीलर
381, भवानी पेठ (पुराने मोटर स्टैंड के पास), कागलवाला सोसाइटी, पुणे-411 042. दूरभाष : 659466

श्री दादा साहेब कांबले के साथ परामर्श करते हुए महामंत्री श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी एवं स्वागताध्यक्ष श्री वी.पी. जोशी

था। इसके प्रस्तावक श्री रामकृष्ण त्रिपाठी थे तथा अनुमोदन किया था श्री रमण भाई शहा ने। इंजीनियरिंग वेज बोर्ड द्वारा दिलाई गई अंतरिम सहायता के निर्णय को भी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू कराने में बरती ढिलाई और अन्यायपूर्ण नीति की तीव्र भर्त्सना करते हुए संपूर्ण अंतरिम सहायता को कर्मचारियों के मूल वेतन में सम्मिलित करने की मांग की गई थी।

तीसरे प्रतिरक्षा उद्योग के प्रस्ताव में उद्योग संबंधित मजदूरों के प्रश्न उठाए गए थे। प्रतिरक्षा उद्योग में मजदूरों पर हो रहे अन्याय और उनकी उपेक्षा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए उनको बोनस देने, वेतन में समानता लाने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने आदि की मांगें की गई थीं।

वस्त्र उद्योग के कामगारों की स्थितियों का वर्णन और विश्लेषण करके संबंधित प्रस्ताव में प्रस्तावक किशोर देशपांडे और अनुमोदक हंसदेव सिंह गौतम ने मांग की थी कि सरकार एक राष्ट्रीय वस्त्र आयोग स्थापित करे, जिसमें मजदूर, मालिक, सरकार तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हों और वह आयोग वस्त्र उद्योग के लिए नीति निर्धारित करे।

रेल कर्मचारियों संबंधी प्रस्ताव में प्रतिनिधि सभा ने यह मांग की कि भारत सरकार अविलंब मूल्य सूचकांक वृद्धि का अनुसरण करते हुए वेतन में इतनी वृद्धि करे कि मूल्य वृद्धि शतप्रतिशत निष्प्रभावी हो सके और रेल कर्मचारियों के लिए एक स्थायी वेतन बोर्ड नियुक्त करे, जो वास्तविक वेतन के पुनर्निर्धारण का कार्य करे।

इसी प्रतिनिधि सभा में वेतन नीति पर भी विस्तृत प्रस्ताव पारित हुआ।

दूसरे दिन प्रातः सत्र में रा. स्व. संघ के केंद्रीय पदाधिकारी श्री भाऊराव जी देवरस जी का कार्यकर्ताओं का प्रबोधन करने वाला बौद्धिक वर्ग हुआ। इस बौद्धिक वर्ग के बाक्स इस लेख में दिए गए हैं।

इस अधिवेशन को संबोधित करने के लिए भा. म. संघ के पूर्व कार्यकर्ता, लेकिन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री श्री परमेश्वर पांडेय जी का भाषण हुआ। उन्होंने कहा—"हम एक परिवार के हैं। सब समान हैं। मैं आज जो कुछ बना हूं, उसमें मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मुझे तो मात्र आज्ञापालन करना है। हम जहां कहीं भी किसी काम में लगे हों, वहीं ईमानदारी और लगन से काम करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए यूनियनों को रजिस्ट्रेशन के दो वर्ष तक विवादों के प्रतिनिधित्व के लिए लगी रोक को समाप्त करने का प्रयास करने को सोचा जा रहा है। विवादों के शीघ्र निर्णय के लिए भी हमारी सरकार प्रयत्नशील है।"

उसके बाद दिल्ली प्रशासन के कार्यकारी पार्षद श्री अमरचंद्र शुभ का भाषण हुआ। उन्होंने कहा—मजदूरों को गुमराह करने वालों से हम सावधान रहें। मजदूरों के आंदोलन, जहां उनकी मांगों से संबंधित हों, वहीं उन्हें देश-भक्ति के भाव भी रखने होंगे। सभी आंदोलनों की तह में राष्ट्र के उत्थान संबंधी मूलभूत भावों को गहराई तक बैठना होगा। अधिकार के साथ ही कर्तव्य भी रहता है। मालिक का धर्म है वेतन देने का और मजदूर का धर्म है काम करने का। न कर्तव्य और न ही अधिकार वरन् धर्म का पालन करना ही भारतीय पद्धति है। अभी मुझे चार मास ही हुए हैं इस पद पर कार्य संभालते। पहले 20 प्रतिशत विवाद अभिनिर्णय के लिए भेजे जाते थे। संराधन अधिकारी ही प्राइमा फेसी के नाम पर ट्रिब्यूनल का काम कर लेते थे। अब समर्थनीय सभी मामले ट्रिब्यूनल को भेजे जाते हैं। मालिकों की धांधली के कुछ मामले सामने आए हैं, जिसमें वे हड़तालों को गैरकानूनी घोषित करने में अपनी मनमानी का इस्तेमाल करते हैं। श्रम आंदोलनों का एक

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कर्मचारी संघ

रानीपुर, हरिद्वार (उ.प्र.)

रूप भारतीय मजदूर संघ है। सबसे भिन्न उसका आंदोलन है। सीमाएं और आदर्श लेकर हमें चलना है। सुविधाएं तो अवश्य चाहिए, पर मूल संस्कृति से अलग होकर हम नहीं चल सकते। सभी बातें राष्ट्र के हित में हों, चाहे कारखानेदार हों, चाहे श्रम आंदोलनकर्ता हों—जो भी राष्ट्र विरोधी हों-समाप्त करने होंगे।

दूसरे दिन दोपहर के सत्र में भा.म. संघ का संविधान पारित हुआ और उसके उपरांत प्रथम विधिवत अखिल भारतीय पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन हुआ।

आत्मीयता का भाव

साधारण रूप से लोकतंत्रानुसार हम लोग विरोध करें, अपनी बात रखें, सभी पहलुओं पर विचार करें, सबका मत लें, किंतु किसी पर छींटाकाक्षी न करें। संगठन-शास्त्र का यही नियम है कि आत्मीय भाव से आत्मीयता से सबके साथ व्यवहार करें। कोई भी कार्यकर्ता जिम्मेवारी से, निस्वार्थ भाव से जब काम करता है तो सारी बातें जीवन में स्वतः आ जाती हैं।

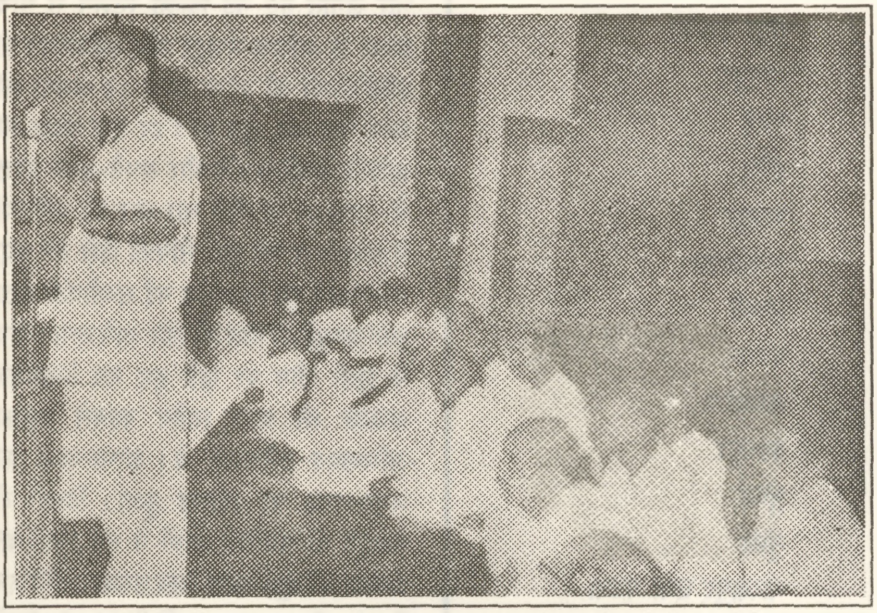

प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए स्वागताध्यक्ष श्री वी.पी. जोशी, एडवोकेट

भारतीय मजदूर संघ का विधान पारित

सन् 1955 (भोपाल) व 1959 (मुंबई) के बैठकों में भारतीय मजदूर संघ के विधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था, उसमें प्रदेश मंत्रियों के परामर्श से कुछ आवश्यक संशोधन करने के उपरांत इस प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन के सम्मुख उसे रखा गया। दिल्ली प्रदेश मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री वी. पी. जोशी अधिवक्ता ने विधान की धाराओं को क्रमशः पढ़कर सुनाया, समझाया और उसे पारित करने का प्रस्ताव किया, जिसका समर्थन उत्तर प्रदेश मजदूर संघ के महामंत्री श्री रामनरेश सिंह ने किया और विधान को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

पदाधिकारियों का चुनाव

श्री अमलदार सिंह के प्रस्ताव व श्री चांदरतन आचार्य के समर्थन के उपरांत सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए श्री दादा साहेब कांबले (नागपुर) निर्वाचित किए गए।

श्री अमलदार सिंह के प्रस्ताव व श्री गोविंदराव आठवले के समर्थन के उपरांत उपाध्यक्ष पद के लिए तीन नाम सर्वश्री गजाननराव गोखले, वी.पी. जोशी व रमाशंकर सिंह सर्वसम्मति से निर्वाचित किए गए।

श्री बी. एन. साठ्ये के प्रस्ताव व श्री राम नरेश सिंह के अनुमोदन के उपरांत सर्वसम्मति से श्री दत्तोपंत ठेंगडी महामंत्री चुने गए।

श्री पिंपलखरे के प्रस्ताव पर तथा श्री गजानन राव गोखले के समर्थन पर सर्वसम्मति से ये तीन नाम सर्वश्री रामनरेश सिंह, ओमप्रकाश अग्घी व प्रभाकर घाटे मंत्री पद के लिए निर्वाचित किए गए।

श्री बी. एन. साठ्ये के प्रस्ताव व श्री गजानन राव गोखले के अनुमोदन के उपरांत सर्वसम्मति से श्री मनहर भाई मेहता कोषाध्यक्ष पद के लिए चुने गए।

अखिल भारतीय कार्यसमिति के शेष सदस्यों के नामों की घोषणा नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री दादा साहेब कांबले ने की।

रचनात्मक दृष्टि

मजदूर क्षेत्र का कार्य आंदोलनात्मक होने के बाद भी रचनात्मक दृष्टि आवश्यक है अधिकारों और सुविधाओं के लिए जहां संघर्ष करना जरूरी है वहां रचनात्मक कार्यों की भी आवश्यकता है। इसका आप सब विचार करें, तभी संगठन पूर्ण होगा। आप इन सब बातों पर विचार करें और अपने-अपने क्षेत्र में जाकर उसे अमल में लावे यही मेरा आग्रह है।

देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद

अर्थ कांप्लेक्स, केशर सिंह पुरा, औरंगाबाद-431 001. दूरभाष : 334121

प्रथम अखिल भारतीय कार्यसमिति

श्री दादा साहेब कांबले (अध्यक्ष)	नागपुर
श्री गजाननराव गोखले (उपाध्यक्ष)	मुंबई
श्री वी.पी. जोशी (उपाध्यक्ष)	दिल्ली
श्री रमाशंकर सिंह (उपाध्यक्ष)	सिंदरी (बिहार)
श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी (महामंत्री)	दिल्ली
श्री राम नरेश सिंह (मंत्री)	कानपुर.
श्री ओमप्रकाश अग्घी (मंत्री)	लुधियाना
श्री प्रभाकर घाटे (मंत्री)	मंगलौर
श्री मनहर मेहता (कोषाध्यक्ष)	मुंबई
श्री अरूमुगम् (सदस्य)	चेन्नई
श्री हरि राव (सदस्य)	गुंटूर (आंध्र)
श्री गोविंदराव आठवले (सदस्य)	नागपुर
श्री रमण शाह (सदस्य)	मुंबई
श्री रामभाऊ जोशी (सदस्य)	इंदौर
श्री चांदरतन आचार्य (सदस्य)	जयपुर
श्री डॉ. कृष्ण गोपाल (सदस्य)	फरीदाबाद
श्री रामकृष्ण भास्कर (सदस्य)	दिल्ली
श्री रामदेव प्रसाद (सदस्य)	पटना
श्री नरेश चंद्र गांगुली (सदस्य)	कलकत्ता
श्री राम प्रकाश मिश्र (सदस्य)	कानपुर
श्री अमलदार सिंह (सदस्य)	मुंबई
श्री किशोर देशपांडे (सदस्य)	मुंबई
श्री सुधीर सिंह (सदस्य)	गोरखपुर तथा पटना
श्री रघुनाथ तिवारी (सदस्य)	गुवाहाटी
श्री सत्येंद्र नारायण सिंह (सदस्य)	संभलपुर (ओड़िशा)
श्री आर. वेणुगोपाल (सदस्य)	कालीकट (केरल)
श्री केशव भाई ठक्कर (सदस्य)	बड़ोदरा (गुजरात)

श्री बी. एन. साठये मुंबई, केंद्रीय कार्यालय में मंत्री नियुक्त किए गए।

केंद्रीय कार्यालय–राजन बिल्डिंग, पोईबावड़ी, परेल, मुबंई-12 निश्चित किया गया।

श्री दादा साहेब कांबले की अध्यक्षता में निर्मित केंद्रीय सहलाकार समिति :

1. श्री बी. के. मुखर्जी, लखनऊ
2. श्री रघुनाथ सहाय जैन, गाजियाबाद
3. श्री हंसदेव सिंह गौतम, कानपुर
4. श्री एस. कृष्णाय्या, बेंगलूर
5. श्री चमनलाल भारद्वाज, दिल्ली
6. श्री मोहनराव गवंडी, पुणे
7. श्री भाऊसाहेब वैद्य, नागपुर

भव्य शोभा-यात्रा

"राष्ट्र भक्त मजदूरो! एक हो, एक हो! नई जवानी केसरिया रंग, मजदूरों का मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ–अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय!" आदि जोशपूर्ण नारे लगाते हुए नई दिल्ली स्टेशन से पाँच हजार से अधिक मजदूर और अधिवेशन के प्रतिनिधियों की शोभा यात्रा 14 अगस्त को शाम चार बजे शुरू हुई। हर एक प्रदेश की वाहिनी केसरिया झंडे और अपने-अपने प्रदेश के नामपट्ट के पीछे चार-चार की पंक्तियों में उत्साह से भरे हुए, सैनिकों जैसे तने हुए, आगे बढ़ते हुए पहाड़गंज नई सब्जीमंडी होता हुआ कम्युनिटी हाल की ओर जाने लगा। बीच में खुली जीप पर खड़े हुए नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री दादा साहेब कांबले सबका अभिवादन स्वीकारते थे। शोभा-यात्रा का जगह-जगह पर स्वागत हुआ। दिल्ली के मजदूरों के संबंधित लोगों ने नव निर्वाचित अध्यक्ष को फूल माला देकर उनका अभिनंदन किया। शोभा यात्रा कम्युनिटी हाल में पहुँचने के बाद खुला अधिवेशन शुरू हुआ।

खुला अधिवेशन

खुले अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष श्री वी. पी. जोशी का प्रथम भाषण हुआ। उन्होंने दिल्ली के मजदूरों की स्थिति, उनके ऊपर होने वाले अन्याय और उनकी प्रमुख मांगों आदि का विश्लेषण किया और भा. म. संघ ने दिल्ली के मजदूरों की आवाज बुलंद करके

नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स

7, पीठा स्ट्रीट, सर वी.एम.रोड के सामने, फोर्ट, मुंबई-400001, दूरभाष : 2844704

उनको कैसी राहत दिलवाई, इसकी जानकारी देकर अंत में उन्होंने कहा—"दिल्ली के मजदूरों को अन्य कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा समझाया जाता है कि भारत को मार्क्स और लेनिन की ओर देखकर ही अपना भाग्य बनाना होगा, लेकिन भा. म. संघ का प्रण है कि वह इस क्षेत्र से गुलामी के चिह्न दूर करके रहेगा।" खुले अधिवेशन में वृद्ध मजदूर सेनानी दादासाहेब मुखर्जी के जोशपूर्ण उद्‌बोधन के बाद अंत में श्री दत्तोपंत ठेंगडी जी का प्रेरणादायक भाषण हुआ। मजदूरों की स्थिति का वर्णन करते हुए सरकार को कौन-सी नीति अपनानी चाहिए आदि का विश्लेषण करने के बाद अंत में उन्होंने कहा—

"हमारी जड़ें भारत भूमि में हैं, राष्ट्रीयता के आधार पर हम मजदूर आंदोलन चलाना चाहते हैं। विशुद्ध राष्ट्रवादी संगठन आज खड़ा हो रहा है। इसका अखिल भारतीय स्वरूप एक ऐतिहासिक तथ्य है। भारतीय मजदूर संघ मजदूर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सफल होगा। देश के कोने-कोने से आए हुए प्रतिनिधियों के लिए जलपान व भोजन की व्यवस्था सामूहिक रूप से पहाड़गंज स्थित बारात घर में की गई थी तथा उनके आवास की व्यवस्था बिरला मंदिर, जैन धर्मशाला, बारात घर, अग्रवाल धर्मशाला, परमानंद धर्मशाला, लक्ष्मी नारायण मंदिर, रैगरपुरा, अग्रवाल धर्मशाला एवं नाई वाला धर्मशाला आदि स्थानों पर थी।

अधिवेशन में संसद सदस्य सर्वश्री जगन्नाथ राव जोशी, हुकुमचंद कछवाय, नारायणस्वरूप शर्मा, श्रीचंद गोयल एवं रामसिंह आदि उपस्थित थे।

प्रथम अधिवेशन के समय प्रदेशशः कार्य विवरण तथा प्रतिनिधि संख्या

क्र.	प्रदेश	यूनियन की संख्या	सदस्य संख्या	अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधि
1.	दिल्ली	40	45,143	150
2.	पंजाब	40	10,75	57
3.	हरियाणा	25	6,000	95
4.	राजस्थान	41	23,100	46
5.	गुजरात	13	1,000	35
6.	विदर्भ	54	9,500	175
7.	महाराष्ट्र	68	51,143	229
8.	कर्नाटक	20	6,000	30
9.	आंध्र	10	12,000	5
10.	मद्रास	5	500	2
11.	केरल	1	50	1
12.	उड़ीसा	1	800	1
13.	मध्य प्रदेश	32	8,757	40
14.	उत्तर प्रदेश	149	43,000	203
15.	बिहार	21	25,000	253
16.	बंगाल	14	1,300	25
17.	आसाम	1	2,000	.
18.	चंडीगढ	6	850	5
	योग	541	2,46,902	1352

महाराष्ट्र प्रदेश बैंक ऑफिसर्स ऑर्गनाइजेशन

7, पीठा स्ट्रीट, सर वी.एम.रोड के सामने, फोर्ट, मुंबई-400001, दूरभाष : 2844704

द्वितीय अधिवेशन

अगस्त 1967 के प्रथम अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ के विधिवत गठन के बाद केंद्रीय कार्यकारिणी ने कार्यभार संभाला एवं कार्य को गतिशीलता दी। इसके तीन वर्ष बाद **11-12 अप्रैल 1970 को कानपुर में** भारतीय मजदूर संघ का द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया।

भारतीय मजदूर संघ के इस अधिवेशन के लिए विशेष रूप से बनाए गए विश्वकर्मा नगर में यह अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में 1857 प्रतिनिधियों ने तथा 35 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।

उद्घाटन समारोह

इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे– श्री अंबा प्रसाद गौड़। श्री गौड़ उस समय श्री विक्रम जीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय कानपुर में अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष थे। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने कहा-"अधिवेशन के इन दो दिनों में आप लोग श्रम संबंधी अनेक विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। और ऐसी आशा की जाती है कि उन पर किसी निश्चय पर ही पहुंचेंगे। यह ठीक है कि हम पुरानी प्रागैतिहासिक नीतियों और प्रणालियों को लेकर आज की नित-नवीन दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते, परंतु यह भी मानना होगा कि **किसी समस्या पर बिना पूर्ण रूपेण विचार किए अथवा किन्हीं आधुनिक देश की नीतियों को मान्यता देना श्रेयस्कर नहीं होगा। हमें अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के आधार पर ही अपने संगठन का निर्माण करना है।** अपनी मर्यादाओं की सीमा में उपयोगी सहायता का हम स्वागत करेंगे।"

उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री विनय कुमार मुखर्जी और भा.म. संघ के संस्थापक महामंत्री श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी तथा प्रथम अध्यक्ष श्री दादासाहेब कांबले जी का भाषण हुआ। कार्यकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद देने के बाद श्री कांबले जी ने कहा कि "नई संस्था होते हुए भी भा.म. संघ सुयोग्य मार्गदर्शन कर सकता है"। अपने विधान की पुष्टि में उन्होंने जीवन निर्देशांक के विषय में भा.म. संघ के तथ्य और विवरण की बात की। साथ ही साथ आटोनॉमस मोनेटरी अॅथोरिटी पर प्रकाश डाला। बाद में उन्होंने कहा– हमारी केंद्रीय श्रम संस्था सही ट्रेड यूनियनिज्म के आधार पर चलने वाली संस्था है। राष्ट्रहित की परिधि के अंतर्गत मजदूरों का हित हमारा उद्देश्य है। यह संस्था मजदूरों की है और मजदूरों द्वारा संचालित है। यह पूर्ण रूपेण स्वतंत्र संगठन है, **जैसा कि किसी ट्रेड यूनियन को होना चाहिए, यह व्यक्तिगत नेतागिरी से स्वतंत्र, मालिकों से स्वतंत्र, सरकार से स्वतंत्र, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र तथा वाद विशेष से स्वतंत्र है।** इसी प्रकार से हम कार्य करते रहेंगे।"

महामंत्री का प्रतिवेदन

भव्य उद्घाटन समारोह के बाद भिन्न-भिन्न सभाओं में अधिवेशन के अन्य कार्यक्रम हुए। इनमें कुछ उल्लेखनीय बातें निम्न प्रकार हैं– श्री ठेंगड़ी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हुए कार्य का ब्यौरा दिया। संगठन के स्वरूप के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रथम अधिवेशन के समय भा. म. संघ की सदस्य संख्या दो लाख 46 हजार थी, जो बढ़कर **चार लाख 65 हजार हो गई है।** भा. म. संघ प्रगति करता हुआ क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दिल्ली से बढ़ते हुए आज देश के सभी भागों में फैल चुका है। **असम की चाय बागान से लेकर सौराष्ट्र के तेल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन के मजदूरों तथा कश्मीर की केसर क्यारियों के मजदूरों से लेकर केरल के मछुआरों मजदूरों की यूनियनों तक भा. म. संघ का प्रवेश हुआ है।** उसी प्रकार पहले केवल वस्त्रोद्योग, चीनी, इंजीनियरिंग, रेलवे, प्रतिरक्षा विद्युत और खदान में ही भा.म. संघ का काम था। इसने ही विचारों पर आधारित बैंकों में संगठन खड़ा किया गया था। इसके उपरांत इस्पात, परिवहन, तेल व प्राकृतिक गैस, केमिकल्स, रियॉन, स्वायत्तशासी, शिक्षण संस्थान, न्यूज पेपर तथा सरकारी प्रेस जैसे उद्योगों के मजदूरों

ठाणे जनता सहकारी बैंक

'सेवा धाम' डॉ. मूसे रोड, लाल बाग ठाणे-400 602. दूरभाष : 5363538, 5366646, 5332161

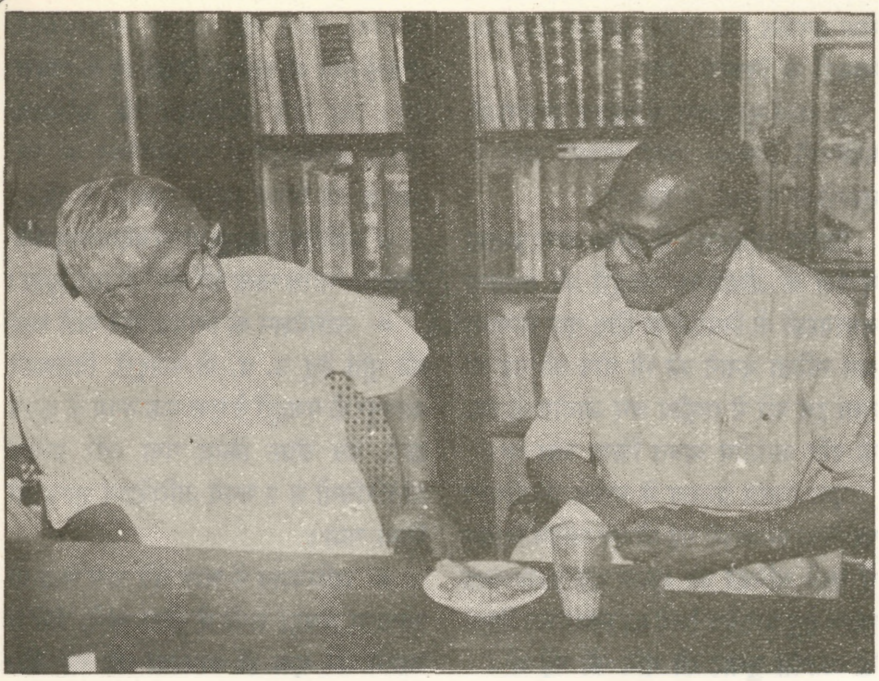

श्री ठेंगड़ी जी के साथ श्री सुनील कुमार चटर्जी

में भा. म. संघ का प्रभाव बढ़ा। प्रथम अधिवेशन के समय केवल दिल्ली और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में भा. म. संघ राज्यस्तरीय मान्यता थी। इस द्वितीय अधिवेशन तक और छह राज्यों में मान्यता मिल चुकी है। वे हैं—पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक।

अधिवेशन के एक सत्र में देश के सभी प्रदेशमंत्रियों ने अपने प्रदेश के कार्य का वृत्त क्षेत्रीय भाषा में दिया। यह एक अनोखी पद्धति थी। वक्ता की भाषा न समझते हुए भी एक ध्येयवाद से प्रेरित सभी प्रतिनिधियों ने उनके भाव को पूर्ण रूप से समझा।

प्रस्ताव

प्रत्यक्ष अधिवेशन के पूर्व 9-10 अप्रैल 1970 को प्रथम अधिवेशन में निर्वाचित केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक में अधिवेशन में पारित होने वाले प्रस्तावों पर चर्चा हुई एवं उस पर विचार-विमर्श किया गया था। चर्चा के बाद चार प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए। ये प्रस्ताव उद्योगों के स्वामित्व, श्रम न्यायालय, बंगाल की स्थिति और रेलवे से संबंधित थे।

उद्योगों के स्वामित्व के बारे में प्रथम प्रस्ताव में भारत सरकार से मांग की गई थी कि देश के औद्योगिक स्वामित्व के ढाँचे पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए जिससे निम्नांकित कार्यों के लिए कसौटी निर्धारण की जा सके—

1. (अ) निजी उद्योगों का सरकारीकरण

(ब) सरकारी सेवाओं या उद्योगों का आयोगों, न्यायाधिकरणों तथा मंडलों के अंतर्गत संबंधित विधायक मंडलों के प्रति उत्तरदायी गैर-सरकारी जनक्षेत्रीय एजेंसियों में बदलाव।

(स) संयुक्त उद्योगों व संयुक्त क्षेत्रों का

वोट क्लब पर विशाल रैली

जनसेवा बैंक लि.

हडपसर, पुणे-411 028. दूरभाष : 670481, 672036

प्रचलन

(द) सहकारीकरण, निगमीकरण, जनतंत्रीकरण तथा स्वनियोजनीकरण।

2. सभी क्षेत्रों के उद्योगों में श्रम का हिस्सों के रूप में मूल्यांकन करते हुए प्रगतिशील श्रमिकीकरण,

3. सभी प्रतिष्ठानों में व्यवस्थापिका का लोकतंत्रीकरण,

4. विदेशी बैंकों, विदेशी व्यापार का बीमा तथा मार्क्सवादी देशों से आयात-निर्यात व्यापार का शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रीयकरण,

5. निजी क्षेत्र के उद्योगों की आर्थिक रचना का विकेंद्रीकरण,

6. विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों का भारतीयकरण और केवल निम्न आय समूह के भारतीय नागरिकों को उनके हिस्से खरीदने का अवसर देते हुए उनके स्वामित्व का लोकतंत्रीकरण, तथा

7. विभिन्न क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन।

न्याय व्यवस्था में सुधार

दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव श्रम संबंधी मामलों को निपटारे के बारे में था।

इस प्रस्ताव द्वारा सर्वोच्य न्यायालय व देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से विनम्रतापूर्वक आग्रह किया गया था कि श्रम संबंधी मामलों के निपटारे के लिए पृथक पीठिकाओं की स्थापना की जाए। उस प्रस्ताव में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अविलंब श्रमिक मामलों के निपटारे के लिए आवश्यक कानूनी-प्रावधान पर भी जोर दिया गया था। उक्त प्रस्ताव में यह मत व्यक्त हुआ है कि सरकार को अविलंब निम्नांकित तीनों शाखाओं में विशेष दक्ष न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए।

1. सामूहिक मांगों के निपटारे,

2. अभिनिर्णयों, समझौते के परिणाम तथा सेवा समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि के वैयक्तिक मामलों के निपटारे, और

3. कार्य-मूल्यांकन, प्रोत्साहक योजनाओं, पदोन्नति, विलयन संबंधी विवादों आदि के तकनीकी मामलों के निपटारे।

द्वितीय अधिवेशन में पारित अन्य प्रस्ताव में देश के औद्योगिक मजदूरों की सामान्य समस्याओं के निपटारे के लिए एक सामान्य श्रम संहिता बनाने की भी मांग की गई थी तथा इस बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग के रुख के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया था।

एक स्वतंत्र प्रस्ताव में बंगाल की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई थी एवं अंतिम प्रस्ताव में रेलवे श्रमिकों की क्षमता एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु भारतीय रेलवे का स्वशासित निगम के अंतर्गत सुधार की मांग की गई थी।

नए पदाधिकारी

प्रतिनिधि सभा ने 1970-72 के लिए एक राष्ट्रीय कार्यसमिति का चयन किया। जिनका स्वरूप निम्न था—

अध्यक्ष : श्री बी. के. मुखर्जी, उपाध्यक्ष : 1. रामाशंकर सिंह, 2. गजाननराव गोखले, 3. वी. पी. जोशी महामंत्री : श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी, मंत्री : राम नरेश सिंह, 2. ओमप्रकाश अग्घी, 3. प्रभाकर घाटे, कोषाध्यक्ष : मनहर भाई मेहता

इनके अतिरिक्त सभी प्रदेशों व अ. भा. महासंघों के महामंत्री राष्ट्रीय कार्यसमिति के पदेन सदस्य भी चुने गए थे।

खुला अधिवेशन

12 अप्रैल की सायंकाल 5 बजे परैड मैदान में एक खुला अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें सर्वश्री रामनेरश सिंह, कानपुर (उ.प्र), अमलदार सिंह, मुंबई (महाराष्ट्र), एस् कृष्णैया, बेंगलूर (कर्नाटक), ओम प्रकाश अग्घी, लुधियाना (पंजाब), नरेश चंद्र गांगुली, कलकत्ता (पं. बंगाल) तथा श्री दंतोपत्त ठेंगड़ी जी के भाषण हुए। उस खुले अधिवेशन की अध्यक्षता द्वितीय अधिवेशन के नवनिर्वाचित अ. भा. अध्यक्ष श्री विनय कुमार मुखर्जी ने की।

- अधिवेशन का शुभारंभ वंदेमातरम् और समापन 'भारत माता की जय' के साथ हुआ।
- अधिवेशन के निमित्त होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उ. प्र. के मजदूरों, विशेषकर कानपुर के मजदूरों से एक-एक रुपये के कूपन द्वारा धन संग्रह किया गया और प्रत्येक प्रतिनिधियों से 7 रुपये अधिवेशन शुल्क भी लिया गया।
- अधिवेशन में भाग लेने वाले नेता या सामान्य मजदूर सभी के लिए खाने, पीने व ठहरने की एक ही व्यवस्था की गई थी। वयोवृद्ध निवर्तमान अ. भा. अध्यक्ष दादा साहेब कांबले, नवनिर्वाचित अध्यक्ष दादा मुखर्जी, मंहामंत्री दत्तोपंत ठेंगड़ी तथा सांसद रामस्वरूप विद्यार्थी और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता वी. पी. जोशी से प्रतिनिधियों के साथ उन्हीं पंडालों में 48 घंटे का अधिवेशन सफल बनाया।
- प्रतिनिधि पंडाल को लगभग 100 घण्टों सजाया गया था। उन पटों पर व्यंग्यचित्र, ध्येय वाक्य, सिद्धांत व नीति तथा मजदूर और औद्योगिक जगत की जानकारी देने वाले आंकड़ों को उल्लिखित व चित्रित किया गया था।
- अधिवेशन में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के थे। उसके बाद क्रमशः दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र तथा बंगाल के प्रतिनिधियों की संख्या थी।

एच.वी. सेल्स एंड सर्विस
भास्कर सेल्स, भागीरथी बलवंत, शिवाजी रोड, 370, शुक्रवार पेठ, पुणे-411002,
दूरभाष : 478437, 471399, 476901

उद्‌बोधन

आज अपने ही लोग स्वयं की बुद्धि व प्रतिभा का उपयोग न कर दूसरों की नकल कर रहे हैं; रूस और अमरीका आदि विदेशों से विचार व धन ले रहे हैं। अपने पर उसे भरोसा है, विश्वास है, इसीलिए इस संस्था से मेरी आत्मीयता है।

हमारे यहाँ का दृष्टिकोण ही है—मनुष्य को ऊँचा उठाना, नर से नारायण बनाना, मजदूरों के हित के साथ ही संसार का भी हित साधन करना।

रूस ने यह विचार रखा कि हर एक आदमी से जितना काम लिया जा सकता है, लिया जाएगा और जितनी जिसकी आवश्यकता होगी, पूरी की जाएगी। परिणाम यह निकला कि संगीनों के बल पर जोर जबरर्दस्ती करके, यातनाएं देकर काम लिया जाने लगा।

हमारे यहाँ श्रम की महत्ता बतलाई गई है। कर्म ही पूजा है—ऐसा कहा गया है। अधिक से अधिक काम करना और कम से कम उपभोग करने को अपने यहां कहा गया है।

बाहर से विदेशों से कुछ अच्छी बातें लेना गलत नहीं है, आवश्यक होगा तो उसे भी लेंगे, पर अपनी दृष्टि से बनाकर उसे लेंगे। जिसमें व्यक्तिगत लाभ, पर राष्ट्रीयता का अभाव है, वह हमें नहीं चाहिए। जनतंत्र का अर्थ अनुशासनहीनता नहीं है न अनुशासन का अर्थ जनतंत्र का अभाव है। अनुशासन और जनतंत्र दोनों का तारतम्य बिठाकर हमें चलना है।

सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों के लिए 'व्यवहार' बड़े ही महत्व का अंश है। दूसरों की बातें सुनें, उसके विचार सुनें, खुले मस्तिष्क से सभी बातों को सोचने की गुंजाइश रखें। शब्दों का बड़ा भारी स्थान है। शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करें।

'कार्यकर्ता' का अर्थ है—सहयोगी को कार्य में लगाना। अकेले ही सब करना—यह कार्यकर्ता का लक्षण नहीं है। श्रेष्ठ नेतृत्व के लक्षण यही हैं कि सबको उसके गुण व सामर्थ्य के अनुसार योग्य दिशा में लगा देना।

हर कार्य के अंदर 'सिद्धांतवाद', 'ध्येयवाद' की आवश्यकता है। साधन जुटाने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं पर उससे जीवट पैदा होता है। सुविधाओं से संगठन गिरता है, ध्येयवाद नष्ट होता है।

'ध्येयवाद' को लेकर चलने वाले संगठन को कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकती। वास्तव में कठिनाइयों के बीच चलने वाले संगठन ही निश्चित रूप से सफल होते हैं। आपके संगठन की सफलता का यही रहस्य है।

—प्रो. राजेन्द्र सिंह (माननीय रज्जू भैया)

भा.म. संघ की शैशवावस्था

पंजाब में मार्क्सवादियों ने अपना पैर मजबूती से जमाते हुए करीब सभी औद्योगिक इकाइयों में लाल झंडा यूनियन स्थापित कर लिया था। 1962 में जब भारतीय उत्तर-पूर्व सीमाओं पर चीन ने आक्रमण किया तब इनकी राष्ट्रविरोधी गति-विधियाँ बढ़ गई थीं। मार्क्सवादी चीनी आक्रमणकारियों को मुक्तिदाता कहते थे। उस समय पूरे पंजाब में भारतीय मजदूर संघ की कुल 10 यूनियनें थीं। भा. म. संघ शैशवावस्था में था। फिर भी अपना दायित्व समझकर इस विकट परिस्थिति को चुनौती मानते हुए, हर बड़ी औद्योगिक इकाइयों के द्वार पर एवं मजदूर बस्तियों में प्रचार सभाओं का ताँता बाँध दिया। और मार्क्सवादियों के देश-विरोधी हथकंडो के बारे में मजदूर जगत को सजग करते हुए राष्ट्र की रक्षा हेतु हर मालिक को भामाशाह और मजदूर को राणा प्रताप बनने का आह्वान किया। परिणामस्वरूप मार्क्सवादी की जड़ें हिल उठीं। इस प्रकार मजदूरों में राष्ट्रीय-चेतना का उदय हुआ।

जनता सहकारी बैंक लि., पुणे

प्रधान कार्यालय—1444, शुक्रवार पेठ, बाजीराव रोड, पुणे-411002. दूरभाष : 453258, 453259

प्रगति-पथ पर

भारतीय मजदूर संघ

असम

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, बानीपाड़ा, सिलचर 788001 फोन (0382) 20786

महामंत्री : श्री सोमेश बिश्वास

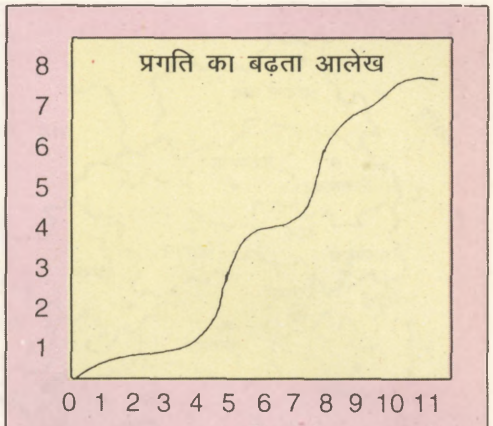

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	1	2,000
दूसरा	अप्रैल 1970	6	5,000
तीसरा	मई 1972	12	7,480
चौथा	अप्रैल 1975	14	9500
पांचवा	अप्रैल 1979	10	45,252
छठा	मार्च 1981	12	70112
सातवां	जनवरी 1984	16	71,254
आठवां	दिसम्बर 1987	20	1,04,585
नवां	फरवरी 1991	18	1,11,356
दसवां	मार्च 1994	26	1,27,140
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	30	1,28,285

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

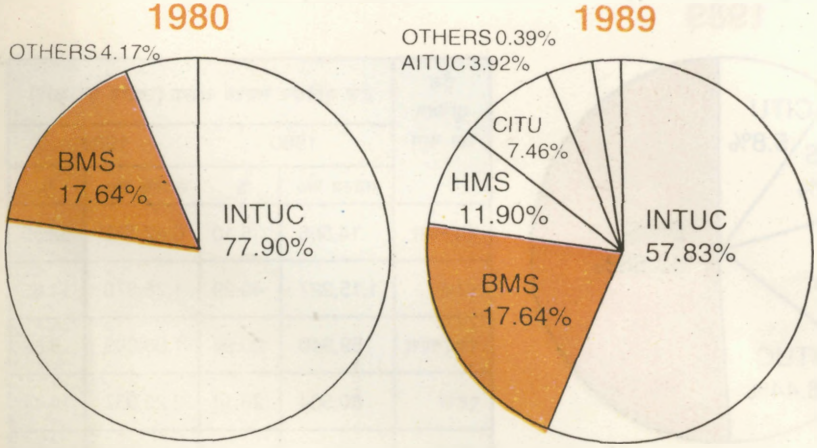

अपनी सदस्य संख्या बढ़ाते हुए 1980 से 1989 तक भारतीय मजदूर संघ ने अपनी दूसरे क्रमांक की स्थिति कायम रखी है।

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	49,280	17.64	75,080	18.50
इंटक	2,17,641	77.90	234,713	57.83
एचएमएस	6,031	2.16	48,306	11.90
एटक	2,142	0.79	15,901	3.92
सीटू	3,485	1.24	30,263	7.64
अन्य	813	0.29	1,593	0.39
कुल	2,79,392	100	4.058.56	100

आंध्र प्रदेश

कार्यालय : 1-8-565/5, आर.टी.सी. 'क्रास' रोड़, हैदराबाद-500 020 फोन : (040) 661414

अध्यक्ष : श्री ए.वि. सावशिव राव, एडवोकेट महामंत्री : श्री के. लक्ष्मा रेड्डि

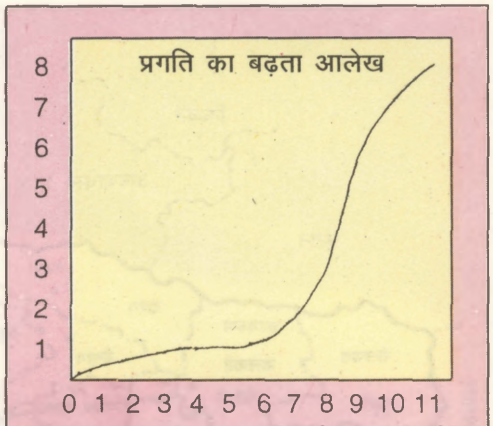

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	10	12,000
दूसरा	अप्रैल 1970	31	30,000
तीसरा	मई 1972	38	37,210
चौथा	अप्रैल 1975	57	38,000
पांचवा	अप्रैल 1979	75	47,000
छठा	मार्च 1981	74	53,212
सातवां	जनवरी 1984	150	1,10,500
आठवां	दिसम्बर 1987	235	249,294
नवां	फरवरी 1991	275	574,071
दसवां	मार्च 1994	346	669,256
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	345	799,768

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

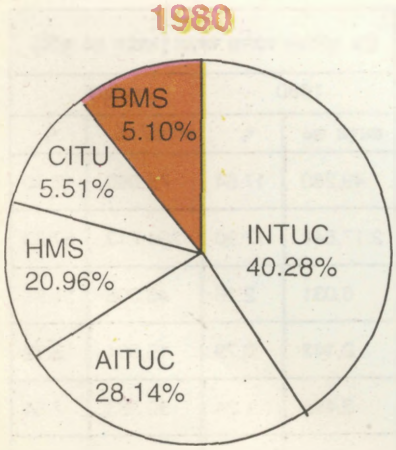

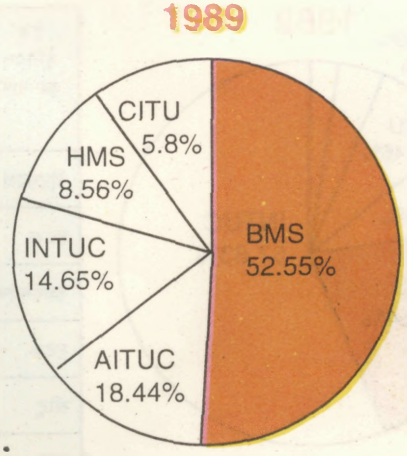

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	14,565	5.10	6,42,371	52.55
इंटक	1,15,227	40.29	1,78,876	14.65
एचएमएस	59,940	20.96	1,05,003	8.56
एटक	80,504	28.14	2,25,937	18.44
सीटू	15,789	5.51	70,882	5.80
कुल	2,86,025	100	12,23,069	100

1980 में भारतीय मजदूर संघ सबसे कमजोर यूनियन थी। 1989 में, केवल नौ वर्ष बाद, वह राज्य की सबसे बड़ी और शक्तिशाली यूनियन बनी है।

उत्तर प्रदेश

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, 2, नवीन मार्केट, परेड, कानपुर 208001 फोन (0512) 319883

अध्यक्ष : श्री गजेंद्रपाल शर्मा महामंत्री : श्री देवनाथ सिंह

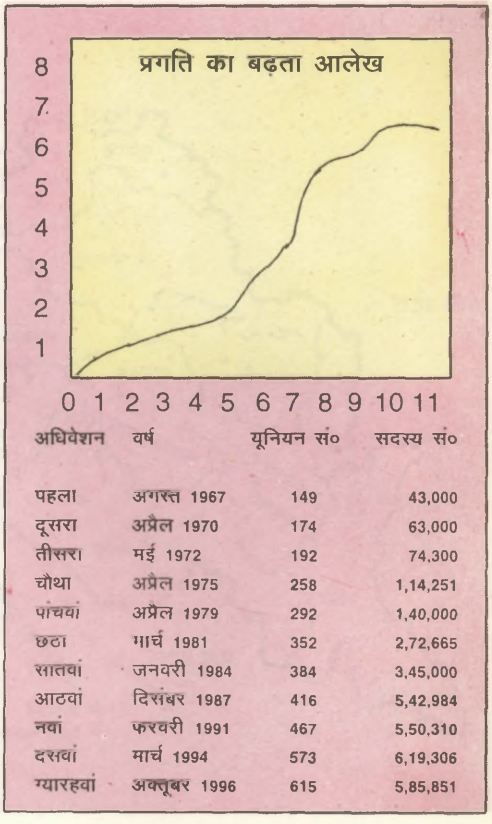

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	149	43,000
दूसरा	अप्रैल 1970	174	63,000
तीसरा	मई 1972	192	74,300
चौथा	अप्रैल 1975	258	1,14,251
पांचवां	अप्रैल 1979	292	1,40,000
छठा	मार्च 1981	352	2,72,665
सातवां	जनवरी 1984	384	3,45,000
आठवां	दिसंबर 1987	416	5,42,984
नवां	फरवरी 1991	467	5,50,310
दसवां	मार्च 1994	573	6,19,306
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	615	5,85,851

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

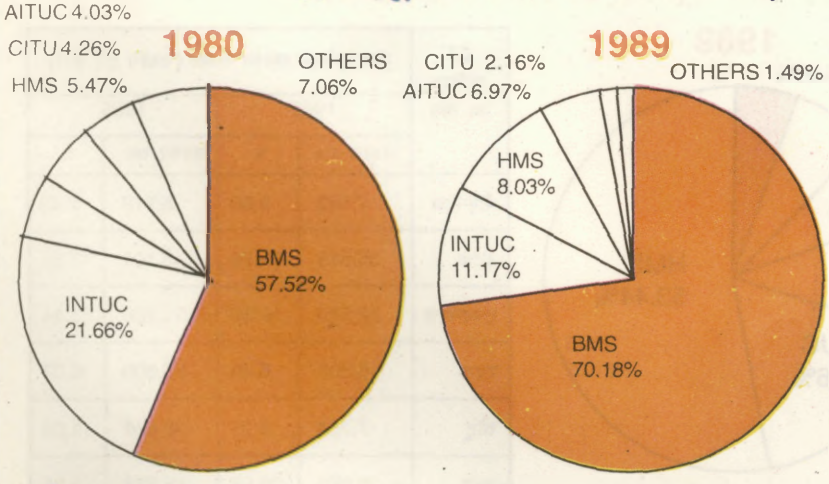

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	2,60,984	52.52	4,50,826	70.18
इंटक	98,288	21.66	71,786	11.17
एचएमएस	24,860	5.47	51,575	8.03
एटक	18,282	4.03	44,742	6.97
सीटू	19,358	4.26	13,848	2.16
अन्य	31,909	7.06	9,611	1.49
कुल	4,53,681	100	6,42,388	100

स्व० बड़े भाई श्री राम नरेश सिंह के अथक प्रयास का द्योतक है उत्तर प्रदेश पर प्रारंभ से ही बैठी हुई भारतीय मजदूर संघ की जबरदस्त पकड़।

ओड़िशा

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, जौनलिया पट्टी, कटक 753 009 फोन (0671) 616644

अध्यक्ष : श्री परमानंद मिश्र महामंत्री : श्री युधिष्ठिर महाराणा

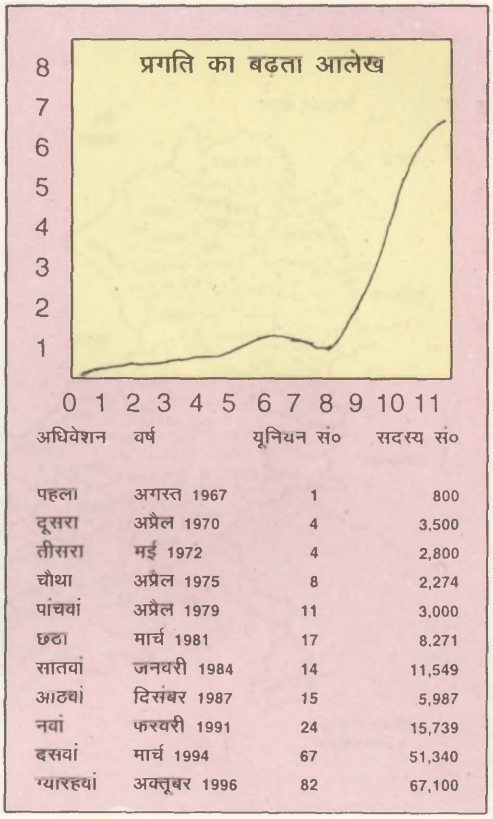

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	1	800
दूसरा	अप्रैल 1970	4	3,500
तीसरा	मई 1972	4	2,800
चौथा	अप्रैल 1975	8	2,274
पांचवां	अप्रैल 1979	11	3,000
छठा	मार्च 1981	17	8,271
सातवां	जनवरी 1984	14	11,549
आठवां	दिसंबर 1987	15	5,987
नवां	फरवरी 1991	24	15,739
दसवां	मार्च 1994	67	51,340
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	82	67,100

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

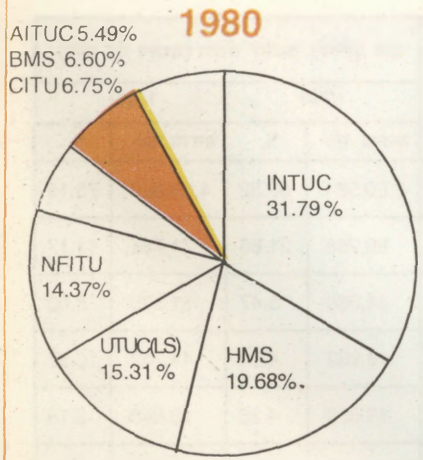

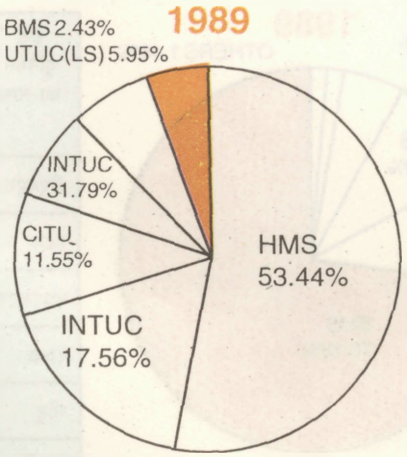

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	7,583	6.60	6,218	2.43
इंटक	36,515	31.79	45.101	17.56
एचएमएस	22,619	19.69	1,37,256	53.44
एटक	6,305	5.49	23,300	9.07
सीटू	7,754	6.75	29,674	11.55
अन्य	34,079	29.68	15,273	5.95
कुल	1,14,855	100	2,56,822	100

यह गर्व की बात है कि 1995 की स्थिति के अनुसार अब सदस्य संख्या में दस गुना वृद्धि होकर वह 67100 तक पहुंच गई है।

कर्नाटक

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, सुबेदार छत्रम् रोड, गांधीनगर, बंगलूर 560 009 फोन (080) 2871703

अध्यक्ष : श्री आलमपल्ली वेंकटराम महामंत्री : श्री सदाशिव डी.के.

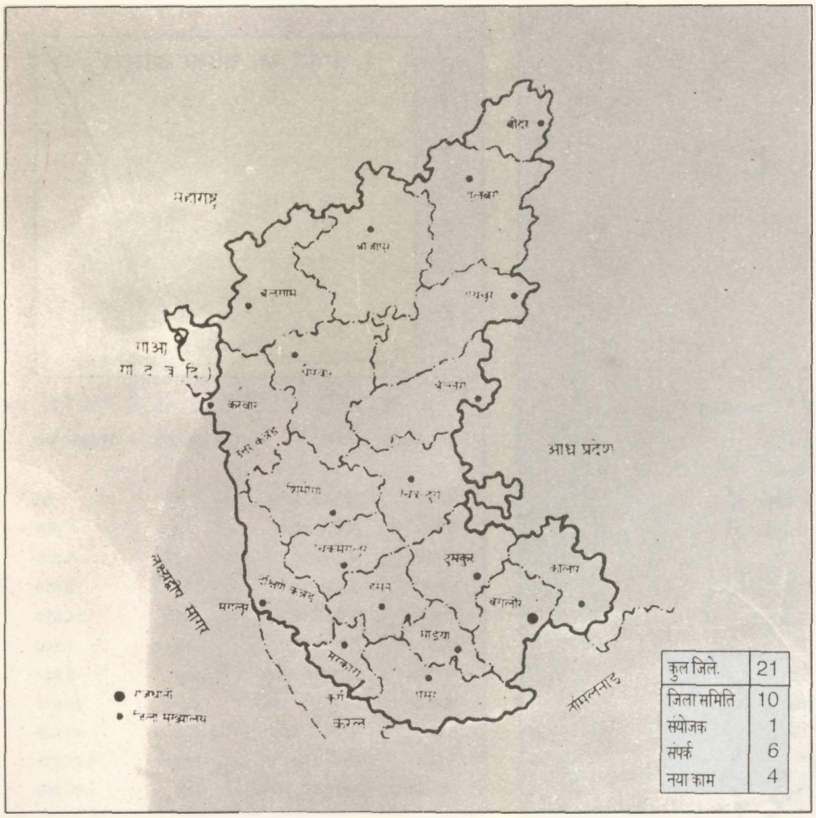

कुल जिले	21
जिला समिति	10
संयोजक	1
संपर्क	6
नया काम	4

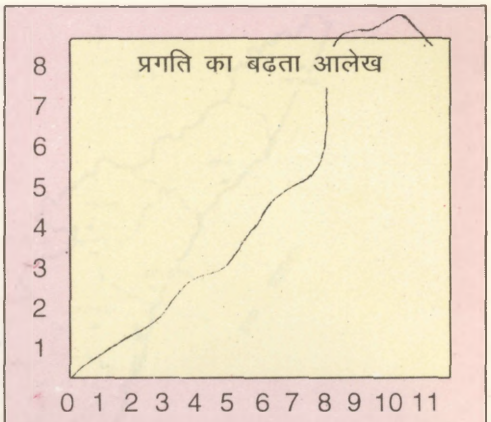

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	20	6,000
दूसरा	अप्रैल 1970	32	10,000
तीसरा	मई 1972	47	14.820
चौथा	अप्रैल 1975	77	25,630
पांचवां	अप्रैल 1979	63	26,000
छठा	मार्च 1981	81	42,128
सातवां	जनवरी 1984	92	50.000
आठवां	दिसम्बर 1987	108	90.030
नवां	फरवरी 1991	118	92,118
दसवां	मार्च 1994	132	97.110
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	104	89,000

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

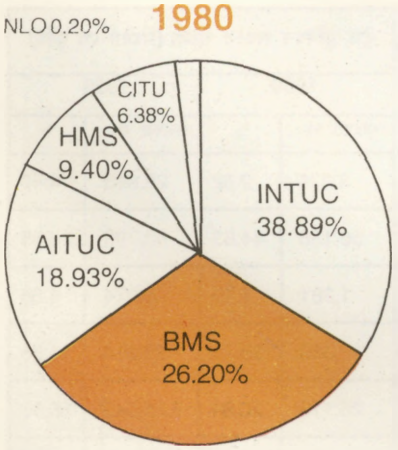

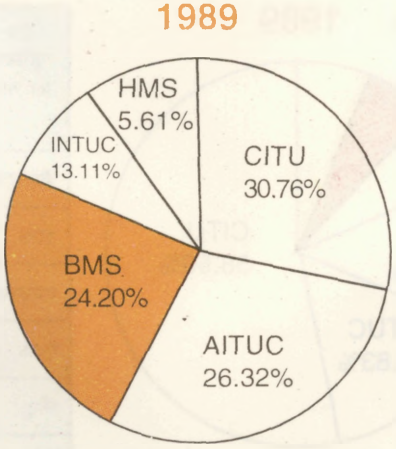

कर्नाटक में यह आश्चर्य की बात यह है की कामगारों की कुल सदस्य संख्या नौ साल में बढ़ने की बजाय घट गई है।

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	37,697	26.20	28,085	24.20
इंटक	55,960	38.89	15.218	13.14
एचएमएस	13,522	9.40	6,504	5.61
एटक	27,251	18.93	30,564	26.32
सीटू	9.194	6.38	35,711	30.76
अन्य	289	0.20	-	-
कुल	1.43.913	100	1,16,082	100

केरल

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, 44/1451, पेरनादूर रोड, कलूर, कोची 682 017 फोन (0484) 370 525 370 526

अध्यक्ष : श्री सी.के. साजिनारायनण महामंत्री : श्री के.एस. भट

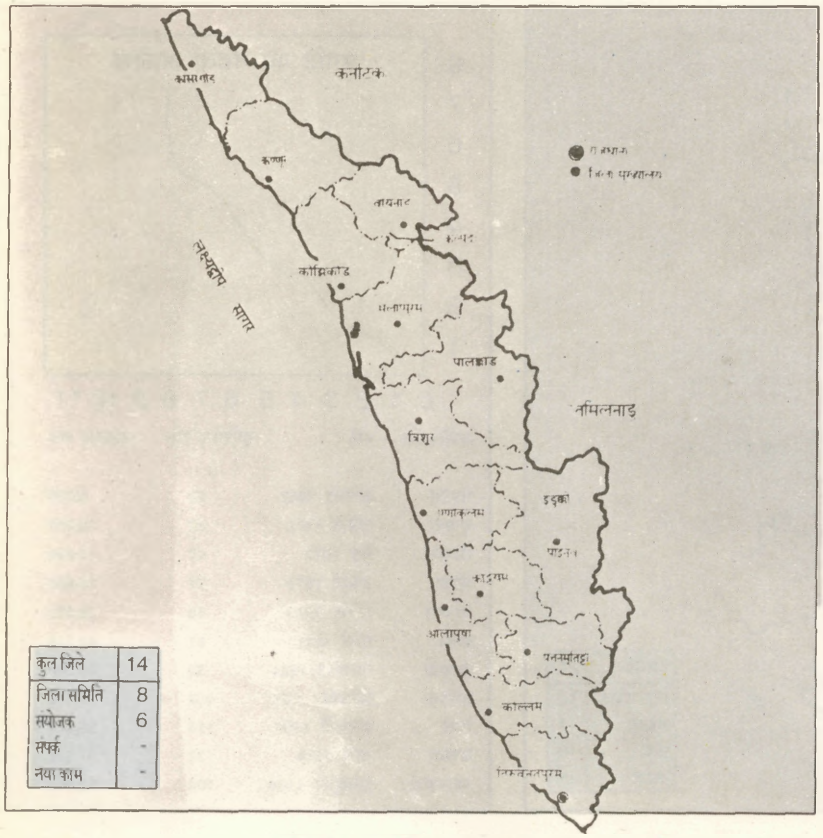

कुल जिले	14
जिला समिति	8
संयोजक	6
संपर्क	-
नया काम	-

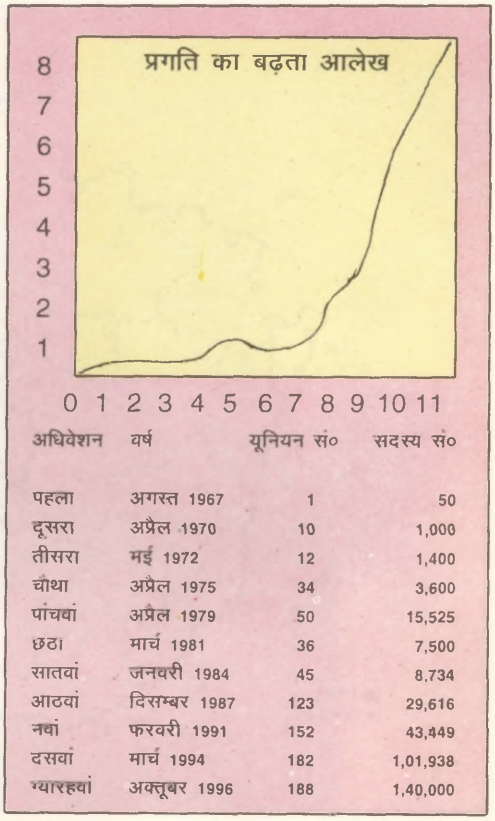

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	1	50
दूसरा	अप्रैल 1970	10	1,000
तीसरा	मई 1972	12	1,400
चौथा	अप्रैल 1975	34	3,600
पांचवां	अप्रैल 1979	50	15,525
छठा	मार्च 1981	36	7,500
सातवां	जनवरी 1984	45	8,734
आठवां	दिसम्बर 1987	123	29,616
नवां	फरवरी 1991	152	43,449
दसवां	मार्च 1994	182	1,01,938
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	188	1,40,000

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

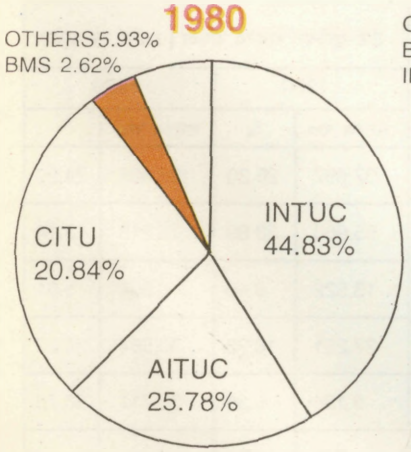

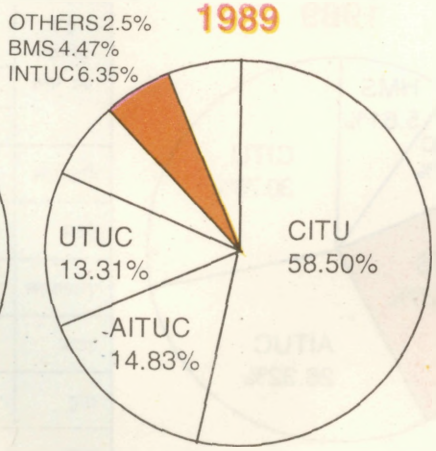

कम्युनिस्टों की पकड़ वाले इस राज्य में भारतीय मजदूर संघ की सदस्य संख्या नौ गुना बढ़ना सामान्य बात नहीं।

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	3,276	2.62	28,618	4.47
इंटक	56,186	44.83	40.796	6.35
एचएमएस	1,381	1.10	5,674	6.88
एटक	32,310	25.78	95.214	14.83
सीटू	26,118	20.84	3,75,543	58.50
अन्य	6049	4.83	96111	14.97
कुल	1,25.320	100	6,41,939	100

गुजरात

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, जे.पी. चौक, खानपुर, कर्णावति (अहमदाबाद) 380 001 फोन (079) 5501816

अध्यक्ष : श्री बाबुभाई एन. कोटिया महामंत्री : श्री एकनाथ वी. अंकोलकर

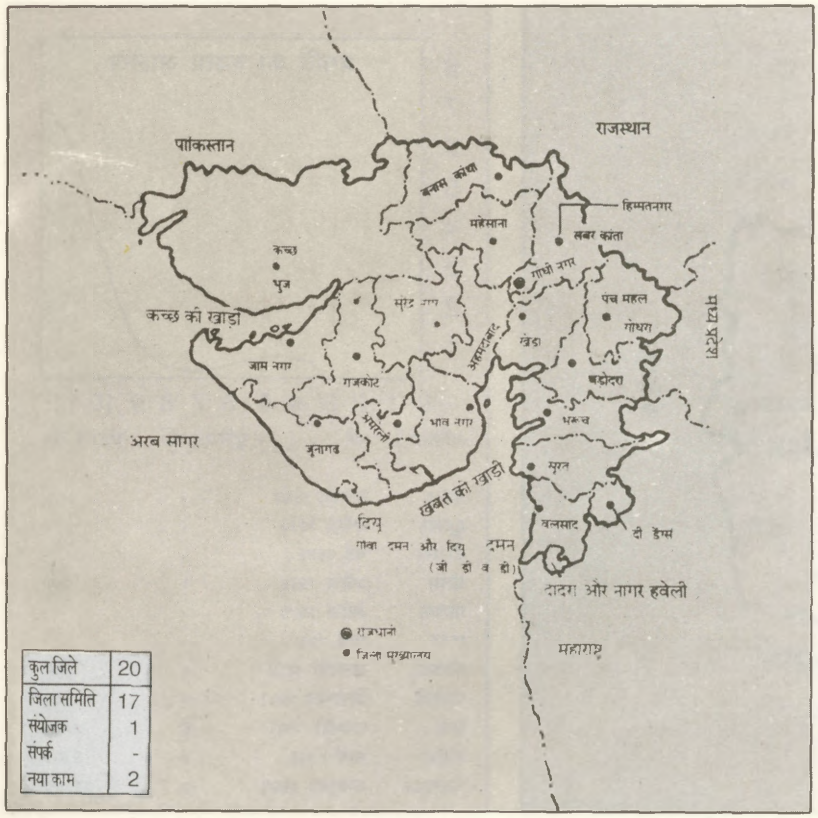

कुल जिले	20
जिला समिति	17
संयोजक	1
संपर्क	-
नया काम	2

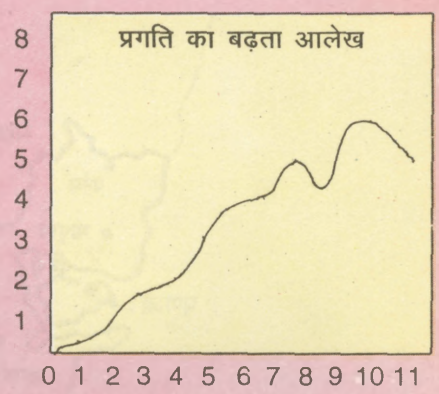

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	13	1,000
दूसरा	अप्रैल 1970	14	5,000
तीसरा	मई 1972	18	7,360
चौथा	अप्रैल 1975	22	10,751
पांचवा	अप्रैल 1979	28	15,500
छठा	मार्च 1981	37	18,000
सातवां	जनवरी 1984	38	20,000
आठवां	दिसम्बर 1987	66	24,762
नवां	फरवरी 1991	80	20,216
दसवां	मार्च 1994	113	31,190
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	116	23,506

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

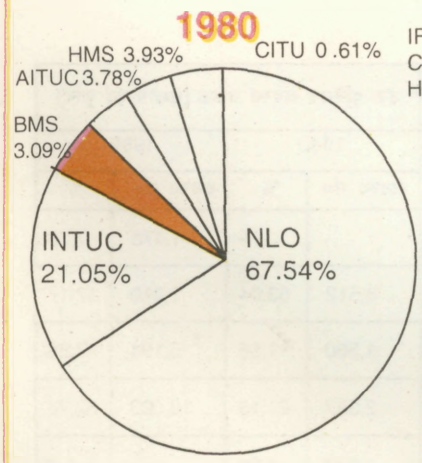

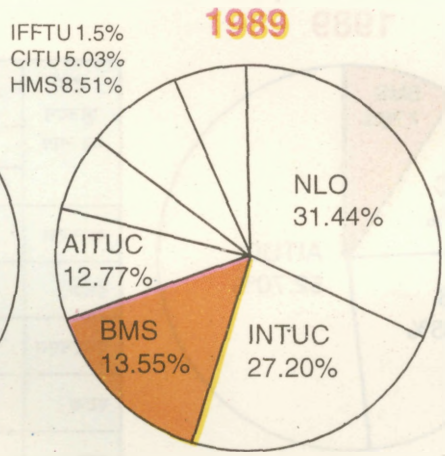

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	10436	3..09	22,743	13.55
इंटक	71,272	21.05	45,618	27.20
एचएमएस	13,296	3.93	14,274	8.51
एटक	12,815	3.78	21,418	12..77
सीटू	2,078	0.61	8,440	5.03
एनएलओ	2,28,687	67.54	52,715	31.44
अन्य	-	-	2,515	1.50
कुल	3,38,584	100	1,67,723	100

गुजरात में भारतीय मजदूर संघ का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। तथापि अभी उसका अस्तित्व प्रत्ययकारी नहीं।

गोमंतक (गोवा)

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, कामाक्षी कृपा, खडपाबांद, पोंडा फोन (0832) 312422

अध्यक्ष : श्री पी. गांवकर

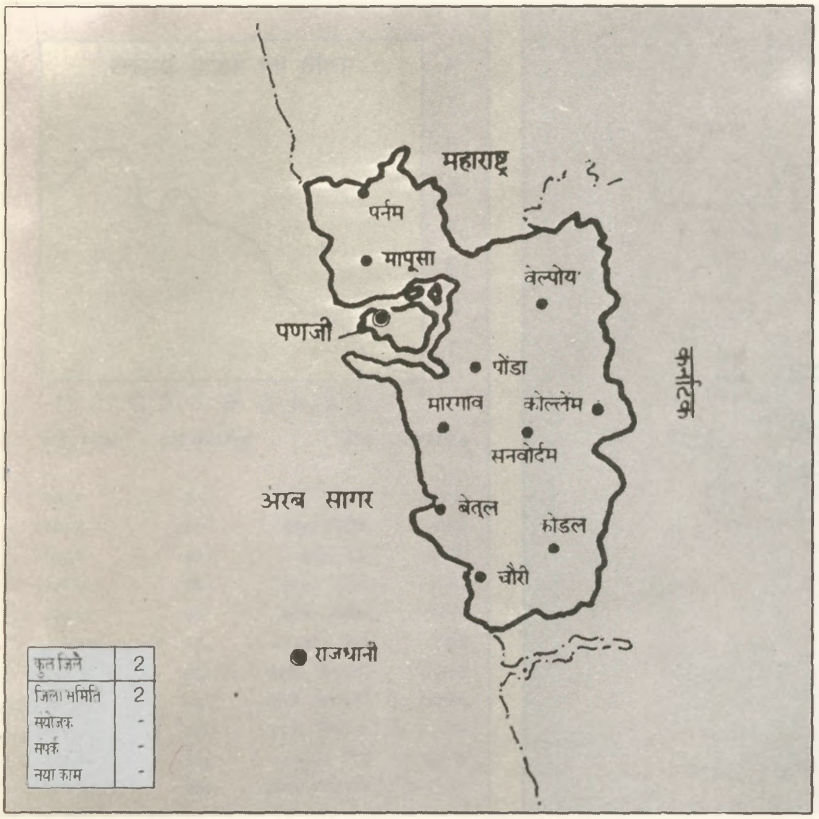

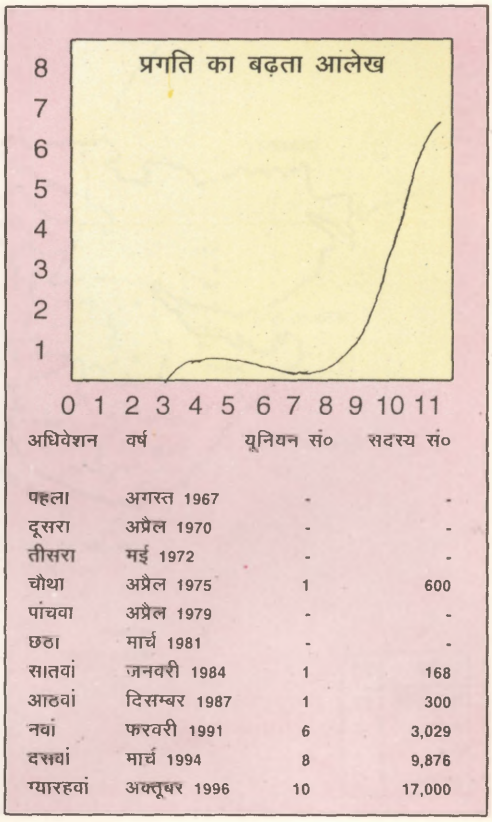

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	-	-
दूसरा	अप्रैल 1970	-	-
तीसरा	मई 1972	-	-
चौथा	अप्रैल 1975	1	600
पांचवा	अप्रैल 1979	-	-
छठा	मार्च 1981	-	-
सातवां	जनवरी 1984	1	168
आठवां	दिसम्बर 1987	1	300
नवां	फरवरी 1991	6	3,029
दसवां	मार्च 1994	8	9,876
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	10	17,000

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

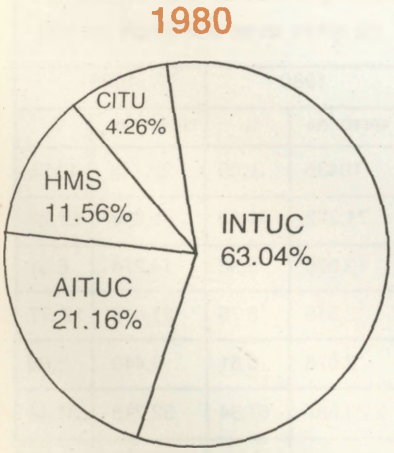

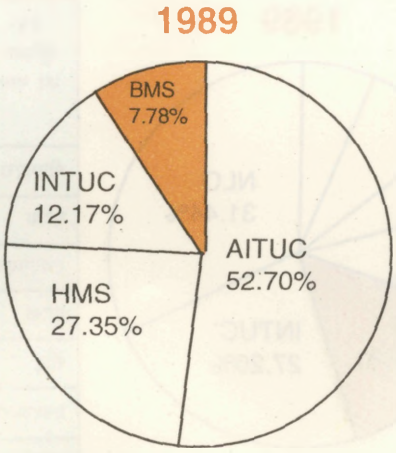

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	-	-	1.475	7.78
इंटक	8,512	63.04	2,310	12.17
एचएमएस	1,560	11.56	5,191	27.35
एटक	2,587	21.16	10,003	52.70
सीटू	573	4.24	-	-
कुल	13,502	100	18979	100

गोमंतक में भारतीय मजदूर संघ का कार्य विगत दशक में ही शुरू हुआ लेकिन तुरंत ही उसने राष्ट्रवादी श्रमिकों के दिल में स्थान जमा लिया है।

चंडीगढ़

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, 118-A, सेक्टर-30, चंडीगढ़

अध्यक्ष : श्री राम स्वरूप मित्तल महामंत्री : श्री सुभाष चंद्र तलवार

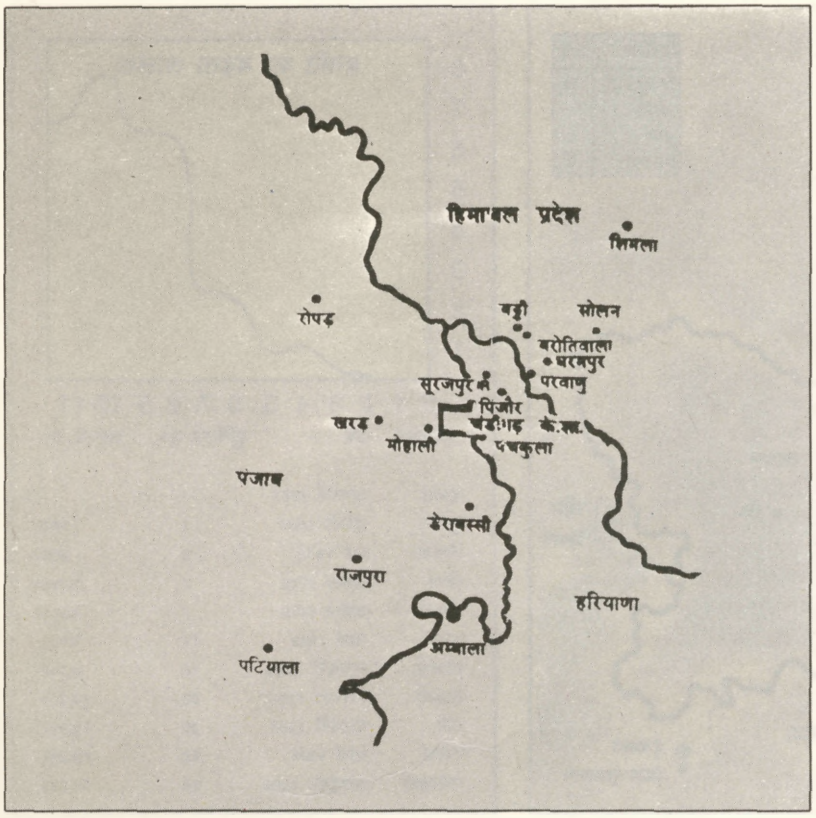

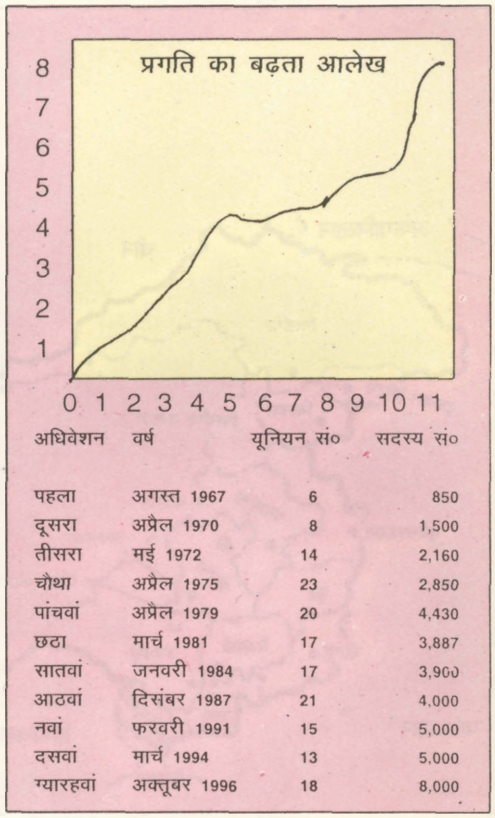

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	6	850
दूसरा	अप्रैल 1970	8	1,500
तीसरा	मई 1972	14	2,160
चौथा	अप्रैल 1975	23	2,850
पांचवां	अप्रैल 1979	20	4,430
छठा	मार्च 1981	17	3,887
सातवां	जनवरी 1984	17	3,900
आठवां	दिसंबर 1987	21	4,000
नवां	फरवरी 1991	15	5,000
दसवां	मार्च 1994	13	5,000
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	18	8,000

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

1980

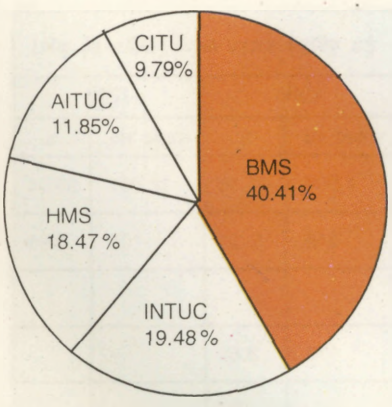

1989

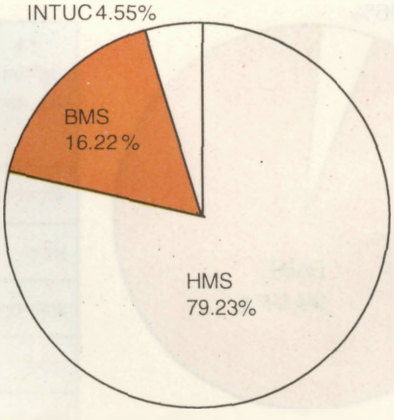

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	2,746	40.41	2,433	16.22
इंटक	1.324	19.48	682	4.55
एचएमएस	1,255	18.47	11,888	79.23
एटक	805	11.85	-	-
सीटू	665	9.79	-	-
कुल	6,795	100	15,003	100

चंडीगढ़ में काम जोर पकड़ रहा है और 1995 में सदस्य संख्या 8000 तक पहुँच चुकी है।

जम्मू-कश्मीर

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, म्युनिसिपल फ्लैट नं. 2, परेड, जम्मू 180 001 फोन (0191) 43948 546441

अध्यक्ष : श्री वेद प्रकाश ऐरी महामंत्री : श्री नंद किशोर गुप्ता

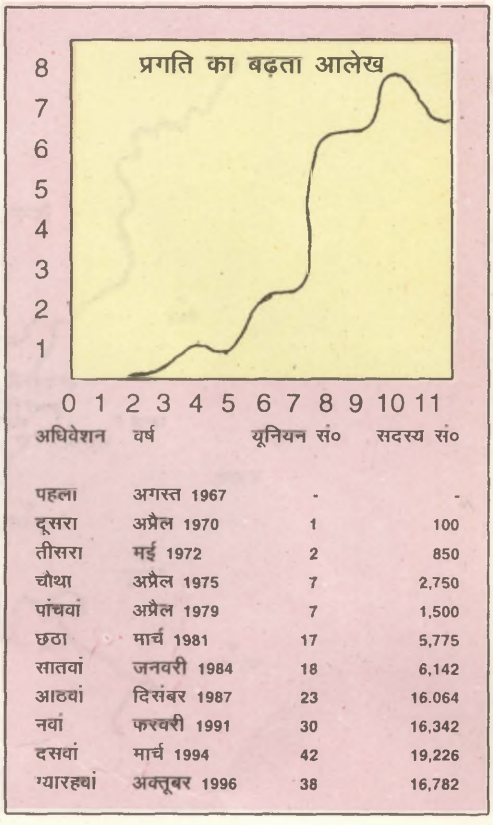

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

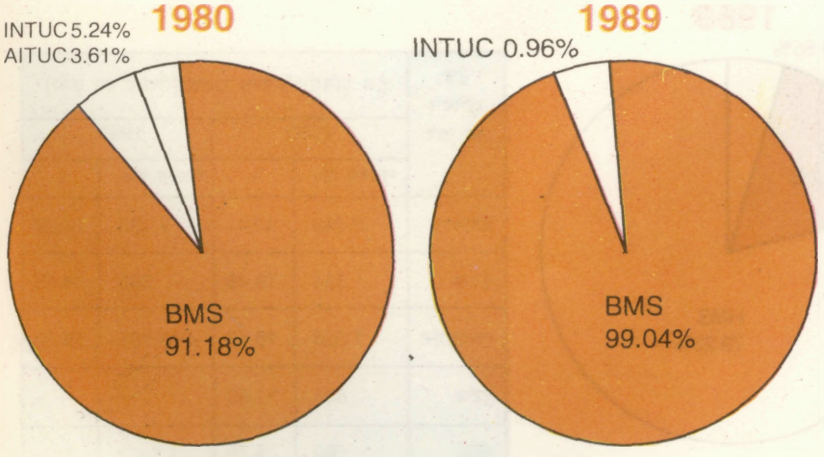

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	4,364	91.18	10,861	99.04
इंटक	246	5. 21	105	0.96
एचएमएस	-	-	-	
एटक	173	3.61	-	-
सीटू	-	-	-	-
कुल	4,786	100	10,966	100

जम्मू एवं कश्मीर के कामगार जगत में अस्तित्व है तो केवल भारतीय मजदूर संघ का। बाकी सारे संगठन कागज पर भी नहीं हैं।

तमिलनाडु

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, 2/1, देवराजलू नायडू मार्ग, आयनावरम, चेन्नई(मद्रास) 600023 फोन (044) 610735

अध्यक्ष : श्री आर. श्रीनिवासन महामंत्री : श्री बी. राजगोपाल

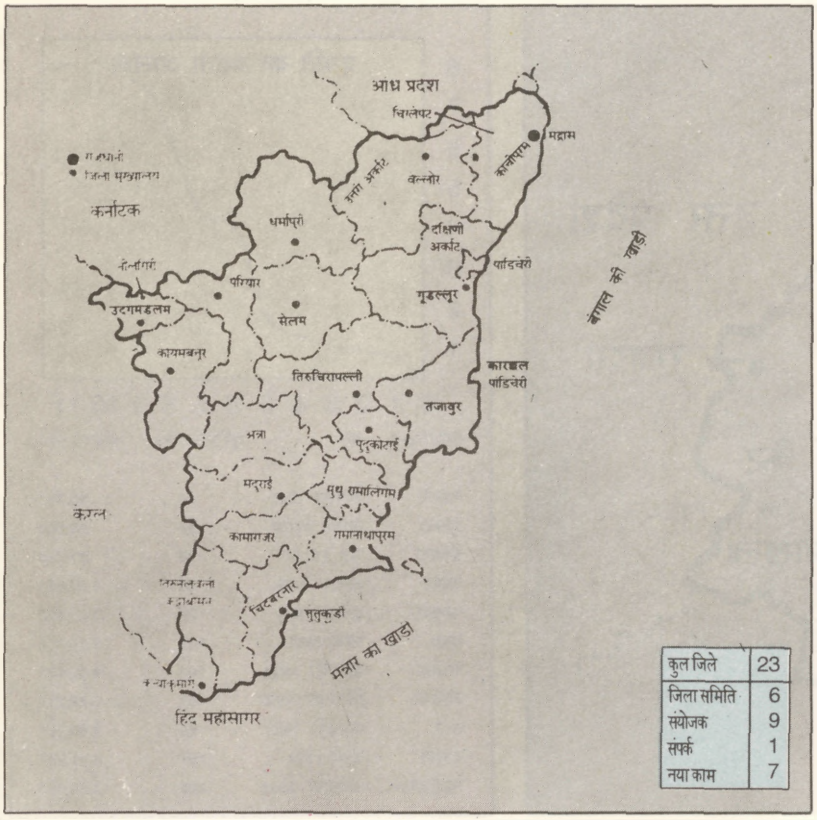

कुल जिले	23
जिला समिति	6
संयोजक	9
संपर्क	1
नया काम	7

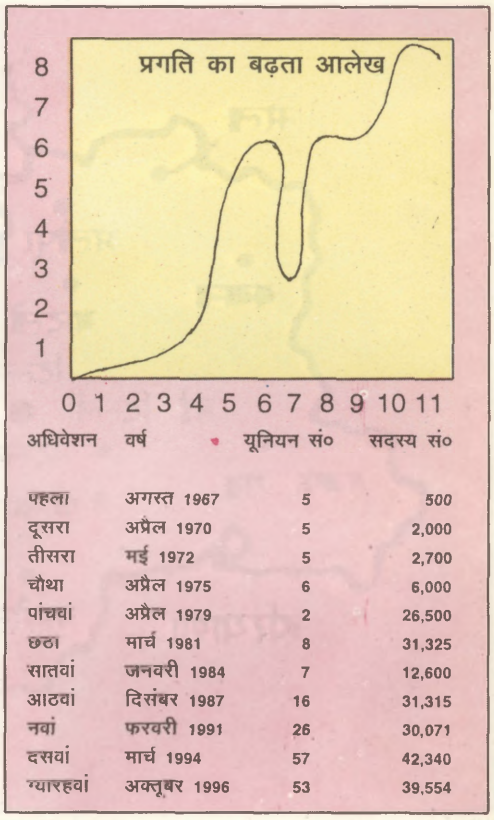

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	5	500
दूसरा	अप्रैल 1970	5	2,000
तीसरा	मई 1972	5	2,700
चौथा	अप्रैल 1975	6	6,000
पांचवां	अप्रैल 1979	2	26,500
छठा	मार्च 1981	8	31,325
सातवां	जनवरी 1984	7	12,600
आठवां	दिसंबर 1987	16	31,315
नवां	फरवरी 1991	26	30,071
दसवां	मार्च 1994	57	42,340
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	53	39,554

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

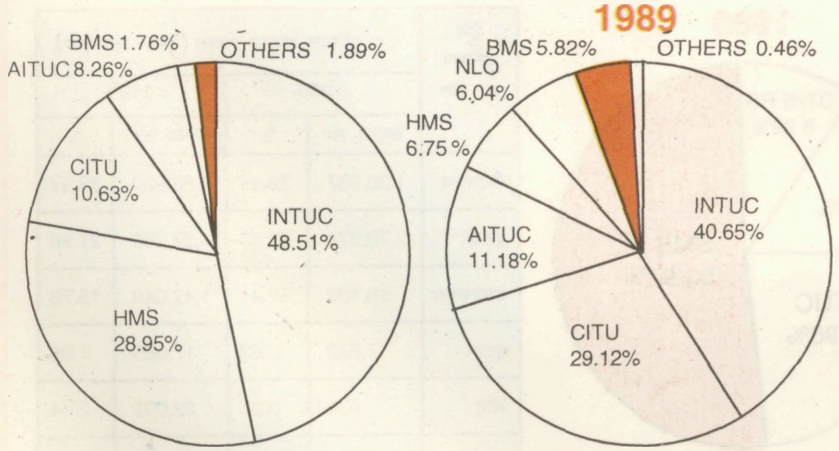

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	5,710	1.76	26,542	5.82
इंटक	1,57,808	48.51	1,85,431	40.65
एचएमएस	94,183	28.95	30,754	6.75
एटक	28,867	8.29	50,985	11.18
सीटू	34,588	10.63	1,32,778	29.12
अन्य	6,144	1.89	29.566	6.48
कुल	3,25,300	100	4,55,906	100

तमिलनाडु में भी भारतीय मजदूर संघ का काम जोर पकड़ रहा है। उसकी सदस्य संख्या अब 40,000 की सीमा पार कर चुकी है।

दिल्ली

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, 5239, अजमेरी गेट, दिल्ली 110006 फोन (011) 521313

अध्यक्ष : श्री अमर नाथ डोगरा महामंत्री : श्री राजेन्द्र सिंह चौहान

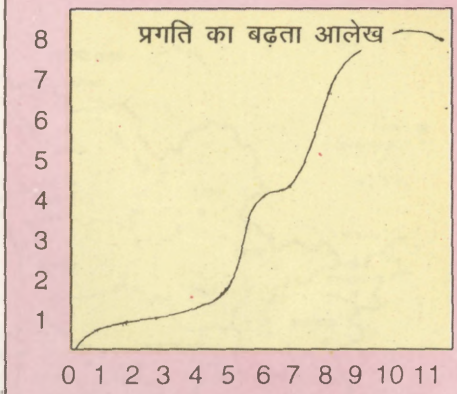

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	40	45,143
दूसरा	अप्रैल 1970	55	60,000
तीसरा	मई 1972	78	81,750
चौथा	अप्रैल 1975	90	1,05,051
पांचवा	अप्रैल 1979	76	1,07,230
छठा	मार्च 1981	115	4,19,206
सातवां	जनवरी 1984	101	4,12,983
आठवां	दिसम्बर 1987	91	6,55,215
नवां	फरवरी 1991	98	8,00,761
दसवां	मार्च 1994	107	8,01,700
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	108	7,50,000

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

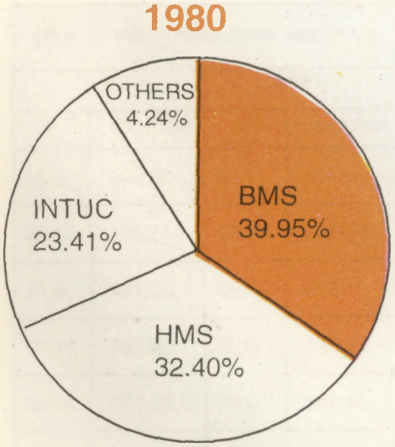

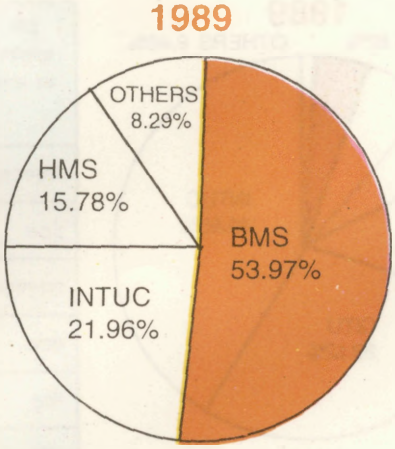

देश की राजधानी में भारतीय मजदूर संघ का भगवा ध्वज सबसे बड़े कामगार संगठन के नाते गौरव से लहरा रहा है।

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	1.20,937	39.95	4,85,929	53.97
इंटक	70,874	23.40	1,97,700	21.98
एचएमएस	98,132	32.41	1,42,049	15.78
एटक	7,932	2..62	17,085	1.90
सीटू	936	0.31	22,007	2.44
अन्य	3,978	1.31	31,225	2.47
कुल	3,02,798	100	9,00,392	100

पंजाब

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, सिविल लाइन, जी.टी. रोड, जालंधर 146001 फोन 227755

अध्यक्ष : श्री राम लुभाया बावा महामंत्री : श्री करतार सिंह राठौर

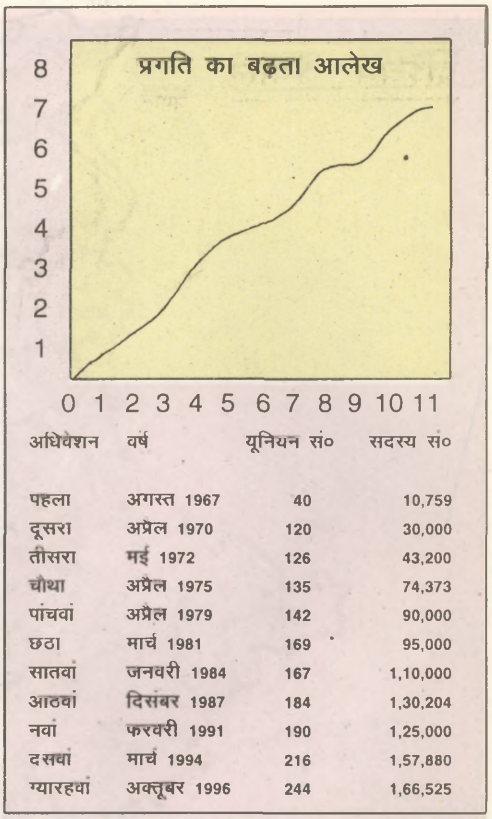

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	40	10,759
दूसरा	अप्रैल 1970	120	30,000
तीसरा	मई 1972	126	43,200
चौथा	अप्रैल 1975	135	74,373
पांचवां	अप्रैल 1979	142	90,000
छठा	मार्च 1981	169	95,000
सातवां	जनवरी 1984	167	1,10,000
आठवां	दिसंबर 1987	184	1,30,204
नवां	फरवरी 1991	190	1,25,000
दसवां	मार्च 1994	216	1,57,880
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	244	1,66,525

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

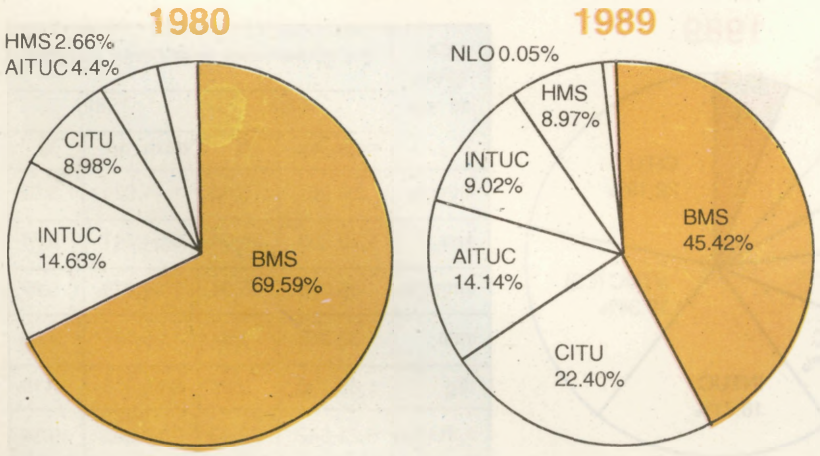

पंजाब में भारतीय मजदूर संघ सर्वोच्च स्थान पर है और रहेगा।

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	65,835	69.59	1,22,757	45.42
इंटक	13,844	14.63	24,372	9.02
एचएमएस	2,515	2.66	24,229	8.97
एटक	3,918	4.14	38,212	14.14
सीटू	8,496	8.89	60,564	22.40
अन्य	-	-	140	0.05
कुल	94,608	100	2,70,274	100

पश्चिम बंगाल

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, 10, किरणशंकर राय रोड, कलकत्ता 700001 फोन (033) 2489210

अध्यक्ष : श्री रास बिहारी मैत्र महामंत्री : श्री बैज नाथ राय

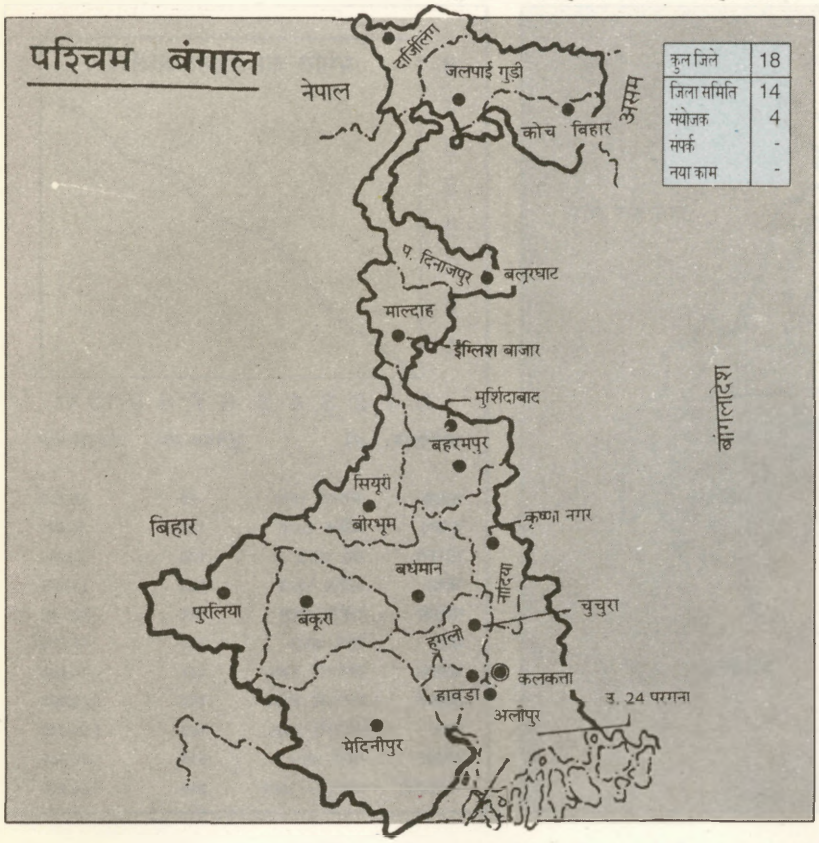

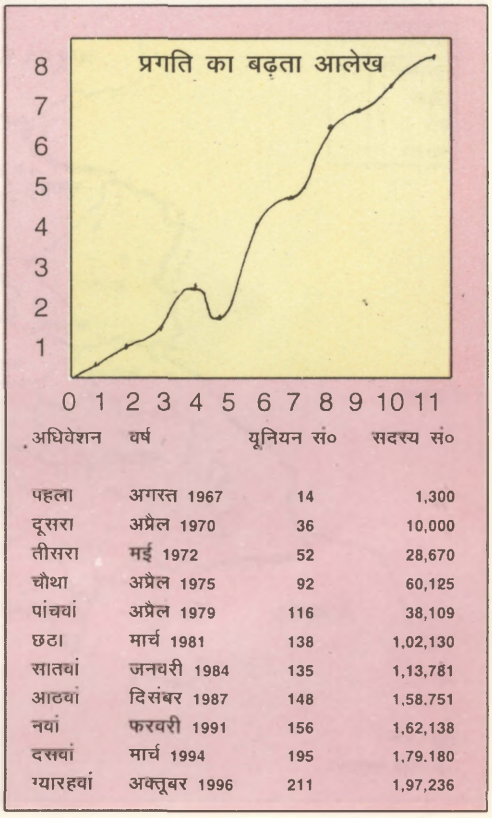

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	14	1,300
दूसरा	अप्रैल 1970	36	10,000
तीसरा	मई 1972	52	28,670
चौथा	अप्रैल 1975	92	60,125
पांचवां	अप्रैल 1979	116	38,109
छठा	मार्च 1981	138	1,02,130
सातवां	जनवरी 1984	135	1,13,781
आठवां	दिसंबर 1987	148	1,58,751
नवां	फरवरी 1991	156	1,62,138
दसवां	मार्च 1994	195	1,79,180
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	211	1,97,236

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

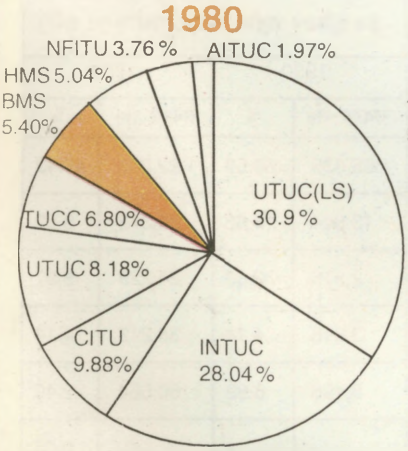

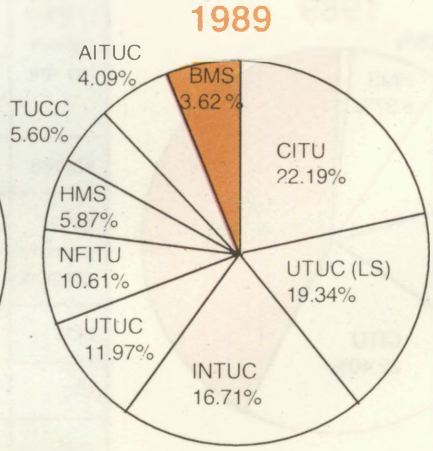

कम्युनिस्टों के इस गढ़ में भारतीय मजदूर संघ ने मजबूत स्थान बना लिया है। उसकी सदस्य संख्या तथा यूनियनों की संख्या भी हर साल बढ़ रही है।

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	90,987	5.40	1,41,521	3.62
इंटक	4,72,853	28.04	6,54,747	16.71
एचएमएस	85,076	5.04	2,29,979	5.87
एटक	33,265	1.97	1,60,137	4.09
सीटू	1,66,700	9.88	8,69,318	22.19
यू.टी.(एल)	5,21,542	30.93	7,57,901	19.34
अन्य	3,15,830	18.74	11,04,641	28.18
कुल	1,68,253	100	39,18,244	100

बिहार

कार्यालय : भारतीय मजदूर सघ, B-163, पी.सी. कालोनी, कंकर बाग, पटना 800020

अध्यक्ष : श्री आर.डी. तिवारी महामंत्री : श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा

कुल जिले	50
जिला समिति	24
संयोजक	13
संपर्क	6
नया काम	7

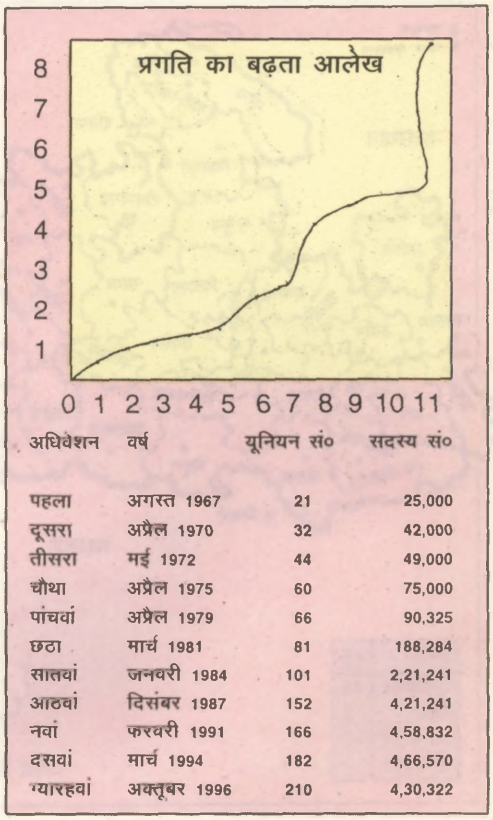

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	21	25,000
दूसरा	अप्रैल 1970	32	42,000
तीसरा	मई 1972	44	49,000
चौथा	अप्रैल 1975	60	75,000
पांचवां	अप्रैल 1979	66	90,325
छठा	मार्च 1981	81	188,284
सातवां	जनवरी 1984	101	2,21,241
आठवां	दिसंबर 1987	152	4,21,241
नवां	फरवरी 1991	166	4,58,832
दसवां	मार्च 1994	182	4,66,570
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	210	4,30,322

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

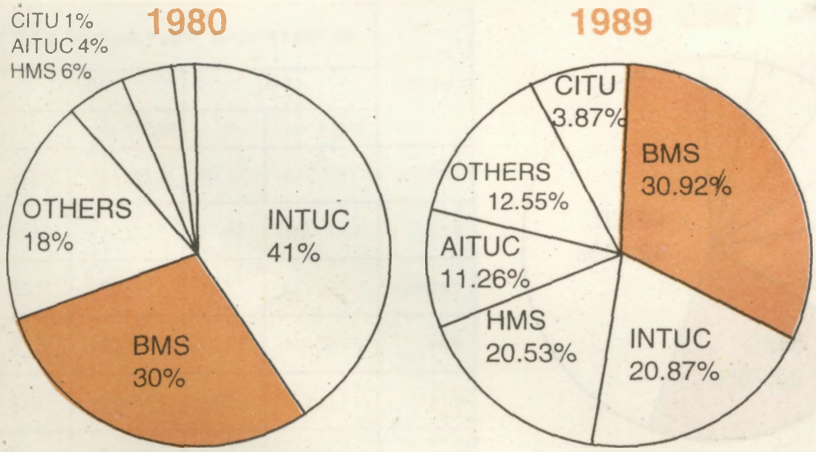

देश में बिहार की ख्याती है सबसे ज्यादा उथल पुथल वाला राज्य। भा. म. संघ की विशेषता यह है की वह ऐसे माहौल में भी सबसे बड़ी यूनियन है।

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	1,59,843	30.00	3,29,760	30.92
इंटक	2,23,363	41.88	2,22,609	20.87
एचएमएस	29,960	5.61	2.19,014	20.53
एटक	19,918	3.73	1.20.117	11.26
सीटू	7,048	1.32	41,234	3.87
अन्य	93082	17.46	1,33,861	12.55
कुल	5,33,214	100	10,66,595	100

मध्य प्रदेश

कार्यालय : 44/26, दक्षिण तात्या टोपे नगर, भोपाल 462 003 फोन (0755) 764413

अध्यक्ष : श्री सुरेश चन्द्र शर्मा महामंत्री : श्री मांगी लाल पोरवाल

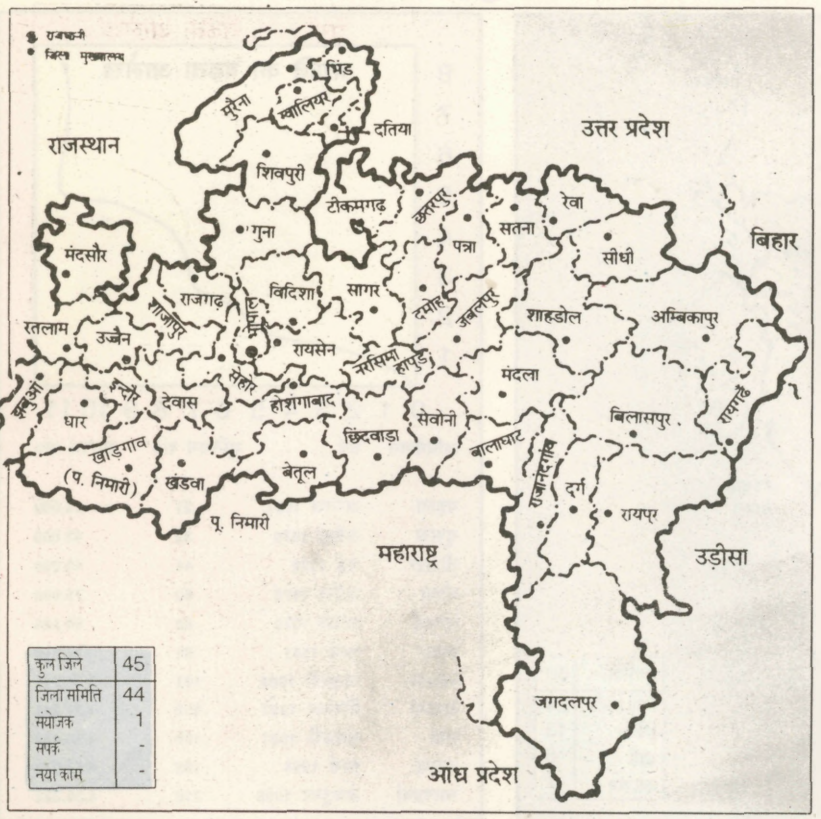

कुल जिले	45
जिला समिति	44
संयोजक	1
संपर्क	-
नया काम	-

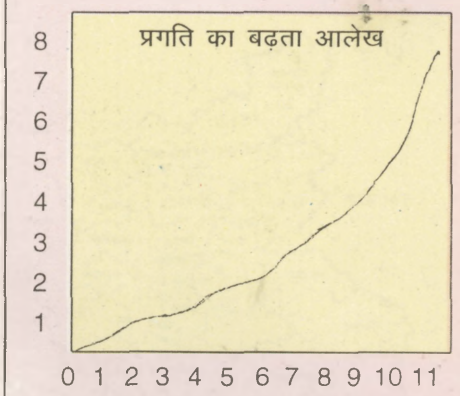

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	32	8,757
दूसरा	अप्रैल 1970	105	35,000
तीसरा	मई 1972	118	37,160
चौथा	अप्रैल 1975	137	42,381
पांचवां	अप्रैल 1979	144	75,000
छठा	मार्च 1981	117	98,440
सातवां	जनवरी 1984	155	1,22,000
आठवां	दिसम्बर 1987	164	1,67,790
नवां	फरवरी 1991	191	1,72,950
दसवां	मार्च 1994	236	2,37,903
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	422	3,73,358

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

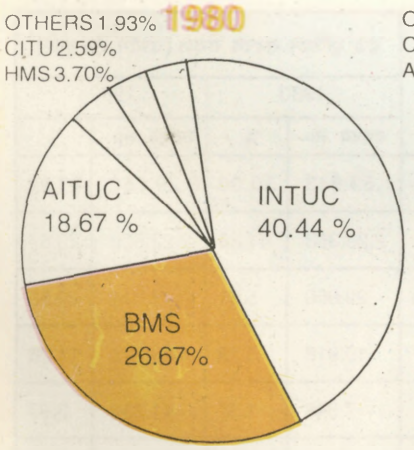

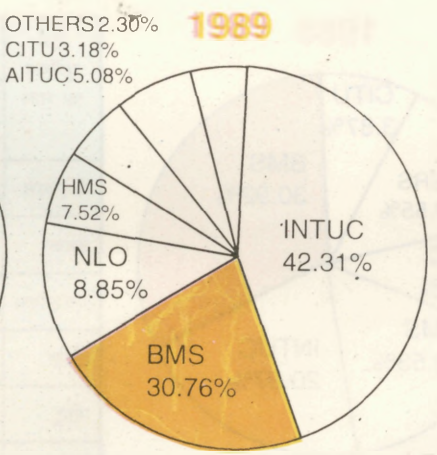

आने वाले वर्षों में भारतीय मजदूर संघ इंटक का सर्वोच्च स्थान पर अधिकार करेगा, यह निश्चित है। सदस्य संख्या का बढ़ता आलेख इसका द्योतक है।

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	67,810	26.67	1,68,759	30.76
इंटक	1,18,061	46.44	2,32,019	42.31
एचएमएस	9,393	3.70	41,236	7.52
एटक	47,451	18.67	27,885	5.08
सीटू	6,595	2.59	17,448	3.18
अन्य	4918	1.93	61,142	4.15
कुल	2,54,228	100	5,48,498	100

महाराष्ट्र

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, विश्वकर्मा भवन, 185, शनिवार पेठ, पुणे 411030 फोन (0212) 454040

अध्यक्ष : श्री विसुभाऊ परव महामंत्री : श्री उदय पटवर्धन

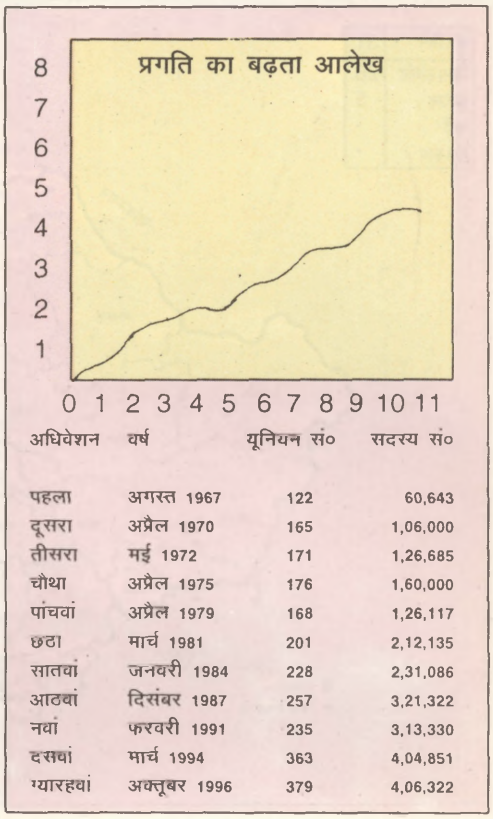

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	122	60,643
दूसरा	अप्रैल 1970	165	1,06,000
तीसरा	मई 1972	171	1,26,685
चौथा	अप्रैल 1975	176	1,60,000
पांचवां	अप्रैल 1979	168	1,26,117
छठा	मार्च 1981	201	2,12,135
सातवां	जनवरी 1984	228	2,31,086
आठवां	दिसंबर 1987	257	3,21,322
नवां	फरवरी 1991	235	3,13,330
दसवां	मार्च 1994	363	4,04,851
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	379	4,06,322

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

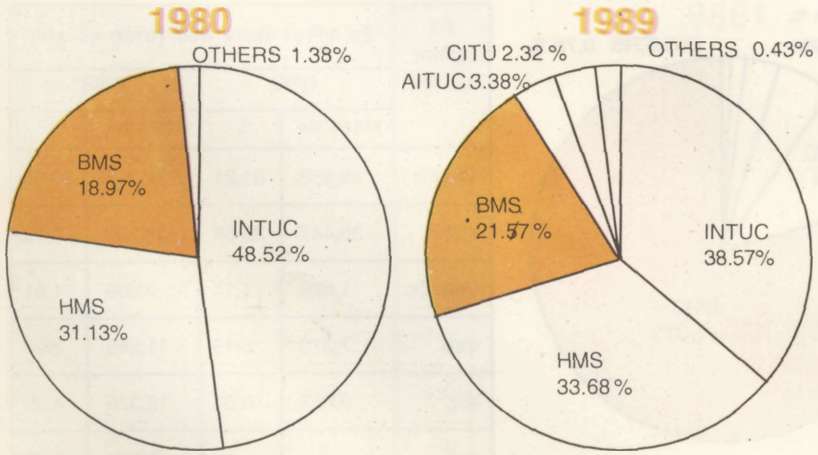

भा. म. संघ महाराष्ट्र में शक्तिशाली संगठन के रूप में उभरा है और राज्य के दूर-दूर के भागों में उसने अपना स्थान बना लिया है।

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	1,76,554	18.97	2,51,423	21.57
इंटक	4,51,665	48.52	4,49,766	38.57
एचएमएस	2,89,837	31.13	3,92,784	33.68
एटक	9.059	0.97	39,479	3.34
सीटू	2,234	0.25	27,632	2.33
अन्य	1,549	0.16	5,043	0.51
कुल	9,30,988	100	11,81,127	100

राजस्थान

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, 42, पटेल कालोनी, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर 302001 फोन (0141) 372161

अध्यक्ष : श्री गुरुचरण सिंह गिल महामंत्री : श्याम सुंदर शर्मा

कुल जिले	31
जिला समिति	26
संगेजक	5
संपर्क	-
नया काम	-

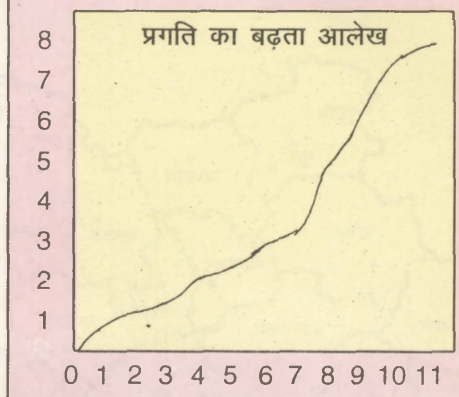

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	43	23,100
दूसरा	अप्रैल 1970	66	40,000
तीसरा	मई 1972	60	44,000
चौथा	अप्रैल 1975	52	85,267
पांचवां	अप्रैल 1979	205	1,90,000
छठा	मार्च 1981	150	1,21,229
सातवां	जनवरी 1984	224	1,36,160
आठवां	दिसंबर 1987	155	2,30,956
नवां	फरवरी 1991	245	2,86,565
दसवां	मार्च 1994	433	3,65,509
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	376	3,65,600

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

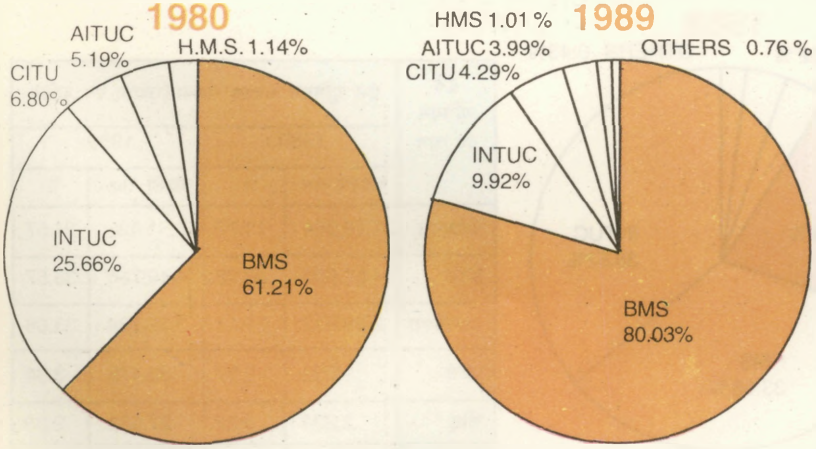

भारतीय मजदूर संघ की 80.03 प्रतिशत सदस्य संख्या राजस्थान में दूसरे कामगार संगठनों को बिलकुल अस्तित्वहीन बना देती है।

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	86,958	61.21	2,32,105	80.03
इंटक	36,447	25.66	28,650	9.92
एचएमएस	1,626	1.14	2,908	1.01
एटक	7,379	5.19	11,545	3/99
सीटू	9,658	6.80	12,376	4.29
अन्य	-	-	2,200	0.76
कुल	1,42,,068	100	2,88,788	100

हरियाणा

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, 89, अलेक्झाण्डर रोड,अम्बाला छावनी 133 001 फोन (0171) 641734

अध्यक्ष : श्री जगन्नाथ गेरा महामंत्री : श्री सुखनन्दन सिंह

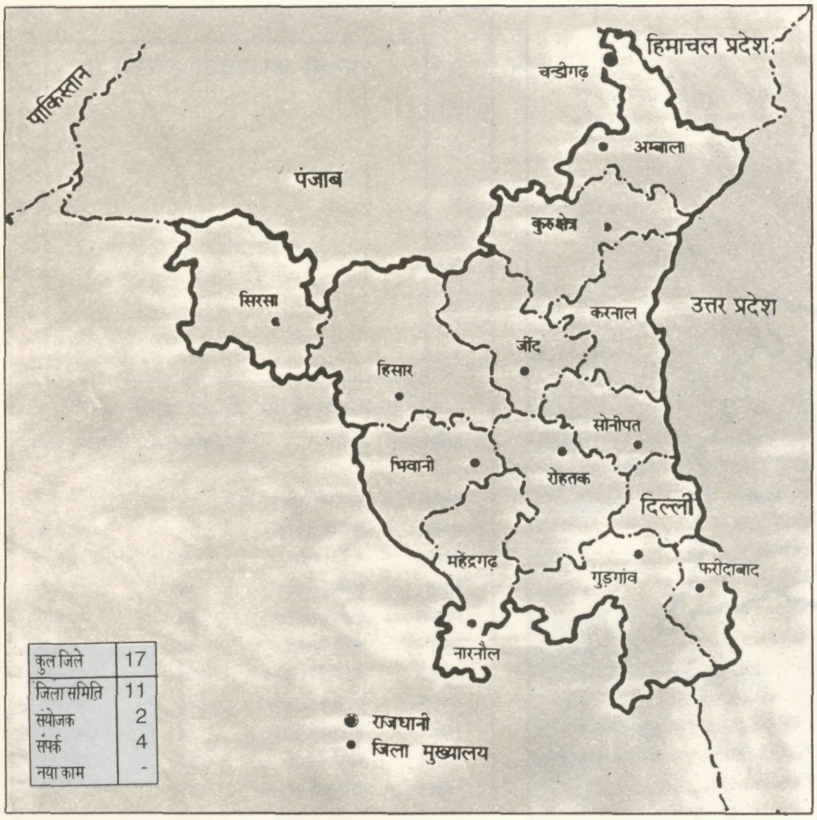

कुल जिले	17
जिला समिति	11
संयोजक	2
संपर्क	4
नया काम	-

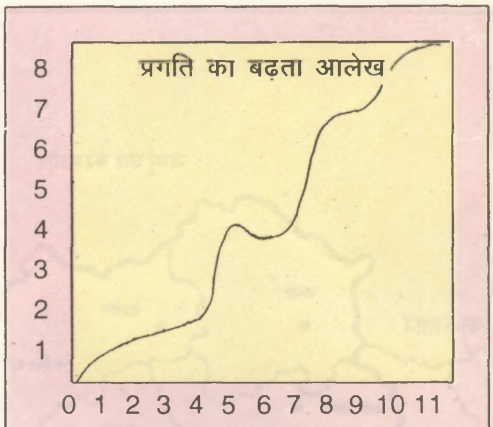

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	25	6,000
दूसरा	अप्रैल 1970	30	11,500
तीसरा	मई 1972	42	13,620
चौथा	अप्रैल 1975	52	15,000
पांचवा	अप्रैल 1979	62	42,000
छठा	मार्च 1981	73	36,310
सातवां	जनवरी 1984	86	43,508
आठवां	दिसम्बर 1987	108	69,103
नवां	फरवरी 1991	132	69,113
दसवां	मार्च 1994	157	83,390
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	132	85,288

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

1980

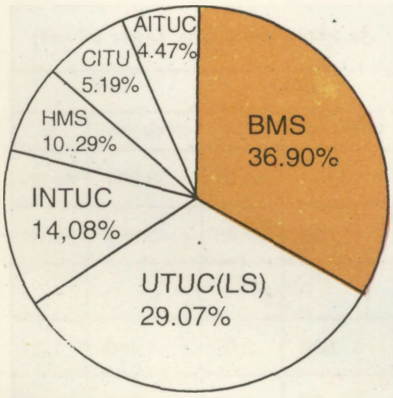

1989

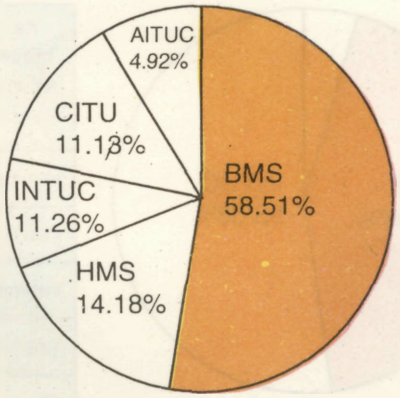

श्रमिकों के प्रति संघ की सच्ची लगन के कारण ही हरियाणा में सदस्य संख्या निरंतर बढ़ रही है।

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	27,606	36.90	51,064	58.51
इंटक	10,535	14.08	9,832	11.26
एचएमएस	7,696	10.29	12,378	14.18
एटक	3,343	4.47	4,294	4.92
सीटू	3,878	5.19	9,711	11.13
यू टी(एल)	21,745	29.07	-	-
कुल	74,801	100	8,72,79	100

हिमाचल प्रदेश

कार्यालय : भारतीय मजदूर संघ, 47/9, बंगला मुहल्ला, मंडी 175 001

अध्यक्ष : श्री बलबीर कुमार शर्मा महामंत्री : श्री मंगल सिंह

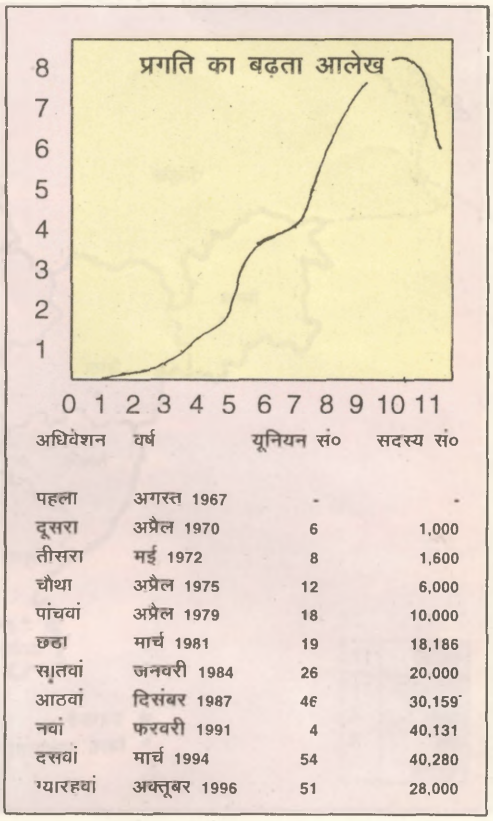

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	-	-
दूसरा	अप्रैल 1970	6	1,000
तीसरा	मई 1972	8	1,600
चौथा	अप्रैल 1975	12	6,000
पांचवां	अप्रैल 1979	18	10,000
छठा	मार्च 1981	19	18,186
सातवां	जनवरी 1984	26	20,000
आठवां	दिसंबर 1987	46	30,159
नवां	फरवरी 1991	4	40,131
दसवां	मार्च 1994	54	40,280
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	51	28,000

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

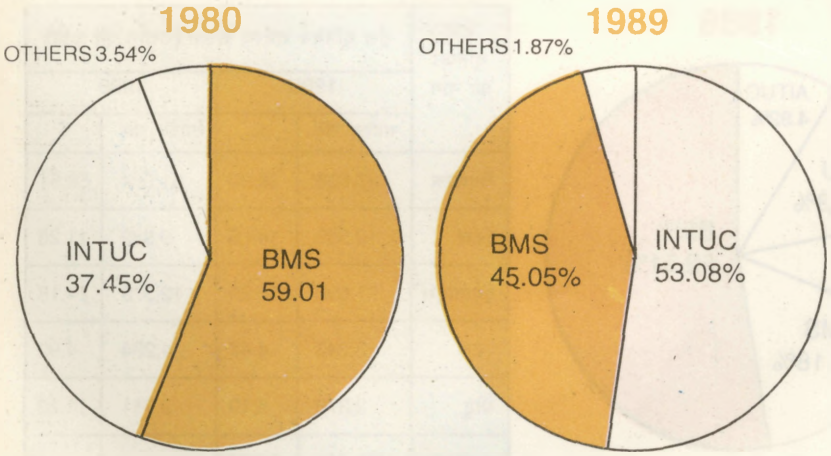

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	18,174	59.01	38,890	45.05
इंटक	11,535	37.45	45,824	53.08
एचएमएस	-	-	-	-
एटक	638	2.07	1,146	1.33
सीटू	452	1.47	472	0.54
कुल	30,799	100	86,332	100

भारतीय मजदूर संघ की सदस्य संख्या 1980 से 1989 की कालावधि में यहां दो गुना से ज्यादा बढ़ी है फिर भी वह दूसरे स्थान पर आ गया है।

पूर्वोत्तर राज्य तथा सिक्किम

त्रिपुरा - अरूणाचल प्रदेश - मिजोराम - नागभूमि (नागालैंड) - मेघालय - मणिपुर

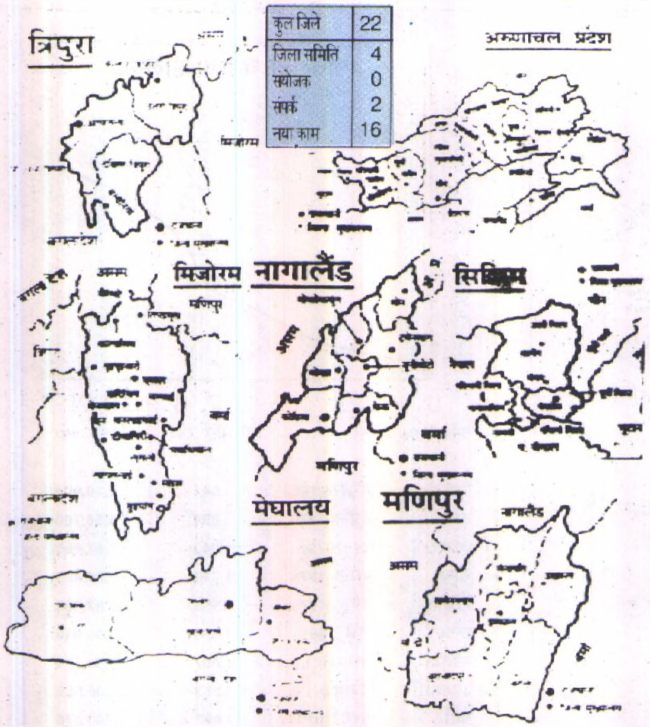

आने वाले दशक में पूर्वोत्तर राज्यों में अपना कार्य बढ़ाने के लिए भारतीय मजदूर संघ कृतसंकल्प है। त्रिपुरा में कार्य आरम्भ हो चुका है और स्थानीय कामगारों का उत्साहवर्धक समर्थन उसे प्राप्त हो रहा है। राज्य में दस पंजीकृत यूनियनें, चाय बागान, डाकतार विभाग और बैंक क्षेत्र में स्थापित हुई है।

अरूणाचल प्रदेश तथा मेघालय में भी पंजीकृत यूनियनें बनाई गई हैं। जो सरकारी कर्मचारियों से लेकर टैक्सी चालकों तक विभिन्न क्षेत्रों में जुट गई है।

मणिपुर, नागभूमि तथा मिजाराम में आने वाले वर्ष में कार्य शुरू होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के इन राज्यों में (असम तथा त्रिपुरा छोड़कर) कामगार संगठन अभी तक नहीं के बराबर रहा है। भारतीय मजदूर संघ के लिए इस क्षेत्र में कार्य चुनौती भरा रहेगा। अगला दशक इस संदर्भ में काफी रोमांचकारक सिद्ध होगा इसमें संदेह नहीं।

केंद्रशासित प्रदेश

अंदमान एवं निकोबार - दादरा एवं नगर हवेली- दमन एवं दीव - लक्षद्वीप - पांडिचेरी

देश के दूर-दूर के हिस्सों में बसे हुए छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में कामगार संगठन प्रस्थापित करना यह एक बड़ा आह्वानात्मक काम है। भारतीय मजदूर संघ अब इन सभी प्रदेशों में सुनियोजित तरीके से अपना कार्य विस्तार कर रहा है।

अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में काम की शुरूआत हो चुकी है। वहां इस समय तीन पंजीकृत यूनियनें हैं। एक है कदमताला द्वीप में स्थित आरा मिल में, दूसरी है वन विभाग तथा तीसरी है सिंडिकेट बैंक में।

पांडिचेरी में भी काम बढ़ रहा है। पांडिचेरी एवं माहे में गिरणी कामगार यूनियनें स्थापन हुई है। संघ की शक्तिशाली डाक यूनियन भी यहाँ मौजूद है।

सिंधू सागर में बसे लक्षद्वीप में भी भा. म. संघ का प्रवेश हो चुका है। पश्चिम किनारे पर स्थित दादरा-नगरहवेली तथा दमन एवं दीव के प्रदेशों में भा. म. संघ का कार्य मछुआरों में शुरू किया गया है।

भारत वर्ष

केंद्रीय कार्यालय : राम नरेश भवन, तिलक गली, पहाड़ गंज, नई दिल्ली-110055 फोन (011) 7520654, 7524212

अध्यक्ष : श्री राज कृष्ण भक्त महामंत्री : श्री हसू भाई दवे

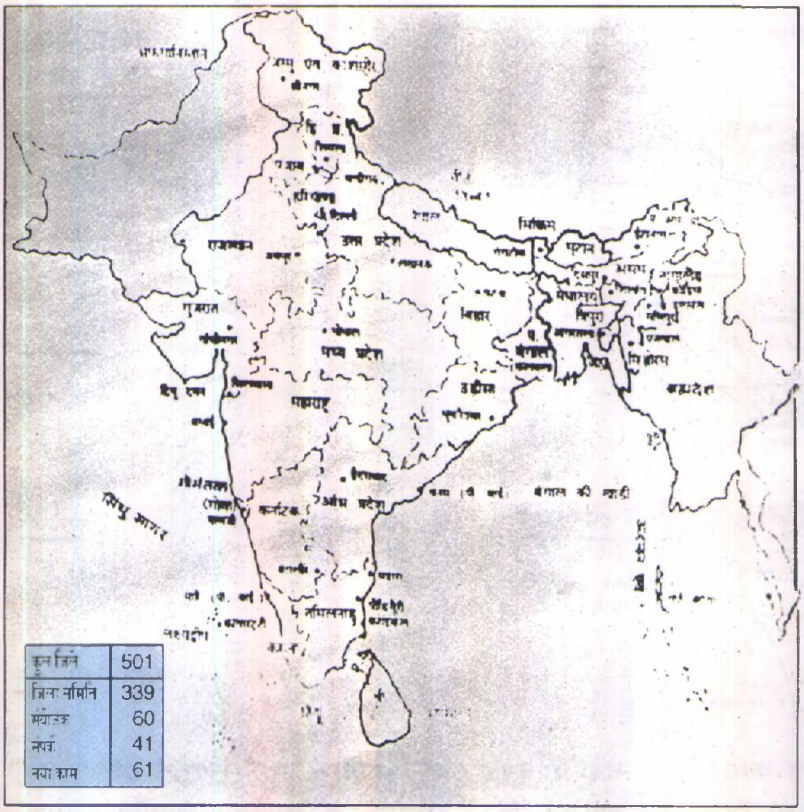

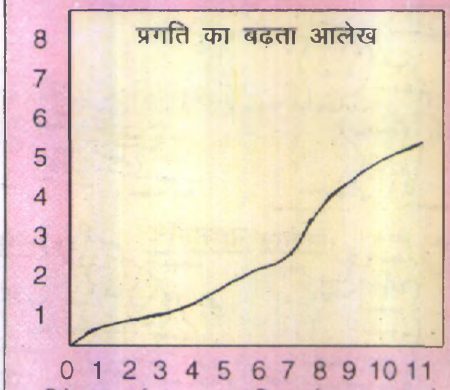

अधिवेशन	वर्ष	यूनियन सं०	सदस्य सं०
पहला	अगस्त 1967	541	2,46,902
दूसरा	अप्रैल 1970	899	4,56,100
तीसरा	मई 1972	1,043	5,67,465
चौथा	अप्रैल 1975	1,313	8,39,423
पांचवां	अप्रैल 1979	1,555	10,83,488
छठा	मार्च 1981	1,776	18,05,910
सातवां	जनवरी 1984	2,007	20,53,721
आठवां	दिसंबर 1987	2,353	32,86,559
नवां	फरवरी 1991	2,677	38,89,376
दसवां	मार्च 1994	3,507	45,12,600
ग्यारहवां	अक्तूबर 1996	3,739	47,18,831

ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)

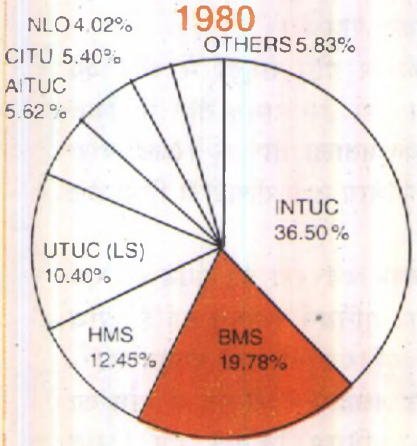

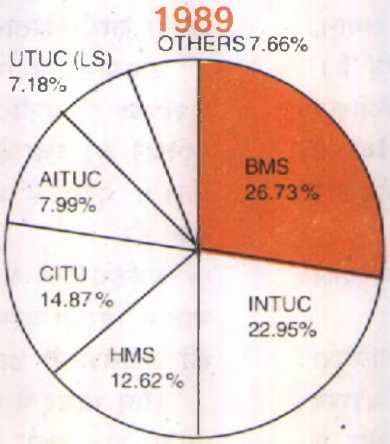

ट्रेड यूनियन का नाम	ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या (उद्योग एवं कृषि)			
	1980		1989	
	सदस्य सं०	%	सदस्य सं०	%
बीएमएस	9,17,538	19.78	32,95,008	26.73
इंटक	16,93,131	36.50	28,22,047	22.95
एचएमएस	5,77,520	12.45	15,55,668	12.62
एटक	2,60,696	5.62	9,84,927	7.99
सीटू	2,50,490	5.40	18,33,025	14.87
यू.टी.(एल)	4,82,426	10.40	8,85,079	7.18
अन्य	4,56,914	5.83	9,44,247	7.66
कुल	46,38,715	100	12,327,003	100

भारतीय मजदूर संघ का 1955 में शून्य से आरंभ करके अब देश का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत कामगार संगठन बनना गौरव की बात है।

वर्तमान संचालन समिति

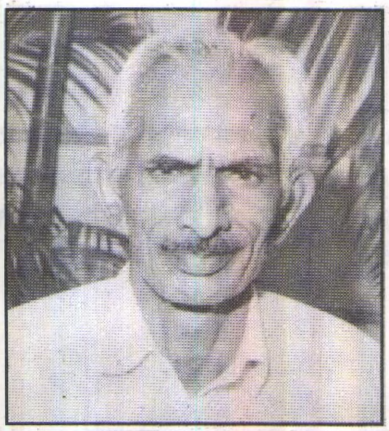

राज कृष्ण भक्त

जन्म स्थान : मांटगुमरी जिले के कबुला नाम ग्राम (वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित है।)

जन्म तिथि : 1 जून 1921

1952 से कामगार क्षेत्र में कार्यकर्ता के नाते बैंक कर्मचारियों के यूनियन में कार्य करना प्रारंभ किया। 1959 में बैंक कर्मचारी यूनियन के अखिल भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित। 1965 में भा. म. संघ, पंजाब प्रदेश के महामंत्री। जिसके पश्चात पंजाब, हिमाचल, जम्मू, कश्मीर के क्षेत्रीय मंत्री । 1981 में सेवावृति के तीन वर्ष पूर्व श्री ठेंगडी जी के आदेशानुसार दिल्ली केंद्र कार्यालय में आवासीय मंत्री की जिम्मेवारी संभाली। फरवरी 1991 में अखिल भारतीय महामंत्री बने। 1994 से भा. म. संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष।

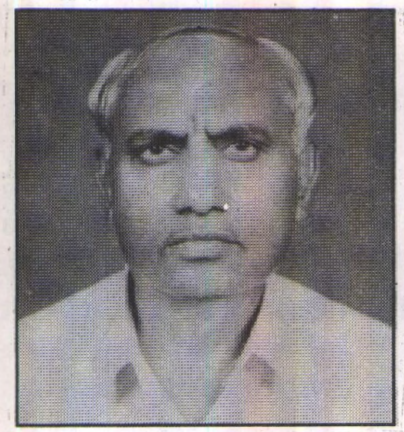

हसू भाई गौरीशंकर दवे

जन्म स्थान : गुजरात प्रांत के सुरेंद्र नगर जिले का रामपरडा नामक ग्राम।

जन्मतिथि : 19 जुलाई 1939।

1957 से रा. स्व. संघ से जुड़े और 1967 में भा. म. संघ से। प्रारंभ में सौराष्ट्र कक्ष के मंत्री नियुक्त। तत्समय राजकोट में श्रमिक विधिज्ञ के रूप में ख्यात। तत्पश्चात गुजरात प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष एवं 1987 में महामंत्री। 1993 में आई.सी.एफ.टी.यू. के आमंत्रण पर चीन यात्रा। 1994 में अखिल भारतीय महामंत्री।

त्र्यंबक चिंतामन जुमड़े

जन्म स्थान : महाराष्ट्र के वर्धा जिले का सिंदी ग्राम।

जन्मतिथि : 26 अप्रैल 1916

महाविद्यालय की शिखा पूरी करने के बाद रा.स्व. संघ के प्रचारक बने। भा.म. संघ में अनेक राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेवारियों का निर्वाह। अखिल भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष रहे। वर्तमान में संचालन समिति के सभासद।

रैनबो एजेंसीज़

ग्रीव्स लिमिटेड के ऑथराइज्ड डीलर

381, भवानी पेठ (पुराने मोटर स्टैंड के पास), कागलवाला सोसाइटी, पुणे-411 042. दूरभाष : 659466

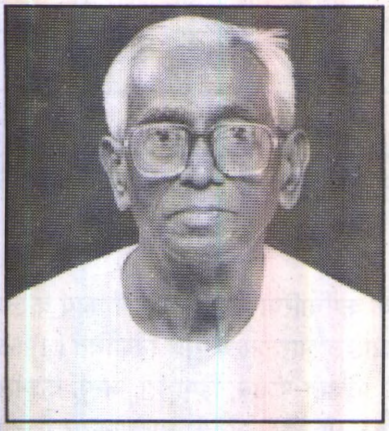

रमण गिरधर शहा

जन्म स्थान : महाराष्ट्र के पुणे जिले का तलेगांव दाभाडे।

जन्म तिथि : 31 दिसंबर 1926।

भा. म. संघ के प्रथम बैठक में सहभाग। 1959 में भा. म. संघ से जुड़े। नौकरी छोड़कर 1963 से पूर्णकालिक कार्यकर्ता। प्रारंभ में महाराष्ट्र प्रदेश मे महामंत्री। तत्पश्चात क्रमशः अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं अध्यक्ष। 1991 से 1994 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बाद संप्रति अखिल भारतीय संगठन मंत्री।

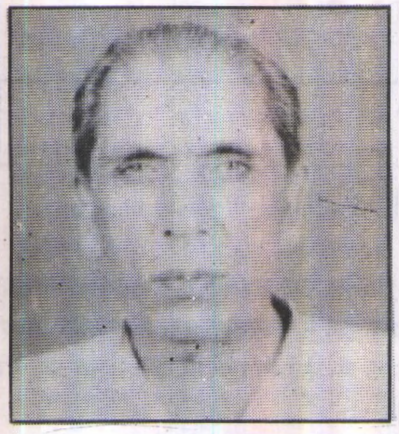

ओमप्रकाश अग्घी

जन्म स्थान : लायलपुर जिले का टोवा टेक सिंह
(वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में अवस्थित है)।

जन्म तिथि : 28 अगस्त 1928।

1945 से रा. स्व. संघ में प्रवेश। स्नातक के बाद 1948-65 के बीच रा. स्व. संघ के प्रचारक। भा. म. संघ से जुड़ने के बाद 1969 तक संयुक्त पंजाब प्रांत के संगठन मंत्री। 1970 में दिल्ली प्रदेश के मंत्री नियुक्त। 1986 से पांच वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में भा. म. संघ का प्रतिनिधित्व। वर्तमान में अखिल भारतीय संगठन मंत्री।

रा. वेणुगोपाल

जन्म स्थान : केरल स्थित मालनपुरम जिले का निलंबुर नाम ग्राम।

जन्म तिथि : 2 फरवरी 1925।

1947 से रा. स्व. संघ के प्रचारक। 1967 में भा. म. संघ के पूर्णकालिक के रूप में केरल में कार्यारंभ। बाद में केरल प्रदेश भा. म. संघ के महामंत्री। 1984-91 तक अखिल भारतीय मंत्री। 1990 से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में भा. म. संघ का प्रतिनिधित्व। 1991 से भा. म. संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री।

मैसर्स प्रतीक साइकिल

139, कस्बा पेठ, पुणे-411011

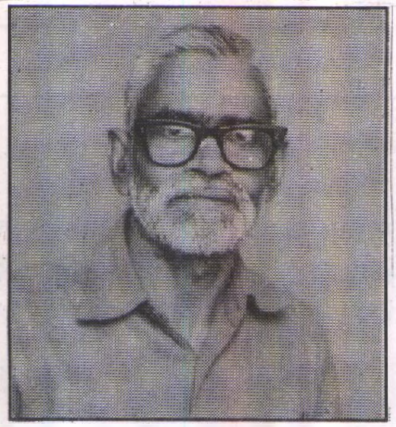

प्रेम नाथ शर्मा

जन्म स्थान : पंजाब प्रांत के पटियाला जिले का डेराबसी ग्राम।
जन्म तिथि : 25 दिसम्बर 1928।

1946 से रा. स्व. संघ के प्रचारक। 1967 में भा. म. संघ में प्रवेश। 1967-74 तक हरियाणा प्रदेश के महामंत्री। 1974 से केंद्रीय कार्यालय मंत्री। 1992 में भा. म. संघ के मंत्री। केंद्रीय कर्मचारी संघ के प्रभारी नियुक्त। 1995 से *विश्वकर्मा चेतना* (मासिक) के संपादक।

गिरीश चंद्र अवस्थी

जन्म स्थान : कानपुर, उत्तर प्रदेश।
जन्म तिथि : 16 जून 1939।

1955 से रा. स्व. संघ के स्वयंसेवक। कानपुर में नगर प्रमुख की जिम्मेवारी। रा. स्व. संघ व ट्रेड यूनियन में सक्रिय होने के कारण उच्चाधिकारियों द्वारा इन्हें कलकत्ता स्थानांतरण का आदेश प्राप्त हुआ, परंतु मजदूर हित के कारण आदेश ठुकराया। छह साल बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर वेतन के साथ नौकरी पर फिर से बहाल। इस समय अखिल भारतीय मंत्री तथा सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के महामंत्री का दायित्व निभा रहे हैं।

जी. प्रभाकर

जन्म स्थान : सूरत, गुजरात।
जन्म तिथि : 23 जून 1927।

1940 में रा. स्व. संघ में प्रवेश। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1947 में संघ के प्रचारक बने। 1954 में ट्रेड यूनियन के कार्य से जुड़े। भारतीय मजदूर संघ के गठन से पहले से ही यूनियन का कार्य करने के कारण भा. म. संघ से संबद्ध हुए। 1963 से भा. म. संघ के कर्नाटक प्रदेश के महामंत्री। 1978-79 तथा 1984-85 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में भा. म. संघ का प्रतिनिधित्व। 1985 से 1991 तक अखिल भारतीय महामंत्री। वर्तमान में भा. म. संघ के विदेश विभाग के प्रभारी।

भगिनी निवेदिता सहकारी बैंक लिमिटेड
387/388, नारायण पेठ, राष्ट्र भाषा भवन, पुणे-411030. दूरभाष : 456635

रास बिहारी मैत्र

जन्म स्थान : रंगपुर (संप्रति यह स्थान बांग्लादेश में अवस्थित है)।

जन्म तिथि : 4 नवंबर 1931

रेलवे की नौकरी करते हुए 1965 में भा. म. संघ का काम शुरू किया। रेलवे मजदूर संघ के महासचिव का दायित्व संभालते हुए 1969-72 तक पश्चिम बंगाल में महामंत्री। 1974 से 1991 तक अखिल भारतीय मंत्री। संप्रति पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्लांटेशन एवं बीड़ी मजदूर महासंघ के प्रभारी।

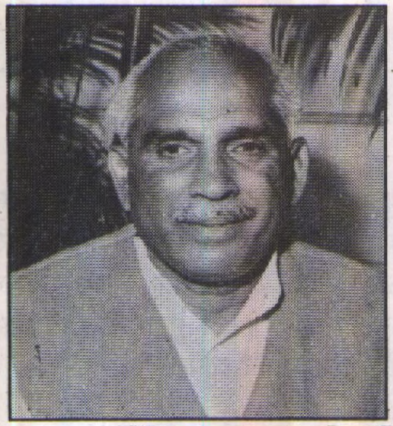

रामप्रकाश मिश्र

जन्म स्थान : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का सौदमा गांव।

जन्म तिथि : 9 जनवरी 1934।

प्रारंभिक जीवन में रा.स्व. संघ से जुड़े। तदोपरांत माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य की नौकरी। 1962 में भा.म. संघ में प्रवेश। 1970 में उत्तर प्रदेश के महामंत्री। 1975 से 1986 के बीच बिहार और उत्तरप्रदेश, 1989 से हरियाणा एवं राजस्थान तथा 1994 में राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा के प्रभारी का दायित्व।

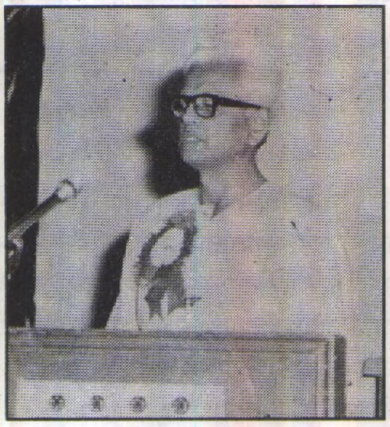

सोमेश्वर श्रीधर चांद्रायण

जन्म स्थान : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का मोहगांव।

जन्म तिथि : 20 जुलाई 1926।

महाराष्ट्र राज्य रास्ता परिवहन महामंडल में नौकरी करते समय महाराष्ट्र मोटर कामगार महासंघ तथा भारतीय परिवहन मजदूर संघ का दायित्व था। इस समय अखिल भारतीय वित्त सचिव की जिम्मेदारी संभाल रखे हैं।

देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद

अर्थ कांप्लेक्स, केशर सिंह पुरा, औरंगाबाद-431001. दूरभाष : 334121

प्रदेशशः वृत्त

- दिल्ली
- उत्तर प्रदेश
- राजस्थान
- विदर्भ प्रदेश

दिल्ली

देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली का विशेष महत्व है। जुलाई 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के बाद रा. स्व. संघ कार्यालय झंडेवाला में इसका कार्यालय बना। रा. स्व. संघ के प्रमुख प्रचारक श्री मनोहर राव ने झंडेवाला कार्यालय के कार्य का शुभारंभ किया।

पहली बैठक

अक्टूबर 1955 में उक्त कार्यालय में एक बैठक संपन्न हुई जिसमें दिल्ली क्लॉथ मिल से श्री साधु सिंह, श्री बाबूराम मिश्रा, स्वतंत्र भारत मिल से श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, गुलाबराय, बिरला मिल के श्री रतिराम, श्री रामचंद्र तथा श्री माधोराव जी ने भाग लिया और इस प्रकार कपड़ा मिल मजदूर संघ के प्रचार-प्रसार के लिए दिल्ली क्लॉथ मिल के द्वार पर सभा का आयोजन किया गया। पहली सभा उतनी सफल नहीं हुई। कार्यकर्ताओं ने इसे चुनौती के रूप में लिया, उनमें सरगरमी आई और संगठन फैलने लगा। पुनः दिल्ली क्लाथ मिल में द्वार सभा हुई जिसमें कुछ संघर्ष पूर्ण स्थिति भी बनी। धीरे-धीरे मजदूर संघ का स्वरूप आकार लेने लगा।

क्षेत्रीय रचना

अप्रैल 1995 में एक कार्यकर्ता ने किशनगंज मार्केट में कार्यालय के लिए एक दुकान दी। इसी समय दिल्ली भारतीय मजदूर संघ का पहला चुनाव हुआ जिसमें डॉ. आर. एल. देव एवं श्री जय भगवान शर्मा संगठन मंत्री बनाए गए। इसके अतिरिक्त हर क्षेत्र में दो उपप्रधान एवं सहमंत्री, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष बनाए गए। किशन गंज मार्केट में कार्यालय प्रारंभ होते ही नजफगढ़ सड़क पर स्थित 15 बड़े कारखानों में मजदूर संघ के ध्वज लहराने लगे एवं मनजीत इंडस्ट्रीज के बाहर चौक पर एक सफल आम जनसभा हुई। बिरला मिल के साथ बड़ी फैक्ट्रियों में कार्य आरंभ हुआ। गणेश फ्लोर मिल में संगठन बना, इसी समय **श्री हरिराम डागर पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने**। राष्ट्रनिष्ठा से भरे कार्यकर्ताओं के समर्पण के कारण बिरला मिल, गणेश फ्लोर मिल एवं नजफगढ़ सड़क पर स्थित फैक्ट्रियों में कार्य का विस्तार होने लगा। चांदनी चौक में भी कुछ कार्यकर्ता सक्रिय हुए, जिनमें श्री मांगेराम प्रमुख थे जो वहां एक

बाएं से दाएं–राजकुमार गुप्ता महामंत्री, ज्ञानसागर वशिष्ट अध्यक्ष, दत्तोपंत ठेंगड़ी, त्र्यंबक जुमड़े, ओमप्रकाश अग्घी

थर्मेक्स लिमिटेड
पुणे (महाराष्ट्र)

कपड़े की दुकान में कार्य करते थे। छत्ता मदनगोपाल, मालीवाड़ा में एक कार्यालय के लिए स्थान मिला, जिससे चांदनी चौक क्षेत्र में एटक के मुकाबले भा. म. संघ का कार्य शुरू हुआ, साथ ही साथ रामचंद्र-कृष्णचंद्र साड़ी वालों की बड़ी फर्म में भा.म. संघ का संगठन बना एवं साड़ी कर्मचारी संघ के नाम से यूनियन रजिस्टर्ड हुई। इसमें 1500 कर्मचारी कार्यरत थे। इसके साथ ही शाहदरा में लोनी सड़क पर एक दुकान कार्यालय के लिए मिल गई। शाहदरा का काम विशेष रूप से पूर्णकालिक कार्यकर्ता श्री तिलक राज शर्मा को सौंपा गया। कुछ ही समय में शाहदरा के बड़े कारखानों में भा. म. संघ का कार्य फैल गया। 1957 के प्रारंभ में शाहदरा में 15 कारखानों के बाहर नजफगढ़ रोड पर आंदोलन शुरू हुआ और सफल रहा।

मान्यता का प्रश्न

इन्हीं दिनों संगठन को औपचारिक मान्यता दिलाने के लिए दिल्ली प्रशासन के साथ पत्राचार शुरू हुआ। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर) श्री धर्मवीर से एक प्रतिनिधि मंडल मिला। परंतु बातचीत उत्साहवर्धक नहीं रही। मुख्य आयुक्त का कहना था कि 1955 से आपने मजदूर क्षेत्र में प्रवेश किया है, इतनी जल्दी मान्यता का सवाल ही नहीं उठता। कुछ ही दिनों बाद मुख्य आयुक्त श्री भगवान सहाय बने। उनसे भी भा. म.संघ का प्रतिनिधि मंडल मिला। प्रारंभ में उनके तेवर भी अपने पूर्ववर्ती अधिकारी की तरह ही थे। तर्क एवं पूर्वग्रह भी लगभग वैसे ही थे। प्रतिनिधि मंडल ने अपना पक्ष रखते हुए उन्हें बताया कि इतने थोड़े समय में ही पुरानी मजदूर संस्थाओं के मजदूर बड़ी संख्या में हर क्षेत्र से एवं हर उद्योग से आ रहे हैं। तब उन्होंने पूछा कि आप जो कहते हैं इसका सबूत क्या है। 15 दिन पश्चात ही एक विशाल जुलूस की तैयारी की गई जिसमें हर क्षेत्र के एवं हर एक उद्योग के कर्मचारियों ने भाग लिया। **उक्त जुलूस चांदनी चौक से शुरू हुआ जिसका दूसरा सिरा कश्मीरी गेट पर था। मुख्य आयुक्त की कोठी के बाहर भव्य प्रदर्शन हुआ।** इस क्रम में सी. आई. डी. ने कर्मचारियों से पूछताछ की कि कौन कहां से आया है और वह किस उद्योग का कर्मचारी है। प्रदर्शन के समय श्री राम कृष्ण भारद्वाज (अध्यक्ष), श्री आर. एस. देव तथा श्री जय भगवान शर्मा ने अपने विचार रखे एवं स्पष्ट किया कि यह संगठन राष्ट्रीय मजदूरों का है जो उद्योग के साथ राष्ट्र हित में कार्यरत रहेगा। **इस भव्य प्रदर्शन से दिल्ली सरकार ने इस संगठन का लोहा मान लिया एवं भारत वर्ष में सर्वप्रथम दिल्ली भारतीय मजदूर संघ को मान्यता प्राप्त हुई** तथा सभी समितियों से भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधि लिया गया।

माइक पर दत्तोपंत ठेंगड़ी, बैठे हुए–ज्ञानसागर वशिष्ठ, पाठक जी तथा भक्त जी

मान्यता के पश्चात नगर निगम में भा. म. संघ का संगठन और भी सुदृढ़ हुआ। इस दौरान कार्यकारिणी की बैठकें छत्ता मदनगोपाल की धर्मशाला में तथा सामान्य सभा (जनरल बॉडी) की बैठकें टाउन हाल में या चांदनी चौक टांउन हॉल के बाहर होती थी। इन बैठकों में मा. ठेंगड़ी जी, श्री एन. सी. चटर्जी आदि मार्गदर्शन करते थे।

भगीरथ पैलेस में दवा विक्रेताओं का तथा बिजली मार्केट में फिल्म वितरकों के कर्मचारियों का बहुत अच्छा संगठन बना। फिल्म वितरकों के कर्मचारियों एवं सिनेमा कर्मचारियों के बीच एक यूनियन 'सिने वर्कर्स यूनियन' के नाम से 1951 से ही कार्यरत थी जिसके महामंत्री श्री जय भगवान शर्मा थे। बाद में भारतीय मजदूर संघ का गठन होने पर श्री जय भगवान शर्मा ने उस यूनियन को भा. म. संघ में मिला दिया था।

चीन आक्रमण के समय

1962 ई. में चीन ने अपने देश पर आक्रमण किया। उस समय पं. जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे। भा. म. संघ, दिल्ली की ओर से 1100 रुपए की एक थैली भेंट करने के लिए एक शिष्टमंडल तीन मूर्ति भवन गया। राशि स्वीकार करते हुए नेहरू जी ने स्वयं ही पूछा कि भा. म. संघ आर. एस. एस. के स्वयंसेवक चलाते हैं न ? शिष्ट मंडल को कमरे में ले जाकर नेहरू जी ने बातचीत की एवं 26 जनवरी की परेड में भारतीय मजदूर संघ के श्रमिकों को आमंत्रित किया। चांदनी चौक टाउन हॉल से प्रस्थान कर राष्ट्रपति भवन के बाहर से परेड में 250 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यह क्रम तीन वर्षों तक चला।

सुप्रीम एंटरप्राइजेज
753, सदाशिव पेठ, कुमठेकर रोड, पुणे-411030. दूरभाष : 473777

संघ के कार्यकर्ता नारे लगाते थे कि "जनतंत्र अमर रहे"। उस वर्ष एटक के श्रमिक भी सम्मिलित किए गए थे। एटक के श्रमिकों ने प्रतिक्रिया में "लाल झंडा, लाल सलाम" का नारा लगा दिया। इस घटना के बाद उक्त अवसर पर मजदूर संगठनों की सहभागिता बंद कर दी गई।

विश्वकर्मा जयंती

उस समय तक हर 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती त्योहार के रूप में श्रमिकों द्वारा मनाया जाता था, इस दिन विश्वकर्मा की पूजा आरती होती थी। 1959 ई. में चांदनी चौक टाउन हॉल के सामने जनसभा के रूप में इसे मनाया गया। इसमें श्री रामकिशन भास्कर (अध्यक्ष) तथा श्री अमरचंद्र शुभ (उपाध्यक्ष) के साथ-साथ अधिवक्ता श्री वी. पी. जोशी. ने मार्गदर्शन किया।

1959 ई. में ही कपड़ा मिल मजदूर संघ में श्री रामकृष्ण भास्कर ने महामंत्री एवं श्री वी. पी. जोशी ने अध्यक्ष के रूप में काम संभाला। चारों टेक्सटाइल मिलों में इस संघ का अच्छा वर्चस्व हो गया। इस दौरान काफी आंदोलन हुए और ये आंदोलन सफल भी रहे। इसी दौरान श्री हरिराम डागर ने श्री हरिकृष्ण पाठक को समर्पित कार्यकर्ता के रूप में तैयार किया। इन दिनों कार्यकारिणी की बैठक श्रीजोशी के निवासस्थान पर छत्ता मदनगोपाल में होती थी। भगीरथ पैलेस में दिल्ली स्टेट केमिस्ट एंड सर्जिकल इंपलाइज यूनियन का गठन हुआ, जिसे मान्यता भी प्राप्त हुई। कपड़ा मिल यूनियन को भी ख्याति मिली तथा मालिकों के एसोसिएशन से इसे मान्यता भी मिली। दिल्ली हिंदुस्तान मर्केन्टाइल एसोसिएशन में कर्मचारियों का एक निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल किया जाता था। पहले इसमें एटक का ही प्रतिनिधि चुना जाता था। अब उसकी जगह भारतीय मजदूर संघ का सदस्य निर्वाचित होने लगा। इससे तत्कालीन भा. म. संघ की शक्ति एवं लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है। भा.म. संघ दिल्ली प्रदेश को विस्तार देने वालों में से एक श्री सतपाल शर्मा इसी समय पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में उभरकर सामने आए, जो छत्ता मदनगोपाल कार्यालय में शिक्षित-दीक्षित हुए थे। मिलन

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ का पुलिस मुख्यालय पर धरना

दत्तोपंत ठेंगड़ी भाषण देते हुए, ज्ञानसागर वशिष्ठ एवं अन्य कार्यकर्ता बैठे हुए

दि चिखली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

प्रधान कार्यालय : चिखली, जिला-बुलढाना - 433201. दूरभाष : (07264) 42039

सिनेमा के पास कर्मपुरा में कार्यालय बनाया गया। प्रदेश कार्यालय के लिए अजमेरी गेट स्थित सर शोभा सिंह के भवन में स्थान मिल गया। यहाँ श्री भास्कर जी की देख-रेख में काम चलता रहा। एक समर्थ प्रचारक के रूप में भास्कर जी कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित रहे। श्री हरिकृष्ण पाठक झंडेवाला से कार्य का संचालन करते रहे।

रेलवे तथा परिवहन

भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन एवं दिल्ली परिवहन मजदूर संघ का गठन हुआ। इसकी 72 यूनियनें निबंधित (रजिस्टर्ड) हो गईं। पँचकुइयां रोड के कम्युनिटी हॉल में चौथा अधिवेशन हुआ जिसमें श्री रामस्वरूप विद्यार्थी अध्यक्ष, श्री अमरचंद उपाध्यक्ष एवं श्री हरिकिशन पाठक महामंत्री निर्वाचित हुए।

श्री जयभगवान शर्मा ने चांदनी चौक के निकट ओखला में मथुरा रोड आश्रम के पास कार्यालय बनाया। कार्य शुरू हुआ। इसके पूर्व यहां केवल एटक का साम्राज्य था जो दोषपूर्ण समझौते किया करता था। इसकी प्रतिक्रिया में भा. म. संघ की ओर मजदूरों का झुकाव हुआ। श्री हंसराज सेठी के नेतृत्व में एक माह में 21 कारखानों के श्रमिक संगठित हो गए और कारखानों में सम्मानपूर्ण समझौते हुए।

दिल्ली प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के शैशव काल और बाल्यकाल का यह संक्षिप्त परिचय है।

सत्ता बनाम समर्पण

1961 ई. में पंजाब भारतीय मजदूर संघ का स्वरूप बहुत छोटा था। प्रदेश के तत्कालीन महामंत्री श्री सुखनंदन सिंह ने मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरो को कुछ मजदूर समस्याओं पर वार्ता के लिए पत्र लिखा था। उस समय श्री सुखनंदन सिंह अपने महाविद्यालय की शिक्षा पूरी करके आए थे। अभी उनकी दाढ़ी में बाल तक नहीं आए थे।

मुख्यमंत्री सरदार कैरो ने सरदार सुखनंदन सिंह को एक सप्ताह के बाद अपने निवास स्थान पर ही मिलने के लिए बुलाया। सरदार कैरो बहुत ही मृदुभाषी और तीव्र बुद्धि के मँजे हुए राजनीतिज्ञ थे।

निर्धारित समय पर जब सुखनंदन सिंह मुख्यमंत्री निवास पर पहुँचे तो मुख्यमंत्री स्वयं कोठी से बाहर आकर सुखनंदन सिंह को अपनी बाँहों में लेकर बड़े प्यार से वार्ताकक्ष में ले गए और बैठते ही उन्होंने कहा—"सुखनंदन, तुम तो बहुत लंबे-चौड़े और अच्छे व्यक्तित्व के युवा हो, कांग्रेस में भले दिखोगे"।

इस पर श्री सुखनंदन सिंह ने बड़ी विनम्रता से कहा, "मैं सिद्धांत और संगठन के प्रति उसी प्रकार निष्ठावान हूँ, जैसे आप कांग्रेस के प्रति हैं।

सरदार कैरो सिंह ने कहा, "आप गुस्से में क्यों आते हो? आपको कांग्रेस में नहीं आना है तो कहीं तहसीलदार आदि के स्थान पर नियुक्त कर देंगे।" जब सुखनंदन सिंह ने इस प्रस्ताव को भी नम्रता से अस्वीकार कर दिया तो सरदार कैरो ने बिलकुल रुष्ट नहीं होते हुए सुखनंदन सिंह की मजदूर समस्याओं को सुनकर सुलझाने का प्रबंध किया।

जी.एस. एंटरप्राइजेज

फिनोलेक्स केबल और वायर्स के ऑथराइज्ड डीलर

रूनवाल रायसोनी प्लाजा, आफिस नं.-4, 41/12, एरंडवणे, कर्वे रोड, पुणे - 411 004. दूरभाष : 341248

उत्तर प्रदेश

अपने नाम के ठीक विपरीत उत्तर प्रदेश श्रमिक चेतना के क्षेत्र में शुरू से अग्रणी रहा है। आजादी के बाद के दिनों में भी यहां के श्रमिक क्षेत्रों में वामपंथियों का प्रभाव था। परंतु श्रमिकों के प्रति इनका व्यवहार गैर-जिम्मेदाराना था। इससे भी दुखद बात इनकी अराष्ट्रीय सोच थी। इंटक सरकार की सरपरस्ती और जी हुजूरी करके इस प्रवृत्ति को शह दे रहा था।

नया संगठन

परिणामस्वरूप श्रमिकों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। राष्ट्रीय सोच वाले श्रमिकों के लिए बात असह्य हो गई थी। अतः इस संघ का उद्देश्य श्रमिकों में राष्ट्रीय सोच एवं जागृति उत्पन्न करते हुए उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना था जिसका पंजीकरण 21 दिसंबर 1953 को हुआ। श्री हंसदेव सिंह गौतम इसके अध्यक्ष एवं श्री राम कृष्ण त्रिपाठी इसके मंत्री थे। यों तो यह संगठन मजदूर हित में काम करने को अग्रसर एवं राष्ट्रहित चिंतक था परंतु 23 जुलाई 1955 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पावन जन्मदिवस पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित एक अखिल भारतीय मजदूर संगठन के निर्माण की दृष्टि से भोपाल में श्रमिक नेताओं का आह्वान किया गया तब कानपुर के 'भारतीय मजदूर संघ' के नेता भी पीछे नहीं रहे और भोपाल से स्फूर्ति और दिशा लेकर महासंघ की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश में प्रयत्नशील हुए। **परिणामस्वरूप 24 फरवरी 1957 को कानपुर में पाँच पंजीकृत यूनियनों की सहायता से भारतीय मजदूर संघ के उत्तर प्रदेशीय शाखा की स्थापना की गई।** पर तत्कालीन सरकार इसको मान्यता देने की बात पर बरसों आनाकानी करती रही। अंत में भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के आमरण अनशन पर बैठने के बाद काफी ननुनच करके 19 दिसंबर 1960 को सरकार इस संगठन को मान्यता दी। इस सफलता के पीछे सर्वश्री रामकृष्ण त्रिपाठी, यज्ञदत्त शर्मा, भगवत शरण रस्तोगी, हंसदेव सिंह गौतम और शारदा प्रसाद त्रिपाठी जैसे कई कार्यकर्ताओं की तपस्या छिपी है जिन्होंने इसके लिए धरना और आंदोलन से लेकर आमरण अनशन तक किए।

इस प्रकार भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश में अपने जन्मकाल से ही शक्ति प्रदर्शन आंदोलन एवं पौरुष की अभिव्यक्ति से मूलरूप से जुड़ा है और इसके बाद ही यहां के श्रमिक 'सत्यमेव जयते' तथा 'श्रमेव जयते' के मंत्र की सार्थकता समझ रहे हैं।

संस्थापक सदस्य

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के आह्वान पर 23 जुलाई 1955 को भोपाल पहुंचने वाले नेताओं सर्वश्री ठाकुर दास जी साहनी, यज्ञदत्त शर्मा, शारदा प्रसाद त्रिपाठी, राजा मोहन अरोड़ा एवं शिव कुमार त्यागी के अलावा इसके प्रारंभ के दिनों से ही उत्तर प्रदेश के श्रमिक नेताओं में सर्व श्री परमात्मा चरण सक्सेना, रामकृष्ण त्रिपाठी, ईश्वर दयाल सक्सेना, हंसदेव सिंह गौतम तथा भगवत शरण रस्तोगी अग्रगण्य रहे हैं। जिनके असीम त्याग और तपस्या से ही उत्तर प्रदेश में महासंघ की स्थापना हो सकी।

1960 ई. तक महासंघ को मान्यता न मिलने के कारण प्रदेश के अन्य जिलों व कारखानों में यूनियन की स्थापना करना तथा उनको भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध करना संभव नहीं था। अतएव स्वाभाविक रूप से इससे संबद्ध यूनियनों की संख्या प्रारंभ में सीमित रही और सारे कार्य व हलचल का केंद्र कानपुर ही रहा। फिर भी उस समय लोहा **उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों का एक विशाल सम्मेलन 5 जनवरी 1958 को कानपुर में हुआ जिसमें हजारों की संख्या में कामगारों ने भाग लिया।**

यह संघ की शैशवावस्था का ही प्रतिफल था कि उत्तर प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रांतीय अधिवेशन तथा समय-समय पर होने वाले प्रतिनिधि सभाओं के सम्मेलन भी कानपुर में

मैसर्स डी.एस. कुलकर्णी एंड कंपनी
डी.एस. के हाउस - 1187/60, जंगली महाराज रोड, मार्डन हाई स्कूल के पास, शिवाजी नगर, पुणे - 411 005 (भारत)
दूरभाष : 324595, 324596, 324597, 98, 99

ही करने पड़े।

उ.प्र. में भा.म. संघ

24 फरवरी 1957 को भारतीय मजदूर संघ की उत्तर प्रदेश शाखा का जब गठन किया गया तो उस समय इसकी सिर्फ पाँच यूनियनें थीं—(1) भारतीय मजदूर संघ, कानपुर, (2) ब्रुशवेयर कर्मचारी यूनियन, कानपुर, (3) आरा मशीन मजदूर यूनियन, कानपुर, (4) भारतीय केमिकल्स मजदूर संघ, कानपुर एवं (5) नागरथ ऑयल (पेंट्स) मिल मजदूर यूनियन, कानपुर। उस समय प्रादेशिक कार्यालय 14/12 बंबा रोड, दर्शन पुरवा, कानपुर में स्थापित किया गया तथा संगठनात्मक स्वरूप को देखते हुए पदाधिकारियों का चयन किया गया। उसका स्वरूप इस प्रकार था—

संयोजक : रामकृष्ण त्रिपाठी
अध्यक्ष : परमात्मा चरण सक्सेना
प्रदेश मंत्री : राम कृष्ण त्रिपाठी
कोषाध्यक्ष : भगवत शरण रस्तोगी
सदस्य : यज्ञदत्त शर्मा, शिवकुमार त्यागी, अयोध्या नाथ एवं राम करण सिंह।

क्षेत्र प्रभार

इस समय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अलावा पाँच यूनियनों के सदस्यों की संख्या 500 थी। बाद में लोहा एवं इंजीनियरिंग उद्योग के क्षेत्र में भी काम प्रारंभ हुआ तथा प्रदेश में कानपुर के अलावा अन्य स्थानों पर भी कार्य की योजना बनी जिसके लिए अलग-अलग जगहों के अलग-अलग संगठन प्रभारी नियुक्त किए गए—(1) गोरखपुर क्षेत्र—मिश्री लाल, (2) लखनऊ क्षेत्र—शिव कुमार त्यागी, (3) आगरा क्षेत्र—राजा मोहन अरोड़ा, (4) मेरठ क्षेत्र—जगमोहन लाल गर्ग, (5) बरेली क्षेत्र—नित्यानंद स्वामी, (6) प्रयाग क्षेत्र—शारदा त्रिपाठी, (7) कानपुर क्षेत्र—राम कृष्ण त्रिपाठी।

परंतु **अध्यक्ष श्री परमात्मा चरण सक्सेना के 19 जनवरी 1958 को असामयिक निधन के बाद शीघ्र ही प्रांतीय कार्यकारिणी में फेर बदल करना पड़ा।** दूसरे ही वर्ष प्रांतीय अधिवेशन में (जो 20 फरवरी 1958 को कानपुर में हो रहा था) श्री भगवत शरण रस्तोगी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और कोषाध्यक्ष का दायित्व श्री अयोध्या नाथ को सौंपा गया।

1986 में शामली में संपन्न 13वें अधिवेशन के अवसर पर खुले सत्र का एक दृश्य

द्वितीय प्रांतीय अधिवेशन तक उत्तर प्रदेश में अठारह पंजीकृत यूनियनें भा.म. संघ के साथ जुड़ चुकी थीं। जिनमें निम्नांकित की भूमिका प्रमुख थी—

1. कपड़ा मिल मजदूर संघ, कानपुर, 2. ब्रुशवेयर कर्मचारी संघ, कानपुर, 3. आरा मशीन मजदूर यूनियन, कानपुर, 4. लोहा मिल कर्मचारी यूनियन, कानपुर, 5. नैनी इंजीनियरिंग कर्मचारी संघ, नैनी (इलाहाबाद), 6. ट्रंक मेकर्स एंड ब्लैकस्मिथ यूनियन, देहरादून, 7. स्वदेशी मिल मजदूर संघ, नैनी (इलाहाबाद), 8. वाराणसी सिल्क मिल्स श्रमिक संघ, वाराणसी, 9. भारतीय आयरन एंड इंजीनियरिंग मजदूर संघ, कानपुर, एवं 10. भारतीय केमिकल मजदूर संघ, कानपुर।

आगे

भारतीय मजदूर संघ इन यूनियनों के सहयोग से अपने राष्ट्रीय सोच को उत्तर प्रदेश के सभी भागों में पहुंचाने में रत रहा एवं दत्तचित्त होकर इसके कार्यकर्त्ता श्रमिकों की समस्याओं के लिए सदप्रयास करते रहे। 2 अप्रैल 1960 एवं 22 अक्टूबर 1960 इस कालखंड की महत्वपूर्ण तिथियां कही जा सकती हैं, जिन तिथियों को कानपुर में प्रांतीय प्रतिनिधि सभा एवं तृतीय प्रांतीय अधिवेशन हुआ। उस समय प्रादेशिक अध्यक्ष श्री नित्यानंद स्वामी देहरादून में थे। काल-प्रवाह में 6 जुलाई 1960 को संघ के प्रधान मंत्री श्री राम कृष्ण त्रिपाठी ने अपनी असमर्थता के कारण त्यागपत्र दे दिया जिसे स्वीकार करते हुए **प्रादेशिक कार्यसमिति ने 28 अगस्त 1960 को सर्वसम्मति से श्री राम नरेश सिंह (बड़े भाई)** को प्रधान मंत्री निर्वाचित किया।

मैसर्स जे.डी. ब्रदर्स (पोरस डिवीजन)

पुणे (महाराष्ट्र)

और आगे

20, 21 व 22 अक्टूबर 1960 को नारायणी धर्मशाला, कानपुर में भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ जिसमें श्री नित्यानंद स्वामी (देहरादून) को प्रांतीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अधिवेशन में लखनऊ, गोंडा, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बांदा, देहरादून एवं वाराणसी के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

चतुर्थ प्रांतीय अधिवेशन तक जो यूनियनें प्रमुख रूप से कार्यरत थीं वे निम्नलिखित हैं—

1. सिल्क मिल्स श्रमिक संघ, वाराणसी, 2. राज मजदूर संघ, सीतापुर, 3. नाविक जल मजदूर संघ, बांदा, 4. आरा मशीन मजदूर यूनियन, कानपुर, 5. ब्रुशवेयर कर्मचारी यूनियन, कानपुर, 6. एन.ई.आर. पोर्टर्स एसोसिएशन, गोरखपुर, 7. नागरथ पेंट्स एंड ऑयल वर्कर्स यूनियन, कानपुर, 8. ट्रंक मेकर्स एंड ब्लैक स्मिथ यूनियन, देहरादून, 9. आयरन एवं स्टील मजदूर यूनियन, कानपुर, 10. भारतीय केमिकल्स मजदूर संघ, कानपुर एवं 11. भारतीय आयरन एंड इंजीनियरिंग मजदूर संघ, कानपुर।

सबसे आगे

यद्यपि इस समय तक मजदूर संघ की पकड़ काफी अच्छी हो चली थी फिर भी अनेक क्षेत्रों में इसका प्रसार नहीं हो पाया था अतः युद्ध स्तर पर अनेक क्षेत्रों में इसके प्रसार पर बल दिया गया। परिणामस्वरूप 6 व 7 मई 1961 के वाराणसी में हुए भा.म. संघ उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधि सभा के सम्मेलन के बाद कई और क्षेत्रों के यूनियनों ने हिस्सा लिया जिसके मजदूरों की आवाज एवं मांगों के लिए मजदूर संघ समर्थ बनकर आगे आया था। ये यूनियनें रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना सहकारी समिति, राज्य कर्मचारी, जल-कल मजदूर, नाविक मजदूर, स्वदेशी काटन मिल मजदूर, कानपुर, एल्यूमीनियम कारखाना, मिर्जापुर, धातु खाना, ढैरय्या मजदूर, मिर्जापुर, बर्तन उद्योग मुरादाबाद, कपड़ा छपाई उद्योग मजदूर फर्रूखाबाद, आगरा शू उद्योग, आर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादाबाद, आरा मशीन देहरादून, दुकान कर्मचारी ऋषिकेश, लालटेन उद्योग कर्मचारी मोदीनगर, चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद, साहू केमिकल्स वाराणसी और वाराणसी सिल्क उद्योग मजदूर की थीं।

परिवर्तन

अक्टूबर 1962 में हुए भारतीय मजदूर संघ के छठे अधिवेशन तक 10 हजार संख्या वाली इसके यूनियनों की संख्या 41 से बढ़कर 68 हो गई। इस बीच भा.म. संघ में फेर-बदल भी हुए जिनमें श्री लक्ष्मी नारायण सक्सेना की जगह पर श्री परमेश्वर पांडेय का अध्यक्ष बनना भी शामिल है। 21 अक्टूबर 1962 को अर्थात गोरखपुर के छठे अधिवेशन के उपरांत कार्यसमिति का गठन निम्न प्रकार से हुआ—

अध्यक्ष—परमेश्वर पांडेय, प्रधान मंत्री राम नरेश सिंह, संगठक—कानपुर क्षेत्र—हंसदेव सिंह गौतम, लखनऊ क्षेत्र—रक्षपाल सिंह, गोरखपुर क्षेत्र—सुधीर सिंह, प्रयाग क्षेत्र—ज्ञानचंद एडवोकेट, बरेली क्षेत्र—लक्ष्मी नारायण जी, आगरा क्षेत्र—राजा मोहन अरोड़ा तथा मेरठ क्षेत्र—सलेक चंद जी।

इन महानुभावों ने अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। इसी का परिणाम था कि 26-28 अप्रैल 1963 को गाजियाबाद में जब भारतीय मजदूर संघ की प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का सम्मेलन संपन्न हुआ तब भा.म. संघ के साथ 16 हजार सदस्यता वाली 112 यूनियनें पूरे प्रदेश में कार्यरत थीं। साथ ही साथ प्रांतीय स्तर पर चार औद्योगिक महासंघ भी काम करने लगे थे। ये थे—1. उ.प्र. इंजीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन, 2. उ.प्र. चीनी मिल मजदूर संघ, 3. उ.प्र. दुकान कर्मचारी संघ, 4. उ.प्र. टेक्सटाइल मजदूर संघ।

यह भा.म. संघ के बढ़ते चरण का ही प्रतीक था कि सातवें अधिवेशन तक उत्तर प्रदेश में 17,500 सदस्यता वाली 112 यूनियनें थीं। यह अधिवेशन 3 अक्टूबर 1963 को बरेली में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में लखनऊ के दादा विनय कुमार मुखर्जी को प्रांतीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया जो कालांतर में भा.म. संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने।

इस स्वर्णिम काल में अर्थात सातवें से आठवें अधिवेशन के बीच भा.म. संघ की कई यूनियनों के प्रांतीय अधिवेशन भी हुए। जिसमें उ.प्र. चीनी मिल मजदूर संघ का तीसरा अधिवेशन और विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का प्रथम अधिवेशन उल्लेखनीय है। उ.प्र. चीनी मिल मजदूर संघ का तीसरा प्रांतीय अधिवेशन तुलसीपुर (गोंडा) में संपन्न हुआ जिसमें रामचंद्र वर्मा एडवोकेट अध्यक्ष, राम नरेश सिंह (बड़े भाई जी) उपाध्यक्ष एवं सुधीर सिंह प्रधान मंत्री घोषित किए गए। दिलीप नारायण सिंह और घनश्याम दास गुप्ता को मंत्री तथा सत्यनारायण खेतान को कोषाध्यक्ष बनाया गया। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन 23-24 फरवरी 1964 को लखनऊ के मालवीय हॉल में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने भाग लिया था। इस अवसर पर जो कार्यकारिणी गठित हुई उसका स्वरूप इस प्रकार था : अध्यक्ष—टंबरेश्वर प्रसाद, उपाध्यक्ष —माधव प्रसाद त्रिपाठी एवं एस.पी. मित्तर (लखनऊ), प्रधानमंत्री—आर.पी. चतुर्वेदी

दि न्यू पूना इंडस्ट्रीज
प्रो. एच फिलुंगर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
ओम चैंबर्स, जंगली महाराज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411 005 (भारत). दूरभाष : 324082, 324825

(लखनऊ), मंत्री—वासुदेव मिश्रा (कानपुर), विजय प्रकाश (गुरुकुल कांगड़ी), सदस्य—राम नरेश सिंह (कानपुर), सियाराम जी (आगरा), शिवसिंह राठौर (लखनऊ), गोपाल देव टंडन (लखनऊ), एम.ए. डेविड (प्रयाग), हमीद अहमद जुबैदी, अब्दुल माबूद खां (अलीगढ़), भोला नाथ व बेनी माधव जी (इलाहाबाद)। इसी प्रकार उ.प्र. विद्यालय कर्मचारी संघ की स्थापना इसी काल-खंड में हो गई थी, जो 20-21 फरवरी 1965 को लखनऊ में हुए अपने द्वितीय अधिवेशन के बाद विशेष रूप से प्रकाश में आया।

आठवें से नवें प्रांतीय अधिवेशन के बीच अर्थात वर्ष 1964-65 में उत्तर प्रदेश भा.म. संघ में लगभग 20 हजार सदस्य संख्या वाली 128 यूनियनें थीं। बैंक एवं जीवन बीमा निगम के अलावा लगभग सभी प्रमुख उद्योगों में भा.म. संघ का विस्तार हो चुका था। 1 मई 1965 को हाथरस में उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक महासमिति की सभा संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में भा.म. संघ का कार्य कुछ न कुछ प्रारंभ हो चुका था जबकि उस समय उत्तर प्रदेश में 56 जिले थे।

इसी वर्ष विश्वविद्यालय, विद्यालय, दुकान, चीनी तथा कपड़ा एवं इंजीनियरिंग उद्योगों के प्रादेशिक महासंघों के अलग-अलग स्थानों पर अधिवेशन भी किए गए थे। मिर्जापुर व वाराणसी के कालीन उद्योगों में मजदूर संघ की सदस्यता हजारों हो चुकी थी और चीनी मिलों में सशक्त व प्रभावी संगठन खड़ा हो गया था।

प्रथम रेल अधिवेशन

भा.म. संघ के विजय अभियान में उस समय एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया, जब आगरा में 24-25 दिसंबर 1965 को भारतीय रेल मजदूर संघ का नामकरण किया गया। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन, पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ, पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ, मध्य रेलवे कर्मचारी संघ, पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद, दक्षिण पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ तथा दक्षिण रेलवे कार्मिक संघ आदि के लगभग 50 हजार सदस्य संख्या वाले संघों के 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

यज्ञदत्त शर्मा

हंसदेव सिंह गौतम

इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष थे—दामोदर प्रसाद शर्मा तथा स्वागत मंत्री लोक नाथ अरोड़ा। सम्मेलन का उद्घाटन किया श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने तथा अध्यक्षता की दादा विनय कुमार मुखर्जी ने। भारतीय रेलवे मजदूर संघ का विधान बनाने के लिए जो समिति गठित की गई, उसमें लखनऊ से डी.एस. मिश्रा, वाराणसी से रामजन्म पाण्डेय, नागपुर से एस.जी. दबीर, भावनगर से एम.एम. प्रताप, जमालपुर से बालेश्वर प्रसाद शर्मा, विजयवाड़ा से ए. सत्य नारायण तथा बंबई से अमलदार सिंह सदस्य चुने गए।

रेलवे में विस्तार

उत्तर प्रदेश में पश्चिम रेलवे के आगरा, मध्य रेलवे के झाँसी, पूर्व रेलवे के मुगलसराय, उत्तर रेलवे के लखनऊ, कानपुर, प्रयाग, वाराणसी, सहारनपुर, मुरादाबाद तथा पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर, वाराणसी, गोंडा, लखनऊ, फतेहगढ़ तथा आइजट नगर आदि प्रमुख केंद्रों पर भारतीय रेलवे मजदूर संघ का कार्य विधिवत प्रारंभ हो गया और रेलवे में उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन, मध्य रेलवे कर्मचारी संघ, पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ एवं पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद सुचारु रूप से कार्य करने लगीं।

वर्ष 1964-65 में आगरा व बरेली में रोडवेज कर्मचारियों के बीच भी भा.म. संघ का कार्य प्रारंभ हो गया और गोरखपुर व प्रयाग में कार्य प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन हरिद्वार में चल रही थी और सूती मिल कर्मचारी संघ हाथरस में। अभिप्राय यह कि भा.म. संघ उत्तर प्रदेश के चप्पे-चप्पे में अपनी यूनियनें विकसित कर चुका था। तब उसके जन्म के सिर्फ दस वर्ष ही हुए थे।

1967 के कालखंड में उत्तर प्रदेश में भा.म. संघ ने अच्छा रूप लिया। इसकी संबद्ध

बीज कामगार कल्याण निधि
रास्ता पेठ पुणे, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030

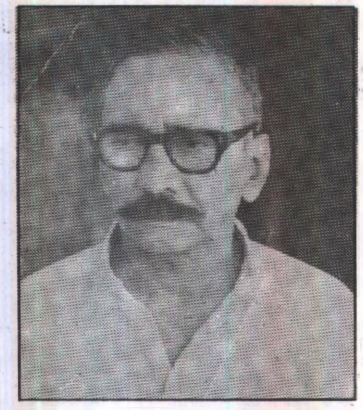

वीरेन्द्र भटनागर

यूनियनें बढ़ती गईं। 1971 के अंत में अन्याय उद्योगों में यूनियनों की संख्या निम्न प्रकार थी—चीनी-35, सूतीकपड़ा-22 इंजीनियरिंग-18, प्रतिरक्षा उत्पादन-20, बिजली-10, मार्ग परिवहन-5, स्वायत्तशासी-12।

कई बड़े औद्योगिक संस्थानों में भी कार्य शुरू हो गए।

भा. म. संघ के कार्य के आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी। कानून जानने वाले, प्रबंधन से वेतन, मंहगाई, बोनस आदि विषयों पर सक्षमता से चर्चा करने वाले, द्वार सभा, प्रकटसभा आदि के लिए कुशल वक्ता तथा पुलिस मामलों के संदर्भ में समर्थ रूप से सहायता करने वाले कार्यकर्ताओं की जगह-जगह पर आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति करने के लिए नियमित रूप से स्थान-स्थान पर अभ्यासवर्ग शुरू हुए। उदाहरण के लिए 1971 में 8 स्थानों पर और 1972 में 15 स्थानों पर त्रिदिवसीय अभ्यासवर्ग हुए।

जगह-जगह बिना संघर्ष के, थोड़ा संघर्ष करने के बाद या दीर्घ संघर्ष के बाद समझौता करके प्रबंधन से कामगारों की मांगें पूरी कराने में उ.प्र. के कार्यकर्ता सफल रहे। इस कालखंड मे ब्रुशवेयर कर्मचारी यूनियन का तत्रास्थ प्रबंधन से हुए उपदान (ग्रेच्युटी) और बोनस के मामले पर राजकीय औद्योगिक निगम के मजदूरों को स्थायी करने के बारे में, स्वायत्तशासी संस्था में ऋषिकेश और मसूरी की सेवाशर्तों में समानता लाने वाले, अलीगढ़ के वाटर वर्क्स को फैक्ट्री ऐक्ट के मुताबिक सुविधाएं दिलवाने वाले और जगह-जगह पर 20 प्रतिशत बोनस प्राप्त करवाने वाले समझौते विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

जिन जगहों पर भा.म. संघ को कड़ा संघर्ष करना पड़ा, उसमें एयर गैसेस मजदूर संघ द्वारा की हुई एक महीने की हड़ताल, मजदूरों को संगठित करने के कारण कार्यकर्ता मजदूर के निष्कासन पर दि सिल्क मिल में सफल हड़ताल, कानपुर विद्युत कर्मचारियों द्वारा 5 दिन की हड़ताल आदि उल्लेखनीय हैं।

नागरनाथ पेंट्स, कानपुर में प्रबंधन ने लॉक आउट किया। भा.म. संघ द्वारा संघर्ष शुरू हुआ। 24 घंटे धरना होता रहा। 5 दिन के बाद केवल लॉक आउट का वेतन ही नहीं, अपितु बाकी मांगे भी पूरी हुईं। इस प्रकार संगठन-संघर्ष-प्रशिक्षण-समन्वय आदि के कार्य ने 1972 तक प्रदेश में अच्छा रूप लिया।

कार्य स्थिर होने लगा

उत्तर प्रदेश में अभी भा. म. संघ अपनी शैशवावस्था समाप्त करके एक समर्थ, सशक्त, सक्षम संगठन के रूप में सामने आया।

अब ऐसी स्थिति बन गई थी कि अन्य सभी संगठन मिलकर भी भा. म. संघ के बिना कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकते थे।

6 जून 1979 के दिन भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर चुपके-से मालिकों ने श्रममंत्री की अध्यक्षता में अन्य सभी श्रम संगठनों के साथ समझौता करके जनवरी से मार्च 1979 तक के बकाया (एरियर) 54 लाख रुपए गोल कर दिए थे। उसके विरोध में **भारतीय मजदूर संघ ने 20 अगस्त 1979 को सूती मिलों के 40 हजार कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करवा कर इस भ्रष्टाचार का सफल प्रतिकार किया।**

इसी प्रकार कानूनी मुकदमे भी चर्चित होने लगे। उदाहरण के तौर पर वाराणसी स्थित साहू केमिकल्स से मुकदमे में जीतकर 6 लाख रुपए दिलवाए गए। अजीत मिल कारखानों में 8. 33 प्रतिशत के स्थान पर 11.33 प्रतिशत बोनस वितरित कराया गया। इसी कार्यकाल में प्रारंभ, लेकिन 1983 में जिसका कानूनी फैसला हुआ, ऐसा मुकदमा है रायबेरली के टायर एंड ट्यूब लिमिटेड के कर्मचारियों का। **35 मजदूरों को कानून का उल्लंघन करके मालिक की मनमानी पर निकाला गया था। उनको फिर काम पर वापस लेना पड़ा।**

1980 से 1984 के कार्यकाल में भा. म. संघ को उत्तर प्रदेश में कई प्रकार से मजदूरों को राहत और न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त हुई। नार्दर्न रेलवे के लखनऊ लोको शेड से निकाले गए मजदूरों को भा.म. संघ की यूनियन के प्रयत्नों के कारण ही काम पर वापस लिया गया।

संघर्ष का कालखंड

1984 से 1987 का कालखंड भा. म. संघ उत्तर प्रदेश की दृष्टि से संघर्ष का कालखंड रहा। इस अवधि में हरिद्वार भेल, मथुरा तेल शोध संयंत्र, होटल क्लार्क, तापीय प्रकल्प वाराणसी, एल्डिन मिल कानपुर तथा विभिन्न चीनी मिलों में आंदोलन किए गए। देवरिया चीनी मिल पर मिल मजदूरों ने मुख्यमंत्री के सामने चीनी मिलों को बंद करने के सबंध में दिए गए उनके वक्तव्य के खिलाफ प्रदर्शन किया।

फैजाबाद में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन किया। फलस्वरूप भारतीय मजदूर संघ के गिरफ्तार कार्यकर्ता श्री शैलेंद्र त्रिपाठी को तीव्र आंदोलन के डर से रिहा करना पड़ा। रायबरेली स्पिनिंग मिल

केशव लक्ष्मी प्रसाधन (पिकल डिवीजन)
221/1ए, कोंढवा, पुणे-411 048

वाराणसी के जिला कार्यालय पर भा.म. संघ द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरने को संबोधित करते हुए श्री रामदौर सिंह, राष्ट्रीय मंत्री एवं देवनाथ सिंह, महामंत्री उत्तरप्रदेश

में सुरक्षा कर्मचारियों की गोलीबारी से एक मजदूर की मृत्यु हुई।

कार्य के आयाम बढ़ने लगे

वैसे उ. प्र. में लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों में भा. मं. संघ ने सफलतापूर्वक कार्य किया, लेकिन महिला विभाग की तरफ जितना ध्यान अपेक्षित था, नहीं दिया गया। 1987 से 1990 के कार्यकाल में इसके लिए विशेष प्रयत्न शुरू हुए।

कार्य बढ़ने लगा। अब तक अधिवेशन में आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या पर रोक लगाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। 21, 22 अक्टूबर 1991 को संपन्न हुए अधिवेशन में 1300 प्रतिनिधिओं के शामिल होने की ही अनुमति दी गई।

लेकिन उपर्युक्त गतिविधियों के पूर्व ही महिला विभाग की तरफ विशेष ध्यान देना शुरू हो गया था। इस प्रयास का स्पष्ट असर बाद के अधिवेशन में देखा गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में 230 महिला प्रतिनिधि थीं। महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए इस अधिवेशन में प्रदेश कार्यकारिणी में तीन महिलाओं को सदस्य बनाया गया। वाराणसी में महिला कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ।

इसी प्रकार 1992 और 1993 में देहरादून, कानपुर तथा लखनऊ में महिला सम्मेलन हुए।

प्रशिक्षण पर जोर

कार्य विस्तार के साथ-साथ कार्यकर्ता की सक्षमता बढ़ाने हेतु नियमित रूप से अभ्यास वर्ग आयोजित करने में उ. प्र. भा. म. संघ

रामभाऊ जोशी

के कार्यकर्ता सजग हैं। इसी कारण 1993 में 15 अभ्यास वर्गों में 600 से अधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।

केवल 1995 में स्थान-स्थान पर जो अभ्यासवर्ग हुए, उनकी संख्या 29 थी और उसमें भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या 1093 थी। इसमें 832 कार्यकर्ता ऐसे थे, जिन्होंने पहली बार अभ्यास वर्ग में हिस्सा लिया था। इनमें 653 युवक थे।

1989 से 1996 की अवधि में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। बार-बार विधानसभा के चुनाव होते रहे। राजनीतिक वातावरण अस्थिर होते हुए भी भा.म. संघ की नीति प्रतियोगी सहकारिता की भावना से संबलित होने के कारण इसका कार्य अविरत प्रगति पर है। इसका एक मात्र कारण है कि भा. म. संघ अनुकूल परिस्थिति में सरलयात्म दृष्टि से एवं प्रतिकूल परिस्थिति में गुणात्मक दृष्टि से कार्य करता है। इसी कारण भा. म. संघ के कार्य की गंगोत्री अविरल बहती रहती है।

महिला विभाग

1991 के अधिवेशन के समय वाराणसी

एक शुभाकांक्षी, पुणे

में प्रथम बार महिलाओं का सम्मेलन हुआ, जिसका पहले उल्लेख किया है। विगत पाँच वर्षों में महिलाओं में कार्य का विस्तार हुआ है। कानपुर, झाँसी व वाराणसी में आंगनवाड़ी में भा.म. संघ का कार्य खड़ा हो गया है और सुचारु रूप से चल रहा है। कानपुर में बालवाड़ी में भी अच्छा कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों में कार्यरत महिलाएं उत्तर प्रदेश में चलने वाली भारतीय मजदूर संघ की यूनियनों में अधिकाधिक संख्या में सदस्य बनी हैं। प्रदेश कार्यसमिति में भी चार महिलाएं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। 25 सितंबर 1993 को देहरादून, 23 सितंबर को लखनऊ एवं 26 दिसंबर 1993 को कानपुर में महिलाओं के क्षेत्रीय सम्मेलन संपन्न हुए हैं।

सोने में सुगंध

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर 1989 के आधार पर कराए गए सदस्यता सत्यापन में उत्तर प्रदेश में भा.म. संघ ने 35 उद्योगों में कार्यरत 488 यूनियनों की 51736 सदस्यता का दावा किया था। केंद्रीय श्रम विभाग द्वारा सत्यापित सदस्यता का जो परिणाम घोषित किया गया है, उसके अनुसार कृषि को छोड़कर उ.प्र. भारतीय मजदूर संघ की सत्यापित सदस्यता 373954 तथा कृषि की 76882 अर्थात कुल 4,50,826 है। इस प्रकार उ.प्र. भा.म. संघ द्वारा दावा की गई सदस्यता के 87 प्रतिशत से अधिक इसकी सत्यापित सदस्यता है।

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस समय लगभग 15 करोड़ है और इसका क्षेत्रफल 2,94,143 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 66 जिले और 294 तहसीलें, 896 विकास खंड, 73,914 ग्राम सभाएं एवं 1,12,232 ग्राम हैं। इनके अतिरिक्त यहां 8 नगर निगम, 229 नगर परिषद तथा 818 टाउन एरिया हैं। श्रम विभाग द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश को 15 भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ की कुल 455 पंजीकृत यूनियनें हैं, जिनकी सदस्य संख्या 5,40,785 है। इस विशाल भू-भाग वाले प्रदेश में सर्वत्र भा.म. संघ का काम फैल चुका है। पूर्व में शक्ति नगर सेवरही से लेकर पश्चिम में शामली पिलखनी एवं सरसावा तक उ.प्र. भा.म. संघ फैला है। इसी प्रकार सुदूर दक्षिण में ललितपुर से भी 100 कि.मी. दक्षिण में स्थित पिलनारी खदान से लेकर उत्तर में बलरामपुर गिरजापुरी तक तथा पहाड़ के दुर्गम मार्गों को लांघते हुए चीन की सीमा पर स्थित धारचूला और तवाघाट तक भा.म. संघ का गैरिक ध्वज लहरा रहा है। फिर भी अभी ग्रामीण व खेतिहर मजदूरों में भा.म. संघ को काम बढ़ाने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश में केवल दो पहाड़ी जिले चमोली और उत्तरकाशी ऐसे हैं, जहां पर अभी भी भारतीय मजदूर संघ की पंजीकृत यूनियनें नहीं हैं, वैसे, काम तो सभी जिलों में है। प्रदेश कार्यकारिणी की प्रांतीय बैठक निश्चित एवं निर्धारित समय पर तीन-चार मास के अंतराल होती रहती है। वर्तमान में यहां पूर्णकालिकों की संख्या 25 है। कार्य के विस्तार को देखते हुए निश्चित रूप से यह संख्या बहुत कम है, जिस पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। यहां 68 जिलों में से 59 में जिला समितियां हैं तथा शेष जिलों में संयोजक हैं और इनमें भी जिला समिति गठित करने के प्रयास चल रहे हैं।

चीनी आक्रमण

1962 के चीनी आक्रमण के समय पंजाब में प्रदेश स्तर की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। केंद्र में तथा पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं। पंजाब प्रदेश के मुख्य मंत्री स्व. प्रताप सिंह कैरो थे।

उस समय भारतीय मजदूर संघ का कार्य बहुत सीमित था। फिर भी मजदूर संघ के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के भा.म. संघ के तत्कालीन सह मंत्री सरदार सुखनंदन सिंह को पंजाब सरकार ने प्रदेश स्तरीय सुरक्षा परिषद में सदस्य के नाते नियुक्त किया था।

मैसर्स टेंपटेशन फूड्स लिमिटेड
1182/1/3, शिवाजी नगर, एफ.सी. रोड, पुणे-411 005. दूरभाष : 325368

श्रद्धांजलि

यह श्रद्धांजलि सूची उन स्वर्गवासी कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने अपने जीवनकाल में उत्तर प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ के कार्य के विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी स्मृति में भारतीय श्रम शोध मंडल की हार्दिक श्रद्धांजलि :

श्रद्धेय दादा विनय कुमार मुखर्जी, लखनऊ
मान्यवर बड़े भाई राम नरेश सिंह जी, कानपुर
श्रीयुत हंसदेव सिंह गौतम, कानपुर
श्री भगवत शरण रस्तोगी, कानपुर
श्री ईश्वर दयाल सक्सेना, कानपुर
श्री परमात्मा चरण सक्सेना, कानपुर
श्री यज्ञदत्त शर्मा, कानपुर
श्री गुरुचरण तिवारी, कानपुर
श्री शत्रुतोष सिंह, आर्डिनेंस फैक्ट्री, कानपुर
श्री आर.डी. फ्रेंकलिन, विद्युत, कानपुर
श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, परिवहन कार्यशाला, कानपुर
श्री बालादीन जी, हार्नेस फैक्ट्री, कानपुर
श्री रामकरन सिंह, जूट मिल, कानपुर
श्री सुरेश चंद्र रस्तोगी, लखनऊ (फैजाबाद)
श्री चारु चंद्र मिश्रा, लखनऊ
श्री बी.डी. तिवारी, रेलवे, लखनऊ
श्री ज्ञानचंद्र द्विवेदी, एडवोकेट हाईकोर्ट, इलाहाबाद
श्री हीरालाल, इलाहाबाद
श्री शारदा प्रसाद त्रिपाठी, इलाहाबाद
श्री ज्ञान चंद्र, गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद
श्री गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव, रायबरेली
श्री सुधीर सिंह, गोरखपुर
श्री गुलाब चंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर
श्री शिव मंगल राय, देवरिया
श्री प्रेम नारायण, गाजीपुर
श्री भोलानाथ दुबे, गाजीपुर
श्री रामरति राय, गार्जीपुर
श्री हृदय नारायण, जौनपुर
श्री कृपाशंकर श्रीवास्तव, बहराइच
श्री प्रेमशंकर शुक्ल, सोनभद्र
श्री त्रिभुवन सिंह, रेणुकूट, सोनभद्र
श्री ब्रह्मचारी तिवारी, पड़रौना
श्री राजाराम, कप्तान गंज
श्री कपिलदेव वर्मा, सिसवा बाजार
श्री बाबू रमाशंकर सिंह जी, परिवहन, वाराणसी
श्री फूलचंद विश्वकर्मा, इंजीनियरिंग, वाराणसी
श्री लक्ष्मी नारायण जैसवाल, केमीकल्स एंड फर्टीलाइजर, वाराणसी
श्री ललित मोहन त्रिपाठी, रेलवे, वाराणसी
श्री सच्चिदानंद सिंह, वाराणसी
श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, बैतालपुर
श्री मानबहादुर सिंह, नवाबगंज, गोंडा
श्री चौ. नन्हे लाल, जरबल रोड, बहराइच
श्री रामचंद्र शाही, बलरामपुर
श्री जयशंकर सिंह, डाला
श्री विजय शंकर वाजपेयी,
श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, बरेली
श्री लक्ष्मीनारायण सक्सेना, बरेली
श्री रामरक्ष पाल जी, मुनीम, बरेली
श्री मूलचंद्र श्रीवास्तव, लखीमपुर खीरी
श्री हरबंश लाल सूरी, लखीमपुर खीरी
श्री लवकुश, प्रतिरक्षा, शाहजहांपुर
श्री चुन्नी लाल, पापा क्लोदिंग फैक्ट्री, शाहजहांपुर
श्री सुरेश सिंह, ओई.जी.एस., शाहजहाँपुर
श्री बाबू राम तिवारी, शुगर मिल, हरदोई
श्री रामदास चक, फिरोजाबाद
श्री रघुनाथ सहाय जैन, गाजियाबाद
श्री रमेंद्र ध्वज जी, बैंक, मेरठ
श्री महेंद्रदत्त कुश, बागपत, मेरठ
श्री ब्रह्मानंद शर्मा, बागपत, मेरठ
श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा, विद्युत, मेरठ
श्री सुशील कुमार मांगलिक, पराग डेरी, मेरठ
श्री दिनेश कुमार मित्तल, स्टार पेपर मिल, सहारनपुर
श्री आनंद प्रकाश शर्मा, शामली, मुजफ्फरनगर
श्री ब्रह्मप्रकाश अग्रवाल, शामली, मुजफ्फरनगर
श्री बलदेव राज शर्मा, इंजीनियरिंग, देहरादून
श्री दीवान सिंह विष्ट, दून आटो रिक्शा, देहरादून
श्री कंचनलाल शर्मा, टेक्सटाइल, बुलंदशहर
श्री रामजी दुबे, डोईवाला शुगर मिल
श्री भूपेंद्र मल (भुप्पी), देहरादून
श्री ब्रजमोहन शर्मा, दुकान कर्मचारी, देहरादून

रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि.

प्रधान कार्यालय : 2062, सदाशिव पेठ, पुणे-411030, दूरभाष 445528

राजस्थान

किसी भी राष्ट्र के विकास में उद्योगों का सर्वाधिक महत्व होता है। उद्योगों से ही मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं और जीवन एक राह पर चल पड़ता है। स्वतंत्रता पूर्व देश के कुछ ही प्रदेशों में कुछ प्रमुख उद्योग स्थापित थे। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था जहां उद्योग लगभग नगण्य थे। कुछ प्रांतीय उद्योगपतियों ने ही जयपुर, पाली, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर आदि स्थानों पर सूती मिलें, वेगन फैक्ट्रियां, इंजीनियरिंग एवं सीमेंट के कारखाने स्थापित कर रखे थे। अन्य छोटे शहरों में खनिजों पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग धंधे भी चल रह थे। यही एक वजह थी कि उस समय देश में चल रहा श्रमिक संघ आंदोलन अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान में अधिक नहीं पनप पाया था। यहां प्रदेश स्तर पर भारतीय मजदूर संघ के गठन से पूर्व राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंध रखने वाला कोई भी संगठन गठित नहीं हुआ था, सिर्फ मार्क्सवादी विचारधारा वाले "एटक" से संबद्ध कुछ श्रमिक संघ बड़े नगरों की औद्योगिक इकाइयों में स्थापित हुए थे। रेलवे, एल.आई.सी., बैंकों में इसी विचारधारा के संगठन सक्रिय थे। बिजली, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, जलदाय आदि राजकीय विभागों में "इंटक" से संबद्ध श्रमिक संगठन भी चल रहे थे।

राजस्थान में औद्योगिक विकास न होने की वजह से श्रमिक संघ आंदोलन शक्तिशाली नहीं हो पाया था। प्रदेश के श्रमिकों में बढ़ रहे मार्क्सवादी प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक स्वतंत्र श्रमिक संगठन बनाने की योजना बनाई। सर्वप्रथम उदयपुर के स्वयंसेवक श्री शंभू सिंह खमेसरा ने 'सफेद झंडा यूनियन' के नाम से सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में एक स्वतंत्र श्रमिक संगठन बनाने में सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात् कुछ अन्य स्वयंसेवकों ने भी रिक्शा एवं तांगा चालकों के छोटे-छोटे संगठन बनाए।

सन् 1955 के बाद प्रांत में उद्योगों की स्थापना ने गति पकड़ी। कोटा, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि कई प्रमुख शहरों में साठ के दशक में बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो गए। "एटक" और "इंटक" ने इन उद्योगों में अपनी इकाइयां गठित करना शुरू कर दिया। इसी दौरान भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक महामंत्री श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी का राजस्थान आगमन हुआ। इन्होंने राजस्थान में भारतीय मजदूर संघ की शुरुआत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री

वर्ष' 79 में राजस्थान प्रदेश अधिवेशन, भीलवाड़ा

एस.बी. सहल एंड कंपनी

पुणे (महाराष्ट्र)

सुंदर सिंह भंडारी को दायित्व सौंपा। साठ के दशक में राजस्थान पुलिस तांगा चालकों एवं रिक्शा चालकों को तंग किया करती थी। इन्हें पुलिस की ज्यादतियों से बचाने हेतु भंडारी जी ने उदयपुर मंडल में एक यूनियन वर्ष 1956-57 में गठित की। इसी तरह सीकर के जनसंघ के कार्यकर्ता श्री मदनलाल सोनी ने भी तांगा चालकों की एक यूनियन बनाई। इसी तरह निजी क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों ने 1956-57 में छोटी-छोटी यूनियनें बनाकर भारतीय मजदूर संघ की शुरुआत कर दी।

भारतीय मजदूर संघ की राजस्थान में शुरुआत 1957 में कर तो दी गई, किंतु प्रांतीय स्तर पर किसी इकाई का गठन नहीं हो पाया। मात्र चार संगठन भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध हुए। किशनगढ़ तथा अजमेर में आटे का कार्य करने वाले श्रमिकों के संगठन का भी निर्माण हुआ। सत्तर के दशक की शुरुआत में भा.म. संघ ने प्रादेशिक स्तर पर कार्य शुरू किया। 1961 में जोधपुर के श्री जेष्ठानंद जी परिहार को प्रांतीय संगठन मंत्री बनाया गया। उन्होंने उद्योगों एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के स्वयंसेवकों को एकत्र कर संगठन बनाना शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात बीकानेर निवासी श्री चांद रतन जी आचार्य से हुई। दोनों ने मिलकर जोधपुर मंडल में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में एवं दुकानों में कार्यरत मुनीमों और रिक्शा चालकों एवं तांगा चालकों आदि के संगठनों का निर्माण किया। यही नहीं, श्री ज्येष्ठानंद जी परिहार एवं श्री चांद रतन जी आचार्य ने भा.म. संघ के विकास के लिए प्रदेश में अनेक अभियान चलाए और उन अभियानों में उन लोगों ने सफलता भी अर्जित की।

भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा पाँच वर्षों के अथक परिश्रम के बाद प्रांत में लगभग बीस श्रमिक संघ भा.म. संघ से जुड़े।

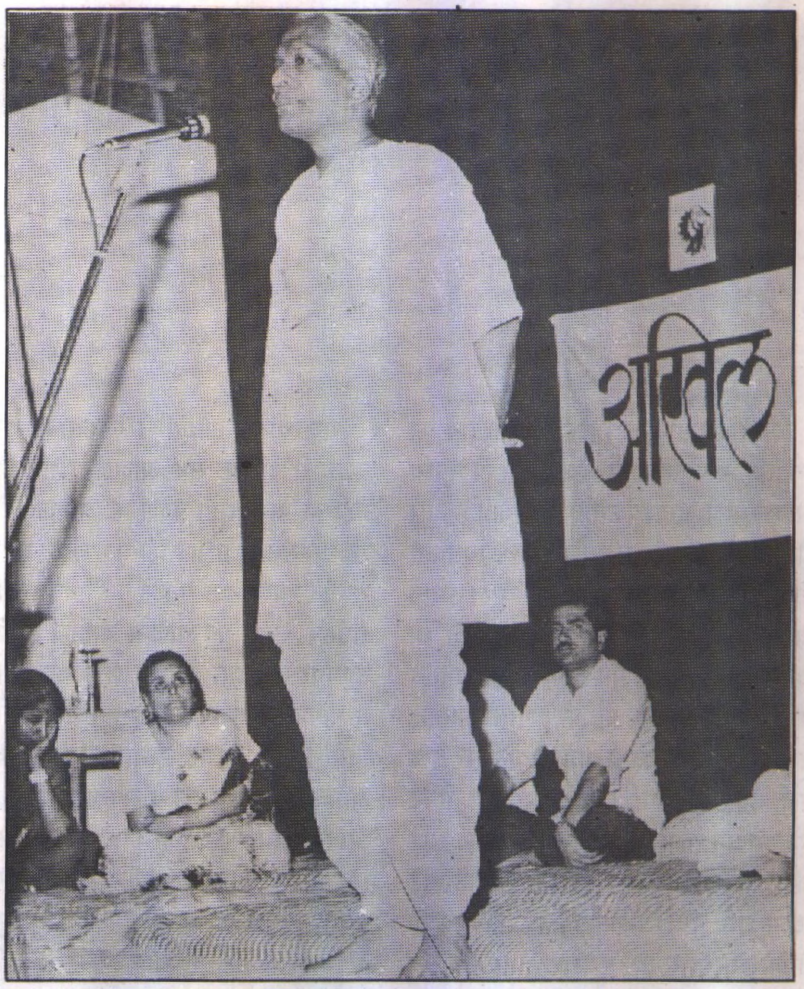

कृषि मजदूर संघ के प्रथम अधिवेशन में बड़े भाई का मार्गदर्शन

इसके बाद 1963 में जयपुर में प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 15 श्रमिक संघों के 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन के आयोजन का सारा श्रेय श्री चांद रतन जी आचार्य को जाता है। इस अधिवेशन के दौरान इनको भा.म. संघ का प्रांतीय महामंत्री बनाया गया। अब तक कोटा में भी भा.म. संघ से संबद्ध श्रमिक संगठनों का गठन हो चुका था। जे.के. तथा श्री राम समूह के खाद कारखाने एवं अन्य उद्योग अस्तित्व में आ गए थे। कोटा में भा. म. संघ के विकास के लिए श्री राजबहादुर बृजेश को अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण चंद्र चतुर्वेदी को मंत्री नियुक्त किया गया।

राजस्थान में भा.म. संघ की प्रथम कार्यसमिति 1963 में अस्तित्व में आई। इस दौरान नियुक्ति के समय से ही आचार्य जी अपनी मृत्यु पर्यंत (फरवरी 1974) भा.म. संघ के महामंत्री के रूप में जुड़े रहे। कोटा के श्री कृष्ण चंद्र चतुर्वेदी उपाख्य 'मामा', उदयपुर के श्री शंभू सिंह खमेसरा उपाख्य 'दादा', श्री विजय सिंह चौहान, सीकर के श्री मदनलाल सैनी एवं जयपुर के श्री सोहनलाल शर्मा उनके प्रमुख सहयोगी थे।

महेश इंटरनेशनल
पुणे (महाराष्ट्र)

1967 में भीलवाड़ा में चतुर्थ अधिवेशन हुआ, जिसमें श्री सज्जन सिंह नाहर अध्यक्ष एवं चांद रतन आचार्य महामंत्री निर्वाचित हुए। वर्ष 1970-71 में विपरीत परिस्थितियों के बीच आचार्य जी ने जयपुर स्थित नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, जयपुर एंड इलैक्ट्रिकल्स, पौहार एवं जयपुर स्विनिंग मिल्स आदि बड़े औद्योगिक संगठनों में मार्क्सवादियों से जूझते हुए भा.म. संघ से संबद्ध श्रमिक संगठनों का गठन शुरू किया। अजमेर के पंजाब नेशलन बैंक में कार्यरत इकाई भी भा.म. संघ के साथ हो गई। 1967 में कोटा इंस्ट्रूमेंशन लिमिटेड में भी भा.म. संघ से संबद्ध यूनियन का गठन हुआ।

राजस्थान प्रदेश अधिवेशन (1979)

1972 में जयपुर में पुनः प्रांतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें श्री भागीरथ सिंह शेखावत प्रांतीय अध्यक्ष एवं श्री चांद रतन आचार्य पुनः प्रांतीय महामंत्री बनाए गए। जुलाई 1973 में श्री धनप्रकाश प्रांतीय संगठन मंत्री बनाए गए। 14 फरवरी 1974 को श्री चांद रतन आचार्य का निधन हो गया। उनके देहावसान के पश्चात् श्री मदन लाल सैनी को महामंत्री का भार सौंपा गया, उस समय भा.म. संघ से संबद्ध श्रमिक संगठनों की संख्या 41 थी। आपातकाल के दौरान ही 1976 में अजमेर में भा.म. संघ का प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ, इसमें लगभग 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश कार्यकारिणी पूर्ववत रही।

आपातकाल की समाप्ति के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय के बाद उससे संबद्ध श्रमिक "इंटक" से संबंधित बड़े-बड़े श्रमिक जैसे बिजली, जलदाय परिवहन, मेटल, सिमको भरतपुर, माडर्न ग्रुप अलवर, आइशर आदि भा.म. संघ से जुड़ गए। इन्हीं दिनों जनता पार्टी की सरकार गठित हुई। उसके गठन के बाद वर्ष 1977-78 में करीब अस्सी स्वतंत्र संगठन भा.म. संघ से जुड़े। 1978 में ही भा.म. संघ का एक और राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में संपन्न हुआ। इसमें लगभग तीन हजार प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद भीलवाड़ा में ही एक और प्रांतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें लगभग 800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री

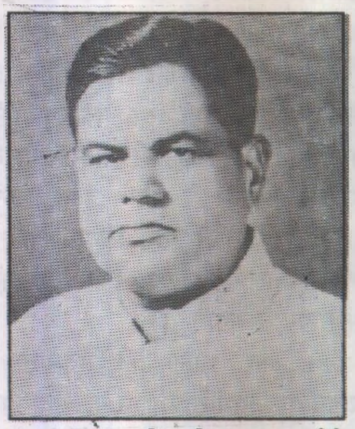

राजस्थान प्रदेश के प्रथम महामंत्री
स्व. चांद रतन आचार्य

शंभू सिंह खमेसरा प्रांतीय अध्यक्ष एवं श्री मदनलाल सैनी प्रांतीय महामंत्री नियुक्त हुए। इसके बाद प्रांतीय अधिवेशन 1982 में कोटा में संपन्न हुआ, जिसमें श्री कृष्ण चंद्र चतुर्वेदी अध्यक्ष और श्री मदनलाल सैनी महामंत्री नियुक्त हुए। 1985 में अलवर में प्रांतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष श्री कृष्ण चंद्र बने रहे, महामंत्री श्री ऋषभ जैन बनाए गए। इसके बाद 1988 में जयपुर प्रांतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें श्री गुरु चरण सिंह गिल अध्यक्ष बनाए गए और श्री ऋषभ जैन महामंत्री बनाए गए। 1992 में झुनझुनू में प्रांतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें कार्यकारिणी पूर्ववत बनी रही।

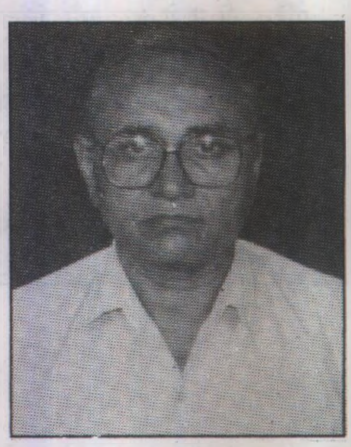

राज. प्रदेश के महामंत्री श्याम सुंदर शर्मा

सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड

'शिवस्मारक', गोल्ड फिंच पेठ, सोलापुर-413 007. दूरभाष : 26676

जनवरी 1994 में भा.म. संघ की कार्यसमिति की बैठक में श्री ऋषभ जैन द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर श्री कैलाश चंद्र शर्मा प्रांतीय महामंत्री बनाए गए। मई 1996 में भा.म. संघ का अधिवेशन अलवर में संपन्न हुआ, जिसमें 800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री गुरु चरण सिंह गिल पुनः अध्यक्ष और श्याम सुंदर शर्मा महामंत्री बनाए गए।

1981 और 1989 की सदस्यता के सत्यापन के आधार पर भा.म. संघ प्रथम क्रमांक का संगठन है। आज देश के सभी उद्योगों में इसके संगठन कार्य कर रहे हैं। राजस्थान के 31 जिलों में से 28 जिला समितियों और 5 जिलों में जिला संयोजक हैं। यहां 478 श्रमिक संगठन भा.म. संघ से संबद्ध हैं ओर इनकी सदस्यता लगभग साढ़े चार लाख है। प्रांत में लगभग आधी से अधिक तहसीलों में तहसील संयोजक नियुक्त हैं। भा. म. संघ ने 28 सितंबर 1991 को पंद्रह हजार श्रमिकों का एक विशाल प्रदर्शन विधान सभा के समक्ष किया, जिसे श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी ने संबोधित किया था।

वर्तमान समय में राजस्थान में राज्य विद्युत मंडल, राज्य पथ परिवहन निगम, वस्त्रउद्योग, इंजीनियरिंग, आंगनवाड़ी, वन, सिंचाई, जलदाय, निगम बोर्ड, सीमेंट आदि प्रमुख उद्योगों में भा. म. संघ के प्रभावी संगठन हैं। यह संघ आज समूचे राज्य में प्रभावी माना जाता है और इसने राज्य के श्रमिकों के लिए भी बहुत कुछ किया है।

कामरेड से संघ का कार्यकर्ता

पं. राम प्रकाश मिश्र सुबह की चाय पीते समय गप-सप में कह रहे थे– मैं तो कट्टर वामपंथी था। कम्युनिस्ट ग्रुप में वरिष्ठ सर्कल में मेरा उठना-बैठना था और उनके साथ कार्य करता था। 1959 में श्री गुरुजी कानपुर आने वाले थे। हमारे ग्रुप में चर्चा हुई– श्री गुरुजी का भाषण लिखित रूप में लाना चाहिए। उस पर चर्चा करनी होगी। उस समय टेप रिकार्डर तो था नहीं। भाषण सुनकर 2-3 लोगों को लिखना और उसको अंतिम रूप बाद में देना, यही पद्धति थी।

श्री गुरुजी का भाषण सुनकर लिखित रूप से पार्टी को देने की जिम्मेदारी पंडित जी के ऊपर सौंपी गई। इस काम के वे प्रभारी बनाए गए। चार लोग कार्य में लगाए गए। पंडित जी को प्रमुख बनाने का कारण था कि वे प्रधानाचार्य थे। उन्होंने एम. ए., बी. टी. किया था।

फूल बाग कानपुर के मैदान में श्री गुरुजी का भाषण शुरू हुआ। पंडित जी और अन्य मार्क्सवादी कार्यकर्ता लिखने लगे। अन्य अनेक विषय होने के बाद श्री गुरुजी ने कहा–"जिनका प्रेम इस भारत भूमि से शत-प्रतिशत नहीं जुड़ा हो वे राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। उनको राष्ट्रभक्त कहना ठीक नहीं। जिनकी प्रेरणा और विचारधारा भारत के बाहर है, विचार-निष्ठा भारत बाह्य है उनका कार्य हमारे राष्ट्र के विपरीत ही होगा। और जिनका कार्य भारत-विरोधी है, उनको राष्ट्रभक्त कैसे कहें?"

पंडित जी ने ये शब्द सुने, लिखने लगे साथ ही सोचने लगे "अरे! मेरे विचार और मेरी निष्ठा तो भारत-बाह्य है, मैं भी खुद को राष्ट्रभक्त कैसे कह सकता हूँ। यह ठीक भी नहीं।"

पंडित जी भाषण खत्म होते ही मार्क्सवादी पार्टी कार्यालय में गए। कहा–मैं फिर से यहाँ नहीं आऊंगा।

1960 से 62 के बीच पंडित जी ने लगातार रा. स्व. संघ के शिक्षा वर्ग को पूर्ण किया और 1962 से संघ कार्य में जुट गए। मार्क्सवादी पृष्ठभूमि के कारण ट्रेड यूनियनों में दिलचस्पी थी। 16 मई 1964 से नौकरी छोड़कर भा. म. संघ के कार्य में लग गए और आज पं. राम प्रकाश मिश्र (पंडित जी) राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के प्रभारी हैं।

महाबीर अलॉइस, नॉन फेरस अलॉइस

फैक्ट्री : डब्ल्यू 274, एस. ब्लाक, एम.आई.डी.सी. भोसरी, पुणे-411 026. दूरभाष : 792174, 790470

ऑफिस : 24/8, ईस्ट स्ट्रीट, ठक्कर हाउस, ई/205, प्रथम खंड, द्वितीय मंजिल, पुणे-411001. दूरभाष : 477055, 654567

विदर्भ प्रदेश

भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के दो-तीन वर्षों के भीतर ही श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने विदर्भ प्रदेश में भी भा. म. संघ के कार्य का सूत्रपात किया। विदर्भ में भा. म. संघ की प्रगति का इतिहास एक प्रकार से इसके संघर्ष का ही इतिहास रहा है।

शुभारंभ

यहां सर्वप्रथम 1956-57 में स्व. सदुभाऊ ओक ने उमाकांत देशमुख तथा रामभाऊ बोराटणे के सहयोग एवं मा. ठेंगड़ी जी की प्रेरणा से वर्धा जिले के पुलगांव कॉटन मिल्स, पुलगांव में राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की। इसके तुरंत बाद कार्यभार (ड्यूटी) को लेकर मिल में हड़ताल हुई। यह विदर्भ भा. म. संघ के इतिहास में सबसे पहला यशस्वी आंदोलन था। लगभग इसी समय बुलढाणा जिले में अधिवक्ता बाबूराव डोंगरे के नेतृत्व में निजी मोटर वर्कर्स यूनियन बनाई गई, जो विदर्भ प्रदेश में भा.म. संघ की दूसरी पहल थी। इसके बाद 1959-60 ई. के बीच पुनः स्व. सदुभाऊ ओक ने ही सेंट्रल बैंक तथा नागपुर सुधार प्रन्यास में भा. म. संघ की स्थापना की। तत्कालीन कामगार न्यायालय के न्यायाधीश मा. कुलकर्णी जी ने बैंक कर्मचारियों के वार्षिक अधिवेशन में भा. म. संघ के राष्ट्रवादी विचारों की सराहना की थी। यह इसके कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने वाली घटना थी।

बाबूराम जी डोंगरे

धीरे-धीरे भा. म. संघ विदर्भ में अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाने लगा। 1960-61 में नागपुर में भारतीय सूती मिल मजदूर संघ की स्थापना की गई। स्व. महादेव राव जी जुनकरे इसके पहले महामंत्री बने। इसके कुछ वर्षों पश्चात् श्री जुनकरे जी

के.सी.एल. स्टाफ एसोसिएशन

भा. म. संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने लगे और उन्हें प्रेस मजदूर संघ का दायित्व सौंपा गया।

सुधार रणनीति

इसी काल खंड में केंद्रीय तथा राज्य कर्मचारियों के क्षेत्र में मजदूर संघ के विचारों से प्रभावित कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन श्री दत्तापंत ठेंगड़ी जी ने आयोजित किया था, जिसका दायित्व श्री वसंतराव देव पुजारी को सौंपा गया। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रवादी विचारों के कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र की ही यूनियन में कार्य करते हुए विभिन्न पदों की जिम्मेवारी उठाकर नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। इस निर्णय के अनुसार रामभाऊ चौधरी को टेलीफोन विभाग, दशरथ जी आंबटकर को आर.एम.एस. तथा स्व. मधुकर राव बोरकर को ऑडिट विभाग सौंपा गया। सहकारी बैंक तथा अन्य बैंकों का कारोबार वामनराव पत्तरकिने ने संभाला।

1960 में केंद्रीय कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल के समय विदर्भ का नेतृत्व श्री ठेंगड़ी जी के आदेश पर स्व. बोरकर जी ने संभाला। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को भा. म संघ और उसके सिद्धांतों को समझने का अवसर मिला। इसके बाद 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय सभी ट्रेड यूनियनों का एक साझा मोर्चा गठित किया गया किंतु मार्क्सवादी विचारधारा के कर्मचारियों ने चीन का समर्थन करना शुरू कर दिया। राष्ट्रवादी कर्मचारियों ने इसका जमकर विरोध किया और इस मोर्चे से एटक के प्रतिनिधियों को हटा दिया। विदर्भ में, खासकर नागपुर में उस समय एटक की यूनियनें हावी थीं। जिसे एक तरह से नागपुर से खदेड़ने का अभियान शुरू हो गया। इसी वर्ष कर्मचारियों के फेडरेशन में बहुमत से राष्ट्रवादी विचारों के कार्यकर्ता चुनकर आए और स्व. भाउ साहब वैद्य को संघ का अध्यक्ष चुना गया। 1964 के आरंभ में ही गो. का. आठवले को विदर्भ क्षेत्र का महामंत्री बनाया गया। इसके पश्चात अमरावती के परिवहन क्षेत्र में, अकोला के सूती मिलों में, नागपुर में नागपुर विद्यापीठ कर्मचारी संघ, विद्यापीठ प्रेस कर्मचारी संघ, हास्पिटल कर्मचारी संघ आदि यूनियनों को मार्क्सवादी नेतृत्व से छीनकर भा. म. संघ ने अपने हाथों में ले लिया। स्व. राम जीवन चौधरी को इसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया।

राष्ट्रभक्ति का परिचय

1965 ई. में पाकिस्तानी आक्रमण के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा तथा युद्ध सहायता के लिए तत्कालीन श्रममंत्री श्री तिडके जी ने विदर्भ के सभी ट्रेड यूनियनों के नेताओं की एक सभा आयोजित की, जिसमें इंटक के हरिभाऊ नाईक, बसंतराव लुले, श्री बा. घाबे, टेक्सटाइल मजदूर सभा के वसंत राव साठे, एटक के ए. बी. वर्धन, बी.पी. कश्यप तथा भा. म.संघ के श्री आठवले, आबा पुराणिक तथा श्री पत्तरकिने उपस्थित थे। तिडके जी ने जब युद्ध सहायता के लिए मजदूरों का सहयोग और समर्थन मांगा तो इनके प्रस्ताव पर भाषण करते हुए एटक के नेताओं ने मजदूरों की छँटनी न होने, सभी सुख-सुविधाएं मिलने, अतिरिक्त काम का समय पर वेतन मिलने जैसी बेतुकी शर्तें रखीं जिसकी चर्चा उस समय बिलकुल अप्रांसगिक थी, जिसका भा. म. संघ ने घोर विरोध किया। भा.म. संघ के प्रतिनिधि श्री आठवले जी ने कहा कि देशभक्ति कोई कारनामा नहीं, देश की सुरक्षा हमारा प्राथमिक कर्त्तव्य है। अतः हम बिना शर्त देशरक्षा के लिए श्रमिकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हैं। इसके बाद लगभग सभी यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने एटक की भर्त्सना की और उनके वक्तव्य का तीव्र विरोध किया। एक तरह से विदर्भ का नेतृत्व भा. म. संघ ने अपने हाथों में ले लिया।

कार्य विस्तार

धीरे-धीरे भा. म. संघ विदर्भ के सभी उद्योग क्षेत्र में अपनी पैठ बनाता गया। 1967 से 1972 के वर्षों में विदर्भ के चार प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में, कामठी के कोयला खदानों में, जीवन बीमा निगम तथा सहकारी बैंकों आदि क्षेत्रों में भा.म. संघ की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष श्री आठवले जी हुए। इसी कालखंड में स्व. दादा साहेब कांबले के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष स्व. भाऊ साहेब वैद्य को बनाया गया।

सितंबर 1966 में दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ की नागपुर में स्थापना हुई जिसके महामंत्री नागपुर के लक्ष्मण डबीर नियुक्त हुए। बाद में यह जिम्मेवारी स्व. बंडोपंत ढोक को सौंपी गई। रेलवे कार्यालयों पर यूनियन का चंदा वसूलने के प्रश्न पर आमला, नागपुर, वर्धा, बल्लारशा, वडनेरा, अकोला आदि जगहों पर सर्वश्री भगवान काले, राजा भाऊ सहस्रबुद्धे, भास्कर राव दीक्षित, नाना पिंगले आदि के नेतृत्व में धरना दिया गया और आंदोलन किया गया। कई कार्यकर्ताओं को इसमें कारावास भी हुआ। इसी तरह न्यूनतम वेतन के प्रश्न पर नगर परिषद के कर्मचारियों के 'चिखली बुलढाणा जिला बंद' का नेतृत्व भा.म. संघ ने किया।

सामूहिक माँगों पर संघर्ष

1966 के अनिवार्य बचत योजना के विरोध में केंद्रीय आदेश पर विदर्भ प्रांत से 25,000 कर्मचारियों के हस्ताक्षर से युक्त पत्र सौंपा गया। स्व. मिटकरी जी के नेतृत्व में नागपुर अपग्रेडेशन आंदोलन लगभग छह वर्षों तक चलाया गया। इन्हीं के नेतृत्व में नागपुर के डी.ए. जी.पी.टी. कार्यालय में एक महीने तक बिना वेतन कटौती के एक ऐतिहासिक हड़ताल हुई और केंद्रीय कर्मचारियों के

गोपाल इलेक्ट्रोप्लेटर्स

समन्वय समिति का नेतृत्व भा. म. संघ के पास आया। इसी वर्ष यवतमाल में इंटक से संलग्न राष्ट्रीय मोटर कामगार यूनियन के वार्षिक चुनाव में बहुमत से भा. म. संघ के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए जिसका नेतृत्व बापुराव रोहणकर कर रहे थे। जिसके पश्चात इस संगठन को भा. म. संघ से संबद्ध किया गया। इसके विरोध में इंटक की अपील पर कानूनी पचड़े में डालकर श्रमायुक्त ने इसकी मान्यता रद्द कर दी। इसके विरोध में भा. म. संघ ने तीन दिनों की शत प्रतिशत हड़ताल की। भा. म. संघ की यह पहली शत प्रतिशत हड़ताल थी।

इसके पश्चात 1968 में भद्रावती आर्डिनेंस फैक्ट्री एवं 1969 में अंबाझारी डिफेंस फैक्ट्री में भा.म. संघ का कार्य तेजी से बढ़ा। जिसका श्रेय क्रमशः आर. जनार्दन अय्यर, रमेश तांबोली और मनोहर आकरे, श्री फटिंग, दशरथ डहाके, श्री पाल एवं श्री त्रिपाठी को जाता है।

1970 ई. तक विदर्भ प्रदेश में भा.म. संघ की सदस्य संख्या 21,000 तक पहुंच गई थी, जिसमें रेलवे शामिल नहीं है। इसी वर्ष विदर्भ के सभी जिलों में जिला समितियां गठित की गईं जिसके पश्चात यवतमाल के उमेरखेड तालुका में लोक निर्माण विभाग, प्रेस आदि उद्योगों में भा.म. संघ की सदस्यता 10,000 तक पहुंचा दी गई जो स्व. तात्या जी के असीम त्याग और कार्यकुशलता से संभव हो सका।

1971 में देश के सभी ट्रेड यूनियनों की महंगाई, बेरोजगारी, वेतन आयोग आदि विषयों को लेकर दिल्ली के एटक के कार्यालय में सभा हुई। जिसमें विदर्भ से ग्यारह प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1974 की रेल हड़ताल में मध्य रेलवे कर्मचारी संघ तथा दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया जिनमें से 30-35 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्हें हड़ताल वापस लिए जाने वाले दिन छोड़ा गया।

महाराष्ट्र मोटर कामगार संघ के कार्यकर्ताओं के साथ श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी (1958 ई.)

1975 तक भा.म. संघ ने विदर्भ प्रदेश में बिस्कुट, सूती मिलें, प्रेस, परिवहन, रेलवे, प्रतिरक्षा, बैंक, सहकारी बैंक, नगर परिषद, कोयला खदान, जीवन बीमा निगम, रिजर्व बैंक आदि क्षेत्रों में यूनियनें स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर ली थी और इसे इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सफलता भी मिली थी।

विदर्भ प्रदेश के कार्यकर्ताओं का पहला त्रिदिवसीय अभ्यास वर्ग जैन धर्मशाला, इतवारी, नागपुर में संपन्न हुआ जिसमें कुल 350 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भुसावल में संपन्न पहले अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग में इस प्रदेश से 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

भा. म. संघ के मा. श्री बाबुराव जी डोंगरे के प्रयास से तथा श्री विश्वंभर वाघमारे और श्री प्रकाश खोत के अथक प्रयत्नों से बुलढाणा जिले के वनवासियों को पट्टे पर उपजाऊ जमीन दिलवाई गई।

भा. म. संघ के विभिन्न प्रांतो के प्रमुख कार्यकर्ता तथा पदाधिकारियों की प्रथम त्रिदिवसीय अखिल भारतीय बैठक नागपुर में संपन्न हुई। जिसमें स्व. दादा साहेब कांबले, स्व. भाऊ साहेब वैद्य, (नागपुर), स्व. वाव्ठा साहेब साठये, श्री किशोर देशपांडे, स्व. मनहर भाई मेहता (मुंबई), श्री रमण भाई शहा, सरदार सुखनंदन जी, (अंबाला) श्री जी. प्रभाकर, (मेंगलूर) एड. जोशी, (नई दिल्ली) श्री वेणु गोपाल, (केरल) आदि उपस्थित थे। इसके व्यवस्थापक थे—गोविंद राव आठवले और मधुकर राव वोरकर।

इस अखिल भारतीय बैठक की अध्यक्षता श्री दादा साहेब कांबले जी ने की।

बैठक का यह वैशिष्ट्य रहा कि मार्ग दर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के **तत्कालीन सह सरकार्यवाह श्री बालासाहेब देवरस जी उपस्थित थे।** उन्होंने प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि भारतीय मजदूर संघ को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए और आर्थिक परिपूर्ति के लिए केवल श्रमिकों का समर्थन लेना चाहिए। सभा धन संग्रह श्रमिकों को उदबोधन देकर उनसे ही करने की कोशिश करनी चाहिए। उद्योगों के मालिकों से तथा अमीर लोगों से धन संग्रह नहीं करना चाहिए। आत्मनिर्भरता यानी अपने सदस्यों द्वारा किए हुए धन-संग्रह का ख्याल रखना चाहिए। साथ-ही-साथ कार्यकर्ता

बरेली शुगर फैक्ट्री कर्मचारी संघ, बरेली

अध्याय चार

महासंघ

अखिल भारतीय शुगर मिल मजदूर संघ

भारतीय जन-जीवन में मिठाई की महत्ता प्राचीन समय से ही रही है। इसके महत्व का उद्धरण हमें वेदों में भी मिलता है। इसका प्रयोग सभी धार्मिक तथा लौकिक अनुष्ठानों में किसी न किसी रूप में होता रहा है और इसीलिए भारत में गुड़-खांडसारी और शक्कर का निर्माण अत्यंत प्राचीन समय से होता रहा है।

आधुनिक चीनी मिल

अंग्रेजी शासन के दौरान इस क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन का दौर शुरू हुआ और वैकुम पैन पद्धति के कारखाने स्थापित होने लगे। सबसे पहले 1903 में उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर और रोजा में चीनी मिलें स्थापित हुईं। इसके बाद 1904 में मरहोरा, 1905 में लौरिया व 1906 में चंपारण (बिहार) में तीन मिलें स्थापित हुईं। अधिकांशः चीनी मिलें तीसरे दशक में लगीं। आजादी मिलने के समय तक 127 मिलें देश के निजी क्षेत्रों में स्थापित हो चुकी थीं।

1950 में सबसे पहली सहकारी चीनी मिल महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर के प्रवरा नगर में स्थापित हुई। इसके बाद अन्य प्रदेशों में भी सहकारी क्षेत्र में ये मिलें स्थापित होने लगीं, किंतु इस उद्योग के कर्मचारियों के वेतन, श्रेणी आदि का निर्धारण स्थानीय समझौतों के आधार पर होता रहा, जिसकी वजह से वेतन एवं अन्य सुविधाओं में विषमताएं उत्पन्न हो गई थीं।

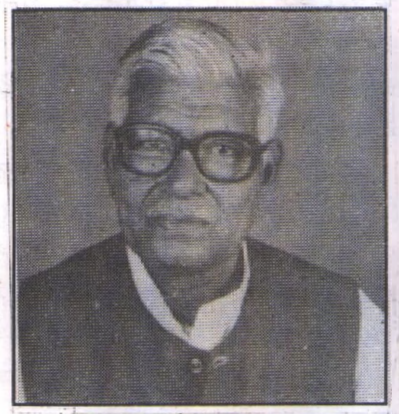

ओमप्रकाश गौतम

सरकार ने 26 दिसंबर 1957 के निर्णय के अनुसार इस उद्योग के कर्मचारियों के वेतन, श्रेणी, पदनाम, महंगाई भत्ता एवं रिटेनिंग भत्ता आदि विषयों के निर्धारण हेतु प्रथम वेजबोर्ड का गठन किया। इस वेजबोर्ड ने अपनी रिपोर्ट 1960 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। उस समय देश में 171 मिलें चल रही थीं और 255 श्रम संगठन कार्यरत थे। इस वेजबोर्ड की कार्यवाही में दो अखिल भारतीय महासंघों ने श्रमिकों का प्रतिनिधत्व किया था, जिसमें इंडियन नेशनल शुगर मिल वर्कर्स फेडरेशन (इंटक) तथा यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन यू.पी. एंड बिहार (वामपंथी) सम्मिलित थे।

पदार्पण और प्रथम अधिवेशन

इस चीनी उद्योग में भारतीय मजदूर संघ की शुरुआत 1961 में उत्तर प्रदेश के कप्तानगंज से हुई। राष्ट्रीय चीनी मिल मजदूर यूनियन के नाम से 24 मार्च 1961 को प्रथम यूनियन का गठन हुआ और 21 अक्टूबर 1962 को उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर में 'उत्तर प्रदेश मिल मजदूर संघ' के नाम से 407 सदस्यता के साथ 6 यूनियनों के 8 प्रादेशिक महासंघों का गठन हुआ, जिसके संयोजक सुधीर सिंह बनाए गए। धीरे-धीरे अन्य प्रदेशों में भी इसकी शुरुआत हुई और परिणामस्वरूप 26 और 27 मार्च 1966 को उ.प्र. के गोरखपुर स्थित अग्रवाल भवन में चीनी मिल मजदूरों का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 'अखिल भारतीय शुगर मिल मजदूर संघ' की स्थापना हुई। इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष रवींद्र किशोर शाही थे और

रबर फैक्ट्री मजदूर संघ, बरेली

इसका उद्घाटन भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किया था। राम कुबेर लाल की अध्यक्षता में हुए खुले अधिवेशन को सर्वश्री ओम प्रकाश अग्घी (लुधियाना, पंजाब), बाल कृष्ण साठये (महाराष्ट्र), रामप्यारे लाल (बिहार), राम नरेश सिंह (उ.प्र.), तथा निर्वाचित महामंत्री सुधीर सिंह ने संबोधित किया। इस सम्मेलन में 35 यूनियनों के 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में 16 सदस्यीय समिति का निर्वाचन भी हुआ, जिसमें सर्वश्री एस. कृष्णैय्या (एडवोकेट, कर्नाटक) अध्यक्ष, राम चंद्र वर्मा (एडवोकेट, उ.प्र.) एवं मोहन गवंडी (महाराष्ट्र) उपाध्यक्ष, सुधीर सिंह (उ.प्र.) महामंत्री, दुर्गा प्रसाद तिवारी (बिहार) एवं ओम प्रकाश अग्घी (पंजाब) मंत्री, दिलीप नारायण सिंह (उ.प्र.) कोषाध्यक्ष, शिव मंगल राम, गोरख नाथ, घनश्याम दास गुप्त, राम कृष्ण सिंह, मुद्रिका प्रसाद पाठक (उ.प्र.), राम लुभाया (पंजाब), वसंत चांदेकर (महाराष्ट्र), नरेंद्र शर्मा (म.प्र.) एवं योगेंद्र सोनी (बिहार) सदस्य चुने गए।

घनश्याम दास गुप्त

बुनियादी मार्गे

इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किए गए, वे आज भी मार्गदर्शक हैं। अतः उनका संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक व उचित लगता है। प्रस्ताव में स्थायी वेतन आयोग की स्थापना, वेतन में क्षेत्रीय विभेदों की समाप्ति, कार्य विश्लेषण व कार्य मूल्यांकन के तार्किक या सैद्धांतिक आधार पर वेतन निर्धारित हो तथा वेतन को मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए, लाभ के बजाय उत्पादन पर बोनस देय हो, सभी श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन का 50 प्रतिशत रिटेनिंग भत्ता मिले, सभी सीजनल एवं स्थायी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन की दर से प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए एक मास का वेतन ग्रेच्यूटी के रूप में दिया जाए, निःशुल्क आवास व्यवस्था, कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को रिक्त स्थानों की पूर्ति में वरीयता दिए जाने, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, प्रबंधन में भागीदारी, प्रोत्साहन भत्ता तथा अनुभव व सेवा वरीयता के आधार पर पदोन्नतियां करने की मांग की गई।

इन मांगों में से अभी तक रिटेनिंग भत्ता अकुशल को 20 प्रतिशत एवं अर्धकुशल को 30 प्रतिशत तक प्राप्त करने में ही सफलता मिली है। तमिलनाडु में सीजनल कर्मचारियों को भी 15 दिन का वेतन प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए ग्रेच्यूटी भुगतान के रूप में मिलता है।

भारत सरकार ने 16 नवंबर 1965 के अपने प्रस्ताव द्वारा दूसरा वेजबोर्ड गठित किया। इस वेजबोर्ड ने अपनी अनुशंसाएं 16 फरवरी 1970 को सरकार को प्रेषित कीं। इस वेजबोर्ड की कार्यवाही में वर्ष 1967-68 के आधार पर 201 चीनी मिलों पर विचार हुआ। बोर्ड द्वारा सुनवाइयों के दौरान अखिल भारतीय शुगर मिल मजदूर संघ की ओर से श्री सुधीर सिंह ने तीस नवंबर 1968 को पटना में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। अन्य स्थानों पर भी कार्यकर्ताओं ने सुनवाई में भाग लिया। वेजबोर्ड के सम्मुख विभिन्न संगठनों ने आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन की मांग निम्न प्रकार की—

1. इंडियन नेशनल शुगर मिल्स वर्कर्स फेडरेशन (इंटक)—225।
2. हिंद मजदूर सभा—284।
3. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)—211।
4. भारतीय मजदूर संघ (अखिल भारतीय

स्व. सुधीर सिंह

बिहार में एक साधारण परिवार में जन्मे श्री सुधीर सिंह जी बाल्यकाल में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संम्पर्क में आए तथा विवाहित होते हुए भी संघ के प्रचारक बने। आपका कार्य क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा। भारतीय मजदूर संघके गोरखपुर क्षेत्र के प्रमुख रहे। चीनी उद्योग में भारतीय मजदूर संघ की यूनियनों का निर्माण आपके द्वारा ही किया गया।

आप मृदुभाषी, परिश्रमी एवं कठोर तपस्वी जीवन बिताने वाले कार्यकर्ता थे, इस कारण संगठन का विस्तार व नए

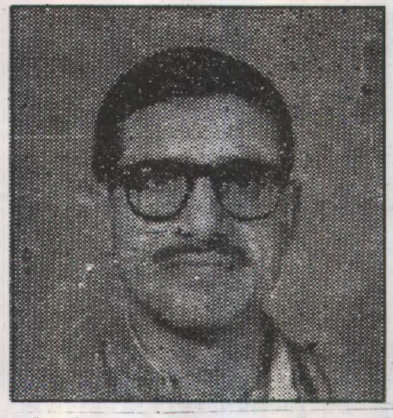

कार्यकर्ताओं की टोली का निर्माण आपके द्वारा संभव हो सका।

श्रमिक संघ एच.एम.टी. वॉच फैक्ट्री नं. 5
जनतावाला गांव, पोस्ट-रानीबाग, जिला-नैनीताल

शुगर मिल मजदूर संघ)—400। किंतु केवल 147.58 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जा सका।

तीसरे वेजबोर्ड का गठन 17 जुलाई 1985 को हुआ, जिसके लिए अखिल भारतीय शुगर मिल मजदूर संघ ने कई बार श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली पर धरने दिए और देशव्यापी संघर्ष भी किए। इस अवधि में इस महासंघ की शक्ति में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई। 1980 के आधार पर श्रम संगठनों की सदस्यता का जो सत्यापन भारत सरकार ने किया, उसका विवरण इस प्रकार है—

क्र.सं.	संगठन का नाम	यूनियन संख्या	सदस्य संख्या
1.	इंटक—इंडियन नेशनल शुगर मिल्स वर्कर्स फेडरेशन	23	71,623
2.	हिंद मजदूर सभा—आल इंडिया शुगर वर्कर्स फेडरेशन	50	32,852
3.	भारतीय मजदूर संघ—अखिल भारतीय शुगर मिल मजदूर संघ	71	32,253
4.	एटक—आल इंडिया शुगर वर्कर्स फेडरेशन	38	7,672
5.	सीटू	37	5,865
6.	यू.टी.यू.सी.	8	1,652
7.	एन.एल.ओ.	2	661

नवगठित वेजबोर्ड के समक्ष अखिल भारतीय शुगर मिल मजदूर संघ की शक्ति पर्याप्त बढ़ चुकी थी और संगठन की ओर से श्री घनश्याम दास गुप्त ने श्रमिकों का पक्ष प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया था। इस वेजबोर्ड को सभी श्रम संगठनों ने सर्वसम्मति से एक ही मांगपत्र प्रस्तुत किया था। इस वेजबोर्ड की अनुशंसाएं 1 जनवरी 1989 से लागू हो गई थीं। चीनी-उद्योग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि पहले दो वेजबोर्डों के कार्यशील रहते भी 31 दिसंबर 1988 तक अकुशल कर्मकारों को केवल एक रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि ही मिलती रही तथा अन्य श्रेणियाँ भी इसी अनुपात में रहीं और इसीलिए इस उद्योग के कर्मचारी वेतन में पिछड़ते रहे। तीसरे वेजबोर्ड का कार्य एक प्रकार से ऐतिहासिक रहा। श्रमिक पक्ष से सर्वसम्मत एक ही मांगपत्र प्रस्तुत हुआ, किंतु इसकी रिपोर्ट सभी पक्षों ने अस्वीकार की और वेतन ढाँचे को छोड़कर अन्य सभी बिंदुओं पर प्रदेश स्तर पर समझौते हुए, इस कारण वेतन विषमताएं पुनः स्थापित हो गईं।

महासंघ के अधिवेशन

महासंघ का प्रथम अधिवेशन 1962 में गोरफर में हुआ था। उसके बाद 1980 तक वार्षिक अधिवेशन संपन्न होते रहे। बाद में हर तीन वर्ष में एक बार होने लगा।

महासंघ का रजत जयंती अधिवेशन दिनांक 28 व 29 मार्च 1992 को मध्य प्रदेश के सीहोर में संपन्न हुआ, इसमें 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यह संयोग ही रहा कि इस अधिवेशन में कर्नाटक के श्री आर. शेषाद्रि, अध्यक्ष व उ.प्र. के श्री ओम प्रकाश गौतम, महामंत्री निर्वाचित हुए।

इस अवधि के दौरान संपन्न महासंघ के अधिवेशनों का विवरण निम्नलिखित है—

अधिवेशन	तारीख	स्थान
द्वितीय	9, 10 मार्च 1968	मुजफ्फरनगर, उ.प्र.
तृतीय	29, 30 मार्च 1969	शाहजहांपुर, उ.प्र.
चतुर्थ	22, 23 अप्रैल 1970	कानपुर, उ.प्र.
पंचम	18, 19 जुलाई 1971	कानपुर, उ.प्र.
षष्ट	17, 18 फरवरी 1973	बहेड़ी, उ.प्र.
सप्तम	22, 23 दिसंबर 1974	बुलंदशहर, उ.प्र.
अष्टम	18, 19 अप्रैल 1975	अमृतसर, पंजाब
नवम	8, 9 जनवरी 1977	गाजियाबाद, उ.प्र.
दशम	11, 12 फरवरी 1979	बाजपुर, उ.प्र.

मॉज़ इंजीनियरिंग सिस्टम्स लि.
प्रोसेस डिजायनर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स
(मॉरिस इलैक्ट्रॉनिक्स के सामने), भोसरी, पुणे-411026

ग्यारहवां	11, 12 फरवरी, 1980	सीवान, बिहार
बारहवां	13, 14 मार्च 1983	बरेली, उ.प्र.
तेरहवां	29, 30 जनवरी 1986	शामली, उ.प्र.
चौदहवां	12, 13 मार्च 1989	बिजनौर, उ.प्र.

अखिल भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ का कार्य निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। वर्ष 1989 के आधार पर सरकार ने श्रम संघों की सदस्यता का जो सत्यापन किया और अंतिम रूप में जो परिणाम घोषित किया, उसका विवरण भी अत्यंत उत्साहजनक है—

क्र.सं.	संगठन का नाम	सत्यापित सदस्यता
1.	इंटक	55,740
2.	भारतीय मजदूर संघ	50,942
3.	हिंद मजदूर सभा	19,623
4.	सीटू	6,474
5.	एटक	3,949
6.	यू.टी.यू.सी.	1,822
7.	एन.एंल.ओ.	165

अखिल भारतीय शुगर मिल मजदूर संघ का अखिल भारतीय शिक्षा वर्ग दिनांक 27 अगस्त 90 तक भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान मुंबई में संपन्न हुआ, जिसमें 30 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। इस समय उ.प्र., बिहार, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में महासंघ कार्यरत है और इससे 68,981 सदस्यता वाली 129 यूनियनें संबद्ध हैं।

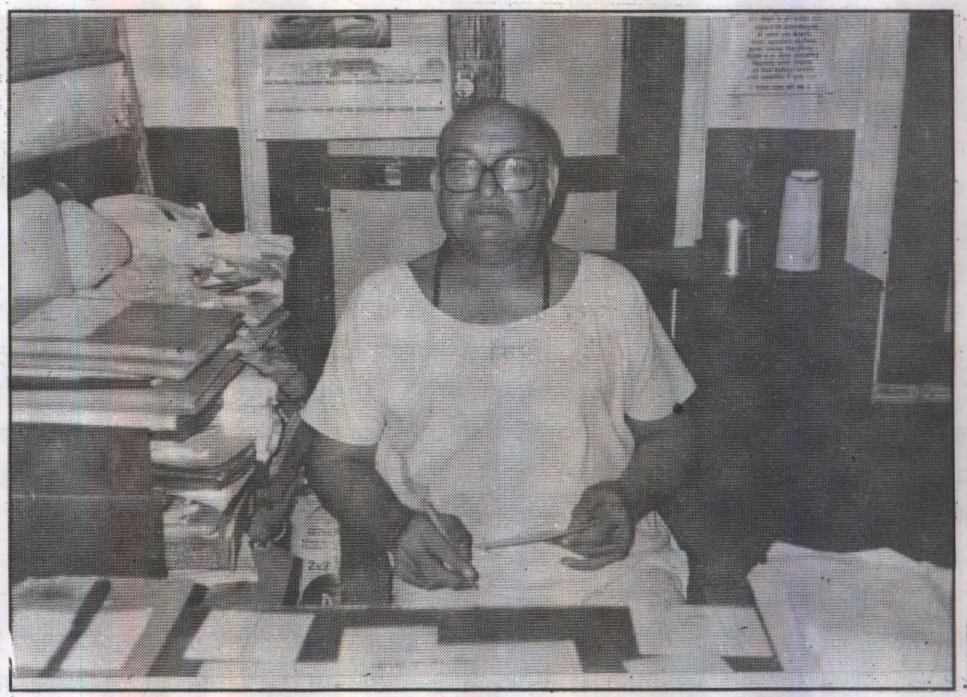

प. बंगाल के पूर्व संगठन मंत्री, रा.स्व. संघ के प्रचारक श्री आर.डी. शर्मा केंद्रीय कार्यालय में स्वागत करते हुए

मै. सैंचुरी एंका लि. के कामगारों के सौजन्य से

(पुणे जिला कामगार संघ, संबद्ध भा.म. संघ)

अखिल भारतीय जूट उद्योग मजदूर संघ

जूट जिसे पाट या पटसन भी कहा जाता है—के उत्पादन में हमारा देश शुरू से ही अग्रणी है। जूट उद्योग भारत के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान महत्वपूर्ण रहा है—चाहे वह अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यवसाय से हो या राष्ट्रीय स्तर के।

पहला संकट देश विभाजन

परंतु विगत कई दशकों से इस उद्योग को काफी उतार-चढ़ाव से गुजरना पड़ रहा है। भारत का पूर्वी भाग यानी बंगाल, आसाम आदि की भूमि जूट उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त थी जिसका अधिकांश भू-भाग पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्ला देश) के रूप में इससे अलग हो गया। इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जूट की मिलें थी, और भूमि भी, जो कच्चे माल अर्थात पटसन के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त थी। यह जूट उद्योग के लिए सबसे बड़ा संकट था। किंतु अपने देश के साहसी और परिश्रमी किसानों ने अपने अथक परिश्रम और मनोयोग से इस उद्योग पर अकस्मात आए संकट को दूर किया और इस उद्योग को फिर से गति दी।

बहरहाल पश्चिम बंगाल इसके बाद भारत में प्रमुख जूट उत्पादक रहा जहां इसके अधिकांश कारखाने थे और यहां की भूमि भी जूट उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त थी।

यों तो आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश तथा बिहार का उत्तरी पूर्वी भू-भाग भी जूट का प्रमुख उत्पादक रहा है, परंतु अधिकांश मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित होने के कारण इस उद्योग पर वहां का राजनैतिक परिदृश्य हमेशा हावी रहा। बंगाल स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही कम्युनिस्टों के प्रभाव में आने लगा था। हालांकि 1967 से 1969 की अवधि छोड़कर 1947 से लेकर 1977 तक यहां कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही। फिर भी **श्रमिकों पर प्रभाव कम्युनिस्टों का ही था। 1977 में सत्ता पाने के बाद यह प्रभाव और बढ़ गया। इस तरह जूट (चटकल) उद्योग को कम्युनिस्टों ने बिलकुल अपने कब्जे में ले लिया।**

दूसरा संकट कम्युनिष्ट पार्टी

जूट मजदूर कम्युनिष्टो का राजनीतिक मनोवृत्ति तथा मालिकों के आनवीय व्यवहार का वर्षों तक सामना करते रहे। धीरे-धीरे कम्युनिष्टों का शिकंजा जूट उद्योग के मालिकों को भी जकड़ने लगा। उनकी चेष्टा रहती कि इस उद्योग से जुड़े मजदूरों से ज्यादा से ज्यादा वोट उन्हें मिले और मालिकों से ज्यादा से ज्यादा पैसे। जिसका इस उद्योग पर बहुत विपरीत असर पड़ा और **उनके रवैए ने जूट उद्योग को लगभग ध्वस्त-सा कर दिया।**

देश में जूट की मिलें दम तोड़ने लगीं। बची-खुची मिलों के सामने भी अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 107 मिलें थीं जिनमें से सिर्फ 73 बच गईं। इनमें से कई मिलें तो बस कागज पर दर्शाने भर के लिए रह गईं थीं। 1947 में देश के 3.5 लाख मजदूर लगभग 9 लाख मेट्रिक टन जूट का वार्षिक उत्पादन करते थे, जिनमें से सिर्फ 2 लाख मजदूर रह गए, हालांकि उत्पादन बढ़कर 14 लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष हो गया। भारी संख्या में मिलों को बंद करने और लगभग 1.5 लाख मजदूरों की छँटनी की बुनियाद कांग्रेस ने अपने राज्य में रखी थी जिस छटनी की 'सुरक्षा' **मजदूरों के हितचिंतक के रूप में ख्यात कम्युनिस्टों ने बहुत ही निर्ममता पूर्वक की।**

दिखाने के दांत

इस उद्योग से जुड़ी कांग्रेस की कुछ यूनियनों ने कम्युनिस्ट सरकार के मनमाने रवैए का प्रतिरोध किया लेकिन नेताओं के मौजमस्ती भरे स्वभाव के कारण इनका प्रयास विफल रहा। फलतः इससे जुड़े मजदूर और किसान लाभान्वित नहीं हो सके। दिखाने के लिए समय-समय पर कुछ आंदोलन के बाद वेतन वृद्धि या पाट की कीमतों में वृद्धि अवश्य होती रही। परंतु मजदूरों या किसानों को लाभ पहुंचाने से इनका कोई मतलब नहीं था। इसके विपरीत मजदूरों की छँटनी होती रही और पाट

श्री उदय मुळे
सिग्मा इंजीनियर्स
बी-69, एम.आई.डी.सी, अहमदनगर

के क्षेत्र में बिचौलियों को प्रश्रय देकर सिर्फ चटकल मालिकों को फायदा पहुंचाया गया। परिणामस्वरूप मजदूर और किसान दोनों ही त्रस्त थे।

तीसरी शक्ति ही विकल्प

ऐसी परिस्थिति में कोई तीसरी शक्ति ही इसका विकल्प थी, जिसकी तलाश जूट उद्योग से जुड़े मजदूरों को थी। भारतीय मजदूर संघ का प्रवेश इस क्षेत्र में इसी कारण हुआ। जिसकी बुनियाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में जे.के. जूट मिल में रखी गई। प्रथम यूनियन के रूप में 'जूट श्रमिक संघ, कानपुर' के नाम से 1962 में पंजीकृत हुआ। जिसके बाद क्रमशः दूसरी और तीसरी यूनियन के रूप में 'बिड़लापुर जूट मजदूर संघ, बिड़लापुर' (1966) तथा 'किनिसन जूट श्रमिक संघ टिटागढ़, 24 परगना' (1968) पंजीकृत हुई। धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़कर 70 हो गई जिनमें से 6 यूनियनें पश्चिम बंगाल तथा 61 यूनियनें उत्तर प्रदेश की थीं। इनका विवरण नीचे द्रष्टव्य है–

क्र.सं.	यूनियन का नाम	पंजीकरण वर्ष
1.	जूट श्रमिक संघ, कानपुर, (उ.प्र.)	1962
2.	बिड़लापुर जूट मजदूर संघ, बिड़लापुर, 24 परगना, प.बंगाल	1965
3.	किनिसन जूट श्रमिक संघ, टिटागढ़, 24 परगना, प. बंगाल	1968
4.	हुकुमचंद जूट श्रमिक संघ, हाजीनगर, 24 परगना, प. बंगाल	1970
5.	नैहट्टी जूट श्रमिक संघ, हाजीनगर, 24 परगना, प.बंगाल	1970
6.	रिलायंस जूट श्रमिक संघ, भाटापाड़ा, 24 परगना, प.बंगाल	1970
7.	न्यू सेंट्रल जूट श्रमिक संघ, बजबज, 24 परगना, पं.बंगाल	1970

230

अपने अराजनैतिक चरित्र, निर्भीक भूमिका तथा मजदूर हित हेतु जुझारू प्रवृत्ति के कारण इन यूनियनों को काफी लोकप्रियता मिली। खासकर "हुकुमचंद जूट श्रमिक संघ" ने हुकुम चंद मिल से अतिरिक्त कार्य (ओवर टाइम) के लिए दोगुना वेतन भुगतान की समस्या तथा रिलायंस जूट मिल से कम्युनिस्टों के आतंक को समाप्त कर अच्छी शुरुआत की। इसके बाद कम्युनिस्ट समर्थकों द्वारा बार-बार बंगाल बंद तथा राजनीतिक ढंग से किए जाने वाले हड़ताल को इन मिलों में जब विफल कर दिया गया तो संघ की लोकप्रियता काफी बढ़ गई और जगह-जगह जूट श्रमिकों द्वारा यूनियन बनाने के निमंत्रण प्राप्त होने लगे।

श्री रामजी दास शर्मा, जूट कर्मियों की जनसभा को संबोधित करते हुए

मै. पथेजा फोर्जिंग एंड ऑटो पार्ट्स मैन्यूफैक्चर्स लि.
भोसरी, पुणे के कामगारों की तरफ से शुभेच्छा
(इंजीनियरिंग कामगार संघ भा.म.संघ संबद्ध)

महासंघ की स्थापना

ऐसी स्थिति में जूट मजदूरों के लिए एक महासंघ की आवश्यकता महसूस की गई। अतएव स्व. (बड़े भाई) की अध्यक्षता में 16 अगस्त 1970 को कलकत्ता स्थित बांगुर धर्मशाला में 'भारतीय जूट मजदूर संघ' की स्थापना की गई। इस महासंघ के प्रथम अध्यक्ष स्व. नरेश चंद्र गांगुली एवं प्रथम महामंत्री श्री बैजनाथ राय निर्वाचित किए गए। और यहीं से शुरू हो गई जूट श्रमिकों की सत्पथ यात्रा जो तब से अब तक भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले तमाम राजनीतिक दाँव-पेंच, दलीय तिकड़म एवं अन्य बोगस मजदूर संगठनों को झुठलाती हुई आगे बढ़ रही है। प्रारंभ से आज तक इसके संगठकों को किस तरह नाकों चने चबाने पड़े इसे बतलाना अपेक्षित है।

आंदोलन

भारतीय जूट मजदूर संघ को शुरू से ही आंदोलन की ओर उन्मुख होना पड़ा। इसका कारण यह था कि इसे विरासत में एक रोग-पीड़ित उद्योग तथा त्रस्त मजदूर मिले थे। जिनकी व्यथा को किसी ने कुछ इस तरह से व्यक्त किया है—

राष्ट्र चेतना का अभाव
कम्युनिस्टों का प्रभाव
बिखरता एवं ढहता उद्योग
मजदूरों का टूटता विश्वास
करुण क्रंदन का आर्तनाद
ही विरासत था।
वंदे मातरम बोलना दुर्लभ
भारत माता का जय गान कठिन
अनजान रास्ते, पथ दुर्लभ
किंतु लिए संकल्प कठिन
गिरना उठना बढ़ते रहना
ध्येय यही सबके मन का।।

तथाकथित पुरोगामियों से अस्पृश्यता का अनुभव

ऐसी विषम परिस्थितियों में 'भारतीय जूट मजदूर संघ को कार्य करना था। एक तरफ इसे सरकार पनपने नहीं देना चाहती थी। अतः यूनियनों के पंजीकरण में काफी मुश्किलें आती थीं। दूसरी तरफ अन्य यूनियनें इसके साथ चलने को तैयार नहीं थीं। श्रमायुक्त की बैठकों में इसके यूनियनों के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था तथा औद्योगिक स्तर पर महासंघ की यूनियनों के पंजीकरण होने के बाद भी दूसरे यूनियन वाले कहते थे कि "हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, श्रमायुक्त इनके साथ अलग बैठक करें।"

समान समस्या के लिए एक साथ संघर्ष हेतु महासंघ के पदाधिकारी अन्य संगठनों के तथा सरकार के दफ्तरों के दरवाजे पर घंटों बैठते थे किंतु कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। यह भूमिका कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों के यूनियनों की थी। आश्चर्य इस बात का कि जो लोग मजदूर एकता की बात करते थे उनके आचरण इस प्रकार के थे। यह मनोवृत्ति वास्तव में एकतंत्रवाद और राजनीतिक दृष्टिकोण का परिणाम थी। इस प्रकार की एकता विरोधी तथा हीन भावनाओं का प्रतिवाद आवश्यक था, जिससे मजदूरों को नुकसान पहुंचता हो। इस प्रकार की परिस्थितियों ने महासंघ को अपनी शिवशक्ति का परिचय देने पर मजबूर कर दिया।

मान्यता

बात 1972 की है। मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को जब महासंघ बार-बार उठाने लगा तो कम्युनिस्टों के नेतृत्व में कई यूनियनों ने 18 अगस्त को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल बुला ली। महासंघ ने उनके नेताओं से इस आंदोलन में साथ रखने के लिए काफी अनुरोध किया—उसने उन्हें समझाया भी कि यदि महासंघ भी अकेले अलग से आंदोलन करने लगेगा तो श्रमिक विभाजन हो सकता है जो किसी के लिए हितकर नहीं, किंतु किसी ने भी उसकी एक न सुनी।

सबने महासंघ द्वारा अकेले आंदोलन किए जाने की बात को मजाक में उड़ा दिया। फलतः महासंघ ने अपनी शिव भंगिमा का परिचय देते हुए 17 अगस्त 1972 को ही एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया। ज्ञातव्य है कि उस समय महासंघ की सिर्फ 11 यूनियनें थीं। फिर भी 18 जूट मिलों में पूर्ण एवं बाकी में आंशिक हड़ताल रहीं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियाँ तो अवाक रह गईं। पश्चिम बंगाल की कांग्रेस सरकार भी बौखलाहट से भर गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने विस्मय प्रकट करते हुए कहा कि—"यह संघी चील बंगाल में कैसे आ गई।" सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता दी। कुछ ने तो इस पर संपादकीय भी लिखे। इस प्रकार सबकी नींव हिल गई। परिणामस्वरूप जब 25 अगस्त 1972 को माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल बंगाल के तत्कालीन श्रम मंत्री स्व. गोपाल दास नाग से मिलने गया तो उन्होंने महासंघ की स्वीकृति की घोषणा तुरंत कर दी। इस तरह काफी विकट संघर्ष के बाद 'भारतीय जूट मजदूर संघ' को मान्यता मिली।

विस्तार

अब महासंघ का विस्तार होना स्वाभाविक था। कांग्रेस और कम्युनिस्ट संगठनों को छोड़कर शेष मजदूर और कामगार भारतीय

मै. एम.पी. एंटनप्राइजेज
सैकेंड फ्लोर, चिरंजीव अपार्टमेंट, कर्वे रोड, पुणे-411038

जूट उद्योग संघ के साथ जुड़ने लगे। मिलों की वर्किंग कमेटी एवं पी.ए. ट्रस्ट में इसके कार्यकर्ता चुनकर आने लगे। किंतु महासंघ के लिए मान्यता की प्राप्ति या स्वरूप-विस्तार कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसके सामने तो मजदूरों की विकराल समस्याएं खड़ी थीं। बीमार उद्योग की पीड़ा मन को आघात पहुंचा रही थी। वर्षानुवर्ष कम्युनिस्ट तथा कांग्रेसी यूनियनों के कार्यरत रहने के बावजूद न तो श्रमिकों के लिए कोई ग्रेड-स्केल था न निश्चित कार्रवाई योजना। **उद्योग सिंथेटिक प्रतिस्पर्धा से परेशान था तो मजदूर कार्य-बोझ और छँटाई से।** किसी संगठन में इन बुनियादी समस्याओं के प्रति कोई जागरूकता नहीं थी। महासंघ ने इन समस्याओं के निदान के लिए मांगपत्र बनाया जिसमें जूट उद्योग एवं उसके मजदूरों की समस्याओं के निदान के साथ-साथ सरकार की गलत नीतियों के परित्याग करने की भी चर्चा थी।

इसके पश्चात महासंघ ने सबको एक साथ आने का आह्वान करते हुए अकेले आंदोलन शुरू कर दिया। धरने और प्रदर्शन किए गए। अंततः 14 जनवरी 1973 से हड़ताल की घोषणा की गई। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी इसलिए हड़ताल नहीं चाहती थी। हड़ताल प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले अर्थात 13 जनवरी 1973 को कांग्रेसी यूनियनों ने केवल कुछ वेतन वृद्धि के साथ त्रिपक्षीय समझौता कर लिया। कांग्रेस की यूनियनों तथा सरकार ने महासंघ को भी उक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने का निवेदन किया। उनका तर्क था कि ऐसे अनुबंध पर पहली बार महासंघ का हस्ताक्षर होगा, जिससे उसकी मान्यता और बढ़ जाएगी। तर्क में बल था **किंतु महासंघ ने इस प्रलोभन को ठुकरा दिया और पूर्व निर्धारित तिथि से हड़ताल शुरू हो गई।** राजनीतिक कारणों से कम्युनिस्ट यूनियनें भी उस हड़ताल में शामिल हो गईं। 74 दिनों के लगातार हड़ताल के बाद सरकार, नियोजक एवं कांग्रेसी यूनियनें उक्त समझौते में आवश्यक संशोधन के लिए तैयार हुईं। आंदोलन के बाद कम्युनिस्टों को भी आभास हो गया कि महासंघ चटकल मजदूरों में उनसे कम लोकप्रिय नहीं। यही कारण था कि उनके नेताओं ने संयुक्त सभाओं में भा.म. संघ की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

1975 का आपातकाल

आपातकाल में जहां कम्युनिस्ट भाग खड़े हुए वहीं महासंघ अकेले डटा रहा। **महासंघ के महामंत्री श्री बैजनाथ राय को तो 25 जून 1975 अर्थात आपातकाल के प्रथम दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अध्यक्ष स्व. नरेश चंद्र गांगुली भी बाद में गिरफ्तार हुए। जिनकी रिहाई आपातकाल समाप्त होने के बाद ही हो सकी।** इसके अतिरिक्त कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए जिनका जेल जाना और आना लगा रहा। **एक समय ऐसा आया जब महासंघ के 300 से अधिक कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए किंतु इसकी क्रियाशीलता में कोई कमी नहीं आई।** आपातकाल में ही रिलाएन्स जूट मिल में महासंघ ने अकेले हड़ताल की। कई अन्य मिलों में धरने दिए गए। यही नहीं, डंके की चोट पर कलकत्ता के स्टुडेंट्स हाल में 26 जनवरी 1976 को भारतीय जूट मजदूर संघ का वार्षिक अधिवेशन किया गया। अन्य सभी आंदोलनों में भी महासंघ की भूमिका अग्रणी रही।

प्रथम त्रिपक्षीय समझौता

1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में और केंद्र की सत्ता जनता पार्टी के हाथ में आई। **सत्ता में आने के बाद कम्युनिस्ट भूल गए कि उन्होंने इससे पहले क्या-क्या वायदे किए थे। उस काल में तीन वर्ष के लिए जूट उद्योग में त्रिपक्षीय समझौता प्रक्रिया रुक गई।** 1973 से 1978 तक होने वाली मूल्य वृद्धि के लिए सभी उद्योग क्षेत्रों के मजदूरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की गई पर जूट चटकल मजदूर इससे वंचित रहकर पुराने वेतन पर ही संतोष करते रहे।

हालांकि महासंघ बार-बार इसके लिए आवेदन करता रहा पर इसका कोई असर सत्ता भोगने वालों पर नहीं हुआ। बाध्य होकर महासंघ ने 1979 में अकेले आंदोलन शुरू किया। मांग पत्र दिए गए। जब इसके बाद भी उनका मोहभंग नहीं हुआ तो महासंघ ने 23 फरवरी 1979 से लगातार हड़ताल की घोषणा कर दी। तब लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और सरकार आनन-फानन 22 फरवरी 1979 को ही अर्थात हड़ताल के ठीक एक दिन पहले त्रिपक्षीय समझौता करने के लिए तैयार हो गई। **यह पहला त्रिपक्षीय समझौता था जिसपर भारतीय जूट मजदूर संघ ने हस्ताक्षर किए।** इसमें मजदूरों की वेतन वृद्धि के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

(क) प्रतिदिन कार्य करने वाले मजदूरों में 90 प्रतिशत स्थायी और 15 प्रतिशत स्पेशल मजदूरों का होगा। स्पेशल मजदूर को वर्ष में कम से कम 120 दिन काम देना ही होगा।

(ख) चटकल मजदूरों के लिए वार्षिक बढ़ोत्तरी के साथ-साथ वेतन श्रेणी लागू करने के लिए एक कमेटी होगी।

(ग) मजदूरों के लिए कार्यबोझ (वर्क लोड) निश्चित करने हेतु एक कार्यबोझ कमेटी

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कर्मचारी संघ

रानीपुर, हरिद्वार (उ.प्र.)

होगी।

इस प्रकार यह पहला अवसर था जब मजदूरों की कुछ मूलभूत समस्याओं के निदान का मार्ग प्रशस्त हुआ। पुरानी ट्रेड यूनियन जो काम वर्षों से नहीं करा पाई थी, भा.म. संघ की उपस्थिति के कारण वह इतने कम समय में संभव हुआ।

वार्ता के बाद भी धोखाधड़ी

उपर्युक्त कार्यबोझ एवं वेतन श्रेणी कमेटी ने अपनी सिफारिशें काफी विलंब से प्रस्तुत की। इससे भी दुखद बात यह थी कि इन सिफारिशों को स्वीकार करने से नियोजक मुकर गए और कम्युनिस्टों की राज्य सरकार तथा कांग्रेस की केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाई। भारतीय जूट मजदूर संघ के लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर की थी। इसलिए यह पुनः आंदोलनोन्मुख हुआ। मजदूरों के दबाव के कारण सभी यूनियनें भारतीय जूट मजदूर संघ के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हो गईं।

16 जनवरी 1984 से लगातार 82 दिनों की हड़ताल के बाद प. बंगाल कम्युनिस्ट सरकार ने अपना प्रस्तावित समझौता-पत्र पेश किया किंतु उसमें कार्यबोझ एवं ग्रेड स्केल जैसे कई मुद्दों में फेर-बदल था। इसलिए भारतीय जूट मजदूर संघ ने उसका घोर विरोध करते हुए उक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। **इस विरोध के बाद एस. यू.सी.आई. एवं नक्सलवादी यूनियनों ने भारतीय जूट मजदूर संघ का साथ दिया** और उन्होंने उक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस घटना के चलते मजदूरों में भारतीय जूट मजदूर संघ के प्रति विश्वास और आकर्षण और भी बढ़ गया।

त्रिपक्षीय समझौता '95

उक्त 1984 के समझौते की खामियां बाद में सबकी समझ में आईं जिसके लिए कई बार आंदोलन करने पड़े। **किंतु हर बार कम्युनिस्ट खासकर सी.आई.टी.यू. आंदोलन के नाम पर नाटकबाजी करती रही।** तीन बार पुनः त्रिपक्षीय समझौते हुए किंतु उनका पालन नियोजकों ने नहीं किया। आखिरकार काफी वाद-विवाद के बाद निम्नलिखित चार मूल समस्याओं के निदान हेतु पुनः सभी यूनियनों ने एक साथ 29 नवंबर 1995 से संपूर्ण हड़ताल शुरू कर दी। जो निम्नलिखित चार समस्याओं के लिए थीं—

(क) समान काम के लिए समान वेतन।

(ख) समान न्यूनतम कार्यबोझ का निर्धारण जिससे कार्यबोझ बढ़ाकर मजदूरों की छँटाई नहीं की जा सके।

(ग) सभी मिल 90 प्रतिशत स्थायी एवं 20 प्रतिशत स्पेशल मजदूर रखेंगे।

(घ) कार्य परिवेश मानवीय रखने होंगे।

भारतीय जूट मजदूर संघ द्वारा सुझाए गए उक्त मांगों के समर्थन में सीटू, इंटक आदि सभी यूनियनों ने हड़ताल में भाग लिया। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटना हुई—हड़ताल के एक ही दिन बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु के आमंत्रण पर **जापानी प्रतिनिधि-मंडल कलकत्ता आया। उसने श्री ज्योति बसु से मजदूरों के संबंध में विशेष दबाव डाला।** श्री बसु ने तत्काल 2 दिसंबर 1995 को एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई, हालाँकि शनिवार होने के कारण उस दिन छुट्टी थी। श्री बसु ने बैठक में एक समझौता पेश करते हुए कहा कि सभी यूनियनें बिना देखे इस पर हस्ताक्षर करें। उन्होंने समझौते की प्रतिलिपि दिखाने से इनकार कर दिया। भारतीय मजदूर संघ सहित कांग्रेस की यूनियनों ने भी श्री बसु की इस एकतंत्रवादी भंगिमा का विरोध किया। परंतु सरकार एवं पूंजीपतियों के दबाव में आकर भा.म. संघ को छोड़कर सभी संगठनों ने उक्त मजदूर विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जिसे बसु उन्हें पहले पढ़कर सुना चुके थे।

ग्यारहवें आम चुनाव के पहले नियोजकों ने उक्त मजदूर विरोधी समझौते का पुरजोर लाभ उठाया। मजदूरों में त्राहि-त्राहि मच गई। इसके लिए भारतीय जूट मजदूर संघ पुनः सामने आया और मजदूरों को यथाशक्ति सहयोग देकर नियोजकों के गलत मनसूबों तथा सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का स्थान-स्थान पर विरोध किया। इस कारण ही आज भारतीय जूट मजदूर संघ जूट उद्योग से जुड़े मजदूरों में सबसे लोकप्रिय, विश्वासी एवं शक्तिशाली संगठन के रूप में उभरकर आया है। उनके विश्वास और स्नेह के बल पर महासंघ ने इस उद्योग को एक नई दिशा दी है।

इस दिशा में बढ़ते कदम का एक उदाहरण मजदूरों के स्वामित्व के आधार पर न्यू सेंट्रल जूट मिल चलाना भी है। इसके मालिक द्वारा बंद कर देने के बाद भी भारतीय जूट मजदूर संघ के मजदूरों के अभिक्रम से इसे चालू करवाया गया, जबकि उस मिल पर 60 करोड़ रुपए कर्ज थे। एक तरह से यह एक नया प्रयोग था जिसमें मिल के मालिक एवं मजदूर कामगार ही थे।

महाराष्ट्र राज्य बीड़ी कामगार संघ

भा.म. संघ, 185-शनिवार पेठ, पुणे - 411030. दूरभाष : 452020

अखिल भारतीय अधिवेशनों का ब्यौरा

क्रमांक	कब	संबद्ध संगठन संख्या	सदस्य संख्या
1.	26 जून 1972	11	18,217
2.	26 जून 1973	14	20,127
3.	23,24 फरवरी 1974	18	23,262
4.	31 दिसंबर 1974 1 जनवरी 1975	23	27,372
5.	26 जून 1976	24	32,249
6.	26 जून 1977	25	38,773
7.	25,26 जनवरी 1978	27	40,943
8.	4 अप्रैल 1979	33	43,659
9.	30 अप्रैल 1980	35	44,667
10.	26,27 जनवरी 1983	36	44,914
11.	26,27 जनवरी 1986	40	45,897
12.	26,27 जनवरी 1990	41	46,326
13.	26 जनवरी 1993	48	49,883
14.	15,16 अगस्त 1996	49	52,244

भारतीय मजदूर संघ का तरीका

फैक्ट्रियों में प्रबधंन के प्रवक्ता सामान्यतः जापानी ट्रेड यूनियनों द्वारा अपनाए गए उस आंदोलनात्मक तरीके का उदाहरण देते हैं जिसमें काम रोकने के बदले श्रमिक अपने बाँए पैर के जूते को उतारते हैं।

परंतु सरकारी, निजी अथवा स्वशासी क्षेत्र को भा.म. संघ के अनोखे तरीके की जानकारी नहीं है जो इस तरीके से लाख दर्जा उत्तम है। सौराष्ट्र के सभी तथा गुजरात के कई नगरपालिका के कर्मचारियों को संगठित करने का श्रेय भारतीय मजदूर संघ को है। इसे गुजरात के नगरपालिका कर्मचारियों के राज्य स्तरीय महासंघ की मान्यता भी प्राप्त है।

धोराजी सौराष्ट्र का एक शहर है। इसके सारे नगरपालिका कर्मचारी भा.म. संघ द्वारा संगठित यूनियन के सदस्य हैं। वर्ष 1989 में यहां का नगरपालिका बोर्ड अपनी आमदनी बढ़ाने में असमर्थ रहा। जिसके फलस्वरूप अर्थाभाव के कारण कर्मचारियों को कई महीनों तक वेतन नहीं मिल सका। जब राज्य सरकार ने किसी तरह की सहायता नहीं की तो भा.म. संघ की अभिकल्पना के अनुरूप इसके कार्यकर्ताओं ने स्थिति से स्वयं निपटने का निर्णय लिया। वहां के चेक पोस्टों पर भा.म. संघ के अपने कार्यकर्ताओं की नियमित तैनाती की, जिनकी निगरानी तथा मुस्तैदी के कारण वसूली काफी बढ़ गई। इससे अर्थ-संकट दूर हुआ और कर्मचारियों का वेतन नियमित होने के साथ उनके बकाए वेतन का भी भुगतान हो गया। साथ ही सभी कामों में सुधार हुआ।

यह है भारतीय मजदूर संघ का तरीका, जिसे किसी भी जापानी तरीके से अधिक विलक्षण कहा जा सकता है।

निवो मार्केटिंग एजेंसीज

10, गुरुवार पेठ, राम मंदिर के सामने, सरिता देवी चौक, पुणे-411042. दूरभाष : 477494, 477233, आवास-460939

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

प्रतिरक्षा किसी भी देश का मेरुदंड होता है। देश की बुनियाद इसी पर खड़ी होती है। इसके बिना किसी देश की संप्रभुता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः भारतीय मजदूर संघ के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी वह यूनियनें खड़ी करें।

स्थापना

इस बात को ध्यान में रखते हुए 13 अगस्त 1967 को दिल्ली में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की स्थापना की गई। यही वह दिवस था जब भा.म. संघ अपना प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन मना रहा था जिसकी अध्यक्षता दादा साहेब कांबले कर रहे थे। उस समय भा. म. संघ की प्रतिरक्षा से संबद्ध सिर्फ तीन यूनियनें थीं और वे सभी की सभी कानपुर की थीं। इसके प्रतिनिधियों की संख्या 20 के आस-पास ही थी, जिसमें सर्वश्री रमाकांत शुक्ल, जैत सिंह एवं शीतला प्रसाद (आर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर) के प्रमुख थे। प्रतिरक्षा मजदूर संघ के स्थापना-दिवस पर ही इसके पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। इस अवसर पर सर्वश्री मोहन राव गावंडी (पुणे) अध्यक्ष, राम प्रकाश मिश्र महामंत्री, रमाकांत शुक्ल संयुक्त मंत्री और बालादीन जी कोषाध्यक्ष मनोनीत किए गए।

धीरे-धीरे भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का विकास होता रहा। पहले कानपुर की वायुसेना का असैनिक कर्मचारी संघ, शाहजहांपुर की आर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री, मध्य प्रदेश का शतहनी वाहन फैक्ट्री कर्मचारी संघ, दिल्ली का सी.ओ.डी. कर्मचारी संघ का गठन हुआ। तत्पश्चात 10 मई 1968 को मुरादनगर आर्डिनेंस फैक्ट्री में इसका प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें श्री ठेंगड़ी जी, बड़े भाई जी, सर्वश्री मोहनराव गावंडी, राम प्रकाश मिश्र, रमाकांत शुक्ल (आई.जी.एस. कानपुर), बालादीन (हार्नेस फैक्ट्री), ओमप्रकाश पांडेय (एयरफोर्स, चकेरी, कानपुर), लवकुश सिंह (आर्डिनेंस क्लोदिग फैक्ट्री, शाहजहांपुर), शैलेंद्र द्विवेदी (जबलपुर), हरिशंकर गौड़ (आर्डिनेंस फैक्ट्री, मुरादनगर), सरदार कृपाल सिंह (सी.ओ.डी., दिल्ली) जैत सिंह व शीतला प्रसाद शुक्ला, हरिओम शंकर पुरोहित (सी.आई.जी.एस., कानपुर) सहित लगभग 50 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके बाद भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्यसमिति की बैठक सर्वश्री मोहन राव गावंडी—अध्यक्ष, गोविंदराव आठवले (नागपुर) तथा सरदार कृपाल सिंह (दिल्ली)—उपाध्यक्ष, राम प्रकाश मिश्र (कानपुर)—महामंत्री, रमाकांत शुक्ल—संयुक्त मंत्री, शैलेंद्र द्विवेदी (जबलपुर)—सहमंत्री और जैत सिंह—कोषाध्यक्ष निर्वाचित किए गए।

क्षेत्रीय सम्मेलन पठानकोट में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गिरीश अवस्थी, महामंत्री

अगला कदम

तत्पश्चात भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने

मै. डी.जी.पी. हिमोडे इंडस्ट्रीज लि. के कामगार और कार्यालयीन कर्मचारियों की ओर से शुभकामना
(पुणे जिला कामगार संघ, भा.म.संघ से संबद्ध)

और गति पकड़ी तथा शीघ्र ही पठानकोट, जबलपुर, पुणे तथा अंबाझारी की आर्डिनेंस फैक्ट्रियां तथा पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश की अनेक यूनियनें इससे संबद्ध हुईं। इनकी विशेषता यह थी कि सभी संबद्ध यूनियनें भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ व भा.म. संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा नई-नई ही बनाई गई थीं, केवल सी.ओ.डी. दिल्ली की यूनियन कम्युनिस्ट फेडरेशन से टूटकर आई थी। इसका द्वितीय वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में संपन्न हुआ जिसके गोंविद राव आठवले—अध्यक्ष, रामप्रकाश मिश्र—उपाध्यक्ष, रमाकांत शुक्ल—महामंत्री एवं अमरनाथ डोगरा—सहमंत्री निर्वाचित किए गए।

द्वितीय अधिवेशन के बाद भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का कारवां बढ़ता ही चला गया और इसका विस्तार कानपुर तथा जबलपुर के लगभग सभी सुरक्षा प्रतिष्ठानों, महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा, पुणे व पठानकोट तक हो गया। इससे अनेक उत्साही नवजवान कार्यकर्ता जुड़े, जो सदैव जूझने-मरने के लिए तैयार रहते थे। परंतु ये बातें दूसरे संगठनों के नेताओं को बर्दाश्त नहीं थीं। वे भारतीय प्रतिरक्षाा मजदूर संघ की बढ़ती हुई ताकतों को नहीं देख सकते थे। अतः उन्होंने प्रशासन से मिलकर इसके कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का सिलसिला प्रारंभ करवा दिया। इसके आगे कठिनाइयां खड़ी करने में इंटक और एटक सबसे आगे थीं। इन्होंने भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को 'निकर वाले' 'लाठी वाले' 'जनसंघी', 'सांप्रदायिक' जैसे अनेक नाम भी रखे थे। ऐसे समय में ही एक दिन आर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर में भारतीय संरक्षण कामगार संघ का गठन हुआ।

संघर्ष हमारा नारा है

उसकी पहली सभा में फैक्ट्री के बाहर महामंत्री रमाकांत शुक्ल, उपाध्यक्ष राम

सेना के एक उच्च अधिकारी संबोधित करते हुए

प्रकाश मिश्र तथा अध्यक्ष गोविंद राव आठवले के नेतृत्व में जैसे ही द्वार सभा की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, उस फैक्ट्री के प्रबंधक के आदेश पर पुलिस तथा सुरक्षा कर्मियों ने लाउडस्पीकर जब्त कर लिए और कर्मचारियों को सभा-स्थल से तितर-बितर करना चाहा जिस पर कर्मचारियों की पुलिस से हाथापाई भी हुई। दूसरे दिन **5 कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया गया जिनकी वापसी 4 वर्ष बाद श्री आठवले के दिन-रात पैरवी से उच्च न्यायालय नागपुर के आदेश पर हुई।**

आर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर की घटना ने विदर्भ प्रांत के प्रतिरक्षा मजदूरों को उद्वेलित करके रख दिया। उनमें मानो जोश का एक तूफान सा खड़ा हो गया। परिणामस्वरूप पूरे महाराष्ट्र में यूनियनें गठित हो गईं।

कार्य फैलने लगा

इसी बीच भंडारा आर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अन्य घटना घटित हो गई। यहां भा.म. संघ की यूनियन बन चुकी थी और उसमें स्थानीय लोगों को भरती करने के प्रश्न पर आंदोलन चलाया जा रहा था। यह आंदोलन इतना उग्र हो गया कि फैक्ट्री के महाप्रबंधक ने पुलिस से फायरिंग करवा दी। इस पर कर्मचारियों ने भी प्रतिरोधात्मक कार्यवाही की और पुलिस का एक जवान मारा गया। जिसके कारण अनेक कर्मचारियों को उत्पीड़ित किया गया। महाप्रबंधक ने मिलने से व वार्ता करने से इनकार कर दिया। फैक्ट्री व इस्टेट में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा कर दिया गया। किंतु सभी कर्मचारी अपने पूर्व संगठनों को छोड़कर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के नेतृत्व में खड़े हो गए। इससे आंदोलन और मजबूत हुआ।

संस्मरणीय प्रसंग

एक दिन सर्वश्री आठवले, राम प्रकाश मिश्र व रमाकांत शुक्ल महाप्रबंधक की कार के रंग वाली कार में बैठकर फैक्ट्री के गेट पर जैसे ही पहुंचे—सुरक्षा-कर्मियों ने गेट खोल दिया और ये लोग सीधे प्रबंधक के कमरे में दाखिल हो गए। महाप्रबंधक महोदय घबरा गए और अंत में स्थानीय लोगों को भरती करने का समझौता हुआ।

प्रगति के पथ पर

विदर्भ की कामयाबी के बाद भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब,

डब्ल्यू आई.ई. एंप्लाइज ऑर्गनाइजेशन (इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन)

संलग्न भारतीय मजदूर संघ

पो. शिरवळ, ता. खंडाळा, जिला-सातारा

पश्चिम बंगाल आदि स्थानों पर भी कामयाबी के झंडे गाड़ने लगा। कल तक जो संगठन इसके साथ अछूत जैसा व्यवहार करते थे अब वही संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार हो गए। थोड़े ही दिनों बाद रेल मजदूर नेता श्री जार्ज फर्नांडीस ने दिल्ली के रफी अहमद किदवई मार्ग स्थित मावलंकर हॉल में संपन्न होने वाले अपने अधिवेशन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को भी आमंत्रित किया जिसमें श्री रमाकांत शुक्ल व अमरनाथ डोगरा ने भाग लिया। इसके बाद स्व. एस.एम. बनर्जी ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के तृतीय वेतन आयोग की विसंगति पर आंदोलन चलाने हेतु इसे आमंत्रित किया जिसमें श्री ठेंगड़ी जी व रमाकांत शुक्ल शामिल हुए।

यहां पर एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जिस समय श्री ठेंगड़ी जी इस आंदोलन में भा.म. संघ के सहयोग व इसके लिए चक्का जाम करने की घोषणा कर रहे थे उसी समय यह सूचना आई कि आर्डिनेन्स क्लोदिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की यूनियन ने हड़ताल करा दी। **यह हड़ताल काफी उग्र रही।** फैक्ट्री के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के एक डिप्टी सेक्रेटरी को कई घंटे धूप में बिठाए रखा, 14 दिनों तक काम-काज बिलकुल ठप्प रहा। यूनियन के 21 कार्यकर्ताओं को रासुका या डी.आई.आर. में बंदी बना लिया गया। बाद में इन्हें फैक्ट्री से निष्कासित कर दिया गया। इन कार्यकर्ताओं में लवकुश सिंह, तुलाराम, पारस नाथ, मति उल्लाह, नन्हेमल व रउफ खां प्रमुख थे।

इसके बाद तो मानो मजदूर संघ में उबाल आ गया। श्री ठेंगड़ी जी के सौजन्य से स्व. हुकुम चंद कछवाह, श्री मेजर रणजीत सिंह व श्री दया राम शाक्य जैसे सांसदों का सहयोग भी इस संगठन को मिलने लगा। इसके महामंत्री बनाए गए इस महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष श्री गिरीश अवस्थी, जिन्हें उस समय रा.स्व. संघ व भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की सक्रिय भागीदारी के कारण काफी उत्पीड़ित किया गया। महासंघ के अथक

और पैराशूट फैक्ट्री की यूनियन बढ़ी

पैराशूट फैक्ट्री, कानपुर में चार हजार से अधिक मजदूर काम करते थे। इसलिए यहाँ भा. म. संघ की यूनियन होना आवश्यक समझा गया। इसके लिए रा.स्व. संघ से जुड़े 20-25 लोग तैयार हो गए। यूनियन पंजीकृत हो गई। लेकिन सदस्यता बढ़ना संभव नहीं हो पा रहा था।

पं. राम प्रकाश जी ने कहा कि हम द्वार-सभा (गेट मिटिंग) लेंगे। लोगों को अपना सिद्धांत बतलाएँगें। द्वार सभा निश्चित हो गई। बोर्ड लिखे गए। हाथों से लिखे हुए 10-20 पोस्टर फैक्ट्री के अंदर भी चिपकाए गए।

प्रबंधन ने पहले से ही शिकायत की थी। काफी पुलिस आ गई। फैक्ट्री छूटने के समय एक बड़ा पुलिस अधिकारी श्री पंडित जी के पास आया। कहने लगा "सभा नहीं होगी। आपको अनुमति नहीं है। भाषण करोगे तो मैं आपको गिरफ्तार करूंगा।" पंडित जी ने कहा "सभा होगी। मैं भाषण करूंगा, आपको जो करना है, वो करो"।

फैक्ट्री की शिफ्ट खत्म हुई थी। हजारों मजदूर गेट के बाहर आए थे। पुलिस अधिकारी और मजदूर पंडित जी की बात सुन रहे थे। भीड़ बढ़ती गई। पुलिस अधिकारी कह रहा था—भाषण नहीं देना है। पंडित जी कह रहे थे—भाषण दूंगा। पंडित जी ने एक कुरसी रख रखी थी और एक मेज। झट मेज के ऊपर चढ़ गए और उसी पर खड़े होकर भाषण देने लगे—"मजदूर भाइयो, आपकी मैनेजमेंट विचार रखने के लिए मना करती है। भाषण देने को मना करती है और सरकार तथा पुलिस भी उनको सहायता दे रही है। स्वतंत्र भारत में मजदूर गुलाम रहें, उनकी विचार की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता नष्ट की जाए, यह बात भारतीय मजदूर संघ बर्दाश्त नहीं करेगा।"

पुलिस अधिकारी ने यह सुनते ही पंडित जी को मेज से नीचे उतारा और गिरफ्तार कर लिया। जीप में बिठाकर थाने ले गया। थाना फैक्ट्री के नजदीक ही था।

कुछ समय के लिए कामगार किंकर्त्तव्य विमूढ़ हो गए। लेकिन एक मजदूर बोल उठा, यह अन्याय हम नहीं सहेंगे। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र कामगार हैं। हम सभी थाने चलेंगे। और फिर भारी संख्या में कामगार थाने की ओर चल पड़े। थाने में फोन खड़खड़ाने लगा। डी.एस.पी. को वायरलेस से पता चल चुका था। उसने संबंधित अधिकारी को कहा—"यूनियन वाले को छोड़ दो। प्रकरण बढ़ाओ मत।"

तब तक मजदूर थाने तक पहुँच चुके थे। पुलिस अधिकारी थाने के बाहर आया और कहने लगा—"आप शांत हो जाओ। हम पंडित जी को छोड़ देते हैं। उनको हमने गिरफ्तार नहीं किया है।" पंडित जी थाने से बाहर आए और गगन में आवाज गूँज उठी 'भारत माता की जय', 'मजदूर एकता जिंदाबाद'।

एंफेट्रॉनिक्स लि. भोसरी, पुणे

के कामगार और कार्यालयीन कर्मचारियों की ओर से शुभकामनाएं।

वर्षा में भीगने की तपश्चर्या उपयुक्त साबित हुई

कानपुर के हार्नेस फैक्ट्री में भा. म. संघ से संबद्ध यूनियन बनाने में सफलता नहीं मिल पाती थी। कई बार बुलाने के बाद भी कामगारों के बीच से कार्यकर्ता बना पाना संभव नहीं लगता था। बार-बार बैठकें बुलाने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हो पाता था।

ऐसी ही एक बैठक एक दिन सायं पाँच बजे एक बगीचे में बुलाई गई। लोगों ने आने का आश्वासन दिया। पं. राम प्रकाश को लगता था आज दो-चार कार्यकर्ता बैठक में आएँगें ही। पंडित जी पौने पाँच बजे बगीचे में पहुँचे। लेकिन हाय! पाँच बजने से पूर्व ही वर्षा शुरू हो गई।

पंडित जी पेड़ के नीचे खड़े थे। वर्षा मूसलाधार हो रही थी। पंडित जी को लगा कोई न कोई तो यहाँ आएगा ही और किसी को भी न देखते हुए चला गया तो ठीक नहीं। भीगते हुए भी वे वहीं खड़े रहे। एक घंटे तक वर्षा होती रही। जब वर्षा थोड़ी कम हुई तो उस पेड़ की तरफ छाता लिए एक कार्यकर्ता आया। उसका नाम था—बालादीन। वह हार्नेस फैक्ट्री में काम करने वाला कामगार था और बैठक के लिए ही आया था।

उसने पंडित जी को ऊपर से नीचे तक भीगते हुए खड़े देखा। कहने लगा—इतनी वर्षा में आप हमारा इंतजार करते खड़े थे।

पंडित जी की इस तपश्चर्या ने श्री बालादीन को प्रेरित किया और वह संगठन के लिए सर्वस्व देने को तैयार हुआ। उसने दिन-रात भा. म. संघ का काम किया।

हार्नेस फैक्ट्री में, आज जिसको आर्डिनेन्स इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर के नाम से जाना जाता है, भा. म. संघ से संबद्ध यूनियन खड़ी हुई। दुर्दैव से श्री बालादीन आज स्वर्गस्थ हैं।

आम सभा को संबोधित करते हुए अमरनाथ डोगरा, उपाध्यक्ष

प्रयास से इसके पाँच वर्ष बाद जनता पार्टी के शासन काल में कहीं वह उत्पीड़न खत्म हो सका। इसी काल में शाहजहांपुर के निलंबित 21 कार्यकर्ताओं में से 16 की फिर से बहाली हुई।

बलिदान का इतिहास

निलंबन और उत्पीड़न का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। वास्तव में भारतीय मजदूर संघ का इतिहास बलिदान का इतिहास रहा है। इसके कई कार्यकर्ता अपने संघ की गतिविधियों में भाग लेने के कारण नौकरी से निकाल दिए गए, पर किसी ने हिम्मत नहीं छोड़ी और साहसपूर्वक संगठन का कार्य करते रहे। उदाहरणार्थ श्री उदय भानु उपाध्याय सहित 3 कार्यकर्ता अंबरनाथ फैक्ट्री में चल रहे आंदोलन के दौरान जनवरी 1978 में निलंबित कर दिए गए जो 1979 में काम पर आ सके। इसी तरह अप्रैल 1981 में सीं.ओ. डी. आगरा के कमांडेंट के कर्मचारी-विरोधी रवैए के विरोध में तीव्र आंदोलन चलाया गया जिसमें 9 कार्यकर्ता निलंबित कर दिए गए। **जिसके लिए सी.ओ.डी. में कार्यरत 5000 कर्मचारियों ने ब्रिगेडियर को दिनभर घेरे रखा तब जाकर कहीं निलंबन समाप्त हुआ।**

लाठी चार्ज

जुलाई 1982 में ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री भुसावल में आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया तथा 42 कार्यकर्ता जेल भेज दिए गए। आर्डिनेन्स फैक्ट्री चंद्रपुर में 15 दिसंबर 1982 तथा 26 दिसंबर 1982 तक प्रबंधन के रवैये के खिलाफ पूर्णरूपेण हड़ताल रही। प्रबंधन के कोप से 23 हड़ताली कामगार निलंबित कर दिए गए, 84 की सेवा-भंग कर दी गई और अनेक कामगारों तथा मजदूरों को चार्ज शीट दिया गया। नेवल डाक यार्ड विशाखापत्तनम में 650 अनियत मजदूरों (कैजुअल लेबरसे) को स्थायी कराने हेतु उसे

दि जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण

प्रधान कार्यालय–निहारिका, बर्फ कारखाने के पास, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम)-421 301. दूरभाष : 25995

3 अप्रैल से 6 अप्रैल 1984 तक 7,000 कर्मचारियों ने भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से संबद्ध यूनियन के आह्वान पर काम का बहिष्कार किया—काफी जद्दोजहद के बाद **सभी अनियत मजदूरों को स्थायी किया गया। इसी तरह आर्डिनेन्स फैक्ट्री, खमरिया, जबलपुर में प्रबंधन के तानाशाही एवं दुर्व्यवहारपूर्ण रवैये के खिलाफ जब दिसंबर 1990 में आंदोलन चलाया गया तो 356 लोगों की सेवा भंग कर दी गई और वहां के मंत्री श्री हरबरन सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया, जिन्हें तीव्र आंदोलन करने के बाद काम पर वापस लाया गया।** इसी प्रकार का उत्पीड़न अन्य सहयोगियों पर जगह-जगह किया गया। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ दृढ़तापूर्वक कार्य करता रहा। इसके प्रयासों से आर्डिनेन्स डिपो अलीपुर, कलकत्ता को तो सरकार 1983 में बंद करने के आदेश दे चुकी थी। बाद में महासंघ के प्रयासों से सरकार ने अपने निर्णय को वापस लिया।

दुर्घटना

9 फरवरी 1984 को फिल्ड गन फैक्ट्री कानपुर में 20 टन पिघले लोहे से भरा हुआ कंटेनर 30 फिट की ऊंचाई से गिर जाने के कारण फट गया और 12 कर्मचारियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। दर्जनों लोग घायल हो गए। कर्मचारियों के आक्रोश के कारण फैक्ट्री में काम बंद कर दिया गया। अंत में महासंघ के प्रयासों से मृत कर्मचारियों को मुआवजा तथा उनके आश्रितों को नौकरी दिलाकर एवं घायल कर्मचारियों को इलाज का पूरा पैसा दिलवाकर फैक्ट्री का काम चालू करवाया गया। संबद्ध यूनियन ने घायलों की जीवन रक्षा हेतु रक्त-दान भी किया।

इसी प्रकार की दुर्घटना अम्यूनिशन फैक्ट्री, रुड़की, पुणे, ए.आर.डी.ई. पुणे, आर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, खमरिया, चंद्रपुर तथा एयर फोर्स जामनगर में हुई, जिसमें दर्जनों लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। महासंघ ने मृतकों के सभी परिजनों को सभी प्रकार की सहायता की। महासंघ ने आपातकाल में मौलिक अधिकारों एवं लोकतंत्र की रक्षा हेतु आंदोलन किया और इसके सैकड़ों कार्यकर्ता जेल गए।

स्वदेशी आंदोलन में प्रतिरक्षा मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया है। स्वदेशी अपनाओ का बिगुल फूँकते हुए इसने अपने कार्यकर्ताओं को इस दिशा में पहल करने की प्रेरणा दी है।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की सदस्य संख्या इस समय सवा लाख से ऊपर है तथा करीब 150 यूनियनें इससे संबद्ध हैं। लगभग सभी प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में इस महासंघ का कार्य फैला है। ऐसा इसके आंदोलनात्मक छवि एवं कार्यकर्ताओं के त्याग के कारण ही संभव हो सका। लेकिन भारत सरकार ने राजनीतिक कारणों से भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को अब तक मान्यता नहीं दी है।

मालिक और मजदूर संयुक्त प्रयास

राजकोट में सिले सिलाए (रेडीमेड) कपड़ों की एक फैक्ट्री है जिसमें लगभग 30 कर्मचारी काम करते थे। इस फैक्ट्री की हालत ठीक नहीं थी और प्रबंधन ने फैक्ट्री चलाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए इसे बंद करने के लिए मजदूरों के साथ बैठक की। भा.म. संघ के नेताओं ने प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की सहमति से फैक्ट्री को चालू रखने के लिए मजदूरों के वेतन में 10 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव रखा। मालिकों ने भी मजदूरों द्वारा प्रदर्शित सद्भावना को सफल करने का भरसक प्रयास किया। परिस्थिति बदल गई। स्थानीय फैक्ट्री पुनः आर्थिक रूप से सक्षम हो गई। मजदूरों को सामान्य वेतन दिया जाने लगा तथा कटौती किए गए पैसों का भी भुगतान किया गया।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टाफ क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी

भारत भवन, 1360 शुक्रवार पेठ, पुणे-411 002

भारतीय इस्पात मजदूर संघ

भा.म. संघ के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार तथा उसके द्वारा मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए देशव्यापी आंदोलन को देखते हुए इस्पात उद्योग से जुड़े राष्ट्रीय सोच वाले मजदूरों ने महसूस किया कि छोटी-मोटी यूनियनों की जगह पर इस्पात उद्योग के मजदूरों का भी एक महासंघ हो। यह विचार 1977-78 में साकार हो गया, जब भा.म. संघ द्वारा अखिल भारतीय इस्पात मजदूर संघ नाम का एक महासंघ स्थापित किया गया। इस महासंघ की स्थापना 31 दिसंबर 1977 से 1 जनवरी 1978 के बीच जमशेदपुर के गुजराती भवन में की गई। इसमें इस्पात उद्योग से जुड़े 8 संगठनों के 250 कार्यकर्ता एकत्र थे। अधिवेशन में अखिल भारतीय इस्पात मजदूर संघ के प्रथम अध्यक्ष सत्येंद्र साधु (भिलाई) और प्रथम महामंत्री सरोज कुमार मित्र (राउरकेला) बनाए गए।

संघर्ष रथ की सवारी

ऐसे तो भा.म. संघ मानती है कि 'हड़ताल' उसका अंतिम हथियार है लेकिन जब अन्याय की परिसीमा हो जाती है तो यही अंतिम हथियार प्रारंभिक हथियार बन जाता है। अंतिम हथियार तो फिर शिवशक्ति ही बन जाती है। भा.म. संघ का इतिहास रहा है कि यह जल्दबाजी में शिवशक्ति नहीं अपनाता। सो, बोकारो इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस के मजदूरों ने अपने ऊपर हो रहे अन्याय और शोषण से तंग आकर 5 अप्रैल 1985 से संघ के अंतिम हथियार को प्रारंभिक हथियार बनाकर बोकारो स्टील राष्ट्रीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हड़ताल शुरू किया। शत प्रतिशत मजदूर इसमें शामिल हुए और फैक्ट्री "जोर-जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है" की आवाज से गूंज उठी।

लेकिन प्रबंधन टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने हड़ताली मजदूरों को धमकाया कि अगर वे काम पर वापस नहीं आए तो उन्हें फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा। पर समस्या ग्रस्त हड़ताली मजदूरों पर उनकी गीदड़-भभकी का कुछ भी असर नहीं हुआ। हड़ताल जारी रही। प्रबंधन सोचने लगा कि एक महीने बाद अगर कामगारों को वेतन नहीं मिला तो वे स्वयं काम पर वापस आ जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हड़ताल पैंतीसवें दिन भी जारी रहा। अंत में प्रबंधन को घुटने टेकने पड़े और उनतालिसवें दिन जाकर मजदूर संघ से वार्तालाप के बाद समझौता हुआ, जिसके तहत मजदूरों की सभी मांगे पूरी हुईं।

बोकारो इस्पात फैक्ट्री के कामगारों की ऐसे तो कई समस्याएं थीं पर सबसे विकट समस्या ब्लास्ट फर्नेस के कास्ट हाउस में काम करने वाले कामगारों की थी, जहां 8 घंटे काम करना संभव नहीं। मनुष्य के शरीर पर इसका घातक प्रभाव पड़ता है। अतः मानव शक्ति और मानवता की दृष्टि से विचार करके इसके कामगारों के लिए दिन में 4 घंटे निर्धारित किए गए।

ठेका मजदूरों के लिए संघर्ष

साधारणतया संगठित मजदूर असंगठित मजदूरों की हित-रक्षा के लिए कोशिश नहीं करते। ऐसी स्थिति कई जगह देखने को मिलती है। लेकिन अखिल भारतीय इस्पात मजदूर संघ का सिद्धांत ही शोषित और पीड़ितों को राहत देने का है, जिसका वह व्यावहारिक रूप से भी पालन करने के लिए कटिबद्ध था और वर्तमान में भी है। इस यांत्रिक युग ने मनुष्य को हीन बनाकर रख दिया है। **हरेक बड़ी फैक्ट्री में हजारों की संख्या में असंगठित, असुरक्षित ठेका मजदूर रहते हैं। उनको बहुत ही कष्टदायक और कठिन काम करने को बाध्य किया जाता है। ऐसे कामों में जान जाने का भी खतरा रहता है।** ऐसी ही एक भयानक दुर्घटना में 18 जुलाई 1988 को ब्लास्ट फर्नेस में कार्यरत सात ठेका मजदूरों की मृत्यु हो गई।

इस क्रूर दुर्घटना के पश्चात महासंघ से संबंधित ठेका मजदूर संघ ने प्रबंधन से मांग की कि वह इन मृत निर्दोष कर्मचारियों के आश्रितों को तत्काल राहत दे और कारखाने में स्थायी काम दे। लेकिन प्रबंधन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। परिणामस्वरूप ठेका मजदूर संघ ने सशक्त और प्रभावशाली आंदोलन करके मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सीधे

महाराष्ट्र राज्य बीड़ी कामगार संघ

भा.म. संघ, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030. दूरभाष : 452020

कारखाने के कर्मचारी के रूप में नौकरी दिलवाई। इसका मतलब यह कतई नहीं कि इस घटना से ठेका मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो गया। बल्कि इस दुर्घटना के कुछ ही वर्ष बाद कोक ओवन में 12 दिसंबर 1991 को ऐसी ही एक दुर्घटना हो गई जिसमें 5 मजदूरों की जानें चली गईं। ठेका मजदूर संघ को एक बार पुनः संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। लंबे संघर्ष के बाद प्रबंधन बात करने को राजी हुआ। बहुत ही वाद-विवाद के बाद यह समझौता हुआ कि कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण यदि किसी मजदूर की मौत हो जाती है तो उसके एक आश्रित को फैक्ट्री में स्थायी नौकरी मिलेगी। चाहे वह स्थायी कामगार हो, अस्थायी हो या फिर ठेका या किसी अन्य तरह से काम करने वाला मजदूर। अ.भा. इस्पात मजदूर संघ की मजदूरों के लिए यह बहुत बड़ी देन थी।

समस्या इस्को की

1992 के आसपास इस्को स्टील प्लांट बर्नपुर का प्लांट प्रबंधक केंद्र सरकार के साथ मिली भगत करके प्लांट के आधुनिकीकरण के नाम पर इसका निजीकरण करना चाहता था। भा.म. संघ से संबद्ध यूनियन और अन्य केंद्रीय कामगार संगठनों ने एकत्र होकर केंद्र सरकार और प्रबंधन की इस कुटिल योजना का प्रखर विरोध शुरू किया। लगातार दो वर्ष के आंदोलन के बाद प्रबंधन एवं सरकार केंद्रीय श्रम संगठनों के दबाव में आई और उनकी चाल नाकाम हो सकी।

संघर्ष दर संघर्ष

भा.म. संघ का उद्देश्य राष्ट्रहित, उद्योग हित एवं मजदूर हित में काम करना है। यह मजदूरों को न्याय दिलाने हेतु संघर्ष करता है जिससे कि उन्हें न्याय मिल सके। किंतु अन्य संगठनों द्वारा किए गए संघर्ष और भा.म. संघ के संघर्ष के तरीके में अंतर है। संघर्ष करने से पहले यह कुछ संगठन खड़ा करता है तत्पश्चात उन संगठनों के माध्यम से संघर्ष करता है। संघर्ष से जो कुछ लाभ होता है उसके आधार पर आगे संगठनात्मक स्वरूप बढ़ाया जाता है। किंतु इसका संगठन और संघर्ष राष्ट्र-निर्माण के लिए है। जिसका मूलमंत्र—"संगठन के लिए संघर्ष और संघर्ष के लिए संगठन" है। श्री ठेंगड़ी जी द्वारा दिया हुआ यह मार्ग-दर्शन अखिल भारतीय इस्पात मजदूर संघ में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। जिसके कारण इसे इस्पात मजदूरों की छँटनी रोकने में भारी सफलता मिली है।

देश के उद्योगों के आधुनिकीकरण के नाम पर नए संयंत्र और नई मशीनरियों के लगने

पंडित जी की निष्ठा

टाटा नगर 1989

"अगले महीने में प्रदेश अभ्यास वर्ग है। इसमें आप में से प्रमुख कार्यकर्ताओं को तीनों दिन उपस्थित रहना है।" पं. राम प्रकाश मिश्र एक बैठक लेते समय जानकारी दे रहे थे। उन्होंने पूछा—कौन जा सकता है, कौन नहीं। एक कार्यकर्ता ने कहा "मैं नहीं जा सकूंगा।" पंडित जी आग्रह करने लगे—"आपको अभ्यास वर्ग में आना चाहिए। आपको अभ्यास वर्ग में उपस्थित रहना ही है।" पंडित जी का आग्रह बढ़ता रहा और कार्यकर्ता ना-ना करता रहा।

पंडित जी ने कहा—"भारतीय मजदूर संघ क्या है? कैसे काम करता है? यदि यह सीखना है तो अभ्यास वर्ग में प्रमुख कार्यकर्ताओं को आना ही चाहिए।" कार्यकर्ता बहुत ही नाराज हो गया और जोर से बोला—"पंडित जी, आप क्या जानते हो? आपकी न तो पत्नी है, न परिवार। आप छड़े हो। परिवार वालों की तकलीफ आप कैसे जान सकोगे"।

पंडित जी सुनते रहे। लेकिन जो कार्यकर्ता पंडित जी को भली-भाँति जानते थे, जोर से हँस पड़े। कार्यकर्ता और चिढ़ गया और अन्य कार्यकर्ताओं की तरफ देखकर कहने लगा कि भाइयो, मेरे घर की तकलीफ जानकर भी आप हँसते हो?

ये बातें चल ही रही थीं कि इतने में टाटा नगर के प्रमुख कार्यकर्ता शंभु सिंह आए। उन्होंने पंडित जी के पास आकर उनके कान में कुछ कहा। उन्होंने बैठक में रुकावट लाते हुए एक कार्यकर्ता को कहा कि "बैठक आप ले लो" और पंडित जी को कहा "कि आप मेरे साथ चलिए, गाड़ी तैयार है।" पंडित जी चले गए।

अन्य लोग पूछने लगे—"क्या हुआ? क्या हुआ?" जिस कार्यकर्ता ने पंडित जी को सवाल पूछे थे वह भी जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या?

बैठक समाप्त करने वाले कार्यकर्ता ने कहा कि "पंडित जी जब घर से निकले थे तब उनकी पत्नी बीमार थीं। अभी-अभी पटना से फोन आया है— पंडित जी को संपर्क करने की कोशिश 10 दिन से हो रही है, उनकी पत्नी का देहांत हुए 11 दिन हो गए हैं। उनको तेरहवें दिन तो कम-से-कम सुदूर गांव में अपने घर अवश्य पहुँचना चाहिए। इसलिए शंभु सिंह पंडित जी को लेकर स्टेशन पहुँचाने गए हैं। गाड़ी यदि छूट गई तो वे तेरहवीं में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। समाज और परिवार वालों को क्या जवाब देंगे?" प्रश्नकर्ता अभ्यास वर्ग में उपस्थित रहा और आज टाटा नगर में जिम्मेवारी लेकर काम करता है।

भगिनी निवेदिता सहकारी बैंक लिमिटेड
387/388, नारायण पेठ, राष्ट्रभाषा भवन, पुणे-411030. दूरभाष : 456635

का सीधा असर कामगारों पर होता है। एक नई मशीन सौ दो सौ कामगारों का उत्पादन करने लगता है तो इतने कामगारों की प्रबंधन को कोई आवश्यकता नहीं रहती। प्रबंधन उन मजदूरों को कंपनी पर बोझ समझने लगता है। **प्रबंधन ऐसे मजदूरों को निकालने की सोचता है जिनकी उम्र मात्र 45-50 वर्ष होती है। जबकि उस आयु में नया जीवन शुरू करना आसान नहीं। यह ऐसी उम्र है जब हरेक मजदूर बच्चों की पढ़ाई, लड़की की शादी, जैसी समस्याओं में उलझा होता है।** हालांकि प्रबंधन से उन्हें कुछ पैसे तो मिलते हैं पर उतने से न तो उनका गुजारा संभव है और न ही उनकी समस्याएं सुलझ सकती हैं। अपने इस उम्र तक उन्हें जो कुशलता प्राप्त होती है उसका वे सिर्फ उसी तरह की मशीनों में उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा उनको भूखों मरना पड़ेगा। ऐसे अंधकार के समय यदि कोई आशा की किरण है तो वह है—भारतीय इस्पात मजदूर संघ।

1981 की विकट घड़ी

1981 के मई-जून महीने में विद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियां छुट्टी मनाकर अपनी-अपनी संस्थाओं में नए सत्र का स्वागत करने को तैयार थे। लेकिन हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बोकारो में काम करने वाले उनके माता-पिता चिंता ग्रस्त थे। उनके ऊपर छँटनी की तलवार गिरने की आशंका थी। ऐसी चिंताग्रस्त अवस्था में उनको महासंघ ने आशा की किरण दिखाई। उन्होंने भी महासंघ पर विश्वास कर छँटनी के विरोध में खड़े होने का निश्चय किया।

14 जून 1981 को महासंघ ने आंदोलन का बिगुल फूँका। संघर्ष शुरू हुआ। प्रबंधन मजदूरों की छँटनी करने के अपने निर्णय पर अडिग था। उसके निर्णय के अनुसार हजारों मजदूरों की छँटनी होनी थी। प्रबंधन का कहना था कि हम कानून के मुताबिक नोटिस देकर कानूनी भुगतान करेंगे। अतएव इस विषय पर किसी तरह की चर्चा आवश्यक नहीं।

यदि महासंघ को लगता है कि **प्रबंधन का निर्णय गैरकानूनी है तो महासंघ न्यायालय में जा सकता है।** न्यायालय का निर्णय प्रबंधन को मान्य होगा।

मजदूरों को पता था कि न्यायालय में वर्षों तक निर्णय नहीं मिलता और इसमें अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां आएंगी। इसलिए महासंघ से संबद्ध यूनियनों ने कानून का सहारा लेने के बजाय आंदोलन का रास्ता अपनाया।

जोरदार नारेबाजी शुरू हुई। सशक्त आंदोलन खड़ा हुआ। आंदोलन के समय सभी यूनियनें संगठित हुईं। अंततः एक महीने के बाद प्रबंधन बात करने पर विवश हुआ, जिसके बाद समझौता हो सका। जिन 2,200 मजदूरों को प्रबंधन हटाना चाहता था उनकी नौकरी बरकरार रखने का निर्णय हुआ। इस तरह से कानूनी सहारा लेकर प्रबंधन जिनका भविष्य अंधकारमय करना चाहता था, महासंघ के अथक प्रयास से उनकी जिंदगी में उजाला बना रहा। यहां के मजदूरों को भिलाई, दुर्गापुर, भवनाथपुर, विशाखापत्तनम जैसे इस्पात कारखानों में पदस्थापित कराया गया।

भारतीय इस्पात मजदूर संघ का अधिवेशन वृत्त

क्रम	वर्ष	स्थान	संबद्ध संगठन	अध्यक्ष	महामंत्री
प्रथम	31 दिस'. 77 11 जन'. 78	जमशेदपुर	8	श्री सत्येंद्र साधु	श्री सरोज कुमार मित्र
द्वितीय	7, 8 अप्रैल' 81	बोकारो	9	श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	श्री सरोज कुमार मित्र
तृतीय	12, 13 दिस'. 84	बर्नपुर	9	श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	श्री विश्वनाथ कपूर
चतुर्थ	अगस्त' 87	भिलाई	9	श्री राम प्रकाश मिश्र	श्री विश्वनाथ कपूर
पंचम	27, 28 मई' 90	कुल्टी	10	श्री राम प्रकाश मिश्र	श्री विश्वनाथ कपूर
षष्टम	15, 16 नवं'. 92	राउरकेला	11	श्री राम प्रकाश मिश्र	श्री आनंद कुमार

बीज कामगार कल्याण निधि
रास्ता पेठ पुणे, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030

भारतीय परिवहन मजदूर संघ

परिवहन उद्योग का दायित्व देश के अलग-अलग भूभागों को एक दूसरे से जोड़ना है, जिससे देश के एक भाग में निवास कर रहा मानव दूसरे भाग के निवासी से जुड़ सके। देश के आर्थिक एवं सांगठनिक आधार में परिवहन की महती भूमिका है जिसके लिए लाखों मजदूर, कामगार एवं कर्मचारी सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इस महत् दायित्व से जुड़े परिवहन-कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी।

विशुद्ध संगठन

भारतीय मजदूर संघ के इस क्षेत्र में पदार्पण के पहले परिवहन-कर्मियों के बीच जो यूनियनें

गिरफ्तारी के पूर्व पुलिस का घेरा तोड़ते हुए अनशनकारी

नागपुर में भा.प.म. संघ के प्रथम अधिवेशन के समय ठेंगड़ी जी कार्यकर्ताओं के साथ

कार्यरत थीं उनके उद्देश्यों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था और संबद्ध पार्टी हितों की प्रधानता थी। मजदूरों-कर्मियों के कथित हितों की लड़ाई लड़ने के क्रम में उनके लिए मजदूर हितों का महत्व गौण था। मंचों से वे भले ही सिर्फ मजदूर हितों का ही ढिंढोरा पीटते रहे हों, लेकिन नीतियों और संघर्षों के कार्यान्वयन में उनके निहित स्वार्थ छिपे रहते थे। परिवहन-कर्मियों के अधिकारों एवं हितों की लड़ाई के लिए भारतीय मजदूर संघ ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया।

प्रवेश की आवश्यकता

31 दिसंबर 1968 को भा. म. संघ के कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय स्तर का एक अभ्यास वर्ग भुसावल में लगा था। उस समय ही

नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स

7, पीठा स्ट्रीट, सर वी.एम.रोड के सामने, फोर्ट, मुंबई-400001, दूरभाष : 2844704

भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के गठन का निश्चय किया गया था। प्रस्तावित महासंघ के गठन के पूर्व भी देश के विभिन्न भागों में भा. म. संघ से प्रेरित परिवहन कर्मचारियों के अनेक संगठन भारतीय परिषद नागपुर में 16 जून 1968 को आयोजित की गई। विदर्भ प्रदेश के भा. म. संघ के प्रमुख श्री गोविंदराव आठवले को इस परिषद के संयोजक का दायित्व सौंपा गया था।

16 जून 1969 को परिषद का प्रारंभ श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी की अध्यक्षता में हुआ। तत्कालीन 15 में से 10 राज्यों में भा. म. संघ से संबद्ध 32 यूनियनें परिवहन उद्योग में कार्यरत थीं। कार्यरत यूनियनों का विवरण इस प्रकार– इन यूनियनों की कुल सदस्य संख्या लगभग 22 हजार थी।

मूलभूत मार्ग दर्शन

श्री ठेंगड़ी जी ने मार्गदर्शन करते हुए परिवहन उद्योग में कार्यरत संपूर्ण देश के मजदूरों को संगठित होने की आवश्यकता स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि परिवहन उद्योग के मजदूर जिस स्थिति में काम कर रहे हैं, वह संतोषजनक नहीं हैं। वेतन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। वैज्ञानिक ढंग से कार्य का मूल्यांकन और उसके आधार पर विभिन्न श्रेणियों का गठन न होने तथा अवैज्ञानिक तरीके से वेतन निर्धारण होने के कारण वेतन और ज़िम्मेवारी में अंतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए परिवहनकर्मियों के लिए स्थायी वेतन आयोग के निर्माण की अपनी मांग ठोस ढंग से आगे रखने के लिए विस्तृत मांगपत्र तैयार करना होगा, जिसमें परिवहन मजदूरों के काम की स्थिति से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार हो। उक्त परिषद में इस प्रकार के मांगपत्र तैयार करने का आह्वान श्री ठेंगड़ी जी ने किया।

योजना

इस प्रथम ऐतिहासिक परिषद में यह निर्णय लिया गया कि परिवहन-कर्मियों की नई यूनियनें स्थान-स्थान पर गठित की जाएं और सदस्यता बढ़ाई जाए। इस अभियान के लिए तैयारी समिति के संयोजक बनाए गए– श्री गोविंद राव आठवाले। इसके अन्य सदस्य थे–

1. अनंत भट्ट– मैसूर
2. चौरसिया– मध्य प्रदेश
3. रमांशकर– उत्तर प्रदेश
4. केलकर– मुंबई
5. भाउसाहेब चांद्रायण– विदर्भ
6. रामजी दास चिटकारा– दिल्ली

परिषद का खुला सत्र श्री मदनलाल जी गहलोद, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र मोटर कामगार फेडेरशन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

महासंघ का निर्माण

उक्त प्रथम परिषद से मिली प्रेरणा से तथा कार्यकर्ताओं के प्रयास के कारण सर्वत्र कार्य-विस्तार होने लगा। 12 अप्रैल 1970 को कानपुर में हुए भारतीय मजदूर संघ के द्वितीय अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ का विधिवत गठन हुआ। तत्पश्चात 1971 में बड़ौदा, 1972 में मुंबई और जून 1973 में ग्वालियर में हुए भा. म. संघ के अखिल भारतीय अधिवेशनों के प्रतिनिधि सम्मेलनों के अवसर पर भी भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के प्रतिनिधि एकत्र हुए किंतु इसे अधिवेशन का स्वरूप नहीं मिल पाया।

प्रथम प्रतिनिधि सम्मेलन

विधिवत स्थापित भारतीय परिवहन मजदूर संघ का 6 तथा 7 अगस्त 1973 को प्रथम प्रतिनिधि सम्मेलन नागपुर (सितावर्डी-मध्य वस्ती) में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र में अकाल की भीषण परिस्थिति होने के कारण अधिवेशन में बहुत बड़ी संख्या की अपेक्षा नहीं थी और इसलिए इसे औपचारिक सभा के तौर पर ही समझा गया। इस सम्मेलन ने कार्यकर्ताओं में महासंघ के प्रति आत्मीयता

देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद
अर्थ कांप्लेक्स, केशर सिंह पुरा, औरंगाबाद-431 001. दूरभाष : 334121

त्रिवेन्द्रम में धरना

तथा दायित्व का भाव जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। श्री पी. टी. त्रिवेदी, अधिवक्ता, इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष थे और श्री ठेंगड़ी जी का गौरवपूर्ण साहचर्य इस सम्मेलन को प्राप्त था।

इस सम्मेलन के पश्चात दिल्ली, उ. प्र. महाराष्ट्र, विदर्भ जैसे प्रदेशों में पहले से ही चल रहे कार्य के साथ-साथ बिहार, कर्नाटक और गुजरात में भी कार्य शुरू हुआ। हिमाचल, पंजाब, आंध्र, राजस्थान, प. बंगाल में हो रहे प्रयासों का भी अनुभव सबको प्राप्त हुआ। इन अनुभवों के आलोक में आगामी गतिविधियों की दिशा तय करने में मदद मिली। इस अल्पअवधि में भिन्न-भिन्न प्रदेशों में आंदोलन हुए, उपलब्धियाँ प्राप्त हुईं तथा इस क्षेत्र में इंटक एवं कम्युनिस्टों का एकाधिकार समाप्त हुआ।

बुनियादी माँगें

उक्त अधिवेशन में पारित कुछ प्रमुख प्रस्तावों के विषय इस प्रकार थे– परिवहन कर्मचारियों की श्रेणियों का निर्धारण तथा कामगार का वर्गीकरण, न्यूनतम वेतन 340 रुपये के साथ तत्कालीन वेतन मंडल की सिफारिशों को लागू करना, बोनस कानून लागू करना, समान स्थायी आदेश लागू करना, निजी परिवहन राष्ट्रीयकृत उद्योग में सम्मिलित करने पर पुरानी सेवा के वर्ष अंतर्भूत करना, नया वेतन वेज बोर्ड गठित करना, आदि। इसी के साथ राष्ट्रीयकृत परिवहन बेहतर बनाने की दृष्टि से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पर सक्रिय राजनैतिक व्यक्तियों की नियुक्ति न करने का तथा परिवहन उद्योग विशेषज्ञों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा मजदूर प्रतिनिधियों की संचालक पद पर नियुक्त करने हेतु कार्पोरेशन ऐक्ट में सुयोग्य परिवर्तन की भी मांग की गई।

प्रथम कार्यसमिति का विधिवत चयन

प्रथम कार्यसमिति का निर्वाचन हुआ, जिसमें सांसद श्री हुकुम चंद कछवाय अध्यक्ष बने। अन्य पदाधिकारियों का विवरण इस प्रकार है–

श्री प्रभाकर घाटे– कार्यकारी अध्यक्ष, श्री आर. के. कोप (मंगलोर)– उपाध्यक्ष, श्री वी. एम. केलकर (मुंबई)– उपाध्यक्ष, श्री हरिभाई हिराणी, राजकोट– उपाध्यक्ष, श्री सोमेश्वर चांद्रायण–महामंत्री, श्री रमाशंकर (वाराणसी)–मंत्री, श्री ओम प्रकाश मोदी, दिल्ली–मंत्री, श्री रामभाऊ अग्निहोत्री, (सोल पुर)–मंत्री, श्री हसमुख भाई दवे, राजकोट–मंत्री, श्री वामन राव खेड़कर, नागपुर–कोषाध्यक्ष।

इनके अतिरिक्त कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम इस प्रकार थे–

सर्वश्री भार्गव, जयपुर, भय्या जी चनो, भोपाल, चंद्रशेखर, पालक्काट, विसुभाऊ परब, मुंबई, रमेश चौधरी, नांदेड, शालिग्राम पांडेय, पटना, बापूराव रोहणकर, यवतमल, ओमप्रकाश डंक, दिल्ली, राम प्रकाश सिंह, छपरा और अशोक कुमार शर्मा, वाराणसी।

श्री ठेंगड़ी जी ने अपने उद्‌बोधन में रोड ट्रांसपोर्ट वेज बोर्ड रिपोर्ट की विसंगतियों का उल्लेख करते हुए परिवहन में कार्यरत सभी श्रमिक संगठनों को एकत्र होकर मजदूरों के लिए देशव्यापी संघर्ष करने का आह्वान किया जिसमें बोनस का अधिकार, आवश्यकताओं पर आधारित वेतन और सम्मानपूर्ण सेवाशर्तें आदि मांगें रखीं गईं।

प्रथम कार्यसमिति की बैठक

विधिवत गठित कार्यसमिति की प्रथम बैठक 8 अगस्त 1973 को श्री हरिभाई हिराणी की अध्यक्षता में हुई। इसमें सर्वश्री रघुनाथ कोप, बी.एम. केलकर, सोमेश्वर चांद्रायण, वा. के. खेड़कर, रमाशंकर सिंह, आर. बी. अग्निहोत्री, हसमुंख भाई दवे, गोपाल नारायण भार्गव, वी. के. परब, आर. एम. चौधरी, शालिग्राम पांडेय, बी. के रोहणकर, अशोक कुमार शर्मा उपस्थित थे।

परिवहन महासंघ के कार्य ने गति पकड़ी।

महाराष्ट्र राज्य बीड़ी कामगार संघ

भा.म. संघ, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030. दूरभाष : 452020

देखते-ही-देखते सदस्यता, यूनियन संख्या, विभिन्न प्रदेशों में यूनियन स्थापना आदि कार्य विस्तार पाने लगे। इसी बीच देश में आपात् स्थिति लागू कर दी गई और 1975-76 में होने वाले अधिवेशन नहीं हो सके। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात् भा. म. संघ का जयपुर में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में परिवहनकर्मियों ने सर्वसम्मति से खांडवा के तत्कालीन सांसद श्री पी.जी. वाले को महासंघ का अध्यक्ष चुना। दुर्भाग्य से दुर्घटनाग्रस्त होकर वे असमय में ही दिवंगत हो गए।

57 हजार से ऊपर सदस्यता

1970 तक महासंघ से संबद्ध संगठनों का गठन हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बंगाल में भी हो गया। इस समय तक सदस्यता 20 हजार से बढ़कर 57,500 से भी अधिक हो गई। कार्य और कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ।

वाराणसी अधिवेशन

30-31, मार्च 1979 को वाराणसी में द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ इसमें देश के 11 राज्यों के लगभग 1 हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में भा. म. संघ के अध्यक्ष तथा महामंत्री क्रमशः श्री गांगुली तथा श्री राम नरेश सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों तथा उ. प्र. के स्थानीय कर्मचारियों का विशाल जुलूस पहली बार भा. प. म. महासंघ के झंडे के नीचे निकला।

इस अधिवेशन में पारित प्रस्तावों में ये मांगें शामिल थीं— चालकों का बीमा, टिकट लेने की जिम्मेवारी यात्रियों पर डालना, चालकों तथा वाहकों के विश्राम के लिए पानी, प्रकाश, स्वच्छता, शौचालय, स्नानागृह आदि सुविधाओं से युक्त विश्राम गृहों की व्यवस्था, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का प्रावधान, सेवाशर्तों का निर्धारण आदि। साथ-ही-साथ राज्य निगमों की कार्यपद्धति में एकरूपता, उनके नामों में एकरूपता, वेतनमान, सेवाशर्तें, सुविधाएं, कार्य के घंटे आदि में एकरूपता की मांग की गई। इसी अधिवेशन में प्रबंधन में मजदूरों की साझेदारी और राष्ट्रीयकरण की मांग भी की गई।

इस अधिवेशन में नई कार्यसमिति का गठन हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश से सांसद श्री रामसागर जी अध्यक्ष बनाए गए। अन्य पदाधिकारियों का विवरण इस प्रकार है—सर्वश्री प्रभाकर घाटे—कार्यकारी अध्यक्ष, सर्वश्री हरिभाई हिराणी—उपाध्यक्ष, श्री सुरेश जी शर्मा—उपाध्यक्ष, श्री सोमेश्वर चांद्रायण—महामंत्री, श्री रमाशंकर सिंह—मंत्री, श्री प्यारे लाल जी बेरी, हिमाचल प्रदेश—मंत्री, श्री नाना खडेकर—मंत्री और श्री वामन लोहित—कोषाध्यक्ष।

कार्यसमिति के अन्य सदस्यों के नाम हैं— सर्वश्री मोदी तथा धनवंत जी (दिल्ली), देवी रूप वालिया (हि. प्र.), लक्ष्मण सिंह सोनी (राजस्थान), त्रिवेदी तथा भगवानलाल शर्मा (म.प्र.) कनु भाई मेहता (गुजरात), अशोक शर्मा, प्रेमसागर मिश्र, पी. के. रावत (उ. प्र) शालिग्राम जी पांडे, चरण सिंह जी (बिहार), अमिताभ घोष (बंगाल), विश्वनाथ परब (मुबंई) और इंदर सिंह (हरियाणा)।

दक्षिण भारत में कार्य शुरू

आंध्र प्रदेश के गुंतुर में 16 नवंबर 1980 को प्रथम बैठक आयोजित हुई जिसमें 100 व्यक्तियों की उपस्थिति ने हौसला बढ़ाया। दक्षिण में विस्तार की दृष्टि से यह पृष्ठभूमि संतोषजनक और उत्साहवर्धक थी। डेढ़ मास बाद यानी 1 जनवरी 1981 को आंध्र प्रदेश परिवहन कर्मचारियों का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भ. म. संघ के श्री हरि राव का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1980 तक देश में महासंघ की सदस्यता 86 हजार तक पहुंच गई।

आंदोलनों का सिलसिला

11 जून 1979 को दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, पटना, राजकोट, भोपाल, मुंबई आदि स्थानों के राज्य परिवहन मुख्यालयों पर महासंघ के मांगपत्र को लेकर धरना और आंदोलन हुआ। यह अनोखा मांग पत्र था जिसमें वेतन या सेवाशर्तों में सुधार की मांगें शामिल नहीं थीं। इसमें मांग थी परिवहन निगमों के बदतर हो रहे कारोबार को बेहतर बनाने की, निगमों को घाटे से बचाने की, प्रवासियों को सुविधा, आराम, सुरक्षा आदि दिलाने की। यह स्वाभाविक था कि इन रचनात्मक मांगों की सर्वत्र प्रशंसा हो।

3 अक्टूबर 1980 को दिल्ली में बोट क्लब पर 1500 की संख्या में परिवहन-कर्मियों ने धरना देकर संघर्ष की रहा पर चलने का संकेत दिया इसमें श्री ठेंगड़ी जी तथा केंद्रीय नेता श्री राम नरेश सिंह तथा अग्घी जी भी शामिल थे।

बिहार पथ परिवहन श्रमिक संघ (भा. म. संघ) के निगम कर्मचारियों ने अन्य दो संगठनों को साझेदार बनाते हुए निगम कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया और इंटक से उनके ही किए अनुशंसाओ के विरोध में हस्ताक्षर करवाए।

28 जुलाई 1982 को बिहार में संघर्ष समिति का गठन करते हुए चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के विरोध में 5000 परिवहन-कर्मियों ने ऐतिहासिक

रैनबो एजेंसीज़
ग्रीक्स लिमिटेड के ऑथराइज्ड डीलर
381, भवानी पेठ (पुराने मोटर स्टैंड के पास), कागलवाला सोसाइटी, पुणे-411 042. दूरभाष : 659466

प्रदर्शन किया।

14 सितंबर 1982 को सर्वत्र धरना, 5 अक्टूबर 1982 को दो दिनों की हड़ताल, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, श्रमिक संघ के महामंत्री तथा कार्यकर्ताओं का घायल होना, निलंबित होना, 15 अक्टूबर 1982 को अनिश्चित कालीन हड़ताल आदि इस संगठन की संघर्ष यात्रा के रोमाचंक पद-निक्षेप हैं।

भा. म. संघ के आह्वान पर 19 जनवरी 1982 के भारत बंद में महासंघ के निर्देशानुसार देश भर के परिवहन-कर्मियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आंध्र में हड़ताल भी हुई। 13 दिसंबर 1982 को आंध्र के परिवहन मंत्री के निवास पर धरना दिया गया।

राजस्थान परिवहन कर्मियों ने भी सफल हड़ताल कर 19 जनवरी 1982 के आंदोलन को सफल बनाया। इसके अगले चरण में 19 फरवरी 1982 को दमन विरोधी दिवस मनाया गया।

राजस्थान विधानसभा के सामने मूसलाधार वर्षा में 3000 सदस्यों ने बस स्टेशन से रैली निकालकर प्रदर्शन किया।

अन्यान्य कई स्थानों पर इसी प्रकार आंदोलन होते रहे। महाराष्ट्र में मुंबई मुख्यालय पर प्रचंड संख्या में धरना, संभागीय कार्यालयों पर धरना तथा रैली हुई। हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरण आंतक के विरोध में शिमला के निगम मुख्यालय पर धरना तथा प्रदर्शन हुए।

उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए।

भारतीय परिवहन मजदूर संघ की मजदूरों के हितों के प्रति सन्नद्धता और उसकी संघर्षशीलता के इन कतिपय दृष्टांतों से इसकी भावी दिशा का अनुमान किया जा सकता है।

असुरक्षित कामगार संगठन

मुंबई अधिवेशन के बाद 1972-73 के वर्ष को 'असंगठित, असुरक्षित मजदूर वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय हुआ। कार्यकर्ताओं का विशेषकर संगठित उद्योगों के कामगारों का ध्यान असंगठित-असुरक्षित कामगारों की तरफ आकृष्ट करना इसका उद्देश्य था। मुंबई में घरेलू कामगारों को संगठित करके इस कार्य का तब शुभारंभ ही हुआ था। जिन कामगारों को कोई भी कानूनी संरक्षण नहीं मिलता और जिनको संगठित होने में बहुत दिक्कतें आती हैं और इसी कारण जिनका अधिक शोषण होता है, ऐसे कामगारों को जागृत करने हेतु भा.म.संघ के कार्यकर्ता जुट गए। उन्होंने देश के विविध भागों में असुरक्षित कामगारों को संगठित करके उनकी आवाज बुलंद की। अमृतसर, बटाला, मुंबई आदि जगहों में प्राइवेट कार ड्राइवरों को संगठित किया गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में बुनकरों के संगठन खड़े हुए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वन विभाग के कामगारों को संगठित किया गया। देहरादून, गुड़गांव, चंडीगढ़ और कानपुर में टेलरिंग (कपड़े सिलने वाले) कामगारों की यूनियनें बनाई गईं। दिल्ली में भी घरेलू कामगार संघ की स्थापना की गई। दिल्ली के दूतावासों में काम करने वाले कर्मचारियों का संगठन बन सका। कोचीन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (भवन-निर्माण मजदूरों) की यूनियन हो गई। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्टों और कंपाउंडरों आदि को संगठित करने की कोशिश हुई। कालीकट में नौकाओं पर काम करने वाले मछुआरों की यूनियन हो गई।

इस प्रकार असंगठित क्षेत्र में भा.म. संघ ने मजदूरों को संगठित करके "शोषित-पीड़ित-दलित जनों का, भाग्य बनाने वाले हम" सिद्ध किया।

भगिनी निवेदिता सहकारी बैंक लिमिटेड
387/388, नारायण पेठ, राष्ट्रभाषा भवन, पुणे-411030. दूरभाष : 456635

अखिल भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ

1955 में भोपाल में भारतीय मजदूर संघ का जो केसरिया ध्वज लहराया था, 1970 तक उसका दंड खदान क्षेत्र के दुर्गम चट्टानों में भी धँस गया, जिसका श्रेय भा.म. संघ के उन समर्पित कार्यकर्ताओं को है जिन्होंने अहर्निश अपने तन तपाकर संगठन को विस्तार दिया। कोयला खदान से जुड़े मजदूरों, कामगारों और कर्मचारियों के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए पहली बार भा.म. संघ के कानपुर (उत्तर प्रदेश) अधिवेशन में बड़े भाई के मार्ग-दर्शन में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ कोयला महासंघ की स्थापना की गई, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के 11 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस गुरुतर दायित्व निर्वाह के लिए श्री शंकर लाल शर्मा अध्यक्ष, श्री टी. सी. जुमड़े महामंत्री बनाए गए। कतिपय यह खदान मजदूर संघ पृष्ठभूमि थी जिसने कालांतर में राष्ट्रीय एवं वृहत स्वरूप पाया।

भारतीय खदान मजदूर संघ कोयला महासंघ का द्वितीय अधिवेशन 1972 में झरिया (बिहार) में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री बनारसी सिंह आजाद और महामंत्री श्री टी.सी. जुमड़े हुए। इस अधिवेशन में कोयला खदान से जुड़े 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उक्त काल खंड में कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसके बाद इस संगठन को राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए पश्चिम बंगाल के बहुला में भारतीय खदान मजदूर संघ कोयला महासंघ का तृतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के उपरांत अखिल भारतीय स्तर पर खदान मजदूर संघ उभरकर सामने आया। हालांकि राष्ट्रीयकरण के प्रारंभिक काल में इंटक, सीटू, एवं एटक जैसे संगठन इस पर हावी होते रहे परंतु उनकी हर चुनौती का सामना करते हुए अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ आगे बढ़ता रहा।

1978 में मध्य प्रदेश के चांदामेटा में हुए अधिवेशन के बाद खदान क्षेत्र में इसके महत्त्व को पहचाना जाने लगा। यह इसकी सफलता का ही परिचायक था कि 1979 में पहली बार कोयला वेतन समझौता में इसे भी बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया गया। इस समझौते में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ की ओर से इसके अध्यक्ष श्री बनारसी सिंह और महामंत्री श्री टी.सी. जुमड़े ने भाग लिया। हालांकि तब तक इस संघ में मंजे हुए

डॉ. बसंत कुमार राय भाषण करते हुए

निवो मार्केटिंग एजेंसीज

10, गुरुवार पेठ, राम मंदिर के सामने, सरिता देवी चौक, पुणे-411042. दूरभाष : 477 494, 477233, आवास - 460939

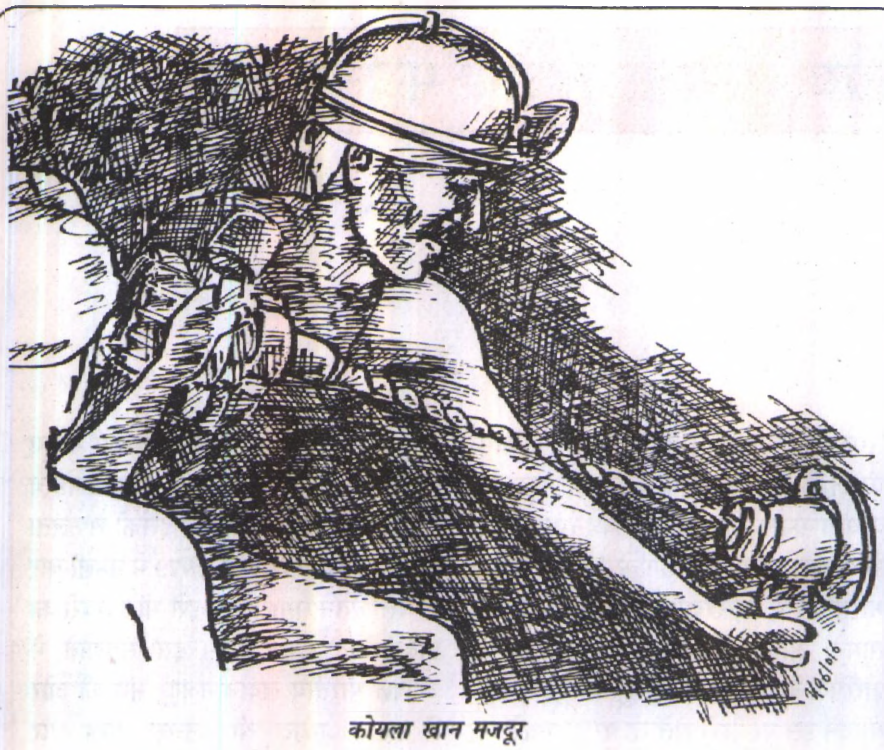

कोयला खान मजदूर

कार्यकर्ताओं का अभाव था। जो लोग इससे जुड़ रहे थे उनका सर्वप्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय भावना थी जो भा.म. संघ की आत्मा में स्थित है।

अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ का पाँचवां अधिवेशन 1983 में बिहार के भुरकुंडा में संपन्न हुआ। यह अधिवेशन चुनौतियों से भरा और बड़े महत्व का था। जनता पार्टी के शासन काल में अखिल भारतीय खदान मजदूर के कई कार्यकर्ताओं के विमुख होकर हिंद मजदूर संघ में चले जाने के बावजूद उक्त अधिवेशन में 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

1986 के उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश सीमा पर सिंगरौली में हुए छठें अधिवेशन तक अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ का शैशव काल समाप्त हो चुका था। इस अधिवेशन में सिंगरौली जैसे दुर्गम स्थान पर भी काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए 250 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उपर्युक्त अन्य अधिवेशनों की तरह इस अधिवेशन में भी श्री बनारसी सिंह को अध्यक्ष एवं श्री टी.सी. जुमड़े को महामंत्री बनाया गया।

1986 से 1996 के बीच अखिल भारतीय खदान संघ के तीन और अधिवेशन हो चुके हैं। जिनमें संघ का सातवाँ अधिवेशन 1989 में महाराष्ट्र के नागपुर में, आठवां अधिवेशन 1992 में आंध्र प्रदेश के रामागुंडम में एवं नवां अधिवेशन 1996 में मध्य प्रदेश के परासिया फ्लावरवेल में संपन्न हुआ।

नवें अधिवेशन तक अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ का आयाम काफी विस्तृत हो चुका है। 1994 के प्रतिवेदन को अगर आधार माना जाए तो इस महासंघ की सदस्य संख्या 1,89,500 पहुंच चुकी है। यह सदस्यता डब्ल्यू.सी.एल., एस.ई.सी.एल. एवं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के खदानों के चेकअप सिस्टम के आधार पर है।

वर्तमान में संगठन का कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ कंपनियों में है। निजी क्षेत्र के कंपनियों की इस्को एवं टिस्को में भी अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ईस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड के अधीनस्थ संथाल परगना में भी संघ का कार्य चल रहा

कोतमा कालरी, सरगुजा म.प्र. में विश्वकर्मा जयंति

महाबीर अलॉइस, नॉन फेरस अलॉइस

फैक्ट्री : डब्ल्यू 274, एस. ब्लाक, एम.आई.डी.सी. भोसरी, पुणे-411026. दूरभाष : 792174, 790470

ऑफिस : 24/8, ईस्ट स्ट्रीट, ठक्कर हाउस, ई/205, प्रथम खंड, द्वितीय मंजिल, पुणे-411 001. दूरभाष :477055, 654567

है। संगठन के अध्यक्ष श्री मधुसूदन रावल एवं महामंत्री डा. बी.के. राय इसके विस्तार एवं खदान मजदूरों के कल्याण के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास में लगे हैं, जिसमें उन्हें इस क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का सकारात्मक सहयोग प्राप्त है।

वेतन समझौते में योगदान

भा.म. संघ को कार्यकर्ताओं के वेतन समझौते की विभिन्न कमेटियों में भी प्रतिभागी बनाया गया। प्रथम वेतन समझौते में श्री टी.सी. जुमड़े एवं द्वितीय वेतन समझौते में श्री जुमड़े के साथ श्री बनारसी सिंह ने भा.म. संघ के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

1979 के द्वितीय वेतन समझौते में भा.म. संघ की ओर से मजदूरों के लिए वेतन के अलावा अन्य सुविधाओं की भी मांग रखी गई, जिसमें ए.टी.सी., एल.एल.टी.सी., असाध्य रोग से पीड़ित कर्मियों के अश्रितों का नियोजन, आवास भत्ता, यात्रा भत्ता, रात्रि पाली भत्ता, कठिनाई भत्ता तथा धुलाई भत्ता आदि शामिल थे।

तृतीय वेतन समझौते में श्री जुमड़े द्वारा रखी गई कई मांगों को स्वीकार किया गया। चौथे एवं पाँचवें वेतन समझौते में डा. बी.के. राय तथा छठें समझौते में श्री मधुसूदन रावल ने भा.म. संघ का प्रतिनिधित्व किया और वेतन से संबंधित अपने सुझाव दिए।

सुरक्षा एवं श्रम कल्याण

खदान मजदूर संघ मजदूरों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए संघर्षरत है, जिनमें प्रत्येक कर्मियों के लिए उपयुक्त आवास-पेयजल की सुविधा, शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा था प्रौढ़ शिक्षा जैसी कल्याणकारी योजनाएं प्रमुख हैं।

खदानों में हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा मजदूरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सम्मेलनों एवं त्रिपक्षीय वार्ताओं में खदान मजदूर गंभीरतापूर्वक अपने दृष्टिकोण रख रहे हैं। जिसे अपनाकर खदान मजदूरों को दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है।

स्थिति

कोयला उद्योग में इंटक, एटक, सीटू, एच.एम.एस., यू.टी.यू.सी. (एल.एस.) की यूनियनों की प्रमुखता होने के बाद भी भारतीय खदान मजदूर संघ की यूनियनों की स्थिति काफी सुदृढ़ एवं सुसंगठित है। कोल इंडिया एवं सभी आनुषंगिक कंपनियों में भारतीय खदान मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा वेतन समझौता, जे.सी.सी.आई. स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी, के.जे.सी.सी. वेलफेयर कमेटी, वेनिह्यलेंट फंड कमेटी, सेफ्टी कमेटी आदि में भी भारतीय मजदूर संघ को प्रतिभागी बनाया गया है।

विस्तार

भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं की सूझ-बूझ एवं मजदूर हित में स्पष्ट सोच रहने के कारण उन्हें अधिकांश कंपनी में यूनियन बनाने में कामयाबी मिल चुकी है।

अलग-अलग कंपनियों में संघ की यूनियनें इस प्रकार हैं–

1. डब्ल्यू.सी.एल.–भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ परासिया, पाथाखेड़ा, चन्द्रपुर, तथा वेस्टर्न कोलफील्ड एंपलाईज एसोसिएशन मुख्यालय नागपुर।
2. बी.सी.सी.एल.–धनबाद कोलयरी कर्मचारी संघ।
3. सी.सी.एल.–सी.सी.एल. कोलियरी कर्मचारी संघ, बरकाकाना, राँची।
4. एन.सी.एल.–भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ बीना एवं सिंगरौली।
5. एस.ई.सी.एल.–भारतीय खदान मजदूर संघ चिरीमिरी, भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ सोहागपुर, नैरोजाबाद, कोरबा तथा कोतमा।
6. इ.सी.एल.–खान श्रमिक कांग्रेस, इ.सी.एल.।
7. सिंगरौली कोल माइन्स कार्मिक संघ, कोल केमिकल्स कांपलेक्स संघ–सिंगरौली।
8. सी.एम.पी.डी.आई.एल.–सी.एम.पी.डी.आई.एल. कर्मचारी संघ।
9. एम.सी.एल. (उड़ीसा)–टालचर कोयला खान मजदूरसंघ, वृजराजनगर, खदान म. संघ।
10. एन.ई.सी.एल. (असम)–पूर्वोत्तर खदान मजदूर संघ।

बीज कामगार कल्याण निधि
रास्ता पेठ पुणे, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030

नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ इंशुरेंस वर्कर्स

बीमा क्षेत्र में काम करते हुए 'नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ इंशुरेंस वर्कर्स' ने विगत वर्ष अपनी रजत जयंती मनाई। यों तो यह कालावधि बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी संस्था के प्रारंभ के समय सामने रखे गए राष्ट्रहित से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए संगठन का सिंहावलोकन आवश्यक है, जिससे इसकी दिशा की जानकारी मिल सके।

ऐतिहासिक आवश्यकता

छठे दशक तक कम्युनिस्ट विचारधारा की

स्व. ए.जी. भानू भाषण देते हुए

स्व. ए.जी. भानू, पूर्व स्थानीय सचिव

यूनियनों ने ट्रेड यूनियन पर अपनी पकड़ बना रखी थी। उस समय राजनीति से प्रेरित यूनियनवाद प्रचलित था और विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे औद्योगिक संगठन राजनीतिक पार्टियों के घटक के रूप में काम कर रहे थे। बीमा क्षेत्र में भी यही दृश्य देखने को मिलता था। कर्मचारियों को ट्रेड यूनियनों द्वारा इतर कार्यों में इस्तेमाल किया जाता था। कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग, जिनके मन में कामगार हित सबसे ज्यादा महत्व रखता था, इस शोषण के विरोध में थे।

1962 के चीन के बर्बर आक्रमण को कम्युनिस्टों ने निर्लज्जतापूर्वक "भारतीय जनता को मुक्त कराने के लिए उठाया गया स्वागतपूर्ण कदम" बताया। कम्युनिस्ट पार्टी की इस देशद्रोही भूमिका का बीमा क्षेत्र की उनकी यूनियनों ने भी समर्थन किया, जिसकी भारतीय जीवन बीमा निगम के राष्ट्रवादी कर्मचारियों ने तीव्र भर्त्सना की।

राजनीतिक क्षेत्रों में हुई इस उथल-पुथल के बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बँट गई तो उसका सीधा प्रभाव बीमा क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों पर भी पड़ा। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ (ए.आई.आई.इ.ए.) के दो गुटों में संगठन पर कब्जा करने हेतु जबरदस्त संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के कारण कर्मचारियों के हितों को बेहद नुकसान पहुंचा। ऐसे क्षण में बीमा क्षेत्र में काम कर रहे राष्ट्रवादी विचारों

स्व. श्री वी.जी. कामरकर

इंशुरेंस वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन, मुंबई डिवीजन

के कर्मचारियों की कई ट्रेड यूनियनों ने नया संगठन शुरू करने का निर्णय लिया। 14 अगस्त 1969 को पुणे में बैठक हुई और परिणामस्वरूप 'नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ इंशुरेंश वर्कर' (एन.आर.आई.डब्ल्यू.) की स्थापना की गई। इस प्रकार, बीमा क्षेत्र में पहली गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी यूनियन का कार्य आरंभ हुआ।

धारा 40 को खारिज करने की माँग

नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ इंशुरेंश वर्कर्स ने पहला आंदोलन बीमा कानून 1937 की धारा 40 को खारिज करने के लिए छेड़ा। जीवन बीमा निगम का प्रबंधन इस धारा का लाभ उठाकर कर्मचारियों को वेतन पुनर्निर्धारण से वंचित कर रहा था। इस आंदोलन का भारत भर के बीमा कर्मचारियों ने हृदय से समर्थन किया और प्रबंधन को वेतन पुनर्निर्धारण के लिए बाध्य होना पड़ा।

निट की पदोन्नति नीति

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए उस कालखंड में न कोई नीति थी, न ही कोई शर्त। अनेक उच्च शिक्षित कर्मचारी एक ही पद पर वर्षों तक सड़ते रहते थे। पदोन्नति होती तो थी पर उसका आधार योग्यता नहीं बल्कि उच्चाधिकारियों की मर्जी होती थी। बीमा कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने प्रबंधन को इस विषय पर चर्चा करने के लिए मजबूर किया। 1971 में न्यायमूर्ति डॉ. कैलाशनाथ काटजू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को पदोन्नति नीति का निर्धारण करते हुए स्थापना करनी पड़ी। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने न्यायाधिकरण के सामने तर्कसम्मत पद्धति वाली द्विमार्गी पदोन्नति की जोरदार पैरवी की। इसकी मांगों में गोपनीय मूल्यांकन को रद्द करना, परीक्षा तथा साक्षात्कार को खारिज करना तथा कम-से-कम दो पदोन्नतियों की गारंटी आदि मांगें सम्मिलित थीं। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. की तर्कसम्मत आधार पर की गई माँगों को डॉ. काटजू ने काफी सराहा था।

महंगाई भत्ते में कटौती मान्य नहीं

जीवन बीमा निगम प्रबंधन द्वारा अवैध रीति से महंगाई भत्ते में कटौती करना अपने आप में एक संगीन मामला था। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने प्रबंधन को औद्योगिक न्यायालय के सामने खींचा और उसके द्वारा की जा रही नियमों की गलत व्याख्या को प्रकाश में लाया। न्यायालय ने एन.ओ.आई.डब्ल्यू. के पक्ष को उचित ठहराया और प्रबंधन को महंगाई भत्ते से काटे हुए वेतन के भुगतान का आदेश दिया। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. जब न्यायालय से इस तरह जूझ रहा था तब कम्युनिस्टों की यूनियनें प्रबंधन का निर्लज्ज समर्थन कर रही थीं। इस घटना के पश्चात एन.ओ.आई.डब्ल्यू. की लोकप्रियता काफी बढ़ी। कर्मचारियों ने संगठन को स्वेच्छा से बहुत बड़ी सहयोग राशि प्रदान की।

माँग पत्र के लिए ऐतिहासिक संघर्ष

1973-74 में माँग पत्र को लेकर शासन तथा प्रबंधन की कामगार विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदीर्घ आंदोलन छेड़ा गया। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने चाहा कि सभी कामगार संगठन एकत्र होकर संघर्ष जारी रखें और वैसा ही हुआ। लेकिन सफलता हासिल करने के पहले काफी त्याग करना पड़ा। इसके 15 सदस्यों को कार्यालय में बैठक लेने का निमित्त बनाकर निलंबित कर दिया गया।

संयुक्त मोर्चा वास्तविकता में आया

जीवन बीमा कर्मचारियों का यूनियनों द्वारा संयुक्त संघर्ष एन.ओ.आई.डब्ल्यू. के प्रयत्नों के कारण ही संभव हुआ। 1981, '83, '85, '95 में संयुक्त मोर्चा को वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार करवाने में भी सफलता मिली। बीमा कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना संयुक्त

स्व. जी.एस. गोखले, पूर्व अध्यक्ष

इंशुरेंस वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन, पुणे डिवीजन

मोर्चा का ही फल है, जिसके लिए संयुक्त मोर्चा को 1992 से '95 तक संघर्ष करना पड़ा था।

आपात्काल का अंधेर भरा युग

1975 से 1977 तक जारी आपात्काल के बीच एन.ओ.आई.डब्ल्यू. को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। संगठन ने दूसरी राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ तानाशाही हुकूमत का विरोध किया और ट्रेड यूनियन अधिकार, समाचार स्वतंत्रता तथा मूलभूत अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष जारी रखा। दो वर्ष तक चले संघर्ष के कारण इंदिरा गांधी सरकार को फरवरी 1977 में आपातकाल उठाना पड़ा। जब एन.ओ.आई.डब्ल्यू. इस संघर्ष में जी-जान से जुटी थी तब जीवन बीमा में काम कर रही अन्य तथाकथित लड़ाकू यूनियनें राष्ट्रीय आंदोलन से दूर थीं ही—अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपनी चमड़ी बचाते हुए कुछ न करने का आदेश भी दे रखा था। कम्युनिस्टों का एक वर्ग तो खुलकर आपातकाल का समर्थन कर रहा था। उनका कहना था—तानाशाही के फायदे कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन से दस गुना बेहतर हैं। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. के लिए यह एक गौरव की बात रही कि लोकशाही के लिए संघर्ष करते हुए उसके 50 से ज्यादा कार्यकर्ता 6 से लेकर 18 महीनों तक जेल में बंद रहे।

निगम को तोड़ने का षड्यंत्र

भारत सरकार ने 1978 में बिठाई हुई एसासिजियन कमेटी की अनुशंसा के अनुसार जीवन बीमा निगम को विभक्त करने का प्रस्ताव रखा। सरकार का कहना था कि बीमा क्षेत्र में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए स्पर्धा लाना जरूरी है। लेकिन उसका असली उद्देश्य राजनीतिक बीमा निगम की आंतरिक बनावट

स्व. बी. डोगरा संस्थापक महामंत्री (1969-88)

को तोड़ना था। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। संसद में 75 से अधिक सांसदों ने उसके विरोध में अभिमत व्यक्त किया। अंततः सरकार को लोकेच्छा के सामने झुकना पड़ा और उसने अपना वह निर्णय वापस लिया। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. तथा अन्य बीमा क्षेत्र की यूनियनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण जीत थी।

बोनस के लिए संघर्ष

भारतीय कामगार आंदोलन के इतिहास में जीवन बीमा निगम सुधार कानून 1981 के विरुद्ध किया गया संघर्ष एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसी के साथ ही बोनस के लिए भी लड़ाई शुरू हो गई थी। 1974 के वेतन समझौते के अंतर्गत बीमा कर्मचारियों को

स्व. श्यामसिंह, राष्ट्रीय मंत्री

दिया जाने वाला 15 प्रतिशत बोनस वापस लेने का एकतरफा निर्णय सरकार ने लिया। इसके लिए न्यायालय में इसके विरोध में एक याचिका दायर की। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. के अधिवक्ता आदर्श कुमार गोयल ने इसके लिए जोरदार बहस की। सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन बीमा निगम के प्रबंधन को 15 प्रतिशत बोनस बाँटने का आदेश दिया। लेकिन केंद्र सरकार ने इस निर्णय को टालना चाहा और जीवन बीमा निगम सुधार कानून 1981 को संसद में लाना चाहा। निगम के कर्मचारी उसके विरोध में मई 1981 में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। जोरदार विरोध के बावजूद सरकार बिल को संसद में रखने में सफल हुई और बिल कानून बन गया। कर्मचारियों को इससे भारी क्षति पहुँची। उनका सौदेबाजी (कलेक्टिव बारगेनिंग) का अधिकार छीन लिया गया। औद्योगिक विवाद अधिनियम के सुरक्षा क्षेत्र से वे वंचित हो गए और कर्मचारियों की वेतन सेवा शर्त तय करने का प्रबंधन का अधिकार भी सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। सर्वोच्च न्यायालय के बोनस संबंधी आदेश को इस तरह निष्प्रभ कर दिया गया।

पदोन्नति निर्धारण

पदोन्नित की नीति के संबंध में प्रबंधन 1971 से 1987 तक इस बात पर अडिग रहा कि पदोन्नति उसके अधिकार क्षेत्र की चीज है। इस विषय पर प्रबंधन ने यूनियनों के साथ चर्चा करने से भी साफ इनकार कर दिया। तथापि एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने इस मांग को आंदोलन तथा अन्य कार्यक्रमों के द्वारा जीवित रखा। अंत में प्रबंधन को 1987 में एन.ओ.आई.डब्ल्यू. के साथ बातचीत करने पर विवश होना पड़ा और पदोन्नति की नीति

इंशुरेंस वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन, हैदराबाद डिवीजन

निर्धारित की गई। कर्मचारियों के लिए एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने गृह निर्माण ऋण, वैद्यकीय भत्ता, पर्यटन सुविधाएं, जी.एस.एल.एफ., कामगार कल्याण की 24 घंटे बीमा सुरक्षा आदि माँगें रखीं तथापि पदोन्नति नीति के बारे में समाधान नहीं निकला और एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने अपना संघर्ष जारी रखा।

अस्थायी कर्मचारियों के लिए संघर्ष

एन.ओ.आई.डब्ल्यू. की एक और ऐतिहासिक जंग स्थानांतरण, अस्थायी तथा अंशकालीन कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए लड़ी गई। यह एन.ओ.आई.डब्ल्यू. के अविरत परिश्रम का फल था। कई वर्षों तक लड़ी गई लड़ाई आखिर कर्मचारियों ने जीती और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया गया।

सेवानिवृत्ति वेतन के लिए सफल संघर्ष

एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने जीवन बीमा निगम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति वेतन उपलब्ध करवाने के लिए सफलतापूर्वक प्रयास किया। हड़तालों की शृंखला को जारी रखते हुए जब कार्य समिति ने अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करने की घोषणा की तो सरकार को अधिक लाभदायक सेवा निवृत्ति वेतन घोषणा को बहाल करने के लिए बाध्य होना पड़ा। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने इसमें दो विशेष प्रयास किए—1. बैंक तथा रिजर्व बैंक कर्मचारियों के लिए घोषित पेंशन योजना से अधिक फायदे जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को दिए और 2. एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने निगम के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति वेतन योजना के बारे में अवगत कराया एवं लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। कुछ अन्य यूनियनों द्वारा कर्मचारियों को गुमराह करने के बावजूद जीवन बीमा निगम के 85 प्रतिशत कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकृति एन.ओ.आई.डब्ल्यू. के प्रभाव का ही द्योतक है।

पुनर्मान्यता

एन.ओ.आई.डब्ल्यू. के लिए जनवरी 1994 में एक विलक्षण स्थिति सामने आई जब जीवन बीमा निगम के प्रबंधन ने अनिर्बंध सांगणिकीकरण (कंप्यूटरिकरण) के लिए कर्मचारी यूनियनों को सहमति देने को मजबूर किया। यूनियनों को कहा गया कि अगर उन्होंने सहमति नहीं दी तो प्रबंधन उनकी मान्यता रद्द कर देगी। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. को छोड़कर बाकी संगठनों ने प्रबंधन के सामने घुटने टेक दिए और शरणागति स्वीकार की। एक शब्द का भी विरोध नहीं किया और अपनी तथाकथित मान्यता कायम रखी। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने प्रबंधन के सांगणिकीकरण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया एवं समझौता वार्ता मंच से बाहर बैठना स्वीकार किया। ट्रेड यूनियन के इतिहास में इस तरह का समर्पण अतुलनीय कहा जा सकता है। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. की ताकत के सामने झुककर 1995 में प्रबंधन को उसे समझौता वार्ता मंच पर बुलाना ही पड़ा। सत्य तो यह था कि बाकी यूनियनों के साथ वार्तालाप करने से कर्मचारियों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था, यह सत्य प्रबंधन की समझ में आ गया।

बीमा क्षेत्र का निजीकरण

बीमा क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में संघर्ष अब भी जारी है। निजीकरण के दुष्परिणाम के संबंध में बीमा निगम के कर्मचारियों को शिक्षित करने का अभियान एन.ओ.आई.डब्ल्यू. पहले से ही छेड़ चुकी है और उन्हें एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार भी कर रही है।

एन.ओ.आई.डब्ल्यू. इसके लिए जीवन बीमा निगम तथा जनरल इंशुरेंस की यूनियनों का संयुक्त मोर्चा बनाया है और निजीकरण तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीमा क्षेत्र में प्रवेश के विरोध में संघर्ष का ऐलान किया है।

माँग पत्र-संघर्ष

वेतन के संशोधन के लिए एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बैंक कर्मचारियों के सभी फायदे मिलने पर हमेशा जोर दिया है। उसके इस रवैए का कर्मचारियों ने समर्थन किया है।

निरंतर बढ़ रहा संगठन

इस प्रदीर्घ कालावधि में एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने राजनैतिक गतिविधियों से अपने को हमेशा दूर रखा है। बीमा कर्मचारियों की दूसरी यूनियनों का राजनैतिक पार्टियों से सीधा संबंध है। उनकी खोखली घोषणा तथा दिखाऊ लड़ाकूपन से विमुख होकर बड़ोदरा, जबलपुर, गोरखपुर, मेरठ जैसे अनेक स्थानों पर कर्मचारियों ने कम्युनिस्टों को लताड़ा है और बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट यूनियनों के कर्मचारी एन.ओ.आई.डब्ल्यू. में आए हैं। ऐसे सभी नए तथा पुराने सदस्यों को ट्रेड यूनियन संबंधी विषयों के लिए प्रशिक्षित करना एन.ओ.आई.डब्ल्यू. के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। इसे वह सभी मुद्दों पर कर रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय मजदूर संघ का तत्वज्ञान, राष्ट्रीय श्रमिक दिवस तथा स्वदेशी जैसे विषयों पर कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है। आने वाले समय में एन.ओ.आई.डब्ल्यू. अन्य संगठनों के साथ आर्थिक गुलामी के नए संकट के विरोध में लड़ाई जारी रखेगा। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने बीमा कर्मचारियों में राष्ट्रभक्ति की चेतना जगाई है और एक तरफ कर्मचारियों का हित एवं देश के सामान्य नागरिक का हित और इनसे जुड़े हुए राष्ट्रहित

इंशुरेंस वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन, नागपुर डिवीजन

पर हमेशा जोर दिया है।

विगत 25 वर्षों में एन.ओ.आई.डब्ल्यू. की जो शानदार प्रगति हुई है वह उसके अनेक कार्यकर्ताओं के समर्पित जीवन का परिणाम है।

आने वाली चुनौतियां

26 वर्षों के अपने इतिहास में एन.ओ. आई.डब्ल्यू. ने कर्मचारियों के हित में अनेक संघर्ष किए और सफलता पाई। आज बीमा क्षेत्र के सामने अनेक नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, बीमा क्षेत्र का निजीकरण जिसके कारण जीवन बीमा निगम के कई कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनका तैनाती (डिप्लायमेंट), स्थानांतरण और निष्कासन होने का भय हमेशा बना रहेगा। इसके साथ ही अनिर्बंध सांगणिकीकरण के कारण बीमा कर्मचारियों के सामने नौकरी से छँटनी होने का भय बना रहेगा। ऐसी चिंताजनक स्थिति में केवल सुदृढ़ कामगार संगठन ही चुनौती का सामना कर सकता है। एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने हमेशा कर्मचारियों के हित में संघर्ष किया है। यह संघर्ष आने वाले दशक में भी जारी रहेगा।

अति कमजोर यूनियन द्वारा शत प्रतिशत हड़ताल

भारतीय मजदूर संघ कहता है कि हड़ताल हमारा अंतिम शस्त्र है, हम संघर्षवादी नहीं हैं, तो भी इसके इतिहास से जानकारी मिलती है कि उत्तर प्रदेश की विद्युत यूनियन हड़ताल से मजबूत हुई। आखिर कैसे संभव हुआ यह सब?

विद्युत क्षेत्र में हिंद मजदूर सभा तथा वामपथियों की यूनियनें 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड' अस्तित्व में थी। भा. म. संघ यूनियन बहुत कमजोर थी। उनके नेता बार-बार हड़ताल की नोटिस देते थे, लेकिन समय पर हड़ताल शुरू न करके निर्णय वापस ले लेते थे। एक बार 1972 में ऐसी ही नोटिस उन्होंने दी। कानपुर नवीन मार्किट में सभा होने लगी। भा. म. संघ की यूनियन के कमजोर होते हुए भी इसकी ओर से पं. राम प्रकाश मिश्र सभा में जाकर आंदोलन के लिए तैयार मजदूरों को संबोधित करने लगे।

एक विशाल जनसभा में उन्होंने मजदूरों से कहा—बार-बार हमने केवल आश्वासनों पर हड़ताल वापस ली है। बाद में सरकार आश्वासन की पूर्ति करना भूल जाती है। तो क्या इस बार भी हम केवल बिजली मंत्री के आश्वासन पर ही हड़ताल वापस लेंगे?" सभा में से जोरदार आवाज उठी—नहीं, नहीं। हम अपनी माँगें लेके रहेंगे।

सभा चल रही थी। हिंद मजदूर सभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने कहा कि लखनऊ से फोन आया है। बिजली मंत्री ने चर्चा में कहा है कि हड़ताल मत करो मैं आपकी माँगें पूरी करूँगा। कानपुर में वामपंथी तथा हिंद मजदूर सभा के नेताओं ने कामगारों को कहा—हड़ताल नहीं करना। अतः भारी संख्या में भा. म. संघ के कार्यालय के बाहर विद्युत कर्मचारी इकट्ठे हुए थे। पंडित जी ने कहा—"केवल आश्वासन पर हड़ताल वापस नहीं लेना चाहिए। मजदूरों ने कहा—ठीक है, हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल शुरू हो गई। मान्यता प्राप्त यूनियन ने कहा— हड़ताल हमने वापस ली है। परिस्थिति को देखकर पुलिस ने पं. राम प्रकाश को गिरफ्तार किया और जेल भेजा। साथ में 265 मजदूर भी जेल गए। हड़ताल जारी रही। सरकार को और प्रबंधन को झुकना पड़ा। मान्यता प्राप्त यूनियनों ने समझौता किया। कामगारों ने कहा— जब तक पंडित जी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हम हड़ताल जारी रखेंगे।

चौदहवें दिन श्रम मंत्री श्री गणेश दत्त वाजपेयी जेल में पंडित जी से मिलने गए। पंडित जी से बातचीत हुई। समझौते पर उनके हस्ताक्षर हो गए। उनको रिहा करके बाहर लाया गया।

भारी संख्या में कामगार एकत्र हुए थे। उन्होंने पंडित जी को पुष्पमाला अर्पित की, उनका सम्मान किया और कामगारों ने ललकारा—**भारत माता की जय** और **भारतीय मजदूर संघ—जिंदाबाद।**

इंशुरेंस वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन, बड़ोदरा डिवीजन

अध्याय पाँच

अन्य आयाम

भारतीय श्रम शोधमंडल

श्रमिक क्षेत्र एक विशेष महत्व का क्षेत्र है। किसी भी देश का ढाँचा श्रमिकों पर ही निर्भर करता है। श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा यांत्रिकी विषयक अध्ययन, संशोधन तथा विश्लेषण की आवश्यकता होती है। कानूनी व्यवस्था एवं श्रम कानून से संबंधित साहित्य तो श्रमिकों के लिए सबसे जरूरी है। इसकी पूर्ति के लिए भारतीय मजदूर संघ की एक स्वतंत्र संस्था के रूप में 'भारतीय श्रमशोध मंडल' काम कर रहा है, जिसका मुख्यालय आजकल पुणे में है।

वैसे तो 1980 के पूर्व 'भारतीय श्रम अन्वेषण केंद्र' के नाम से यह कार्य चल रहा था। परंतु भा. म. संघ की स्वतंत्र, स्वावलंबी कोई संस्था नहीं थी। इसलिए **भा.म. संघ के मुंबई अध्यक्ष श्री अनंतराव करंबेळकर को नई संस्था के निर्माण का दायित्व सौंपा गया। श्री करंबेळकर जी ने स्व. मनहरभाई मेहता जी की अध्यक्षता में दिनांक 26 मई 1980 को एक नई संस्था पंजीकृत करवाई जिसका नाम रखा गया–'भारतीय श्रम शोध मंडल'।**

श्रमशोध मंडल का कार्यालय

इस मंडल का कार्य साधारणतया निम्न प्रकार से चलता है–1. मजदूर विषयक प्रश्नों पर मजदूर, मालिक और सरकार के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर चर्चा करना और सभा की सहमति से निष्कर्ष निकालना। 2. मजदूर और कार्यकर्ताओं के प्रबोधन के लिए अभ्यास वर्ग चलाना 3. समय- समय पर संशोधन करके मजदूर आंदोलन से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन करना 4. मजदूर विषयक समस्याओं का सर्वेक्षण करके निष्कर्ष पर पहुंचना 5. संदर्भ ग्रंथालय तथा वाचनालय चलाना।

बजट का अभ्यास वर्ग

हर साल केंद्र सरकार द्वारा साधारणतया फरवरी महीने में संसद में बजट पेश किया जाता है। इस बजट का परिणाम

एस.बी. सहल एंड कंपनी, पुणे

प्रकाशन विभाग

आर्थिक दृष्टि से मजदूरों एवं उद्योगों पर होता ही है। ऐसे विषयों का गहराई से अध्ययन करके बहुत ही सरल भाषा में इसका विवरण मजदूरों के बीच रखा जाता है। 1988 से लगातार यह कार्यक्रम हो रहा है।

सर्वश्री वसंतराव पटवर्धन, कि.श्री. दामले, पद्माकर वझे, रवींद्र दहाड़, शाम मराठे जैसे कई अर्थशास्त्री हर साल एक या दो दिन की कार्यशालाओं में बजट के विषय में अपने विचार विश्लेषणात्मक तरीके से रखते हैं। प्रश्नोत्तर चर्चा आदि द्वारा कार्यकर्ताओं का प्रबोधन किया जाता है। अन्य अनेक विषयों पर भी हर एक दो महीने में अभ्यास वर्ग होते हैं।

अन्य संगठनों के साथ परिचर्चा

औद्योगिक इकाइयों के निजिकरण जैसे कई सामूहिक विषय होते हैं जिनका असर पूरे मजदूर आंदोलन पर होता है। ऐसे समय केवल भारतीय मजदूर संघ के ही नहीं अपितु अन्य केंद्रीय तथा स्थानीय मजदूर संगठनों के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं के बीच गहराई से चर्चा करने की आवश्यकता होती है। ऐसे समय श्रमशीध मंडल द्वारा इन्हीं विषयों पर परिचर्चा होती है।

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तीन अलग-अलग महासंघ काम करते हैं। निजीकरण के विषय पर भा.म. संघ, एटक और इंटक एवं अन्यान्य विचारधारा के प्रमुख कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकत्र करके इस वर्ष भारतीय श्रमशोध मंडल द्वारा 2 दिन की परिचर्चा आयोजित की गई में ऐसे कई कार्यक्रम हर साल होते हैं।

त्रिपक्षीय वार्तालाप

महत्वपूर्ण श्रमिक कानून के बारे में मजदूर, मालिक तथा सरकारी अधिकारियों का त्रिपक्षीय वार्तालाप आयोजित करके उसके निष्कर्ष सरकार को भेजने का महत्वपूर्ण कार्य भारतीय श्रमशोध मंडल द्वारा समय-समय पर होता है। महाराष्ट्र प्रदेश स्तर के मालिक संगठन तथा उनके कानूनी सलाहकार, विधिवेत्ता, सरकार के श्रमायुक्त (कारखाना निरीक्षक) और अन्य अधिकारी, केंद्रीय तथा राज्यस्तरीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधि ऐसे त्रिपक्षीय वार्ता में भाग लेते हैं। कई बार निष्कर्ष सहमति से होता है तो कभी-कभी दो या तीन राय भी सामने आती हैं।

महाराष्ट्र कामगार संगठन मान्यता और अनुचित प्रथा बंदी अधिनियम (1971) में सुधार हेतु त्रिपक्षीय उपयोगी वार्ता हुई।

कामगार न्यायालय तथा न्यायाधिकरण की कार्यपद्धति सुचारु और गतिशील करने की दृष्टि से भी वार्ता हुई। इसी प्रकार की त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन श्रम शोध मंडल करता है। एक स्वतंत्र संस्था होने के कारण सभी लोग बिना किसी पूर्वाग्रह के समान स्तर पर उन्मुक्त चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार की निष्पक्ष चर्चा राष्ट्रहित, उद्योगहित तथा मजदूर हित की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है।

सर्वेक्षण

मजदूर संबंधी सर्वेक्षण, सर्वेक्षण की दृष्टि से प्रशिक्षण और श्रमिक नीति बनाने में सुगमता हो इस दृष्टि से छोटे-छोटे विषयों पर श्रम शोध मंडल द्वारा सर्वेक्षण भी किया जाता है। इसी तरह के सर्वेक्षण अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए भारतीय श्रम शोध मंडल कई बार कर चुका है। इस सर्वेक्षण के आधार पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में भाग लेने वाले भा.म. संघ प्रतिनिधि भारत का प्रतिनिधित्व अच्छी तरह कर पाते हैं। इस दृष्टि से महिला कामगारों को रात्रि में काम पर बुलाने एवं "घरेलू उद्योगों में अपने ही घर में दूसरों के लिए काम करने वाले मजदूरों की सेवाशर्तों" के विषय में प्रतिभागियों को पिछले दिनों श्रमशोध मंडल द्वारा औपचारिक जानकारी उपलब्ध कराई गई।

इसी प्रकार ठेका मजदूर (कॉट्रैक्ट लेबर)

महाराष्ट्र राज्य बीड़ी कामगार संघ

भा.म. संघ, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030. दूरभाष : 452020

के विषय में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण किया गया जिसका विश्लेषण करके संशोधनात्मक प्रबंध जनवरी 1997 तक पूरा होने की संभावना है।

प्रकाशन

श्रम शोध मंडल द्वारा हर दो-तीन महीने में एकाध छोटी पुस्तिका प्रकाशित होती है। ऐसी पुस्तिकाएँ मजदूर क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। "दि एगनी एंड दि होप" के नाम से एडवोकेट बाबूराव जी डोंगरे का एक संशोधन युक्त बड़ा प्रबंध श्रम शोध मंडल द्वारा प्रकाशित किया गया। अनादि काल से लेकर आज तक खेतिहर मजदूरों की समस्या कैसे पैदा हुई, बढ़ी और इसका समाधान क्या है, इस प्रश्न पर किन-किन लोगों और संगठनों ने आंदोलन किए, कितनी सफलता मिली, सरकार द्वारा कौन-सी योजना बनी है, आदि प्रश्नों पर बहुत गहराई से अध्ययन करके उसका संकलन और विश्लेषण इस प्रबंध में किया गया है।

ग्रंथालय

भा.म. संघ के लिए एक सुसज्जित संदर्भ ग्रंथालय की महती आवश्यक थी। उसकी पूर्ति तीन वर्ष पूर्व श्रमशोध मंडल के संदर्भ ग्रंथालय के रूप में हुई, जिसमें 15 हजार छोटी बड़ी पुस्तकें संगृहीत हैं।

भवन

उपर्युक्त जिम्मेवारियों की पूर्ति के लिए संस्था के पास एक भवन अपरिहार्य था। श्रमशोध मंडल द्वारा इसके लिए एक बड़ा सभागृह तैयार किया गया, जिसका नामकरण संस्था के प्रमुख कार्यकर्ता स्व. बालासाहेब साठये के नाम पर किया गया है। यह पूणे का एक मशहूर सभागृह है। इसका उपयोग केवल भा.म. संघ द्वारा ही नहीं अपितु केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा परिचर्चा, सभा आदि के लिए भी होता है। इसमें अभ्यास वर्ग के लिए भी एक कक्ष उपलब्ध है।

मंडल की कई परियोजनाएं हैं, जिसमें से 'शून्य से सृष्टि तक' भी एक है।

संगठन के लिए जान जोखिम में डाल दी

घटना 1970 की है। साबरमती स्टोर डिपो के तत्कालीन सर्वोच्च अधिकारी (डी.सी.ओ.एस.) श्री के.एल. गर्ग ने अपने घोर तानाशाही रवैए से डिपो के सभी कर्मचारियों को बे-वजह परेशान किया हुआ था। पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद ने उनके इस तानाशाही रवैए के प्रति विरोध जताया तो उन्होंने परेशान करने की नीयत से डिपो में मुख्य लिपिक के पद पर कार्यरत उक्त शाखा के कोषाध्यक्ष श्री उदयसिंह राव को निलंबित कर दिया और बाहर स्थानांतरण की धमकी देना शुरू किया। परिषद ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इसी दौरान साजिश के तौर पर श्री गर्ग ने लंबी छुट्टी पर साबरमती (अहमदाबाद) से बाहर जाने की तैयारी कर ली और मय सामान और परिवार, वे गाड़ी पकड़ने के लिए जीप में जा बैठे। ठीक उसी समय पहले से तैयार बैठे कार्यकर्ताओं का झुंड मौके पर आ गया। सबसे पहले श्री मणिलाल बैरबा जीप के सामने लेटे और फिर स्व. रामसिंह और कुछ कार्यकर्ता लेट गए। अहंकार में डूबे श्री गर्ग ने क्रुद्ध होकर ड्राइवर को जीप चलाने का आदेश दिया। गाड़ी के पहिए आगे बढ़े ही थे कि ड्राइवर का विवेक जाग उठा और उसने ब्रेक लगा दिया। श्री बैरबा के सीने से जीप का अगला पहिला कुछ इंच ही दूर रह गया था। फिर क्या था— मौके पर हाजिर पुलिस अधिकारियों ने रेल के अफसरों को बुरी तरह फटकारा और श्री गर्ग फौरन रास्ते पर आ गए। शाखा कोषाध्यक्ष श्री राव का निलंबन रद्द हुआ और सभी दमनकारी आदेश वापस हुए। इस प्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर परिषद के साहसी कार्यकर्ता श्री मणिलाल बैरबा और स्वर्गीय श्री रामसिंह ने संगठन की प्रतिष्ठा की रक्षा की और अन्यायी प्रशासन की छाती पर इन्साफ का झंडा गाड़ दिया।

बीज कामगार कल्याण निधि
रास्ता पेठ पुणे, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030

विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था

श्रमिकों को उनके कर्त्तव्य, अधिकार आदि महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करना आवश्यक है। भारतीय मजदूर संघ की यह अवधारणा है कि इसका दायित्व श्रमिक संगठनों का है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में भा. म. संघ की केंद्रीय कार्यसमिति ने अपनी शिमला बैठक में 26 अप्रैल 1982 को प्रस्ताव पारित कर 'विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था' के नाम से एक संस्था का निर्माण करने का निर्णय लिया। इसी समय संस्था का मुख्यालय नागपुर में रखने का भी निर्णय लिया गया, जिसका दायित्व तत्कालीन क्षेत्रीय मंत्री गोविंदराव आठवले को सौंपा गया।

पंजीकरण

17 सितंबर 1983 को 'विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था' का 'सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट-1860' के अंतर्गत पंजीयन हुआ। इस समय संस्था के अध्यक्ष श्री राम नरेश सिंह एवं प्रबंध निदेशक श्री राम पांडेय थे। इसके अन्य निदेशक थे—सर्वश्री राज कृष्ण भक्त, ओमप्रकाश अग्घी, रमण भाई शहा, त्र्यंबक राव जुमडे, राम प्रकाश मिश्र, बाला साहब साठे, मनहर भाई मेहता, गोविंद राव आठवले, रास बिहारी मैत्र एवं प्रभाकर घाटे।

संस्था द्वारा श्रमिक शिक्षा वर्ग का प्रथम आयोजन जुलाई 1983 में नागपुर में किया गया। यह राज्य परिवहन श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर किया गया पहला आयोजन था। इस शिक्षा वर्ग का श्री ठेंगड़ी जी, श्री बड़े भाई (स्व. श्री राम नरेश सिंह) के साथ-साथ केंद्रीय श्रमिक शिक्षा मंडल के निदेशक श्री मधुसूदन चांसरकर ने मार्गदर्शन किया।

अ.भा. अभ्यास वर्ग का आयोजन

भारतीय मजदूर संघ के दो प्रमुख अखिल भारतीय श्रमिक शिक्षा वर्ग का आयोजन भी इसी संस्था के द्वारा किया गया। प्रथम अभ्यास वर्ग 1984 में इंदौर (म. प्र.) तथा दूसरा 1992 में नागपुर (विदर्भ) में आयोजित किया गया था।

विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था प्रशिक्षणार्थियों के स्तर के अनुसार उनके विषयों का निर्धारण, श्रमिक शिक्षा वर्गों के सफल आयोजन के लिए मार्गदर्शन एवं अन्य सहयोग, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा मंडल से अनुदान प्राप्त करने में वर्गो के आयोजकों को पूर्ण सहयोग आदि दायित्वों को निभाती है।

श्रमिक शिक्षा वर्गों के आयोजन के लिए संस्था से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे प्रदेशों की भा.म. संघ की प्रादेशिक

भगिनी निवेदिता सहकारी बैंक लिमिटेड
387/388, नारायण पेठ, राष्ट्रभाषा भवन, पुणे-411030. दूरभाष : 456635

इकाइयां सहायता लेती रही हैं।

प्रकाशन विभाग

श्रमिक शिक्षा के साथ-साथ श्रमिक क्षेत्र के लिए साहित्य का प्रकाशन भी यह संस्था यथासंभव करती है। इस संस्था द्वारा 'निर्देशिका' 'राष्ट्रीय एकात्मता एवं श्रमिक क्षेत्र', 'कार्यकर्ता की मनोभूमिका', 'नेशनल इंटीग्रेशन एंड लेबर', 'अ गाइड फॉर बी. एम. एस. एक्टीविस्ट्स', 'सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियन' आदि पुस्तकों का प्रकाशन अब तक हो चुका है।

फिलहाल संस्था का कार्यालय दादा साहेब कांबले भवन, 542, कांग्रेस नगर, डा0 मुंजे मार्ग, नागपुर-440012 (भा. म. संघ कार्यालय) में है।

अब तक संस्था का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। लेकिन 40 वें वर्ष में भारतीय मजदूर संघ ने व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम किया उसके बाद देश भर से आई हुई मांगों को देखते हुए आने वाले कालखंड में इस संस्था का दायित्व काफी बढ़ने वाला है।

भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को बहुत ही प्राथमिकता देता है। भा. म. संघ जिस गति से बढ़ रहा है उस गति को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या, उसमें भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या और उनके लिए विशेष अभ्याय-क्रम को ध्यान में रखते हुए संस्था को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी।

आगामी आह्वान

इस 40 वें वर्ष में 40 कार्यकर्ताओं का एक वर्ग बनाकर कम से कम सौ अभ्यास वर्ग लेकर पूरे भारत में 4000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का निश्चय किया गया। ऐसे सौ अभ्यास वर्ग यदि करने हैं तो तीन-चार सौ से अधिक शिक्षक-प्रशिक्षकों की आवश्यकता

युद्ध काल में बिना शर्त संपूर्ण सहयोग

3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी ओर से भारत पर भयावह आक्रमण किया। जेट विमानों द्वारा बम वर्षाए जाने लगे। पैटेन टैंक्स भारत में घुस आए। पूर्व पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा नृशंस अत्याचार हो रहे थे। पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्व पाकिस्तान मुक्ति चाहता था। जब भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत ने भी युद्ध का बिगुल बजा दिया। भारत ने बांग्ला देश को मान्यता दी। पश्चिमी ओर तो पाकिस्तान को पराभूत किया ही, दूसरी ओर बांग्ला देश में मार्चिंग करते हुए मुक्ति वाहिनियों से हाथ मिलाकर प्रखर संघर्ष किया। भारतीय जवानों ने शूरता और वीरता का अनोखा प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के एक लाख से अधिक सैनिकों ने घुटने टेककर भारत के कमांडर के सामने आत्मसमर्पण किया। युद्ध 17 दिसंबर 1971 को खत्म हुआ। भारत के इतिहास में यह 14 दिन का दूसरा स्मरणीय महायुद्ध स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है।

ऐसे युद्ध काल में एक राष्ट्रवादी श्रम संगठन के नाते भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय होकर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। सबसे पहले जगह-जगह पर चल रहे संघर्ष, बिना शर्त वापस लिए गए। मजदूर क्षेत्र में धरना, अनशन, हड़ताल आदि तो जगह-जगह पर चालू रहता ही है। एक संघर्षक्षम संगठन होने के कारण अपनी-अपनी मांगों पर भा.म. संघ से संबद्ध यूनियनें, जो संघर्षरत थीं, उन्होंने संघर्ष तुरंत समाप्त किए। उसकी जगह युद्ध प्रयत्नों की मदद के रूप में निधि-संग्रह शुरू किया। जवानों के लिए रक्तदान शिविर चलाए।

दूसरी तरफ जो अराष्ट्रवादी शक्तियां जो कार्यरत थीं, उनके बारे में सतर्क रहकर कार्य किया। जब युद्ध के बादल छा रहे थे तब से ही सीमावर्ती भागों में, पंजाब और बंगाल में, किए गए राजकीय हड़तालों का केवल भा.म. संघ ने विरोध किया था। भा.म. संघ संबद्ध जूट मिलों के कामगारों ने बंगाल बंद का विरोध किया, पंजाब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल वापस लेने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने प्रेरित किया।

भा.म. संघ ने संघर्ष वापस लिया इतना ही नहीं अपितु पंजाब के ऑर्डिनस फैक्ट्री के मजदूरों ने निरपेक्ष भाव से रविवार और छुट्टी के दिन काम करना शुरू किया। सीमा मोर्चा पर युद्धरत सैनिकों को युद्ध सामग्री की अविरत परिपूर्ति हो, इस दृष्टि से प्रयत्न किए। गोविंद गढ़ में लश्कर के गाड़ियों की मरम्मत करने के लिए 'मुफ्त वर्कशाप' भारतीय मजदूर संघ के कामगारों ने शुरू किया।

बड़ौदा में सारा भाई केमिकल के सामने भा.म. संघ के संगठन मंत्री 13 दिन से अनशन पर थे। उन्होंने अनशन वापस लिया, घोषित हड़ताल वापस लिया और पूर्वी सीमा पर जाने वाले प्रादेशिक सेना के जवानों के लिये आयोजित शुभेच्छा कार्यक्रम में वे सम्मिलित हुए।

ऐसे कई उदाहरणों से राष्ट्रीय भाव की प्राथमिकता, जो भा.म. संघ की आत्मा है, की प्रतीति राष्ट्र की समस्त जनता को हुई।

दि जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण

प्रधान कार्यालय-निहारिका, बर्फ कारखाने के पास, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम)-421 301. दूरभाष : 25995

होगी। इसलिए नागपुर में विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था द्वारा 24 से 26 मार्च 1995 तक शिक्षकों का प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया।

इस वर्ग में अभ्यास वर्ग का आयोजन कैसे हो, अभ्यास वर्ग में विषय कौन-कौन से रखने चाहिए, अभ्यासवर्ग के लिए प्रशिक्षार्थियों का चयन कैसे होना चाहिए, समय सारिणी आदि के बारे में मार्गदर्शन किया गया और अनेक अभ्यास विषयों पर अच्छी टिप्पणी दी गई।

इस वर्ग का उपयोग सभी प्रदेशों और महासंघों ने किया। 1996 में भी कई जगहों से संस्था की ओर से सहकार्य और मार्गदर्शन की अपेक्षा हो रही है।

जिस गति से भारतीय मजदूर संघ बढ़ रहा है, उतनी ही संस्था से अपेक्षा बढ़ रही है। संस्था के प्रबंध संचालक श्री भाऊसाहेब चाांद्रायण को ऐसा विश्वास है कि संस्था मजदूरों की अपेक्षाएं शतप्रतिशत पूरी करेगी।

प्रारंभ से रचनात्मक भूमिका

1961 में अमृतसर फायर ब्रिगेड सेवा में भा.म. संघ की यूनियन को अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह भारतीय मजदूर संघ की शैशवस्था थी। परंतु इसके कार्यकर्ताओं की बुद्धि की परिपक्वता का परिचय इसी आंदोलन में मिला। कामगारों ने हड़ताल तो की लेकिन दरी बिछाकर कार्यालय के बाहर नारे लगाते हुए बैठे। इस पर भी जब कहीं से इमरजेंसी कॉल आती थी तो अग्निशामक लेकर हड़ताली मजदूर जाते थे और आग बुझाते थे। यद्यपि मास्टर रोल पर वे हस्ताक्षर नहीं करते थे तथापि हड़ताल पर रहते हुए भी अग्निशमन के वे कर्मचारी जनता की सेवा से विमुख नहीं हुए।

श्री बलराम जी दास टंडन, डा. बलदेव प्रकाश (दोनों जनसंघ विधायक) और मक्खन सिंह भिक्षका (मार्क्सवादी विधायक) के हस्ताक्षेप से समझौता हुआ।

• • •

पंजाब प्रांत के भा.म. संघ द्वारा संबंधित यूनियन से पहली हड़ताल 1961 में एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री में हुई—बहादुरगढ़, जिला रोहतक।

इस आंदोलन का नेतृत्व स्व. ओंकारनाथ जी ने किया।

यह हड़ताल 49 दिन चली। लंबी हड़ताल चलने का रहस्य यह था कि हड़ताल शुरू होने से 15 दिन पहले कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अनाज इकट्ठा करके लाए थे। हड़ताल शुरू होते ही फैक्ट्री के बाहर मैदान में हड़ताली श्रमिकों की पत्नी और माताओं के द्वारा भोजन बनाया जाता था और सामूहिक रूप से सभी हड़ताली परिवार भोजन करते थे।

जिसके कारण स्नेह बढ़ा और हड़ताल चलना संभव हुआ। पंजाब सरकार द्वारा प्रकाशित पंजाब लेबर जर्नल में इस हड़ताल को पूर्णतः सफल घोषित किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य बीड़ी कामगार संघ
भा.म.संघ, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030. दूरभाष : 452020

सर्व पंथ समादर मंच

भारतीय मजदूर संघ केवल दाल रोटी तक सीमित संगठन नहीं अपितु समाज परिवर्तन का, राष्ट्रोत्थान का यह एक विशुद्ध साधन है। इसी कारण भारतीय मजदूर संघ की प्रदीर्घ यात्रा में कार्यकर्ताओं को इसकी अनुभूति हुई कि कारखानों, उद्योगों या कार्यालयों में काम करने वाले मजदूर, कामगार या कर्मचारी अपनी आर्थिक मांगों—वेतन-वृद्धि, महंगाई भत्ता, बोनस वगैरह के विषय पर एकत्र होते रहे हैं और इसके लिए आंदोलन भी करते रहे हैं, परंतु आंदोलनरत कर्मियों के मन में यह भाव कतई नहीं रहता कि वे किस जाति के हैं या किस पंथ को मानने वाले हैं। यहां तक कि वे यह भी नहीं सोचते कि उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है? बिलकुल भेदभाव से रहित होकर मजदूर, कामगार एवं कर्मचारी एक झंडे के नीचे आते हैं। यह भी वे नहीं देखते कि ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व करने वाला कौन है; चाहे वह मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख या जैन कोई भी हो, नेता किसी का भी हो सकता है। किसी भी पंथ के अनुयायी एकत्र होकर आंदोलन करते हैं।

चिंतन प्रक्रिया

यह भी सच है कि वे कारखानों, कार्यालयों और औद्योगिक वसाहतों (क्षेत्रों) में एक साथ चाय-पान तथा भोजन आदि करते हैं। जब कोई पिकनिक, अधिवेशन या बड़े जुलूस की तैयारी होती है, सभी मिलकर यात्रा करते हैं और ऐसे समय में सभी धर्मस्थलों के समान भाव से दर्शन करते हैं। यदि ऐसा है तो अपनी-अपनी बस्ती में ये मजदूर, कर्मचारी या मजदूर संगठनों के पदाधिकारी एक दूसरे के मजहब के बारे में समान आदर रखने की संभावना को क्यों नहीं तलाशते। इस दृष्टि से अपनी-अपनी बस्ती, अपने-अपने गांव, अपने-अपने मुहल्ले में उसी सद्भाव से, उसी आत्मीयता से क्यों नहीं रह सकते? जबकि ऐसा सामंजस्य जाग्रत करना आवश्यक है।

प्रत्यक्ष अनुभूति

यह भी ध्यान में आया कि भारतीय मजदूर संघ के कई गीतों में भगवद् ध्वज की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। "भगवा अपने देश का, श्रमिकों का, मजदूरों का" आदि प्रमुख गीत सभी पंथ के कार्यकर्ता आनंद और तन्मयता से एक ही स्वर में गाया करते हैं। कई मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, आर्य समाजी, सनातन धर्मी, पारसी, जैन, बौद्ध आदि पंथों के प्रमुख अधिकारी गायक भी हैं। वे स्टेज पर आकर इसी प्रकार के गीत माइक से गाते हैं और उपस्थित सभी कामगार, कर्मचारी मजदूर ऐसे गीतों को उसी भाव से दोहराते

सर्वपंथ समादर मंच

इंजीनियरिंग कामगार संघ

185, शनिवार पेठ, पुणे-411030. दूरभाष : 45 2020

सर्वपंथ समादर मंच

हैं। "राष्ट्रभक्त मजदूरो—एक हो, एक हो", "नई जवानी केसरिया रंग—मजदूरों का मजदूर संघ", "देश के हित में करेंगे काम—काम के लेंगे पूरा दाम", "प्रेम से बोलो—वंदे मातरम", "भारत माता की—जय हो" आदि नारे सामूहिक रूप में और समरसता से दुहराते हैं।

यह सब देखते हुए भारतीय मजदूर संघ के प्रमुख लोगों को लगा कि जिस प्रकार मजदूर आंदोलन में हम समानता से—पंथ और जाति का भेद भूलकर एकत्र होते हैं, उसी प्रकार आज भारत में जो जाति भेद, पंथ भेद आदि बढ़ रहे हैं, खींचातानी और तनावपूर्ण वातावरण पंथों में है, उसे नष्ट करके सभी पंथों में परस्पर सामंजस्य, आत्मीयता, प्रेम और समादर की भावना जाग्रत करने के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए।

कौन करेगा यह काम?

आखिर यह काम है किसका? यह महत्वपूर्ण कार्य कौन करेगा? देश का यह महत्वपूर्ण कार्य, जिसकी आज अतीव आवश्यकता है? क्या कोई राजनीतिक दल या राजकीय पक्ष यह काम कर सकेगा? कदाचित नहीं। इसका कारण जाति-जाति में, पंथ-पंथ में फैला हुआ द्वेष और तनाव है जो राजनीतिक स्वार्थ के कारण उत्पन्न फसल है। अंग्रेजों ने जो फूट डालो और शासन करो की रणनीति अपनाई, उससे सनातन धर्मी, मुस्लिम, सिख-ईसाई आदि में द्वेष भाव बढ़ता गया। दुर्दैव से स्वातंत्र्योत्तर काल में प्रायः सभी राजनीतिक दलों ने भी यही किया। मतों का राजनीतिकरण करते समय उन्हें यह चिंता नहीं रहती कि हम देश का, समाज का वातावरण कैसा विषैला कर रहे हैं। उन्हें तो अधिकतम मत अपने पक्ष में करना है—इसके लिए चाहे उन्हें कैसा भी कदम क्यों न उठाना पड़े। तथाकथित वामपंथी, पुरोगामी और धर्मनिरपेक्ष आदि कहलाने वाले दलों को भी इसकी कोई परवाह नहीं। इस पृष्ठभूमि पर अर्थात पंथोपपंथ से हटकर समादर भाव, एकात्मकता का भाव, परस्पर सद्भाव के क्षेत्र में कोई भी दल पहल करने को तैयार नहीं। और एकाध दल अगर ऐसा करने की कोशिश भी करेगा तो उसके सहभागियों को लोग साफ-सुथरी दृष्टि से नहीं देखेंगे। कारण है कि आज का सामाजिक वातावरण बहुत ही प्रदूषित और गंदा हो गया है।

मजदूर संघ ने जिम्मेवारी ली

भारतीय मजदूर संघ का कार्य सभी प्रांतों, जिलों और गांव-गांव में फैला हुआ है। इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर जिसके पास है और जिसके कई पदाधिकारी भिन्न-भिन्न पंथों के हैं—मजदूर क्षेत्र में एकत्र होकर काम कर रहे हैं, ऐसा भा.म.संघ इस दायित्व को अपने मजबूत कंधों पर क्यों न उठाए! साथ ही साथ जब मजदूर संघ कहता है—मजदूरो, विश्व को एक करो (वर्कर्स—यूनाइट दि वर्ल्ड) तो भारत के समाज को एक करना यह सर्वप्रथम दायित्व है। इस तरह के विचार भा.म. संघ के नेतृत्वकर्ताओं के मन में पिछले नौ-दस वर्ष पहले आए, जिसके लिए अब प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। यह उस सोच की ही परिणति है कि 16 अप्रैल 1994 को नागपुर के रेशिम बाग में भा.म. संघ के दो दिवसीय अधिवेशन में एक नए मंच का गठन किया गया जिसका नाम—'सर्व पंथ समादर मंच' रखा गया। भारत में सर्व पंथ समादर मंच की स्थापना के पूर्व अनेक महानुभावों ने परस्पर सहिष्णुता की कोशिश की पर उनमें पूर्ण समादर का भाव नहीं था। समाज के उत्थान के लिए समादर वांछनीय है, इस दृष्टि से 'समादर मंच' नाम रखा गया।

स्थापना बैठक

16 अप्रैल 1994 को नागपुर में रा.स्व. संघ के संस्थापक प.पू. डॉक्टर हेडगेवार जी के समाधि स्थान रेशिम बाग में, भारतीय मजदूर संघ के स्थान-स्थान पर जो भिन्न-भिन्न मतानुयायी, पदाधिकारी और संबद्ध महासंघों के प्रांत स्तरीय तथा अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी हैं अर्थात चुने हुए सभी पंथों के

पुणे जिला मजदूर संघ
185, शनिवार पेठ, पुणे-411 030. दूरभाष : 452020

कार्यकर्ता एकत्र हुए। उनमें ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सिख, सनातन धर्मी, पारसी सभी पंथोपपंथ के कार्यकर्ता उपस्थित थे। जो 'सर्व पंथ समादर मंच' की स्थापना अधिवेशन के निमित्त एकत्र हुए थे।

नागपुर के इस दो दिवसीय अधिवेशन का उद्घाटन करने हेतु उद्घाटन कर्ता के रूप में इस्लाम पंथ के **साधक, चिंतक और स्वतंत्रतापूर्वक उदार मन से कार्य करने वाले मौलाना वहीउद्दीन खान खास इसी के लिए दिल्ली से आए थे और अध्यक्ष के नाते उस सभा में उपस्थित थे नागपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति (वाइस चांसलर) पारसी मतानुयायी श्री जाल पी. जिमी**। दोनों दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह मा. मदन दास देवी जी उपस्थित थे।

मौ. वहीउद्दीन द्वारा मार्गदर्शन

मंच का उद्घाटन करते हुए मौलाना वहीउद्दीन खान साहब ने कहा—"स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति हेतु कई मुस्लिम नेता और मौलवी 'बंदेमातरम' नारे का विरोध करते हैं। जिस दिन सभी मुस्लिम इस भारत देश को हिंदू जैसा अपना देश मानने लगेंगे और मन से, दिल से 'वंदे मातरम' कहेंगे, उसी एक दिन में जातीय संघर्ष नष्ट हो जाएगा और भारत एक समर्थ राष्ट्र के रूप में खड़ा हो जाएगा।

श्री जाल.पी जिमी ने इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा—"सर्व पंथ समादर मंच का कार्य भारत के कोने-कोने में खड़ा करने के लिए 'भारतीय मजदूर संघ' एक अच्छा वाहक बन सकता है। अपनी भौतिक मांगों की पूर्ति हेतु अपने पंथ, उपपंथ, भूलकर यदि सभी लोग एकत्र हो सकते हैं तो वे समाज परिवर्तन की दृष्टि से सभी पंथों के अनुयायियों में एकात्मकता लाने हेतु भी एक मंच पर आ सकते हैं। जैसे कामगार आंदोलन में ऊंच-नीच का भाव मिटाकर लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ-साथ चलते हैं, ठीक उसी तरह वे राष्ट्रीयता, संस्कृति और परमार्थ की दृष्टि से भी सभी पंथों में समान आदर का भाव निर्मित करने हेतु मंच का काम संपूर्ण भारत में फैला सकेंगे और इसी समानता से, सद्भाव से भिन्न-भिन्न मतानुयायियों को भा. म. संघ एक सूत्र में बांध सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।"

इस द्विदिवसीय अधिवेशन के प्रेरक और मार्ग दर्शक थे भा.म. संघ के संस्थापक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जिन्हें वहां उपस्थित पदाधिकारी न सिर्फ इस तरह के भाषण करते हुए बल्कि इसी प्रकार के आचार-व्यवहार, रहन-सहन भी अपनाते हुए वर्षों से देखते आ रहे हैं। उनके पारदर्शी जीवन से सर्व पंथ समादर की अनुभूति कार्यकर्ताओं के लिए कोई नई चीज नहीं थी।

उस अवसर पर श्री ठेंगड़ी जी ने कहा—"भारतीय मजदूर संघ केवल रोजी-रोटी कमाने वाला संगठन नहीं है। वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और बोनस, सिर्फ इतनी ही मांगों तक हमारा संगठन सीमित नहीं है। राष्ट्र के पुनरुत्थान का, व्यवस्था के नवनिर्माण का भारतीय मजदूर संघ एक साधन है। इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं को अग्रसर होकर जगह-जगह पर इस सर्व पंथ समादर मंच का कार्य करना है। भारत के सभी जिलों तक इस मंच की शाखा खड़ी होनी चाहिए।"

राष्ट्रीय समिति का गठन

इसी अधिवेशन में सर्व पंथ समादर मंच की राष्ट्रीय समिति गठित की गई, जिसका स्वरूप इस प्रकार है—

अध्यक्ष—श्री जाल.पी. जिमी

उपाध्यक्ष—सरदार सुखनंदन सिंह (हरियाणा प्रदेश महामंत्री), श्री अख्तर हुसैन (भा.म. संघ के उपाध्यक्ष तथा अ.भा. विद्युत मजदूर संघ के अध्यक्ष) श्री गोप मसीही (हरियाणा प्रदेश मंत्री)

महामंत्री—श्री आलम गीर गोरी (इंदौर जिला भा.म. संघ अध्यक्ष)

मंत्री—सरदार लक्ष्मण रवींद्र सिंह (संगठक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश) श्री फिरोज खान (मंत्री राजस्थान भा.म. संघ)

कोषाध्यक्ष—श्री भगवान दास गोंडाणे।

अखिल भारतीय मंच खड़ा करने के लिए तो कई व्यवस्थाएं और तंत्र होना चाहिए। इस दृष्टि से तय किया गया कि भा.म. संघ के केंद्र, प्रदेश तथा जिला कार्यालय ही सर्व पंथ समादर मंच के केंद्र, प्रदेश तथा जिला कार्यालय होंगे। 1994 के भा.म. संघ के स्थापना दिवस 23 जुलाई को सभी प्रदेशों में, जिलों में इस मंच के कार्यालयों का उद्घाटन करने का निर्णय हुआ। सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया कि तत्काल ही प्रदेशों में मंच की जिला समितियां गठित की जाएं, जिसकी पूछ-ताछ भी इसके पदाधिकारियों द्वारा शुरू हो गई है। इसी कारण प्रायः अधिकांश जिलों के कार्यालयों पर भा.म. संघ के बोर्ड के साथ सर्व पंथ समादर मंच का बोर्ड भी चमकता दिखेगा।

कार्यक्रम की दृष्टि से 25 मार्च का दिन एकात्म दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है। इसका कारण यह है कि हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रयत्नों में रत श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का इसी दिन बलिदान हुआ था। 1995 और 1996 के 25 मार्च को इस अवसर पर सर्व पंथ समादर मंच के कई कार्यक्रम हुए।

धीरे-धीरे इस मंच के कार्यक्रम भारत में सभी जगह शुरू हो जाएंगे।

सामाजिक परिवर्तन के कार्य में भा.म. संघ के अंतर्गत सर्वपंथ समादर मंच अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा, ऐसा विश्वास है।

पुणे जिला कामगार संघ

185, शनिवार पेठ, पुणे-411 030. दूरभाष : 452020

महिला विभाग

भारत के संगठित क्षेत्र में महिला कामगार और कर्मचारियों की संख्या में 1970-80 के कालखंड में भारी वृद्धि होने लगी। भा. म. संघ में भी महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने हेतु कार्यक्रम शुरू हो गए। अखिल भारतीय स्तर का पहला कार्यक्रम 26 जनवरी 1980 को हुआ।

मार्च 1981 कलकत्ता अधिवेशन के समय में उपस्थित महिलाओं की स्वतंत्र बैठक में विधिवत स्वतंत्र महिला विभाग स्थापित किया गया। अखिल भारतीय नियंत्रक के नाते श्रीमती जयाबेन नियुक्ति की गईं।

विभाग के दो प्रमुख उद्देश्य

1. मजदूर आंदोलन में महिलाओं का सहयोग और सक्रियता बढ़ाना और 2. महिलाओं के विशेष प्रश्नों की तरफ अधिक ध्यान देना तथा उनकी आवाज बुलंद करना।

उर्पयुक्त दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 23 दिसंबर 1982 को ठाणे (महाराष्ट्र) में पहली बैठक बुलाई गई। इस बैठक में चार प्रदेशों से महिला कार्यकर्ताएं उपस्थित हुईं। इस बैठक में (1) मॅटर्निटी बेनिफिट ऐक्ट में सुधार की मांग की गई और(2) ट्रेड यूनियन ऐक्ट में बदलाव करके जहां 10 प्रतिशत महिला सदस्य हैं वहां यूनियन के पदाधिकारियों में अनिवार्य रूप से एक महिला पदाधिकारी के चयन की मांग की गई। बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि महिला विभाग की हरेक प्रदेश में इकाई हो, जिसके लिए हर आवश्यक प्रयत्न किए जाएं।

यद्यपि महिला विभाग की शुरूआत तो 1980 में ही हो गई थी लेकिन कार्य में अपेक्षित गतिशीलता नहीं आ पाई थी। इसे गतिशील करने के लिए अप्रैल 1987 में मुंबई में महिला विभाग के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ मिलकर भा. म. संघ ने तीन दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। उसके

जंतर-मंतर पर विशाले धरने को संबोधित करती हुई गीता गोखले, बैठी हुई आशा मंडलिक, सुधा रानी एवं सुमित्रा महापात्र आदि

भारतीय रेलवे मजदूर संघ

33, मोती भुवन डि-सिल्वा रोड, दादर, मुंबई-400 028. दूरभाष : 4224084

परिणामस्वरूप महिला विभाग के कार्यकर्ताओं की स्वतंत्र बैठक कई प्रदेशों में हुई।

नासिक में महाराष्ट्र बिजली बोर्ड की महिलाओं का राज्य स्तरीय दो दिवसीय अभ्यास वर्ग सफल हुआ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 1987 को महाराष्ट्र के नासिक, ठाणे और मुंबई में महिला श्रमिकों ने सफलतापूर्वक सम्मेलन किए।

1988 में केरल में भी भा. म. संघ के महिला विभाग का कार्य शुरू हुआ।

इसी साल विदर्भ में महिला विभाग की ओर से बैठकें और स्वतंत्र रूप से केवल महिलाओं के अभ्यासवर्ग संपन्न हुए।

भा. म. संघ का महिला विभाग धीरे-धीरे प्रगति पर है। बड़ोदरा अधिवेशन में भा. म. संघ की केंद्रीय कार्यसमिति में तीन महिला सदस्या ली गईं तो धनबाद के दसवें अधिवेशन में राष्ट्रीय मंत्री के रूप में महिला सदस्य भी चुनकर आ सकीं। भा. म. संघ के अधिकांश प्रदेश समितियों में एवं औद्योगिक महासंघों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है।

विभिन्न प्रदेशों में भा. म. संघ के कार्यों में सक्रिय सहयोगी बनकर महिलाएं कार्य कर रही हैं। महिलाओं के स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 1991 से 1993 के कालखंड में महिलाओं के एक, दो और तीन-दिवसीय स्वतंत्र कार्यक्रम हो सके। ऐसे कार्यक्रम मुंबई, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कानपुर तथा अन्य शहरों में हुए।

17 सितंबर 1992

भा. म. संघ कन्या संक्राति 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाता है। 1992 में हरियाणा प्रदेश ने एक विशेष पहल किया था। वह था– आंगनवाड़ी महिलाओं का विशाल प्रदर्शन, जिसमें सात हजार महिलाओं ने भाग लिया। अब तक हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी महिलाओं के हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आदि प्रदेशों में धरने-प्रदर्शन हो चुके हैं।

भा. म. संघ में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में भी महिला कार्यकर्ता आगे रही हैं।

चालीसवें वर्ष के कार्यक्रमों के अतंर्गत 1995 में प्रायः हर एक प्रदेश ने तथा महासंघों ने महिलाओं के अलग से अभ्यास वर्ग लिए।

महिलाओं का सक्रिय सहभाग निर्णय प्रक्रिया में तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष हो रहा है। विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता महसूस नहीं होती। डकंल प्रस्ताव के विरोध में 20 अप्रैल 1993 को दिल्ली में भा.म. संघ ने विशाल प्रदर्शन किया। इससे भारत के सुदूर प्रदेशों से प्रायः सभी विभागों से भारी संख्या में महिलाएं दिल्ली आई थीं, जिनकी संख्या 5000 से ऊपर थी। **इससे सिद्ध होता है कि अब महिला विभाग समर्थ और स्वावलंबी बन चुका है।**

बीज कामगार कल्याण निधि
रास्ता पेठ पुणे, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030

बाल मजदूर

भारतीय मजदूर आंदोलन की दृष्टि से 'बाल मजदूर' की समस्या एक काला धब्बा है। भारतीय मजदूर संघ की सोच है कि बाल मजदूर की इस चुनौती का सामना देश के हर नागरिक को करना चाहिए, जिसमें ट्रेड यूनियनों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए ताकि मासूम बच्चों का बचपन बचाया जा सके और बाल मजदूरों को उनके अधिकार मिल सकें।

1981 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या एक करोड़ चौंतीस लाख थी। जो 1987-88 तक बढ़कर एक करोड़ सत्तर लाख तक पहुँच गई थी। यह जनसंख्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के तैंतालिसवें सर्वेक्षण के आधार पर आँकी गई है क्योंकि 1991 की जनगणना का अधिकृत निर्णय अभी तक सामने नहीं आ पाया है।

आईपेक/आई.एल.ओ. का प्रयास

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक 'इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन दें एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर' **(आईपेक)** चल रहा है। इसका संयोजन 'अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन' (आई. एल. ओ.) द्वारा होता है। भारत में इसका कार्यान्वयन केंद्र सरकार, मजदूर और मालिक के त्रिपक्षीय सूत्र संचालन समिति (ट्राइपार्टिट स्टिअरिंग कमेटी) द्वारा होता है। इस समिति में भा. म. संघ के पदाधिकारी भी सदस्य हैं। भा. म. संघ ने इस दृष्टि से विचार करके इस आईपेक के अंतर्गत तीन जगह पर उपक्रम और परियोजनाएं हाथ में ली हैं। इनमें से पुणे में चल रही एक परियोजना की जानकारी यहाँ दी जा रही है।

बाल बीड़ी मजदूर

पुणे में 30-40 बीड़ी कारखाने हैं। उनमें से 13 कारखानों में 10 हजार से ऊपर बीड़ी मजदूर काम करते हैं। उनमें भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध यूनियनें काम करती हैं। उन्होंने पाया कि भारी संख्या में 7-8 वर्ष से लेकर 13-14 वर्ष के बच्चे जिनमें लड़कियां ज्यादा हैं, अपनी मां के साथ बीड़ी बनाने का काम किया करती हैं। उनमें से अधिकांश बच्चे स्कूल और पढ़ाई से दूर ही रहते हैं। यदि कोई स्कूल जाता भी है तो उपस्थिति कम होने की वजह से वैसे बच्चों में पढ़ाई के विषय में आत्मविश्वास कम होता है। अतः वे स्कूल

बाल मजदूर के रूप में अपने माता-पिता की आर्थिक सहायता करने वाली एक लड़की

भगिनी निवेदिता सहकारी बैंक लिमिटेड
387/388, नारायण पेठ, राष्ट्रभाषा भवन, पुणे-411030. दूरभाष : 456635

बाल मजदूरों को मुक्त करने के लिए अभिभावकों एवं बाल मजदूरों को समझाने के लिए एक अभियान ⇦

बौद्धिक विकास के लिए दैनंदिन शिक्षण ⇨

जाने से दूर भागते हैं। आर्थिक लाभ के कारण उनके मां-बाप भी उनको स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। ऐसी स्थिति में सामाजिक संगठन ही उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना भर सकते हैं। **पुणे में ठेकेदार कामगार संघ (ठेका मजदूर संघ) और आई. एल. ओ. तथा आइपेक के संयुक्त सहयोग से बीड़ी** उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले बाल मजदूरों को राहत दिलाने और उनके मन में अध्ययन और अध्यापन की इच्छा जाग्रत करने हेतु यह कार्यक्रम चलाने का निश्चय किया गया है।

सर्वेक्षण

सर्वप्रथम भा. म. संघ के कार्यकर्ताओं ने विशेष कर महिला कार्यकर्ताओं ने 1 अक्टूबर 1994 से 31 अक्टूबर 1994 तक लगभग 500 घरों में जाकर बीड़ी मजदूर महिलाओं से बातचीत की। प्रायः 4000 से ऊपर बालक और बालिकाएं घरों में बीड़ी बनाते दिखाई दिए। उनमें से 600 बालक और बालिकाएं आत्मविश्वास खो बैठे थे। ऐसे बालक-

युनाइटेड मेज्ल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
इ-18-11 भोसरी इंडस्ट्रियल इस्टेट, पुणे-411 026

बालिकाओं के मन में आत्मविश्वास पैदा करने तथा उनके माँ-बाप को समझाकर उनको बीड़ी बनाने के बजाय स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने का दायित्व उन कार्यकर्ताओं ने निभाने का निश्चय किया।

सायंकाल का स्कूल

ठेकेदार कामगार संघ द्वारा शाम के छह से साढ़े सात बजे तक बच्चों के लिए विद्यालय खोले गए। पहली से लेकर सातवीं कक्षा तक के अलग-अलग वर्ग शुरू किए गए। दिसंबर 1994 से बच्चों में पढ़ाई तथा खेल-कूद के प्रति रुचि पैदा करने के लिए प्रतियोगिताएं

संपन्न एवं विपन्न परिवारों के बीच की खाई को पाटने का एक प्रयास ⇦

बालिकाओं के साथ भेदभाव नहीं ⇨

एक्सॉन लैबोरेटरीज प्रा.लि.

आयोजित करने का कार्य शुरू किया गया।

धीरे-धीरे उन बच्चों में पढ़ाई एवं विद्यालय के प्रति रुचि पैदा होने लगी। वार्षिक परीक्षा में भाग लेने वाले तथा उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या 60-70 प्रतिशत तक पहुँच गई है। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में भी अब काफी वृद्धि हुई है। उनके माता-पिता भी बच्चों को पढ़ा-लिखा कर एक अच्छे नागरिक के रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए वे बच्चों को अपने काम में न लगाकर विद्यालय भेजने लगे हैं। भा. म. संघ संबद्ध यूनियन का आईपेक के अंतर्गत एक यशस्वी उपक्रम के रूप में हम इसका वर्णन कर सकते हैं। आशा की जाती है कि इन बाल कामगारों द्वारा शुरू किए गए प्रकल्प का देशव्यापी असर होगा।

शारीरिक विकास एवं सुदृढ़ता के लिए प्रकल्प द्वारा दूध का बँटवारा

ऐसा हुआ ठेंगड़ी जी की सलाह का चमत्कार

प्रसंग 1969 का है। अहमदाबाद में रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजकों ने मुझे भी आमंत्रित किया था। उन दिनों मुझ पर पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद के महामंत्री का दायित्व था। पूरे गुजरात में पश्चिम रेलवे ही फैली हुई है। इसलिए मैंने बड़ोदरा और अहमदाबाद क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अपने कार्यक्रम की सूचना भेज दी थी। सम्मेलन स्थल पर हरियाली भरा सुंदर पार्क था। बड़ोदरा और अहमदाबाद के लगभग चालीस-पचास कार्यकर्ता इसी पार्क में गोलबंद बैठे थे। हमारी बातचीत जारी थी। भारतीय मजदूर संघ के ध्येय, कार्यपद्धति, अनुशासन इत्यादि के बारे में मैं बोल रहा था।

इसी दौरान साबरमती लोकोशेड की कैंटीन के एक प्रकरण में केंद्र की ओर से धीमी कार्यवाही का प्रश्न उठाते हुए शेड के एक सक्रिय कार्यकर्ता श्री मणिलाल बैरबा उत्तेजित हो गए और कहने लगे, 'अनुशासन इत्यादि हमें मत सिखाइए। आप कैंटीन के मामले में छह महीने से क्या कर रहे हैं? हमारी जायज माँगों की पूर्ति के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं और हमें अनुशासन सिखा रहे हैं। मैने अपने आपको अपमानित महसूस किया और अगले सप्ताह ही जब मुझे दिल्ली आने का मौका मिला तो 57, साउथ एवन्यू पहुंच कर सारा प्रसंग श्री ठेंगड़ी जी को सुनाया। मुझे श्री ठेंगड़ी जी के मुंह से भाई मणिलाल के लिए कम से कम दो-चार निंदा भरे कठोर शब्द सुनने की आशा थी, किंतु उन्होंने मुझे थपथपाते हुए कहा कि अब अहमदाबाद जाने पर श्री मणिलाल बैरबा के घर मिलकर आना। मैं यह सुनकर चकित रह गया। लगभग दो सप्ताह बाद जब मैं साबरमती में श्री बैरबा के निवास पर पहुंचा तो उन्होंने पहले से कई गुना अधिक गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। अब उसके चेहरे पर नाराजगी की छोटी-सी रेखा भी नजर नहीं आ रही है। साबरमती कैंटीन का मसला संगठन की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। इसीलिए श्री बैरबा उन दिनों तनाव में थे। वैसे मैं इससे पूर्व भी श्री बैरबा के घर कई बार गया था किंतु इस बार वह कुछ अधिक प्रसन्न और उत्साह में थे। मैं भी आनंदित था। यह सब श्री ठेंगड़ी जी की सलाह का ही चमत्कार था।

—दामोदर शर्मा

भारतीय मजदूर संघ, पंजाब

क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी

मजदूरों को कई बार अपने वेतन से बहुत अधिक मात्रा में पैसे की जरूरत होती है। ऐसे समय बाहर के साहूकारों से वे कर्जा लेते हैं। बाहर के साहूकार भारी मात्रा में सूद लेते हैं। मजदूरों का शोषण होता है। इससे बचने के लिए उद्योगों के, कारखानों की, इकाइयों के मजदूर एकत्र होकर अपनी ही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़ी करते हैं। भारतीय मजूदर संघ के कार्यकर्ताओं की पहल पर बनाई हुई ऐसी 600 से ऊपर सहकारी संस्थाएं हैं। इनमें से एक है 'महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टाफ क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, पुणे'।

सन् 1963 से श्री बाबासाहेब साठये जी ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड में भारतीय मजदूर संघ का कार्य शुरू किया था। चार-छह बरस में यह कार्य स्थिर रूप लेने लगा। जब संगठन की शक्ति बढ़ती है तब संघर्ष के साथ-साथ विधायिका संबंधी कार्यों में भा.म. संघ के कार्यकर्ता जुट जाते हैं। ऐसा ही एक गौरव के साथ दिखाने-कहने लायक कार्य है बिजली कामगारों की एक क्रेडिट सोसाइटी। इसकी जानकारी लेना रोचक और आवश्यक है।

महाराष्ट्र में 1960 से सहकारी संस्थाओं का कानून अमल में आया। उसी समय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी और धीरे-धीरे बोर्ड के अंतर्गत कई निजी कंपनियां सम्मिलित (मर्ज) हो रही थीं। इस कालखंड में जगह-जगह पर सहकारी संस्थाओं की स्थापना करने का निर्णय हुआ था। इस निर्णय के अनुसार भारतीय मजदूर संघ से संबंध महाराष्ट्र बीज मंडल कामगार संघ के महामंत्री श्री एस.एन. देशपांडे ने, अग्रसर होकर 'महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टाफ क्रेडिट सोसाइटी पुणे' का बीजारोपण किया। इस सोसाइटी को 1996 में 25 बरस पूरे हो रहे हैं और इस साल संस्था का रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है।

संस्था का मूल्यांकन करने के लिए 25 बरस का काल सम्यक है।

संस्था का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र के पाँच जिलों तक सीमित है। इसमें आते हैं—पुणे, सानारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर।

सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
'शिवस्मारक' गोल्ड फिंच पेठ, सोलापुर-413 007. दूरभाष : 26676

इस कार्यक्षेत्र में अन्य सहकारी संस्थाएं हैं। तो भी यह सबसे बड़ी संस्था है।

31 मार्च 96 को जो आर्थिक वर्ष समाप्त हुआ उसके अंत तक संस्था की स्थिति निम्न प्रकार थी।

सभासद संख्या	2983
शेअर कैपिटल (पूंजी)	3,96,02,680 रुपए
मुनाफा	74,11,051 रुपए
लाभांश	12 प्रतिशत

संस्था अपने सदस्यों को रु. 60,000/- (साठ हजार रु.) तक कर्जा देती है। संस्था से उपर्युक्त काल में छह करोड़ पैंतालीस लाख रुपए का अर्थ व्यवहार किया।

इस संस्था के कई गुप्त वैहिष्ट्य हैं। इसके जो सभासद हैं वे तो भारतीय मजदूर संघ के अलावा अन्य ट्रेड यूनियन जैसे एटक, इंटक आदि से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ऐसी बार-बार कोशिश की कि इस संस्था का व्यवस्थापक उनके हाथ में आ जाए। व्यवस्थापक मंडल (बोर्ड ऑफ् डायरेक्टर्स) के जोरदार चुनाव होने थे लेकिन एटक, इंटक तथा अन्य संगठन इस संस्था को भा.म.संघ से दूर नहीं कर पाए। भा. म. संघ का पैनेल ही भारी मतों से जीत जाता है। यह देखकर गत दस बरसों से अन्य संगठनों के लोगों ने चुनाव में खड़ा होना भी बंद कर दिया। कानून के मुताबिक अभी चुनाव होते हैं लेकिन भा.म. संघ का पुरस्कृत पैनेल निर्विरोध चुनकर आता है।

कारोबार एकदम पारदर्श होने के कारण कामगारों का विश्वास इतना बढ़ा है कि भा. म. संघ का पॅनेल 95 प्रतिशत से ज्यादा वोट लेकर चुनकर आता है। श्रमसंघ ने एक दूसरा निर्णय भी लिया है। संचालक मंडल में एक बार जो कार्यकर्ता चुनकर आया है वह दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव की अवधि आजकल पांच वर्ष की होती है। इसके पूर्व तीन बरस का समय होता था।

बिगड़े हुए इस राजनैतिक वायुमंडल में भी सहकार माने संघर्ष की जगह—सहकार माने सफलता, परस्पर सामंजस्य और सौहार्द—इस तरह का आदर्श संस्था में है।

संस्था के और भी वैशिष्टय हैं। संस्था का सदस्य कोई भी हो सकता है। इसी कारण प्रथम श्रेणी के अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी मजदूरों तक सभी संस्था के सदस्य हैं। इसी कारण सदस्यों के अनुमान में संचालक मंडल में अधिकारी, लिपिक, श्रमिक, कारीगर, मजदूर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी एक दूसरे के साथ बैठकर समरसता से संस्था चलाते हैं।

संस्था के संचालक मंडल को जो भत्ता मिलता है वह भा.म. संघ को सहयोग राशि के रूप में दान देता है। संस्था के लिए जो छोटा-मोटा खर्चा स्वयं संचालक करते हैं। हिसाब एकदम आदर्श रहता है। इसी कारण आर्थिक वर्ष समाप्त होने के बाद 45 दिन के अंदर हिसाब पूर्ण करके वार्षिक सभा लेकर सदस्यों को लाभांश का विवरण भी दिया जाता है।

अभी कानून बना कि संस्था के संचालक पद पर महिला होनी चाहिए। लेकिन इस संस्था में कई बरस पहले से महिला प्रतिनिधि कार्यरत है।

संस्था ने एक विस्तृत प्लॉट लिया है और आनेवाले दो वर्षों में एक भव्य भवन खड़ा हो जाएगा।

भगिनी निवेदिता सहकारी बैंक लिमिटेड

387/388, नारायण पेठ, राष्ट्रभाषा भवन, पुणे-411030. दूरभाष : 456635

अध्याय छह

प्रकीर्ण

मुंबई बंद

'60 के दशक में श्री जार्ज फर्नांडीस मुंबई के मजदूरों के हृदय सम्राट कहे जाते थे। टैक्सी चालक, बेस्ट (बांबे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट) होटल्स, मुंबई महापालिका आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हिंद मजदूर पंचायत (एच. एम. पी.) का शत प्रतिशत प्रभाव था। ऐसे जार्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। उनको छुड़ाने के लिए मुंबई बंद जैसा आंदोलन आवश्यक लगता था, लेकिन मुंबई के टेक्सटाइल मिलों के लाखों मजदूरों पर एटक का प्रभाव था। एटक के सहयोग के बिना एच. एम. पी. मुंबई बंद जैसा कार्यक्रम नहीं कर सकती थी।

एटक को भी ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता थी। इसका कारण एटक की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थीं। 1962 के चीन के अत्याचारी एवं जघन्य आक्रमण को एटक ने 'सीमा झगड़ा' करार दिया था और उसने भारत के जवानों को सहायता देने के बजाय, कलकत्ता आदि जगहों पर लोडिंग-अनलोडिंग करने वाले कुली संगठनों की हड़ताल करवा कर अमरीका से प्राप्त युद्ध साहित्य जवानों तक पहुंचाने में अड़चनें खड़ी की थीं। राष्ट्र-भक्त होने के कारण भारत के मजदूरों ने एटक की इस भूमिका को तनिक भी पसंद नहीं किया। उनकी मजबूरी थी कि एटक के सदस्य रहने के कारण एटक की बातें माननी पड़ती थीं, फिर भी एटक की प्रतिभा मलिन जरूर हुई थी। एटक चाहती थी कि उसके ऊपर लगा दाग धुले, इसलिए एच. एम. पी. ने जब मुंबई बंद जैसा कार्यक्रम करना चाहा तो वह समर्थन के लिए सोचने लगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरुजी को इसका पता चला। उन्हें लगा कि ऐसे कार्यक्रम का लाभ तो एटक और राष्ट्रद्रोही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सी. पी. आई.) को मिलेगा। उनकी मलिन प्रतिभा एक बार फिर धवल हो जाएगी। राष्ट्रहित की दृष्टि से ऐसा होना उचित नहीं। उन्होंने नागपुर में श्री ठेंगड़ी जी से बातचीत की और कहा कि एटक को फिर बढ़ावा मिलना उचित नहीं। मुंबई बंद एटक को छोड़कर केवल राष्ट्रवादी मजदूर संगठनों को साथ लेकर होना चाहिए।

श्री ठेंगड़ी जी के सामने प्रश्न था कि श्री गुरुजी की सोच को व्यावहारिक रूप कैसे दिया जाए। उस समय भा. म. संघ का कार्य बहुत कम था। मुंबई में तब 10-15 हजार भी सदस्यता नहीं थी। ऐसे समय वे समय की मांग और संगठन की विवशता पर विचार करते हुए मुंबई आए। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि कार्यकर्ताओं ने एक अत्यंत आधारभूत विषय उठाकर मजदूरों में जागरण शुरू किया है। वह विषय था—असली वेतन।

'असली वेतन' यह एक अनोखी संकल्पना थी। लोगों को न्यूनतम वेतन, सुयोग्य वेतन, जीवन वेतन, आदि शब्द तो मालूम थे लेकिन इस 'असली वेतन' की जानकारी नहीं थी। महंगाई बढ़ती है तो संगठित मजदूरों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (डिअरनेस अलाउन्स) बढ़ता है, जिससे उन्हें लगता है कि मुझे राहत मिली। महंगाई बढ़ती है तो ग्राहक मूल्य सूचकांक (कंजुमर प्राइज इंडेक्स) बढ़ता है।

ग्राहक मूल्य सूचकांक बढ़ता है तो उससे जुड़ी हुई महंगाई की दर भी बढ़ती है, इसलिए

बीज कामगार कल्याण निधि
रास्ता पेठ पुणे, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030

मजदूर बढ़ती हुई महंगाई में भी अपना जीवन बिता सकता है। लेकिन मुंबई के चार प्रमुख कार्यकर्ताओं—स्व. गजानन गोखले, स्व. मनहर भाई मेहता, स्व. बालासाहेब साठये और श्री रमण भाई शहा—ने एक महत्वपूर्ण बात सामने लाई है। वह यह कि जीवनोपयोगी वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के अनुपात में ग्राहक मूल्य निर्देशांक बढ़ नहीं रहा था। इसी कारण मजदूरों के महंगाई भत्ते में जितनी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी, नहीं हो रही थी, इसलिए बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए मूल्य के कारण मजदूरों को अपने जीवनोपयोगी वस्तुओं में कटौती करना अनिवार्य हो रहा था। उन्हें अपने बच्चों के दूध जैसी आवश्यकताओं में भी कटौती करनी पड़ रही थी, जिसके चलते वे बहुत ही परेशान थे।

इसी समय वित्त मंत्री मोरार जी देसाई ने अनिवार्य बचत योजना (कंपलसरी सेविंग स्कीम) चलाई। संगठित मजदूरों से कानूनी तौर पर जबरदस्ती वेतन कटने लगा। बढ़ती हुई महंगाई और उस पर भी अनिवार्य बचत योजना के कारण मजदूरों का जीना दूभर हो रहा था।

इस पृष्ठभूमि पर भा. म. संघ ने आवाज उठाई कि ग्राहक मूल्य निर्देशांक निकालने की पद्धति गलत है। इससे महंगाई का वास्तविक मूल्यांकन नहीं होता है और मजदूरों का 'असली वेतन' घट रहा है। असली वेतन का अभिप्राय यह कि अपने वेतन से जितनी वस्तुएं कोई बाजार से खरीद सकता है, उसमें यदि कटौती होती है तो वह बढ़ा हुआ वेतन भी 'असली' नहीं है। मजदूरों का असली वेतन घटना नहीं चाहिए इसलिए ग्राहक मूल्य निर्देशांक व गणना पद्धति (कैलकुलेशन मेथड) बदलनी चाहिए। बरसों से मजदूर-क्षेत्र में काम करने वाले इंटक, एटक, एच. एम. एस., एच. एम. पी., यू. टी. यू. सी., आदि संगठनों ने इस बुनियादी और मूलभूत विषय की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था।

श्री ठेंगड़ी जी ने भा. म. संघ के कार्यकर्ताओं से चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ग्राहक मूल्य सूचकांक में सुधार हो, यह मांग मजदूरों को जँचती है, लेकिन अन्य संगठनों को यह मजदूर-आंदोलन का विषय नहीं लगता। फिर भी कोशिश करेंगे।

श्री ठेंगड़ी जी ने इस संबंध में एच. एम. पी. के राष्ट्रीय नेता मधु लिमये से बातचीत की। मधु लिमये को मालूम था कि एटक के साथ आंदोलन करने से एटक का लाभ ज्यादा होगा। एटक का चीन के बारे में जो रवैया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी एटक के नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजी सरकार को सहायता देकर राष्ट्रीय आंदोलन से गद्दारी की थी। इस कारण अंग्रेज और रूस द्वितीय महायुद्ध (1839-45) में दोस्त राष्ट्र बन के जर्मनी के विरोध में 1941 में एकत्र हुए थे। रूस युद्धरत था। उसके लिए उसे अंग्रेजों और भारत के मजदूरों का समर्थन चाहिए था। मधु लिमये भी नहीं चाहते थे कि एटक के साथ मिलकर मुंबई बंद करें, पर वे विवश थे। मधु लिमये सहित मुंबई के अन्य समाजवादी नेता एक दूसरे की तरफ देखने को तैयार नहीं थे। एस. आर. कुलकर्णी का प्रभाव 'बांबे डाक वर्कर्स' में था। रेलवे में एच. एम. एस. की पकड़ अच्छी थी, अन्य स्वतंत्र संगठन फैक्ट्री और छोटे-मोटे उद्योगों में थे, लेकिन सभी एकत्र होने को तैयार नहीं थे। श्री ठेंगड़ी जी ने मधु लिमये को कहा आप तैयार हों तो मैं सभी को बुलाता हूँ। हम संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। श्री दत्तोपंत जी पोर्ट एंड डाक के नेता और हिंदू मजदूर सभा के अध्यक्ष एस. आर. कुलकर्णी से मिले। उन्होंने बताया कि गलत पद्धति से निकाले जा रहे ग्राहक मूल्य सूचकांक के कारण महंगाई भत्ता में होने वाली कटौती और अनिवार्य बचत योजना से मजदूर संतप्त हैं। चीन के अत्याचारी आक्रमण के समय एटक की राष्ट्रद्रोही भूमिका को ध्यान में रखते हुए एटक को छोड़कर अन्य राष्ट्रवादी संगठनों यानी हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर पंचायत, भारतीय मजदूर संघ और महासंघ तथा अन्य स्वतंत्र संगठन अगर मुंबई बंद का आह्वान करते हैं तो मुंबई बंद हो सकती है और सूचकांक में सुधार हो सकता है। एस. आर. कुलकर्णी कामगारों की नस जानते थे। उन्होंने तुरंत श्री ठेंगड़ी जी की बात स्वीकार कर ली। बाद में सर्व श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी, मधु लिमये, एस., आर. कुलकर्णी की बैठक हुई, जिसमें श्री ठेंगड़ी जी ने मुंबई के टेक्सटाइल मिलों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। इसके बाद 20 अगस्त 1963 के मुंबई बंद की घोषणा हुई, जिसके लिए जोरदार तैयारियां की गईं।

एटक नेता श्रीपाद डांगे, जो मिल मजदूरों के अकंटक राजा थे, ने कहा कि यह संयुक्त मोर्चा एटक को बिना लिए बना है, इसलिए मिल मजदूरों के बंद में सहयोग नहीं करना है। इस प्रतिक्रिया के बावजूद भा.म.संघ ने गिरणगांव के हर एक मिल पर तथा मिल-मजदूरों के निवास स्थान के पास तीनों पालियों में द्वार-सभा तथा नुक्कड़ सभाएं कीं, पत्रक, पोस्टर्स आदि द्वारा धुआँधार प्रचार शुरू किया। टेक्सटाइल मिलों में दोपहर चार के पूर्व सभा करने की पद्धति थी। लेकिन भा. म. संघ ने सुबह 7 बजे, शाम 4 बजे, और रात को 12 बजे द्वारसभा लेना शुरू किया। प्रचार तेज हुआ। गलत सूचकांक के कारण कम दरों से मिलने वाले महंगाई भत्ता और अनिवार्य योजना के विषय मजदूरों की रुचि के विषय थे। इस विषय की जानकारी, भा. म. संघ के कार्यक्रम तर्कपूर्ण दृष्टि से और सांख्यिकी आँकड़ों के साथ प्रभावी पद्धति से

महाराष्ट्र प्रदेश बैंक ऑफिसर्स ऑर्गनाइजेशन

7, पीठा स्ट्रीट, सर वी.एम.रोड के सामने, फोर्ट, मुंबई-400001, दूरभाष : 2844704

कामगारों के सामने रखने थे। इस कारण तीनों समय के द्वार-सभाओं में मिल मजदूर भाग लेते थे। एटक के लोगों ने प्रचार शुरू किया कि भा. म. संघ वाले कल इस क्षेत्र में आए हैं और कहते हैं कि प्याज, आलू, दाल, दूध इनके दामों का सूचकांक पर परिणाम नहीं दिखता है, सूचकांक कैसे तैयार होता है उनको क्या मालूम।

प्रचार बढ़ता गया, वातावरण गरमाया, हड़ताल होगी ही ऐसा लगने लगा। का. डांगे ने पत्रकार वार्ता की और कहा कि यद्यपि संयुक्त मोर्चा में एटक नहीं है तो भी विषय का महत्व ध्यान में रखते हुए मिल मजदूर भी 20 अगस्त की हड़ताल में सम्मिलित होंगे।

19 अगस्त 1963 को लाखों मजदूर उसमें सम्मिलित हुए। कामगार मैदान पर विराट सभा हुई। 20 अगस्त का मुंबई बंद शतप्रतिशत सफल रहा। सरकार को झुकना पड़ा। ग्राहक मूल्य सूचकांक का पुनर्निरीक्षण करने हेतु लाकड़ावाला समिति की नियुक्ति की गई। समिति ने कहा—सूचकांक गलती से 29 अंक कम निकल रहा है। उसमें सुधार हुआ। जिस सुधार के कारण मुंबई के सभी उद्योगों के कामगारों के महंगाई भत्ते में एक ही समय सुधार हुआ। केंद्र सरकार को अनिवार्य बचत योजना वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। जिन दो मांगों पर मुंबई बंद हुआ था, वे पूरी हुईं। शतप्रतिशत सफलता मिली। एटक के सहयोग के बिना हम इतनी बड़ी सफलता प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा विश्वास सभी संगठनों के नेताओं के मन में पैदा हुआ। इस दृष्टि से मजदूर आंदोलन के इतिहास में यह दिन स्मरणीय है।

भगिनी निवेदिता सहकारी बैंक लिमिटेड
387/388, नारायण पेठ, राष्ट्रभाषा भवन, पुणे-411030. दूरभाष : 456635

मजदूर संगठनों के संगठन

भारत का मजदूर संगठन अनेक टुकड़ों में बँटा है। यदि मजदूरों पर होने वाले अन्याय के विरोध में लड़ाई करनी हो तो ऐसे अनेक टुकड़ों में बँटे हुए संगठन सक्षम ढंग से संघर्ष व आंदोलन नहीं कर सकते। इसलिए सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों को इसके लिए एकत्र होना चाहिए। भारत में ऐसे प्रयास कई बार हुए हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इनके सफल न होने के कई कारण हैं, जिसका वर्णन और विश्लेषण यहां आवश्यक नहीं। यहाँ सिर्फ भारतीय मजदूर संघ की विकास यात्रा के क्रम में हुए एकता के प्रयासों की जानकारी दी जा रही है।

आपातकाल

तानाशाह श्रीमती इंदिरागांधी ने आपत्काल में जनतंत्र नष्ट कर दिया था। इसके विरोध में 1975-1977 के कालखंड में श्री जय प्रकाश नारायण और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण अन्य सभी राजनैतिक पार्टियां एकत्र हो सकीं ओर जनता पार्टी बनी। इसी कालखंड में वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव के पूर्व भारतीय मजदूर संघ ने अन्य श्रम संगठनों की मदद से 'जनतांत्रिक मजदूर मंच' की स्थापना करके सभी राष्ट्रवादी व जनतंत्रीय तत्वों को एक मंच पर लाकर जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दलों को पूरा समर्थन दिया। उस समय के सत्तारूढ़ दल के समानांतर जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प थी जो तानाशाह श्रीमती गांधी को हटा सकती थी। मजदूर हित और राष्ट्रहित की दृष्टि से यह अत्यावश्यक था।

तानाशाही के ध्वस्त होने और प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के बाद भारतीय मजदूर संघ जिसने चुनाव जैसी राजनीति को आपत् धर्म के नाते राष्ट्रनीति के अंग के रूप में स्वीकार किया था—पुनः अपने मूल कार्य में लग गया। वास्तविक व सही मजदूर आंदोलन उसने फिर से आरंभ कर दिया।

सत्तारूढ़ होने के बाद कई नेताओं को, विशेषकर हिंद मजदूर सभा और हिंद मजदूर पंचायत के नेताओं को लगा कि जब आपातकाल में एच.एम.एस., एच.एम.पी. और भा. म. संघ ने एकत्र कार्य किए और वे सफल रहे तो बाद में भी ये तीनों केंद्रीय श्रमिक संगठन एक दूसरे में विलीन होकर समर्थ बलशाली संगठन क्यों नहीं हो सकते?

विशेष रूप से जार्ज फर्नांडीस और एस. एम. जोशी के दबाव से चर्चा शुरू हो गई। तीनों संगठन के वरिष्ठ नेता एकत्र हुए। बगाराम तुलपुले जी के विचार थे कि— कामगार आंदोलन राजनीति से यानी राजनैतिक दलों के प्रभाव से मुक्त और सत्तास्पर्धा से अलिप्त होने चाहिए। यह विचार भा.म. संघ के विचारों के अनुरूप था। इसलिए उनकी अध्यक्षता में बैठकें होने लगीं। महाराष्ट्र में प्रदेश स्तर पर तीनों संगठन के प्रमुख नेता और जाने-माने कार्यकर्ता एकत्र हुए और सम्मेलन हुआ। व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा होती रही। इसमें मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर चर्चा होती थी। वे थे— 1. राजनैतिक दल और मजदूर आंदोलन, 2. समाजवाद या दूसरी कोई रचना और 3. ध्वज कौन-सा हो। इनमें से कई विषयों पर सहमति हो गई।

1. मजदूर संगठन का मालिक, सरकार और राजनैतिक दल के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त, स्वतंत्र, स्वायत्त और शतप्रतिशत जनतंत्र द्वारा ही चलना आवश्यक है।

2. 'समाजवाद' शब्द से भा.म. संघ का पूर्ण विरोध था। केवल भौतिकता पर आधारित समाजवाद का कुछ भी अर्थ नहीं। सभी दल खुद को समाजवादी कहते हैं और हरेक का समाजवाद अलग है।

भारतीय मजदूर संघ का 'समाजवाद' शब्द के प्रति कड़ा विरोध देखकर बगाराम तुलपुले जी ने नया प्रस्ताव बनाया। जिसमें उन्होंने कहा था कि **"शोषणमुक्त, समतायुक्त समाज जिसमें हरेक व्यक्ति के लिए अन्न, वस्त्र, मकान, दवा और शिक्षा जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और हरेक को स्व-विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो"** ऐसे शब्दों की योजना थी। ये विचार भा.म. संघ के सिद्धांतानुरूप थे इसलिए भ.म. संघ ने प्रस्ताव को मान्यता दी। हिंद मजदूर सभा के बगाराम तुलपुले ने

बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टाफ क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी
भारत भवन, 1360 शुक्रवार पेठ, पुणे-411 002

ही यह तैयार किया था इसलिए उनके अन्य नेताओं ने विशेषकर खानेकर और वसंत गुप्ते जी ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी। हिंद मजदूर पंचायत के बाल दंडवते ने कहा कि हमें विचार करना आवश्यक है।

इसके बाद ताडदेव के जनता सभागृह में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भा. म. संघ के 70 प्रतिशत प्रतिनिधि थे। इसलिए उपर्युक्त तीनों बिंदुओं पर भा.म. संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी स्पष्ट राय दी। इसमें हिंद मजदूर सभा के वरिष्ठ नेता स्व. भाऊ पाठक ने कहा– भगवा ध्वज तो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, उसे लेने में मुझे कोई झिझक नहीं है। फिर भी ध्वज कौन-सा हो, इस पर एकमत नहीं हो सका। अनेक विकल्प सामने आए।

ध्वज के बारे में कुछ असहमति, कुछ सहमति होना स्वाभाविक था। इसलिए हिंद मजदूर पंचायत के बाल दंडवते जी स्वयं श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से पुणे आकर मिले। श्री ठेंगड़ी जी ने कहा "मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूं और संघ के आदेशानुसार मैं भा.म. संघ का काम करता हूं। संघ के सिद्धांत को लेकर भारतीयता के आधार पर इसके सांस्कृतिक मूल्यों पर हम मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं। इस विचार के अनुसार और श्री जय प्रकाश नारायण जी के विचारों के अनुसार कामगार संगठन गैर-राजनैतिक होना चाहिए। ऐसे संगठनों को अपनी ताकत के द्वारा सत्ता पर अंकुश रखना चाहिए। प्रत्यक्ष राजनैतिक सत्ता स्पर्धा से पूर्णतः अलिप्त होना चाहिए। इन विचारों से आप यदि सहमत हों तो हम आपका स्वागत करते हैं। इसी आधार पर अन्य विषयों के समान, 'ध्वज' का प्रश्न भी सुलझना चाहिए"।

स्व. मनहरभाई मेहता ढव., बालसाहेब और श्री रमणभाई शहा भा.म. संघ के इन तीन नेताओं द्वारा बहुत ही लगन से एकत्रीकरण के प्रयत्न हो रहे थे। लेकिन उपर्युक्त बैठक के बाद जब फिर चर्चा होनी थी, उसी बीच मधुलिमये जैसे नेताओं ने दोहरी निष्ठा का सवाल उठाया। इसलिए फिर चर्चा नहीं हो सकी। उसी दौरान हिंद मजदूर सभा और हिंद मजदूर पंचायत, इन दोनों संगठनों का एकत्रीकरण हुआ। इस कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के स्व. मनहरभाई मेहता उपस्थित थे। उन्होंने इस एकत्रीकरण का स्वागत किया और भविष्य में अन्य संगठन भी एकत्र होंगे, ऐसी आशा प्रकट की।

लेकिन दुर्दैव से हिंद मजदूर सभा और हिंद मजदूर पंचायत एकत्र नहीं रह सके। अल्पकाल में ही जार्ज फर्नांडीस ने हिंद मजदूर पंचायत की विसर्जित यूनियनों को लेकर नया संगठन बनाया जो अभी हिंद मजदूर किसान पंचायत नाम से काम कर रहा है।

रूस में मार्क्सवाद के ध्वस्त होने के बाद पूँजीवादी भस्मासुर विश्व को ग्रसने चला है। अमीर देशों के चंगुल से गरीब देशों को मुक्त करना है। आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध करना है। प्रथमतः यह दायित्व मजदूर संगठनों का है। भा. म. संघ को अग्रसित होकर अन्य राष्ट्रवादी संगठनों को साथ लेकर यह काम करना होगा। 'मजदूर संगठनों का संगठन' का जो प्रयोग अधूरा रह गया था उसे पुनर्चेतना देनी होगी।

महाराष्ट्र राज्य बीड़ी कामगार संघ

भा.म. संघ, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030. दूरभाष : 452020

संकल्प शक्ति ने दी सही दिशा

1966 की बात है। समय की माँग हुई। साराभाई ग्रुप की एक इकाई सिनबायोटिक्स लि. में सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहे श्री केशव भाई ठक्कर साराभाई मशीनरी, सराभाई प्रोजेक्ट तथा ज्योति लि. के कामगारों के कल्याण के लिए काम करने लगे। प्रबंधन इनके यूनियन संबंधी क्रिया-कलापों को संदेह की दृष्टि से देखता था।

इसी पृष्ठभूमि में परदा उठा। केशव भाई ठक्कर ने सिनबायोटिक्स लि. के कार्यकारी निदेशक श्री एम.एस. शास्त्री के कक्ष में प्रवेश किया।

शास्त्री : हां.....! तो तुम आ गए?
केशव : जी हां, आपने ही बुलाया था।
शास्त्री : क्या बात है? सुन रहा हूं, तुम नौकरी छोड़ने का विचार कर रहे हो?
केशव : जी हां, आप निकाल देने की धमकी देते रहते हैं। क्यों न सम्मानपूर्वक . . . . . .
शास्त्री : फिर तुम क्या करोगे?
केशव : मैं भारतीय मजदूर संघ का काम करूंगा।
शास्त्री : तुम सनत मेहता नहीं बन सकते।
केशव : मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है।
शास्त्री : तुम्हारे परिवार में कौन-कौन हैं?
केशव : बूढ़ी मां, पिताजी, पत्नी और चार बच्चे।
शास्त्री : घर में कोई और आमदनी?
केशव : नहीं, सर।
शास्त्री : मूर्खता कर रहे हो तुम। तुम्हें नौकरी छोड़ने के बाद फिर उन्हें खिलाएगा कौन?
केशव : मेरी चिंता के लिए धन्यवाद। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं?
शास्त्री : हां पूछो।
केशव : यदि मैं अभी हृदय-गति रुकने से मर जाऊं तो मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा?
शास्त्री : तुम मुझे ही पढ़ाना चाह रहे हो।
केशव : सर, यही जिंदगी की सच्चाई है।
शास्त्री : तुम्हें कोई भी नौकरी से नहीं निकाल रहा। अपनी मूर्खता छोड़ दो।
केशव : लेकिन सर! मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। अब भा.म. संघ की योजना के अनुसार उसके लिए काम करूंगा।
शास्त्री : भगवान तुम्हारी सहायता करें।

(बाद में श्री शास्त्री ने श्री ठक्कर को एकांत में बताया कि अपने बचपन में उनका भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध था।)

केशव भाई ठक्कर को पहली जनवरी 1967 से भा.म. संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में शामिल कर लिया गया तथा उन्हें पूरे गुजरात का काम देखने को कहा गया। इसके साथ ही इनके भाई भास्कर शंकराव ठक्कर भी शामिल हो गए और ये दोनों तब से ही पूर्णकालिक रूप में काम कर रहे हैं।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कर्मचारी संघ
रानीपुर, हरिद्वार (उ.प्र.)

करुणा की प्रतिमूर्ति

यह 1971 के भारत पाक युद्ध के दिनों की बात है। शत्रु-सेना ने हवाई आक्रमणों द्वारा पठानकोट को अपना प्रमुख निशाना बना रखा था। सामरिक दृष्टि से पठानकोट का वास्तव में उस समय बहुत महत्व था। सेना की समस्त युद्धक सामग्री रेल द्वारा पठानकोट पहुँचती थी और आगे जम्मू कश्मीर के सभी अग्रिम मोर्चों पर ट्रकों से सड़कमार्ग द्वारा भेजी जाती थी। यहाँ अपनी वायु सेना का अड्डा भी था। शत्रु सेना सप्लाई लाइन को अस्त-व्यस्त तथा वायु सेना के अड्डे को ध्वस्त करना चाहती थी। अतः दिन-रात हवाई आक्रमण चलते रहते थे, जिससे दिन में कर्फ्यू तथा रातों को ब्लैकआउट रहता था।

ऐसी भीषण परिस्थिति में समय की माँग यह थी कि आयुध, अस्त्र-शस्त्र व अन्य रसद जितनी शीघ्रता से हो सके उसे माल गाड़ियों से उतार कर ट्रकों से आगे के क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया जाए, रेलवे साइडिंग अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। सैकड़ों ट्रकों में माल भरने के लिए हजारों असैनिक श्रमिकों की आवश्यकता प्रतिदिन होती थी और उतने असैनिक श्रमिक उस समय आयुध यूनिटों में नहीं थे। अतः सब-एरियाकमांडर ने नगर एस. डी. एम. से श्रमिक उपलब्ध कराने की प्रार्थना की किंतु युद्ध के माहौल का प्रभाव था कि नगर से वांछित संख्या में श्रमिक उपलब्ध नहीं हो सके।

उक्त युद्ध के एक-डेढ़ वर्ष पूर्व ही भारतीय मजदूर संघ से संबंधित श्रमिक संघों का गठन पठानकोट स्थित प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में हो चुका था। इन प्रतिष्ठानों में वाम पंथ प्रभावित यूनियनों का उस समय वर्चस्व था। युद्ध छिड़ते ही वामपंथी नेतागण बीमारी की छुट्टियां (मेडिकल लीव) लेकर पहाड़ों पर चले गए किंतु राष्ट्रवाद से प्रेरित मजदूर संघ यूनियनों के स्थानीय नेतृत्व ने शत्रु आक्रमण को ललकारते हुए अपने सैनिक भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, किसी भी जोखिम की परवाह न करते हुए, दिन-रात काम करने का निर्णय किया। सब-एरियाकमांडर को सूचित किया गया कि उन्हें नागरिक प्रशासन से श्रमिक लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रतिरक्षा मजदूर संघ के सैकड़ों सदस्य श्रमिकों ने चौबीसों घंटे लगातार काम करने का संकल्प लिया है। यह कार्य चूँकि राष्ट्र रक्षा का है इसलिए श्रमिक इसके लिए किसी भी समयोपरि भत्ता की मांग नहीं करेंगे।

घायल जवानों की पूछ-ताछ करते हुए श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

ठाणे जनता सहकारी बैंक

'सेवा धाम' डॉ. मूसे रोड, लाल बाग ठाणे-400 602. दूरभाष : 5363538, 5366646, 5332161

पाक युद्ध के समय पठानकोट सीमा पर जवानों से भेंट करते हुए श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

यह सच है कि उस समय भा. म. संघ से संबंधित सैकड़ों श्रमिकों ने लगभग एक सप्ताह अहर्निश अविराम कार्य किया, किंतु समयोपरि भत्ते का एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। इन श्रमिकों में अधिकांश वही थे जो पूर्व में मार्क्सवादी संगठनों के साथ थे, किंतु भा. म. संघ के साथ जुड़ने के पश्चात उनकी मानसिकता में किस तरह का परिवर्तन आ गया, उपर्युक्त तथ्य इसका स्पष्ट उदाहरण है।

इन्हीं दिनों श्री ठेंगड़ी जी का पठानकोट आगमन हुआ। उन्होंने अग्रिम मोर्चों का दौरा भी किया और युद्धरत सैनिकों, वीर योद्धाओं से भी मिले और उन्हें देशवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीं तथा उनकी सफलता के लिए प्रार्थना की। दूसरे दिन जब वे अस्पताल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पूरा अस्पताल घायल सैनिकों तथा अधिकारियों से भरा पड़ा था। युद्ध-भूमि पर लड़ते-लड़ते शरीर पर अनेक घाव लिए सैनिकों से अस्पाताल के अनेक वार्ड ऐसे पटे थे कि कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं थी। उन्हें देखना हृदय-विदारक था—किसी की टांग, तो किसी की बाँह या फिर आँखें युद्ध की भेंट चढ़ गई थीं। किसी का चेहरा विकृत हो चुका था। युद्ध की विभीषिका व भयावहता का उन्हें देखकर ही अंदाजा होता था।

श्री ठेंगड़ी जी एक-एक वार्ड में जा रहे थे। कुछ घायलों से मिलते, हाल-चाल पूछते, सांत्वना देते आगे बढ़ रहे थे। सहसा एक युवा घायल सैनिक के पास ठिठककर ठेंगड़ी जी रुक गए, उसे बहुत वेदना हो रही थी। उसके माथे को सहलाते हुए ठेंगड़ी जी उसका हाल-चाल पूछने लगे। बातचीत से पता चला कि वह जवान केरल प्रदेश का था और माता-पिता का इकलौता बेटा था। श्री ठेंगड़ी जी उससे मलयाली में बातचीत करने लगे और उसके जिला, तहसील-गांव का नाम जानने पर उन्होंने वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों के नाम बता दिए। ठेंगड़ी जी की आत्मीयता और शुद्ध अंतःकरण का स्नेहपूर्ण व्यवहार देखकर उस सैनिक की आँखों से अश्रुधारा फूट निकली। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सैनिक अधिकारी व मजदूर संघ के कार्यकर्ता भी द्रवित हो उठे। बहुत देर तक ठेंगड़ी जी उसके सिरहाने खड़े उसके माथे को सहलाते रहे—मानो माँ अपनी संपूर्ण ममता उड़ेलकर बच्चे के स्वास्थ्य-लाभ की याचना कर रही हो, पिता अपना स्नेह लुटा रहा हो। श्री ठेंगड़ी जी उस समय साक्षात् करुणा की प्रतिमूर्ति बन गए थे।

महाराष्ट्र राज्य बीड़ी कामगार संघ

भा.म. संघ, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030. दूरभाष : 452020

भारतीय मजदूर संघ के सक्रिय कार्यकर्ताओं की विदेश यात्रा

क्रमांक	अवधि	स्थान	प्रयोजन	कार्यकर्ता
1.	जून 6-26, 1977	जेनेवा (स्विट्जरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 63वाँ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	दत्तोपंत ठेंगड़ी
2.	अप्रैल 24-जुलाई 14, 1978	टूरीन (इटली)	एशिया के ग्रामीण संगठनों के मजदूर/संगठन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण वर्ग	एम्. जी. डोंगरे
3.	जून 7-27, 1978	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 64वां अंतर-राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन	जी. प्रभाकर (केंद्रीय कार्यालय)
4.	जन. 22-अप्रैल 13, 1978	टूरीन (इटली)	अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक-मजदूर संघ निरीक्षकों की कार्यप्रणाली	रामप्रसाद पारिख, (नांदेड़, महाराष्ट्र)
5.	अक्टूबर 1978	अमरीका	अमरीका के मजदूर आंदोलन की गतिविधि कार्यकलाप संगठन की देखने हेतु (एक खास अमरीका निमंत्रण पर)	दत्तोपंत ठेंगड़ी
6.	जून 6-27, 1979	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 65वां अंतर-राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन	जी. प्रभाकर, (केंद्रीय कार्यालय)
7.	जन. 7 मार्च 28, 1980	टूरीन (इटली)	प्रशिक्षण-मजदूर संघ निरिक्षकों की कार्य प्रणाली	बैजनाथ राय, (कलकत्ता)
8.	सितं. 22 अक्टू. 1, 1981	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	द्वितीय आईएल.ओ. त्रिपक्ष तकनीकी बैठक मुद्रण कला तथा व्यवसाय विषयक	रामलाल, (फरीदाबाद, हरियाणा)
9.	जन. 23 फर. 13, 1982	जापान	कामगार-व्यवस्थापन संबंध तथा उनका उत्पादकता पर प्रभाव विविध देशीय निरीक्षण दल	घनश्याम दास गुप्त, (शामली, उ.प्र.)
10.	अप्रैल 12-228, 1983	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	भवन स्थापत्य शास्त्र तथा लोक निर्माण विभाग समिति का दसवां सत्र आई.एल.ओ.	प्यारालाल बैरी (हिमाचल प्रदेश)
11.	अप्रैल 24 मई 22, 1983	अमरीका	समाज सेवा में मजदूर संघो की भूमिका-कामगार नेताओं के लिए अभ्यास कार्यक्रम	रामप्रकाश मिश्र, (कानपुर, उ.प्र.)
12.	दिस. 5-16, 1983	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	तृतीय आई.एल.ओ. द्वारा होटल उद्योग हेतु त्रिपक्षीय तकनीकी बैठक	टी.एस. रामाराव (हैदराबाद)
13.	जून 6-27, 1984	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के 70वां अधिवेशन	जी. प्रभाकर, नई दिल्ली, केंद्रीय कार्यालय
14.	जुलाई 23-अग. 17, 1984	वाशिंगटन (अमरीका)	समाज सेवाओं में मजदूर संघों की भूमिका-कामगार नेताओं के लिए अभ्यास कार्यक्रम	मदन लाल सैनी, जयपुर
15.	जन. 23-31, 1985	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अंतरदेशीय परिवहन समिति का ग्यारहवां अधिवेशन	सोमेश्वर चांद्रायण, नागपुर, महाराष्ट्र
16.	अप्रैल 17-25, 1985	जेनेवा	वैतनिक नौकर तथा व्यवसायिक श्रमिकों की	एस. भावनारायण, हैदराबाद

नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक आफीसर्स
7, पिठा स्ट्रीट, सर फिरोजशाह मेहता मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400 001
दूरभाष : 022-2844704

क्रमांक	अवधि	स्थान	प्रयोजन	कार्यकर्ता
		(स्विटजरलैंड)	सलाहकार समिति का नवम अधिवेशन	
17.	अप्रैल 3-18, 1985	चीन	श्रम संघों के अखिल चीन महासंघ के आमंत्रण पर पांच सदस्यों की भेंट	1. दत्तोपंत ठेंगड़ी, नई दिल्ली 2. मनहरभाई मेहता, मुंबई 3. ओमप्रकाश अग्घी, दिल्ली 4. रास बिहारी मोइत्रा, कलकत्ता 5. आर. वेणुगोपाल, नई दिल्ली
18.	जून 7-28, 1985	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन 71वां अधिवेशन	जी. प्रभाकर, नई दिल्ली
19.	सितंबर 17-26, 1985	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के वन व लकड़ी उद्योगों की समिति का प्रथम अधिवेशन	सुरेश शर्मा, भोपाल, मध्यप्रदेश
20.	दिसंबर 4-12, 1985	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के चर्म व पादरक्षा उद्योग की तृतीय त्रिपक्षीय तकनीकी बैठक	ऋषभचन्द्र जैन, जयपुर
21.	दिसंबर 4-13, 1985	जकार्ता, इंडोनेशिया	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का दसवां एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन	दत्तोपंत ठेंगड़ी, नई दिल्ली
22.	फरवरी 1-22, 1986	अमरीका	निजी क्षेत्र सामूहिक सौदा अध्ययन दल	शरद धुंडिराज देवधर, मुंबई
23.	जून 4-25, 1986	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 72वां अधिवेशन	ओमप्रकाश अग्घी, नई दिल्ली
24.	नवंबर 3-6, 1986	कौलालंपुर, मलेशिया	एशियाई उत्पादकता संगठन का अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन	केशभाई ठक्कर, वड़ोदरा, गुजरात
25.	दिसंबर 3-11, 1986	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के लोहा व इस्पात समिति का ग्याहरवां अधिवेशन	विश्वनाथ सिंह कपूर, बर्नपुर, प.बंगाल
26.	अप्रैल 1-9, 1987	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का भवन अभियांत्रिकी लोक निर्माण समिति सत्र	रामलुभाया बावा, अमृतसर, पंजाब
27.	मई 24-29, 1987	स्टाकहोम, (स्वीडिन)	औद्योगिक दुर्घटना व रोग प्रतिरोध पर ग्यारहवां विश्व सम्मेलन	ओमप्रकाश अग्घी, नई दिल्ली
28.	जून 3-24, 1987	जेनेवा, (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 73वां अधिवेशन	ओमप्रकाश अग्घी, नई दिल्ली
29.	जुलाई 1987	अमरीका	औद्योगिक सुरक्षा व स्वास्थ्य पर दो सप्ताह का कार्मिक अध्ययन कार्यक्रम	रामभाऊ जोशी, इन्दौर, मध्यप्रदेश
30.	नवंबर 1987	कनाडा	स्वास्थ्य व स्वास्थ्य रक्षा के बारे में अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी	डॉ. हर्षवर्धन गौतम, मुंबई
31.	जून 1988	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 74वां अधिवेशन	ओमप्रकाश अग्घी, नई दिल्ली
32.	अक्टूबर 3-21, 1988	अमरीका	कामगार-व्यवस्थापन संबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम	श्री गजेन्द्र पाल शर्मा, अलीगढ़, उ.प्र.

महाराष्ट्र प्रदेश बैंक ऑफीसर्स आर्गनाइजेशन
7, पिठा स्ट्रीट, सर फिरोजशाह मेहता मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400 001
दूरभाष : 022-2844704

क्रमांक	अवधि	स्थान	प्रयोजन	कार्यकर्ता
33.	मई 22-जून 16, 1989	टूरीन (इटली)	विकास एवं श्रम शिक्षा (व्यवस्था सामाग्री संबंधी अभ्यास वर्ग)	मुकुन्द सदाशिव गोरे, पुणे महाराष्ट्र
34.	जून 1989	जिनेवा (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 75वां अधिवेशन	ओमप्रकाश अग्घी, नई दिल्ली
35.	अगस्त 28/सितं 10, 1989	मिन्स्क (पूर्व सोवियत संघ)	मजदूरों के सहभाग एवं श्रम संघों के दायित्व पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला	एम.एन. झा, हरिद्वार, उ.प्र.
36.	अक्टूबर 10-20, 1989	मनीला, (फिलिपीन्स)	आई.एल.ओ. की एशिया एवं प्रशांत महासागर द्वीप समूह मजदूरों की श्रम संघों एवं जन शिक्षा पर गोष्ठी	अच्युतराव देशपांडे, गुवाहटी, आसाम
37.	दिसंबर 4-14, 1989	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	आई.एल.ओ. होटल, खान-पान एवं पर्यटन की प्रथम बैठक	प्यारा लाल बेरी, शिमला हिमाचल
38.	मई 6-11, 1990	हम्बर्ग (जर्मनी)	व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का बारहवां विश्व सम्मेलन	एम.जी. पटेल, मिठापुर, गुजरात
39.	जून 6-27, 1990	जेनेवा, (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का 77वां अधिवेशन	ओमप्रकाश अग्घी, नई दिल्ली आर वेणुगोपाल, पालघाट, केरल
40.	अगस्त 13-24, 1990	वोनडोंग, (आस्ट्रेलिया)	श्रम संघों एवं संगठनात्मक ढांचे पर आई.एल.ओ. की एशियाई प्रशांत श्रमिक शिक्षा गोष्ठी	रामदेव प्रसाद, पटना-बिहार
41.	अक्टूबर 1990	अमरीका	औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम	एस.बी.सिंह रायबरेली, उ.प्र.
42.	मार्च 26-29, 1991	फुकेट(थाइलैंड) (स्याम)	आई.एल.ओ. एशिया प्रशांत महासागर गोष्ठी, विषय परिमाण संबंधी बातें	आर. वेणुगोपाल, दिल्ली
43.	अप्रैल 17-25, 1991	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	वन एवं काष्ठ उद्योग तथा वाणिज्य संबंधी आई.एल.ओ. द्वारा आयोजित द्वितीय अधिवेशन	गुरुचरण सिंह गिल, अधिवक्ता भरतपुर-राजस्थान
44.	मई 6-14, 1991	कौलालंपुर (मलेशिया)	ग्रामीण श्रमिक संस्थाओं के लिए अं.श्र.सं. का एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्रीय गोष्ठी	कल्लू प्रसाद साहेसराय, बिहार
45.	जून 5-26, 1991	जेनेवा (स्विटेजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का 78 वां अधिवेशन	रासबिहारी मोइत्र, कलकत्ता
46.	जून 10-28, 1991	न्यूयार्क, (अमरीका)	विश्व पर्यावरण केंद्र न्यूयार्क द्वारा आयोजित सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाओं का अभ्यास वर्ग	एस.बी. सिंह, रायबरेली, उ.प्र.
47.	अगस्त 26-सितं., 1991	बीजिंग, चीन	चीन के श्रम संगठन ए.सी.एफ.टी.यू. द्वारा आयोजित श्रमसंघ विकास तथा श्रम नियोजन संबंधी एशिया गोष्ठी	अमरनाथ डोगरा, नई दिल्ली
48.	नवंबर 26-दिसं. 2, 1991	बैंकाक, थाइलैंड (स्याम)	अ.भा. संघ का एशिया क्षेत्रीय अधिवेशन	आर. बेणुगोपाल, दिल्ली

ठाणे जनता सहकारी बैंक

प्रशासनिक कार्यालय : सेवा धाम

डा. मूस रोड लाल बाग, ठाणे-400 602, फोन : 5363538, 5366646, 5332161

क्रमांक	अवधि	स्थान	प्रयोजन	कार्यकर्ता
49.	फरवरी 3-मार्च 20, 1992	टूरिन (इटली)	श्रमसंघों की व्यवस्थापन विषयपर अभ्यास क्रम	के. लक्ष्मारेहड़ी, हैदराबाद, आं.प्र.
50.	दिसंबर 5-12, 1991	जेनेवा, (स्विटजरलैंड)	अ.भा. संघ की चमड़ा एवं जूता उद्योग की चतुर्थ त्रिपक्षीय तकनीकी बैठक	ऋषभचन्द्र जैन, जयपुर, राजस्थान
51.	जून 2-21, 1992	जेनेवा, (स्विटजरलैंड)	अं.श्र.सं. का अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन	आर. वेणुगोपाल, रास बिहारी मोईत्रा
52.	अगस्त 25-28, 1992	सिंगापुर	श्रमसंघों के कार्यकर्ता मंच पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा आयोजित गोष्ठी	उदय पटवर्धन, पुणे, महाराष्ट्र
53.	अक्टूबर 1-5, 1992	इंग्लैंड, हंगरी	औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन से इंगलैंड और हंगरी में छंटनी हुए श्रमिकों की शिक्षा एवं पुनर्वास कार्य का अध्ययन करने हेतु भारत का त्रिपक्षीय प्रतिनिधि मंडल	जी. प्रभाकर, दिल्ली
54.	दिसंबर 2-10, 1992	जेनेवा, (स्विटजरलैंड)	अ.भा. संघ की आवास यांत्रिकी एवं जनकार्य समिति का 92वां अधिवेशन	सी.एल., कपूर, शिमला, हि.प्र.
55.	फरवीर 22-23, 1993	काठमांडू, नेपाल	नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन	रामदौर सिंह, कानपुर, उ.प्र.
56.	मार्च 30-अप्रैल 2, 1993	बैंकाक, थाईलैंड (सयाम)	श्रमिकों व्यवस्थापकों के बीच स्वस्थ संबंध एवं आपसी सामंजस्य का प्रयास इस विषय पर श्रमसंघों की गोष्ठी	वामनराव खेड़कर, नागपुर, महाराष्ट्र
57.	मार्च 23-26, 1993	काठमांडू, नेपाल	कार्यरत पुरुषों एवं महिलाओं के लिये समान व्यवहार नियमों संबंधी अ.भा. संघ श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम-दक्षिण एशियाई उपक्षेत्रीय कार्यशाला	गीताबेन ठाकुर, कर्णावती, गुजरात सरोज मित्र, कटक, उड़ीसा
58.	अप्रैल 12-17, 1993	बीजिंग, चीन	एशिया में आर्थिक विकास एवं श्रमसंघ	हसु भाई दवे, गुजरात
59.	जून 1993	जिनेवा, (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अधिवेशन	आर. वेणुगोपाल, नई दिल्ली मुकुंद गोरे, पुणे (महाराष्ट्र)
60.	अगस्त 19-20, 1993	सिंगापुर	औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य परिषद एशिया प्रशांत क्षेत्र हेतु	आर. वेणुगोपाल
61.	सितंबर 11-18, 1993	कोलम्बो, श्रीलंका	कृषि मजदूरों पर, आई.एल.ओ. के चर्चा-सत्र 110 एवं 141 का परिणाम	रास बिहारी मोईत्रा, कलकत्ता, एन. एम. सुकुमारन, चेनाई (मद्रास)
62.	जनवरी 10-14, 1994	बैंकाक, थाइलैंड (सयाम)	एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र के कुछ खास देशों के लिए औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निगरानी के शिक्षकों का अभ्यास वर्ग	हरिभाई हिरानी, कर्णावती, अहमदाबाद
63.	जून, 1994	जेनेवा, (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अधिवेशन	आर. वेणुगोपाल, मुकुन्द गोरे, दिल्ली

नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स

7, पीठा स्ट्रीट, सर वी.एम.रोड के सामने, फोर्ट, मुंबई-400001, दूरभाष : 2844704

क्रमांक	अवधि	स्थान	प्रयोजन	कार्यकर्ता
64.	जुलाई 1994	ब्रिसने, (आस्ट्रेलिया)	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से त्रिपक्षीय वार्ता	डॉ. सुधाकर कुलकर्णी, गुवाहाटी, आसाम
65.	सितंबर 1994	बैंकाक, थाइलैंड	औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य	हरिभाई हिरानी, गुजरात
66.	सितंबर 1994	अमरीका	अंतरराष्ट्रीय भैंट कार्यक्रम	एम.पी. पटवर्धन, मुंबई
67.	नवंबर-दिसंबर 1994	टूरीन (इटली)	व्यवस्थापन के साथ वेतन चर्चा प्रशिक्षण कार्यक्रम	हिरण्मय पंडया, वड़ोदरा, गुजरात
68.	फरवरी 1995	बैंकाक (थाईलैंड)	3 दिन की कार्यशाला	डी.के. सदाशिव, बंगलौर, कर्नाटक
69.	फरवीर 27-मार्च 3, 1995	कोलंबो (श्रीलंका)	त्रिपक्षीय चर्चा व्यवस्था	केशवभाई ठक्कर, वड़ोदरा, गुजरात
70.	जून 1995	जेनेवा, (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अधिवेशन	आर. वेणुगोपाल-मुकुन्द गोरे, दिल्ली
71.	अक्टूबर-नवंबर 1995	टूरीन, (इटली)	व्यवस्थापन के साथ वेतन चर्चा प्रशिक्षण कार्यक्रम	सूर्यकान्त परांजपे, पुणे, महाराष्ट्र
72.	मार्च 20-22, 1996	बैंकाक (थाइलैंड)	जापान और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कार्यशाला	शंकरभट्ट, केरल
73.	अप्रैल 23-25, 1996	फूके, थाइलैंड	त्रिपक्षीय चर्चा व्यवस्था	केशवभाई ठक्कर, वड़ोदरा, गुजरात
74.	अप्रैल 1996	माद्रिद, स्पेन	अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिवेशन	ओमप्रकाश अग्घी, दिल्ली
75.	मई 1996	मेलबोर्न, (आस्ट्रेलिया)	अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिवेशन	ओमप्रकाश अग्घी, दिल्ली
76.	जून 1996	जेनेवा, (स्विटजरलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का वार्षिक अधिवेशन	आर. वेणुगोपाल, नई दिल्ली, श्याम सुन्दर शर्मा, जयपुर, राजस्थान
77.	सितंबर 1996	बीजिंग, चीन	श्रम संगठनों का परस्पर सहयोग	एन.एम्. सुकुमारन, मद्रास, तमिलनाडु

एच.बी. सेल्स एंड सर्विस

भास्कर सेल्स, भागीरथी बलवंत, शिवाजी रोड, 370- शुक्रवार पेठ, पुणे - 411 002

दूरभाष : 478437, 471399,476901

विदेश से भारतीय मजदूर संघ के केंद्र कार्यालय में पधारे विशिष्ट व्यक्ति

क्रमांक	दिनांक	नाम	कहां से	भेंट का उद्देश्य
1.	मार्च 9, 1984	श्री एन.आई. झिफु के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल	अखिल चीन ट्रेड यूनियन बीजिंग, चीन	पारस्परिक समझ भा.म.संघ के प्रतिनिधि मंडल का चीन आने का आमंत्रण
2.	दिसंबर 4, 1984	श्री नील्स एनबोल्डसेन के नेतृत्व में तीन सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल	आई.एल.ओ. जेनेवा, स्विटजरलैंड	विकासशील देशों में श्रमिक शिक्षा में नोर्डिक फोक हाईस्कूल योजना लागू करने की साध्यता पर विचार विमर्श के लिए अग्रिम शिष्टमंडल
3.	अगस्त 13, 1985	मिस एफ.ओ.डे	आई.एल.ओ. जेनेवा	विकासशील देशों में ट्रेड यूनियन द्वारा प्रदत्त कल्याण सुविधाएं और सेवाओं पर अन्वेषण
4.	जनवरी 3, 1986	श्री के.एम. त्रिपाठी, प्रादेशिक परामर्श दाता आई.एल.ओ.	बैंकाक (थाइलैंड)	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक स्तरों के बारे में भा.म.संघ की चर्चा गोष्ठी के संबंध में
5.	जनवरी 9, 1986	श्री अमल मुखर्जी, प्रधान श्रमिक संबंधों का आई.एल.ओ प्रतिनिधि	जेनेवा, (स्विटजरलैंड)	भारत में सामान्य श्रमिक परिस्थिति
6.	फरवीर 13, 1986	श्री डेविड जी इंग्राम	1986 के चर्चिल फेलो, एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल एण्ड मैनेजीरियल स्टाफ, लंदन (यू.के.)	स्वास्थ्य और सुरक्षा क्रम के सुधार में भारतीय ट्रेड यूनियनों का पात्र
7.	मार्च 4, 1986	लेबर काउंसिलर—श्री अंथोनी एम. केर्न, श्रमिक सलाहकार—श्री पी.के. वी. कृष्णन के साथ	नई दिल्ली स्थित (अमरीका दूतावास)	सद्भावना भेंट
8.	अगस्त 12, 1986	श्री कालरैट और श्री स्टलिंगस्मिथ	1. निदेशक सी.टी.यू.सी. लंदन 2. योजना समन्वयाधिकारी सी. टी.यू.सी. लंदन	सद्भावना भेंट
9.	दिसंबर 8, 1986	श्री सिझारे पोलोनी, प्रधान श्रमिक शिक्षा ग्रामीण श्रमिक शिक्षा के निदेशक श्री सेलियात के साथ	आई.एल.ओ., जेनेवा	सद्भावना भेंट
10.	मार्च 25, 1987	मिस ग्रब्रियल दाह, कार्य और कल्याण सुविधा परिस्थितियों के सहकारी विशेषज्ञ	आई.एल.ओ., बैंकाक	रासायनिक उद्योगों के संबंध में
11.	मई 11, 1987	श्री जान मार्टिन विक्टर वीर, के नेतृत्व में तीन सदस्यीय श्रमिक शिक्षा समिति	कांग्रेस ऑफ साउथ अफ्रिकन ट्रेड यूनियन्स, दक्षिण अफ्रीका	श्रमिक शिक्षा पारस्परिक समझ के लिए

बीज कामगार कल्याण निधि
रास्ता पेठ पुणे, 185, शनिवार पेठ, पुणे-411030

क्रमांक	दिनांक	नाम	कहां से	भेंट का उद्देश्य
12.	मई 25, 1987	मिस यू. गुइंधी तथा नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के प्रथम सचिव (सांस्कृतिक) कामरेड वी. फ्रैंवियान के नेतृत्व में त्रिसदस्यीय शिष्टमंडल	ए.सी.एफ.टी.यू., बीजिंग, चीन	सद्भावना भेंट
13.	जुलाई 23, 1987	भारत स्थित अमरीकी दूतावास के कानून विभाग के श्री विलियम आर. सैलिस बरी, कानून सलाहकार श्री पी. के.वी. कृष्णन तथा कानून विश्लेषक वी. श्रीनिवासन के साथ	अमरीकी दूतावास, नई दिल्ली	सद्भावना भेंट
14.	नवंबर 6, 1987	श्री के. दुरैयप्पा	आई.एल.ओ. बैंकाक (थाइलैंड)	श्रमिक गतिविधियों सद्भावना भेंट
15.		श्री टिमोफीव, सह निदेशक	आई.एल.ओ. कार्यालय, नई दिल्ली	
16.	जनवरी, 1988	श्री सिदिबी, निदेशक	अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक आई. एल.ओ.	श्रम मानक का कार्यान्वयन
17.		श्री चैन रयूई हुया तथा श्री झयू यांग	सह निदेशक अंतरराष्ट्रीय सम्पर्क विभाग ऑल चायना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (ए.सी.एफ. टी.यू.), अंतरराष्ट्रीय सम्पर्क विभाग ए.सी.एफ.टी.यू.	सद्भावना भेंट
18.		डॉ. क्लुस जुलियन वोन	प्रथम सचिव राजनैतिक एवं सामाजिक संबंध फैडेल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, नई दिल्ली	सद्भावना भेंट
19.		श्री डी.पी.ए. नायडू	आई.एल.ओ. क्षेत्रीय निदेशक ग्रामीण कार्यकर्ता कार्यकलाप, बैंकाक	ग्रामीण कार्यकर्ता प्रशिक्षण भा.म. संघ का सहभाग
20.		श्री पटरिक क्विन	निदेशक कॉमन वैल्थ ट्रेड यूनियन कौंसिल, लंदन	युरीयुसी और भा.म. संघ संबंध
21.		डॉ. सरगुई वी वैलिचकिन पार्षद	रूसी दूतावास, नई दिल्ली	सद्भावना भेंट
22.		श्री संतोष तबूसा	परामर्श दाता कर्मचारी कार्य-कलाप आई.एल.ओ. बैंकाक	सद्भावना भेंट
23.		मिस कैटे फिलिप्स शिक्षा अधिकारी तथा सूटलिंग स्मिथ	सी.टी.यू.सी., लंदन	सद्भावना भेंट
24.	फरवरी 14, 1991	श्री ब्लादीमार वी. मारिया दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के प्रथम सचिव	रूस	औपचारिक भेंट

जनता सहकारी बैंक लि., पुणे

प्रधान कार्यालय–1444, शुक्रवार पेठ, बाजीराव रोड, पुणे-411002. दूरभाष : 453258, 453259

क्रमांक	दिनांक	नाम	कहां से	भेंट का उद्देश्य
25.	मार्च 2, 1991	श्री हरमैन विंके	बर्लिन, पं. जर्मनी	औपचारिक
26.	जुलाई 26, 1991	श्री जेम्स एहरमन, अमरीकी दूतावास में श्रम-प्रकोष्ठ के प्रमुख	अमरीका	वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चर्चा
27.	सितंबर 13, 1991	श्री इलियास मेबेरे, निर्देशक, आई.एल.ओ., दिल्ली	तंझानिया, अफ्रीका	नव नियुक्ति पर परिचयात्मक भेंट
28.	अक्टूबर 7, 1991	श्री खिस्तोफा जफरलाट	फ्रांस	शोध
29.	अक्टूबर 7, 1991	श्री स्वेनएरिक स्टर्नर, आई.एल.ओ. के एशियाई श्रमिक कार्यों के क्षेत्रीय सलाहकार	स्वीडन	कार्य संबंधी भेंट
30.	जनवरी 17, 1992	श्री जेम्स एहरमन, दिल्ली दूतावास में श्रम-प्रकोष्ठ प्रमुख	अमरीका	वर्तमान स्थिति की चर्चा
31.	फरवरी 7, 1992	श्री मनसू यिनहान, दिल्ली दूतावास में प्रथम सचिव	चीन	अन्य चीनी अतियियों के लिए भेंट की तारीख तय करने हेतु
32.	फरवरी 20, 1992	चीन के चीनी श्रम संघ के केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल 5 सदस्य	चीन	औपचारिक भेंट
33.	मार्च 12, 1992	श्री सोएन सदिक आर्नर, एशिया पैसिफिक के अं.श्र. संघ के श्रमिक कोष्ठ के क्षेत्रीय निदेशक	स्वीडन	संबंधित कार्य की चर्चा हेतु
34.	जुलाई 28, 1992	श्री आचार्य पाठक एवं कर्ण	नेपाल	औपचारिक परिचय हेतु
35.	जुलाई 30, 1992	श्री जान एच् हरने गेट, वर्जिनिया विश्वविद्यालय के छात्र	वर्जिनिया	शोधकार्य
36.	नवंबर 21, 1992	श्री हरिहरन, आई.एल.ओ. आफिस दिल्ली एवं बैंकाक स्थित आई.एल.ओ. के अधिकारी	भारत एवं जापान	श्रम शिक्षा एवं पर्यावरण पर बातचीत
37.	नवंबर 15, 1992	खिस्तोफर क्लॅगलंड, कोलम्बिया विश्वविद्यालय के छात्र	अमरीका	शोधकार्य
38.	जुलाई 19, 1994	श्री ह्यूबर्ट स्माल्ज, जर्मन गणतंत्र की दिल्ली स्थित दूतावास के प्रथम सचिव	जर्मन	भा.म.संघ की तत्वप्रणाली, धारणा तथा कार्यपद्धति के संबंध में विस्तृत जानकारी के संबंध में
39.	सितंबर 20, 1994	श्री ग्रेग फुकूलोमि भारतीय मामलों के अधिकारी।	वॉशिंगटन, अमरीका	नई आर्थिक नीति के संबंध में चर्चा
40.	मार्च 20, 1996	श्री वांग युकसियन और श्री झांग ताऊ, चीनी मजदूर संघ के सदस्य (ए.सी.एफटीयू) के साथ श्री तान झांगुआ	चीन (ए.सी.एफ.टी.यू.)	परस्पर सहयोग

ठाणे जनता सहकारी बैंक

'सेवा धाम' डॉ. मूसे रोड, लाल बाग ठाणे-400 602. दूरभाष : 5363538, 5366646, 5332161

मानवता के लिए

मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम।
शोषित, पीड़ित, दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम ॥
हम अपने श्रम सीकर से ऊसर में स्वर्ण उगा देंगे।
कंकड़ पत्थर समतल कर काँटों में फूल खिला देंगे।
सतत परिश्रम से अपने हैं वैभव लाने वाले हम।
शोषित, पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम ॥
अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं।
पर अपने अधिकार गंवाकर, कर सकते आराम नहीं।
अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम।
शोषित, पीड़ित, दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम ॥
रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा आवश्यकता जीवन की।
व्यक्ति और परिवार सुखी हों तभी मुक्ति होती सच्ची।
हँसते-हँसते राष्ट्रकार्य में शक्ति लगाने वाले हम
शोषित, पीड़ित, दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम ॥
भारत माता का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है।
युग-युग से मानव हित करना शाश्वत धर्म हमारा है।
जीवन शक्ति उसी माता को भेंट चढ़ाने वाले हम।
शोषित, पीड़ित, दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम ॥

हम भारत भाग्य विधाता

हम भारत भाग्य विधाता, नौ मत को एक बनाएं।
फिर काल चक्र को गति दे वैभव के शिखर चढ़ाएं।
हम बिजलीघर के पुर्जे, ऊर्जा उत्पादन करते।
कसकर जमकर दृढ़ रहते सामूहिक मति से चलते।
मर्यादित गति यति लेकर, अनुशासन यंत्र चलाएं ॥ 1 ॥
बलशाली लौह भुजा से, सोने के मोती झरते।
श्रम से आनंद उठा हम कण-कण में हलचल भरते।
सूरज-सा तेज जगाकर, सुख के बादल उमड़ाएं ॥ 2 ॥
यह घूस मुनाफाखोरी, काला धन कर की चोरी।
सज्जन प्रहलाद सताकर, असुरों की सीनाजोरी।
नरसिंह प्रकट करके हम पीड़ित जनतंत्र बचाएं ॥ 3 ॥
अपना अधिकार न छोड़ें, श्रम से न कभी मुख मोड़ें।
यह गहन विषमता खाई, कारा की कड़ियां तोड़ें।
शोषण अन्याय मिटाकर, मानव को मुक्त कराएं ॥ 4 ॥

सहयोगी संस्थाएं

प्रकाशन
विश्वकर्मा संकेत, मजदूर वार्ता एवं विश्वकर्मा चेतना आदि

बीड़ी रोजगार रक्षक आंदोलन

स्वदेशी जागरण मंच

विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था

पर्यावरण मंच

श्रमिक महिला विभाग

विश्व कल्याण

मानव कल्याण

समर्थ भारत

समर्थ मजदूर संगठन

भारतीय मजदूर संघ

राज्य/शाखाएँ

आंध्र	असम	बिहार
चंडीगढ़	दिल्ली	गोवा
गुजरात	हरियाणा	हिमाचलप्रदेश
जम्मू-कश्मीर	कर्नाटक	केरल
मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	ओड़िशा
पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु
उत्तरप्रदेश	विदर्भ	प. बंगाल

महासंघ

भा. वस्त्र उद्योग कर्मचारी महासंघ	भा. पोर्ट डाक मजदूर संघ			अ.भा. विद्युत मजदूर संघ	भा. रेलवे मजदूर संघ
भा. जूट मजदूर संघ	अ.भा. खदान मजदूर संघ	भा. पल्प पेपर एंड स्ट्रा बोर्ड मजदूर संघ	अ.भा. आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ	अ.भा. केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान मजदूर संघ	भा. प्रतिरक्षा मजदूर संघ
अ.भा. इस्पात मजदूर संघ	अ.भा. खनिज धातु मजदूर संघ	भा. सीमेन्ट मजदूर संघ	नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ इंशुरेंस वर्कर्स	अ.भा. केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान अधिकारी एवं पर्यवेक्षक महासंघ	राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ
भा. इंजीनियरिंग मजदूर संघ	अ.भा. कृषि मजदूर संघ	अखिल भारतीय बीड़ी मजदूर संघ	नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स	भा. पोस्टल एंपलाइज फेडरेशन	सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ
भा. परिवहन मजदूर महासंघ	अ.भा. शुगर मिल मजदूर संघ	भा. स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ	नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक आफीसर्स	भा. टेलीफोन एंपलाइज फेडरेशन	केन्द्रीय कर्मचारी संघ